लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. B.....60.....
Date.....5/3/90.....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 4 मई, 1989/14 वैशाख, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
35	10	"जनार्दन" के स्थान पर "जनार्दनन" पढ़िये.
85	16	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
102	15	"जिज" के स्थान पर "जिन" पढ़िये ।
172	15	प्रश्न संख्या "8041" के स्थान पर "814 पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 50, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 42, गुरुवार, 4 मई, 1989/14 वैशाख, 1911 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 841 से 843, और 845 से 847	.	1-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 844 और 848 से 860	.	32-40
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7964 से 7994 और 7996 से 8141		40-172
सभा पटल पर रखे गए पत्र		178-180
राज्य सभा से संदेश		180
कार्य-मंत्रणा समिति		*181*
71वां प्रतिवेदन		181
नियम 377 के अधीन मामले :		181-185
(एक) कर्नाटक के उत्तर और दक्षिण कनारा जिले के अनेक भागों में फैले "बंदर रोग" पर काबू पाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता		
श्री जी० देवराय नायक		181
(दो) उड़ीसा में खुर्दा रोड डिवीजन में रेलवे स्टेशनों तथा अन्य रेलवे स्टेशनों पर रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता		
श्रीमती जयन्ती पटनायक		181
(तीन) सरसों के लिए लाभप्रद मूल्य निर्धारित किये जाने की आवश्यकता		
श्री बीरबल		181-182
(चार) मंजनगर (उड़ीसा) में एक दूरदर्शन केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता		
श्री सोमनाथ रथ		182

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

(पांच) बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी में सीता के जीवन पर "प्रकाश और ध्वनि" कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस 182-183

(छः) सूखे से बुरी तरह प्रभावित दक्षिण-पूर्व राजस्थान के जिलों में पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु तुरन्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 183

(सात) तमिलनाडु के सलेम जिले में मेत्तूर में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री के०आर० नटराजन 183

(आठ) पश्चिम बंगाल के लिए चावल और गेहूं के मासिक आबंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी 183-184

(नौ) टैगोर की कृतियों का प्रतिलिप्यधिकार 50 वर्ष से बढ़ाकर 100 वर्ष किए जाने की आवश्यकता

श्री अमर रायप्रधान 184-185

(दस) राजस्थान में पाली, बालोतरा और जोधपुर जिलों के उन किसानों को, जिनकी फसलों को कारखानों से छोड़े गये दूषित पानी से नुकसान पहुंचा है, मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री शंकरलाल 185

नियम 193 के अधीन चर्चाएं : 185-257

(एक) देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति

श्री चरनजीत सिंह बालिया . . 185-188

श्री हरीश रावत 189-194

श्री अमर रायप्रधान 194-196

श्री के०पी० कुन्ताबपुरी 196-198

श्री हरुभाई मेहता 198-201

श्री सी० जंगा रेड्डी 201-206

कुमारी ममता बनर्जी 207-210

श्री उमाकान्त मिश्र 210-212

प्रो० सैफुद्दीन सोज 212-219

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 219-222

श्री आरिफ मोहम्मद खां 222-223

पृष्ठ

(दो) केन्द्रीय सरकार के पदों पर/सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की दृष्टि से आदेशों को उदार बनाया जाना

श्री ई०अय्यपू रेड्डी 224-229
श्री रामप्यारे पनिका 229-234
श्री अजीज कुरेशी 234-242
श्री पूर्णचन्द्र मलिक 242-245
डा० गौरी शंकर राजहंस 245-247
श्री हेत राम 247-249
कुमारी ममता बनर्जी 249-251
श्री नारायण चौबे 251-253
प्रो० पी०जे० कुरियन 253-254
श्री राम भगत पासवान 254-256
डा० फूलरेणु गुहा 256-257

लोक सभा

गुरुवार 4 मई, 1989/14 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे प्र० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय विद्यालय खोलना

[अनुवाद]

*841. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिये चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में 6 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5112 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1985-86 में सातवीं योजना अवधि के दौरान हर वर्ष 100 केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो 1985-86 से 1988-89 तक की अवधि के दौरान केवल 230 केन्द्रीय विद्यालय खोलने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मानिक रेड्डी : क्या चालू वित्तीय वर्ष में अथवा आठवीं योजना के दौरान स्नातकोत्तर स्तर के विषयों के लिए केन्द्रीय महाविद्यालय शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री एस० पी० शाही : चालू वित्तीय वर्ष में अथवा आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय महाविद्यालय शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि संविधान की व्यवस्था के तहत शिक्षा कन्करेण्ट लिस्ट में है और इस नाते केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के प्रति बनती है लेकिन केन्द्रीय विद्यालयों में अभी तक जो व्यवस्था है वह केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश तक ही सीमित है। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है इसलिए क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि केन्द्रीय विद्यालयों की तादाद इस तरह से

बढ़े कि एक विद्यालय केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिए हो तो एक विद्यालय सामान्य लोगों के बच्चों के प्रवेश के लिए भी हो ?

श्री एस० पी० शाही : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 1963 में हुई। पहले-पहल 20 स्कूल डिफेंट सैक्टर में चल रहे थे और उन्हीं को लेकर शुरू किया गया। इसके पीछे भावना यह थी कि ऐसे केन्द्रीय कर्मचारी जो एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं, तबादले होते रहते हैं, उनके तबादले से उनके बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है। कारण कि भाषा बदल जाती है और कोर्स भी बदल जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इसलिये ऐसा सोचा गया कि एक ऐसा संगठन चलाया जाए जिसमें ट्रांसफरेबल सैन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज के बच्चे एक तरह की शिक्षा पा सकें, चाहे वे कहीं भी रहें और जिस प्रदेश में भी रहें। उसी उद्देश्य से इसकी शुरूआत हुई और बढ़ते-बढ़ते यहां तक हो गई है।

यहां तक केन्द्रीय विद्यालय का सवाल है, वे तीन स्ट्रीम के हैं। एक बड़ा डिफैंस सैक्टर का है, जहां डिफैंस एस्टैबलिशमेंट हैं, वहां पर खोले गए हैं। दूसरा है सिविल सैक्टर, जिसमें डिफैंस के अलावा जो दूसरे एम्पलाईज हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई होती है। तीसरा है प्रोजैक्ट सैक्टर, जिसमें पब्लिक सैक्टर के अन्दर या उनके कैम्पस में जहां वे चाहते हैं खुलवाना, उसका खर्चा वहन करते हैं, जमीन देते हैं, मकान देते हैं और तब केन्द्रीय विद्यालय संगठन वहां जाकर स्कूल चलाता है। प्रोजैक्ट सैक्टर में तो प्रोजैक्ट वाले बच्चे ही रहते हैं। अभी तक शिक्षा, स्कूली शिक्षा खास तौर से, राज्य सरकारों के जिम्मे थी और अब तक रही है। अभी वही सिलसिला चल रहा है। इसलिए तत्काल ऐसी कोई स्कीम नहीं है, जिसमें सभी तरह के लोगों के लिए स्कूल केन्द्रीय सरकार द्वारा खोले जायें।

श्री शांतिलाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, अभी देश में 230 केन्द्रीय विद्यालय हैं। दिल्ली में तो कम से कम छः हैं। एक लड़के का एडमीशन मिलता है तो आठ-दस को न बोलते हैं। अभी तक दिल्ली में जितने लड़के दाखिल होने के लिये आते हैं, उन में से जिन्हें लड़कों को न बोला, आप कोई उसी के अन्दर केन्द्रीय विद्यालय में सुविधा दें, नया खोलने की बात तो आप छोड़ दीजिये, या जितनी सीट आपने तय की हैं, क्या उस संस्था में कोई सीट बढ़ाकर व्यवस्था करना चाहते हैं ?

श्री एस० पी० शाही : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कों के साथ लड़कियों का भी एडमीशन होता है; दोनों का एडमीशन होता है। जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या का सवाल है, उनकी संख्या 300 नहीं है, 729 केन्द्रीय विद्यालय अभी चल रहे हैं। माननीय सदस्य ने किसी खास सैक्टर का जिक्र किया तो पिछले साल 4 लाख 75 हजार विद्यार्थियों का उन्हीं स्कूलों में नामांकन हुआ, जो पढ़ रहे थे। जहां जरूरत पड़ती है और अगर हमें मकान की सुविधा हो जाती है और नाम लिखाने अभी तक विद्यार्थी आते हैं, तो नया सैक्शन खोलकर हम उनके लिए इन्तजाम करते हैं। लेकिन मकान बनाने में समय लग जाता है, उसमें कहीं-कहीं अवरोध पैदा हो जाता है, लेकिन कोशिश हमारी यह रहती है कि अगर हमें मकान उपलब्ध हों या दूसरा सैक्शन चलाकर भी हम कर सकें, तो करना चाहते हैं। कोशिश करते हैं कि हम उनका एडमीशन करें।

[अनुवाद]

श्री पराग चालिहा : भारत में केन्द्रीय विद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, क्या मंत्री जी हमें बताएंगे कि क्या केन्द्रीय विद्यालयों के बेहतर निरीक्षण एवं बेहतर कार्यकरण को

सुनिश्चित करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री एस० पी० शाही : महोदय, देश में पहले ही पन्द्रह क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कुछ समय पूर्व एक पुनरीक्षा समिति गठित की गई थी और इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। सरकार उसके द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार कर रही है। समिति ने कुछ उप-केन्द्र शुरू करने का सुझाव दिया है जिनमें चार या पांच क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। किन्तु सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। यह मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्षजी, यह सैद्धान्तिक मामला है। भारत में 80 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं लेकिन जब भी कोई विकास का काम होता है, शिक्षा का काम होता है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था होती है और राज्य के कर्मचारियों के लिए होती है और दूसरे लोगो के लिये होती है और उसमें गांव वालों का नामो-निशान तक नहीं होता है। ये जो विशिष्ठ विद्यालय खुल रहे है, इन विशिष्ठ विद्यालयों में केवल सरकारी अधिकारियों के लड़के ही पढ़ेंगे और गांव के लड़के नहीं पढ़ सकते। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने गांव के लड़कों के लिए भी कोई परसेन्टेज फिक्स की है और ये जो केन्द्रीय विद्यालय खुल रहे हैं, उनमें गांव के लड़के भी दाखिल होंगे ? अगर कोई प्रतिशत फिक्स नहीं किया है, तो यह गांव के लोगों पर अन्याय हो रहा है और गांव इस तरह से विकसित नहीं हो सकते और गांव के लोग नीचे चलते जाएंगे और शहरों के लड़के ऊंचे होते जाएंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालयों में गांव के विद्यार्थियों के लिए भी कोई कोटा फिक्स किया है और गांव के लड़कों के एडमिशन का प्रतिशत कितना है ?

श्री एस० पी० शाही : महोदय, मैंने जैसा पहले कहा, केन्द्रीय विद्यालयों में तो करीब-करीब अर्बन कल्चर है और वे शहरों के पास या शहर में खुलते हैं, जहां पहले से केन्द्रीय सरकार के इम्पलाइज की आबादी रहती है लेकिन जहां तक गांवों का सवाल है, मै माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह रखना चाहूंगा कि नवोदय विद्यालयों की जो स्थापना हुई है, उसमें 75 से 80 प्रतिशत विद्यार्थी निश्चितरूप से गांव से ही आते हैं और पिछले तीन सालों में 246 स्कूल खुल चुके हैं। इसके अलावा और भी स्कूल खुलने वाले हैं। उनमें मेरिट के आधार पर चुनाव हुआ है लेकिन 80 प्रतिशत विद्यार्थी गांवों के ही रहते हैं। इसलिए उसका रूरल बेस है और इन केन्द्रीय विद्यालयों का अभी तक अर्बन बेस है।

मुरैना जिले में चम्बल नदी पर पुल का निर्माण

*842. **श्री कम्मोदीलाल जाटव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मुरैना जिले की अम्बा तहसील में चम्बल नदी पर एक पुल के निर्माण की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). पिन्नहाट घाट पर चम्बल नदी पर इस अन्तर्राज्यीय पुल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव पर, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से पुल की लागत में योगदान देने हेतु सहमति प्राप्त कर लेने के बाद, दस्युग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 532.70 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर, इसके कार्यान्वयन आदि के लिए 1.11.1989 को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।

[हिन्दी]

श्री रूम्मोदीलाल जाटव : अध्यक्ष महोदय, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुरैना जिले की अम्बाह तहसील में जिस पुल की स्वीकृति दी है, उसके लिये माननीय अध्यक्ष जी, आपको, माननीय प्रधान मंत्री जी को और मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह जो पुल स्वीकृत हुआ है, उस के लिए मैं अपने मुरैना जिले की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि इस पुल की विज्ञप्ति एवं टेण्डर कब तक दिये जाएंगे, यह बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : यह कार्य उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा तथा हमने पहले ही लगभग 2.88 करोड़ रुपये इस कार्य तथा अन्य कार्यों के लिए दे दिए हैं।

विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के योगदान का मूल्यांकन

*843. **श्री टी० बशीर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के योगदान का कोई मूल्यांकन या अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों के राज्य मंत्री (श्री एम० वी० शाही) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग). भारत सरकार ने अगस्त, 1974 में एक समिति नियुक्त की, ताकि उच्च शिक्षा के स्तरों के समन्वय तथा निर्धारण के विशेष संदर्भ में वि०अ०आ० के कार्य की समीक्षा की जा सके और डा० बी० एस० मूर्ति की अध्यक्षता में उसकी जिम्मेवारियों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाने के लिए अनुकूल सिफारिशें की जा सकें। समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1977 में प्रस्तुत की। सरकार ने अप्रैल, 1979 में समिति की सिफारिशों पर अपने द्वारा किए गए निर्णयों की घोषणा की।

अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में वि० अ० आ० ने महत्वपूर्ण निर्णयों पर कार्रवाई की है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश तैयार करके राज्य सरकारों को परिचालित किए हैं। इन परिषदों के माध्यम से राज्य-स्तरीय आयोजन और उच्च शिक्षा का समन्वय किया जाएगा।

(ii) यद्यपि शिक्षा समवर्ती सूची में है, तथापि विश्वविद्यालयों और कालेजों की स्थापना राज्य सरकारों की ही जिम्मेवारी बनी रहेगी। तथापि, आयोग ने विश्वविद्यालयों के मार्गदर्शन के लिए कालेजों के संबद्धता की शर्तों के अनुसार दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन्हें दिसम्बर, 1987 में राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों की जानकारी में लाया गया था।

(iii) आयोग ने प्रथम डिग्री प्रदान करने के लिए शिक्षा के न्यूनतम स्तरों से संबंधित विनियम भी अधिसूचित किए हैं। न्यूनतम स्तरों के इन विनियमों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम कार्य-मात्रा भी निर्धारित की है (प्रति सप्ताह अध्यापन के 18 घंटे से अधिक नहीं और तैयारी सहित कुल 40 घंटे प्रति सप्ताह)।

(iv) आयोग ने स्वायत्त कालेजों की योजना से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं—शैक्षिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण, कालेजों को उनके स्वयं के पाठ्यक्रम तैयार करने की स्वतन्त्रता, शिक्षण तथा परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा आदि। इस समय देश में 96 स्वायत्त कालेज हैं।

(v) आयोग एक संबद्धन विश्वविद्यालय के एक नए नमूने पर कार्य कर रहा है। इस नए नमूने में कोई सीधे शिक्षण-कार्यक्रम नहीं होंगे परन्तु इसमें कालेजों में शिक्षा की उत्कृष्टता तथा स्तरों को प्रोन्नत करने की दृष्टि से कालेजों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

(vi) वि०अ०आ० ने प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों को और अधिक संगत बनाने तथा शिक्षा को कार्य/क्षेत्र/व्यावहारिक अनुभव के साथ जोड़ने की दृष्टि से सामान्य शिक्षा में अवर स्नातक पाठ्यक्रम पुनः तैयार करने की योजना शुरू की। इस कार्यक्रम पर बल देने के उद्देश्य से, वि०अ०आ० ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आदर्श पाठ्यचर्याओं के विकास के लिए 27 पाठ्यचर्या विकास केन्द्र स्थापित किए हैं।

(vii) आयोग ने विश्वविद्यालयों को आबंटित कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा शुरू की है। इस परीक्षा का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसंधान के लिए केवल सर्वोत्तम छात्रों को ही चुना जाएगा।

(viii) आयोग के पास अनेक संकाय सुधार कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को उन्नत करना तथा उन्हें अधिक अच्छे ढंग से साधन सम्पन्न बनाना है ताकि वे उच्च कोटि के शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान कर सकें और इस प्रकार उच्च स्तर बनाए रख सकें। संकाय सुधार योजनाओं में अतिथि प्रोफेसर, राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां, राष्ट्रीय एसोशिएटशिप, राष्ट्रीय लेक्चरर, शिक्षक शिक्षावृत्तियां, आजीविका पुरस्कार, यात्रा अनुदान आदि शामिल हैं।

(ix) आयोग ने शैक्षिक कर्मचारी अनुस्थापन योजना तैयार की है और 48 शैक्षिक स्टाफ कालेज स्थापित किए हैं। प्रत्येक शैक्षिक स्टाफ कालेज से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक वर्ष लगभग 250 नव-नियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण दें। दूसरे चरण में, शैक्षिक स्टाफ कालेज सेवारत शिक्षकों के लिए विषयोन्मुख पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करेंगे।

(x) आयोग ने शिक्षकों के लिए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की एक योजना को भी अन्तिम रूप दिया है। सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों को शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश परिचालित किए गए हैं।

(xi) इस समय आयोग राज्य सरकारों और अन्य एजेन्सियों के परामर्श से लेक्चररों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय अर्हक परीक्षा के कार्यान्वयन की पद्धतियां तैयार कर रहा है।

(xii) शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता को प्रोन्नत करने के लिए आयोग तीन स्तरों पर संस्थागत अनुसंधान को सहयोग दे रहा है, अर्थात् उच्च अध्ययन केन्द्र, सामाजिक सहायता विभाग तथा मानविकी, सामाजिक विज्ञानों, विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में विभागीय अनुसंधान सहयोग प्रदान कर रहा है। इस समय, उपर्युक्त योजनाओं में से किसी न किसी योजना के अन्तर्गत लगभग 290 विभागों को शामिल किया जाता है।

(xiii) विषय-वस्तु, शिक्षा पद्धतियों, पाठ्यचर्याओं, प्रयोगशाला प्रयोगों, कार्यशालाओं, आदि में समेवित तथा एक साथ सुधारों के माध्यम से कालेजों में अवर स्नातक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में कोटि उन्मुख सुधार लाने की दृष्टि से आयोग ने एक कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों तक भी विस्तार किया गया है।

(xiv) कार्रवाई योजना में यह परिकल्पना की गई है कि वि०अ०आ० एक स्वायत्त निकाय के रूप में एक प्रत्यायन और मूल्यांकन परिषद् का विकास करने की पहल करेगा। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा कोटि बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रत्यायन तथा मूल्यांकन का एक तंत्र विकसित करने से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस समय इस रिपोर्ट पर शिक्षाविदों के बीच चर्चा की जा रही है।

संसद को प्रस्तुत की गई 66वीं रिपोर्ट में आकलन समिति (8वीं लोक सभा) ने भी वि०अ०आ० के कार्य की जांच की है। सरकार आकलन समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

श्री टी० बशीर : महोदय, सरलन विवरण में मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में बताया गया है कि भारत सरकार ने अगस्त 1974 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी और उसने फरवरी 1977 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था और सरकार ने समिति की सिफारिशों पर किए गए अपने निर्णयों की घोषणा अप्रैल 1979 में कर दी थी। किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफल रहा है। प्राक्कलन समिति के 66 वें प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य-निष्पादन परीक्षा-पद्धति में सुधार, शिक्षा के न्यूनतम स्तर को निर्धारित

करने और देश में विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने आदि में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत खराब रहा है। अत: मैं इस बारे में मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं और यह भी कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण को बहुत प्रभावी बनाने के लिये क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री एल० पी० शाही : महोदय, यह सच है कि पुनरीक्षा समिति का गठन किया गया था और उसने 1979 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। पुनरीक्षा समिति ने जो सिफारिशें प्रस्तुत की थीं उनकी एक बहुत लम्बी सूची मेरे पास है। उनमें से बहुत सी सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी हैं और कुछ स्वीकार नहीं की गई हैं। जो भी हो, दो विभिन्न मत तो हमेशा साथ-साथ चलते ही हैं। एक मत तो यह कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नए कालेजों और नये विश्वविद्यालयों की अंधाधुन्ध वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिएं और यदि नियंत्रण रखा जाना है तो किस प्रकार रखा जाए क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थापना केन्द्रीय सरकार के अधिनियम के अंतर्गत अथवा राज्य सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है अथवा इसको निर्णीत स्तर मिल जाता है जिसकी घोषणा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्टाफ इन्स्पैक्शन यूनिट की सिफारिश पर की जाती है। इस तरह तीन प्रकार से विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकती है। यदि कोई राज्य सरकार एक विश्वविद्यालय की स्थापना करती है और उसमें पूरा साज सामान नही होता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए बड़ी कठिनाई पैदा होती है। कभी कभी तो यह अधिनियम के अंतर्गत अनुदान देना रोक सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसा अधिकार है, लेकिन अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह मानकर चलता रहा है कि यह कोई पुलिस विभाग नहीं है और यह कोई कानून को लागू कराने वाला प्राधिकरण भी नहीं है, यह तो एक बढ़ावा देने वाला प्राधिकरण है और इसको अनुदान देकर अथवा अनुदान रोक कर बढ़ावा देने के तौर पर उसको नियमित करने का प्रयत्न करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसे कुछ बुनियादी सुविधाएं दी जाएं और यह कुछ हद काम करने लग जाए। अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस प्रकार कार्य करता रहा है। परन्तु महोदय, यदि आप मुझे ये सिफारिशें सभा पटल पर रखने की अनुमति दें तो ये 6-7 पृष्ठों में आएंगी। ये सिफारिशें इस समय मेरे पास हैं। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ परिवर्तन किए हैं जिन पर वह पहले से विचार करता रहा है। और अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अपना बजट है लेकिन पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुमानित व्यय 1100 करोड़ रुपए तक होगा जबकि पिछले वर्ष हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देश भर के विश्वविद्यालयों के लिए केवल 370 करोड़ रुपए ही दे सके हैं। अत: वित्तीय कठिनाईयां तो रहेंगी ही। हम यह महसूस करते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों की अधिक सहायता करनी चाहिए परन्तु वित्तीय कठिनाइयां बने रहने के कारण ऐसा नहीं हो सका है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विश्वविद्यालय कालेज अध्यापकों के लिए योजनाएं हैं, इसके पास स्थागत विकास योजनाएं हैं। इसके अलावा इसके पास विशेष कार्यक्रम संबंधी अन्य योजनाएं हैं, विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम हैं, महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यक्रम हैं और अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम हैं। इन विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत अन्य विषय भी हैं। विश्वविद्यालय कालेज अध्यापकों के लिए योजनाएं शीर्षक के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान, कार्य निष्पादन समीक्षा, पुनरीक्षित अर्हता, अध्यापकों का प्रशिक्षण, अध्यापकों को फैलोशिप, यात्रा अनुदान और अन्य ऐसे अनुदान आते हैं जिनकी व्याख्या नहीं की गई है।

"संस्थागत विकास" के अन्तर्गत विकास अनुदान कालेज विश्वविद्यालय, नए विश्वविद्यालय, स्वायत्त शासी कालेज, अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, शिक्षा कर्मचारी कालेज और विकास परिषद् को मान्यता जैसे विषय आते हैं। "विशेष कार्यक्रम संबंधी अन्य योजनाओं" शीर्ष के अन्तर्गत जन प्रचार माध्यम, अनुसंधान परियोजनाएं, कम्प्यूटर सुविधा, मानीटरिंग पुनरीक्षा, पाठ्यक्रम का विकास और 70 देशों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान प्रदान जैसे विषय आते हैं।

इस प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने कार्यकरण में सुधार करने और साथ साथ अन्य कालिजों और विश्वविद्यालयों को अपने क्षेत्राधिकार में लाने और उनका उस स्तर तक विकास करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए प्रोग्राम हैं और अन्य प्रोग्राम हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें सभा पटल पर रख दें।

(**व्यवधान**)

श्री एस० पी० शाही : इसलिए मैंने कहा था कि यदि मैं सभी सिफारिशों का उल्लेख करूं तो यह एक बहुत बड़ी सूची बन जाएगी।

श्री टी० बशीर : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न विश्वविद्यालयीय शिक्षा में एक गंभीर समस्या के बारे में है। हमारे देश में अनेक जाली विश्वविद्यालय चल रहे हैं। यही नहीं है कि विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है बल्कि देश के अनेक भागों में अवैध रूप से जाली विश्वविद्यालय पनपते जा रहे हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का इरादा है।

श्री एस० पी० शाही : महोदय, यह तथ्य हमारी जानकारी में तीन घंटे पूर्व आया था। आज एक अन्य प्रश्न भी है, यद्यपि वह बाद में है और बोगस विश्वविद्यालयों के बारे में है। तीन या चार मामले हमारी जानकारी में आये हैं। अधिनियम के अन्तर्गत किसी को 'विश्वविद्यालय' शब्द के प्रयोग का प्राधिकार नहीं है। यदि कोई 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग करता है तो वह दण्ड का भागी बनता है। अनुदान आयोग ने दो संस्थानों के विश्वविद्यालय के दर्जे को नकारते हुए दो अखबारी इश्तहार जारी किए थे। एक 21-12-88 को दूसरा नवम्बर 1986 में प्रकाशित हुआ था। अभी तक दो मामलों में कार्यवाही की गई है तथा विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करने का प्रयत्न करने वाले बोगस विश्वविद्यालयों के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही करने के लिए सभी राज्य सरकारों को पत्र लिख दिया गया है।

श्री पी० कुलंनदईवेलू : महोदय, आपके नोट के मुताबिक समिति की सिफारिशों पर 14 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब शिक्षा समवर्ती सूची में है। पहले यह राज्य सूची में थी। यदि मान लिया जाए कि शिक्षा राज्य सूची में है तो वे शिक्षा के स्तर में सुधार ला सकते हैं और लगभग सभी बच्चे शिक्षित होंगे और साक्षरता बढ़ेगी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 40 वर्षों के पश्चात् भी हम साक्षरता दर में केवल 32-33 प्रतिशत ही वृद्धि कर सके हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि कालेजों की संख्या में वृद्धि हुई है, किन्तु मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे अच्छे स्तर की शिक्षा दे रहे हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जानने के लिए कि क्या गैर सरकारी प्रबंधकों द्वारा चलाए जा रहे कालेजों द्वारा तथा स्वयं व्यय वहन करने वाले कालेजों द्वारा उत्तम स्तर की शिक्षा दी जा रही है अथवा नहीं समिति नियुक्त की जाएगी ?

महोदय, आपको मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री की धारणा है कि पूरे भारत से शत प्रतिशत साक्षरता दर होनी चाहिए। केन्द्र सरकार का यह मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार होगी ? मैं जानना चाहता हूं कि भारत में शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्री एस० पी० शाही : महोदय, प्रश्न बहुत विस्तृत है। मैं बताना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के निर्धारण के पश्चात् तथा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाए जाने से पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने प्रारम्भिक स्तर से ही शिक्षा में सुधार लाने के उपाय किए हैं और इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमने आपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम प्रारम्भिक स्तर से ही शुरू किया है। जहां तक उच्चतर शिक्षा का संबंध है विज्ञान शिक्षा के स्तर में सुधार की हमारी योजनाएं वर्ष दर वर्ष चल रही हैं और इनमें अधिकाधिक सैकेन्डरी स्कूलों को शामिल किया जा रहा है। उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण की भी योजना है और प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत विद्यार्थी इस योजना में लाए जाते हैं। हम पिछले दो वर्षों से इस संबंध में राज्य सरकारों को लिखते आ रहे हैं और राज्य सरकारें भी अपनी योजनाएं प्रस्तुत करती आ रही हैं। उनमें से कुछ राज्य पीछे हैं तथा कुछ विज्ञान-शिक्षा में सुधार लाने के लिये उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए तथा 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम' के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए अपनी योजनाएं समय पर प्रस्तुत करते हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने यह सोचा है 10 या 20 वर्ष के अन्दर वे इस देश में निरक्षरता समाप्त कर देंगे उन्होंने प्रतिवर्ष एक करोड़ या इससे अधिक की दर से बढ़ने वाली हमारी जनसंख्या पर विचार नहीं किया है। आजकल हमारी जनसंख्या में प्रति वर्ष एक करोड़ से अधिक वृद्धि हो रही है। यदि पांच वर्ष के बाद वे बच्चे विद्यालयों में जाते हैं तो एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आपको प्रतिवर्ष 3 लाख से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इसलिए शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। इस बात की आवश्यकता है। सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा पर फिलहाल किया जा रहा व्यय लगभग 10,000 करोड़ रुपये होता है। इसलिए, समय-समय पर हमें उपलब्ध धन राशि को देखते हुए इसका हल करना चाहिए अर्थात जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। हमारे दिमाग में यह सबसे बड़ा दबाव है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं माननीय मंत्री की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक नियंत्रक प्राधिकरण नहीं है। मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण के बारे में प्राक्कलन समिति के विचारों से असहमत हूं। यह ठीक नहीं है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हर विश्वविद्यालय का पर्यवेक्षण करे और शैक्षिक मामलों में अपनी मनमानी चलाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कालेजों में न्यूनतम शैक्षिक स्तर बनाए रखा जाए। साथ ही इसे शिक्षकों की गुणता और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इससे इतर कोई कार्य करता है तो वह अपनी भूमिका से अलग हटता है।

इन तथ्यों के प्रकाश में मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं कि कालेजों में नियुक्त किए गए शिक्षकों की गुणता बनाए रखा जाए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुबंधित उनकी वेतन शर्तों को भी लागू किया जाए। उदाहरणार्थ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित केलनमान केरल राज्य सहित अनेक राज्यों में लागू नहीं किए गए हैं। इस संदर्भ में क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के इन दो महत्वपूर्ण पक्षों पर विचार करेगा।

श्री एल० पी० शाही : जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में माननीय सदस्य के विचारों का संबंध है मैं उनसे सहमत हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक योजना शुरू की है तथा उनके लिए परिशोधित योग्यताएं भी निर्धारित की हैं। उन्होंने शिक्षकों का मूल्यांकन करने की व्यवस्था की है ताकि रीडर या प्रोफेसर के रूप में उच्च ग्रेड में जाने से पूर्व वे कुछ अनुसंधान कार्य कर सकें। यह योजना शुरू की जा चुकी है। अब तक, हर राज्य की यह मांग थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू किए जाने चाहिए। हम भी राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करने की हिदायत देते रहे हैं। किन्तु अब कुछ राज्यों के शिक्षक संघ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों या भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987 में अनुमोदित वेतनमानों में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके मूल्यांकन पर विचार किए बिना, उनकी कार्य निष्पादन क्षमता पर विचार किए बिना, और इस बात पर विचार किए बिना, कि उन्होंने कुछ अनुसंधान कार्य किया है या नहीं, उन्होंने डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है या नहीं, कुछ वर्ष कार्य करने के बाद उन्हें सामान्य पदोन्नतियां मिलती रहनी चाहिए। यह भी साथ-साथ चल रहा है जबकि हम वेतनमानों और उच्च ग्रेडों में पदोन्नतियों के संबंध में इन बातों को लागू करके उनके स्तरों में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी सुधार करने का प्रयास कर रहा है, दूसरी ओर से उनकी पदोन्नति की मांग की जा रही है। हम दोनों के बीच बातचीत कर रहे हैं। यह सच है कि अधिकांश राज्यों ने वह वेतनमान अपना लिए हैं। किन्तु कुछ राज्यों ने इन वेतनमानों को नहीं अपनाया है। उनमें से एक केरल राज्य हैं। समाचार-पत्र के माध्यम से एक दिन मुझे पता लगा कि उड़ीसा सरकार भी इसे अपनाने के लिए राजी हो गई है। बिहार राज्य भी इसे अपनाने के लिए राजी है। अब शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों से अधिक की इच्छा करने लगे हैं। यह मांग एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंच रही है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रो० कुरियन ने कहा है कि वह प्राक्कलन समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं है। किन्तु मेरे विचार में यह ठीक नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने जो कुछ कहा है उसका संबंध नियंत्रक प्राधिकार से है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मूल्य निर्धारण के संबंध में प्राक्कलन समिति की सिफारिशों से सहमत हैं। आज समाचार पत्रों में यह भी छपा है कि कुछ जाली विश्वविद्यालयों का विशेषकर मैथिली विश्वविद्यालय आदि का पता लगाया गया है।

क्या सरकार उन विश्वविद्यालयों का पता लगाने, जो बिल्कुल जाली हैं और जो निम्न स्तर की डिग्रियां जारी कर रही हैं, के लिए कोई कार्रवाई करेगी क्या सरकार उन विद्यार्थियों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना जो कि इन जाली विश्वविद्यालयों के शिकार है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। क्या आप विद्यार्थियों को कोई नुक्सान पहुंचाए बिना इन विश्वविद्यालयों का पता लगाने और उन्हें समाप्त करने का कार्य करेंगे ?

श्री एल० पी० शाही : जाली विश्वविद्यालय का प्रश्न इतना बड़ा नहीं है कि उनका पता न लगाया जा सके। प्रश्न यह है कि क्या सभी नये विश्वविद्यालयों के पास मान्यता दिये जाने के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं हैं।

सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय विद्यालय खोलना

[अनुवाद]

*845. **श्री के० प्रधानी :**

श्री सोमनाथ रथ :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान अब तक राज्य-वार कितने और कहां-कहां केन्द्रीय विद्यालय खोले गये हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1989-90 के दौरान उड़ीसा में कुछ नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ये केन्द्रीय विद्यालय उड़ीसा में कहां-कहां खोले जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन नए केन्द्रीय विद्यालयों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई संस्वीकृति के अन्दर प्रत्येक वर्ष नए केन्द्रीय विद्यालय खोलता है। वर्ष 1985-86 के लिए, सरकार ने 41 नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संस्वीकृति दी थी तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ये विद्यालय खोले गए थे। वर्ष 1986-87 के लिए, सरकार ने 100 नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी थी जिनमें से केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 95 नए केन्द्रीय विद्यालय खोले थे। वर्ष 1987-90 के लिए सरकार ने प्रत्येक वर्ष सिविल तथा रक्षा क्षेत्र में और ऐसे ही परिगोजना क्षेत्र में जिसके लिए उपयुक्त प्रस्ताव हो सकते हैं, 50 नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संस्वीकृति दी है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस संस्वीकृति के मुकाबले वर्ष 1987-88 में 52 नए केन्द्रीय विद्यालय तथा वर्ष 1988-89 में 42 नए केन्द्रीय विद्यालय खोले। वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गये हैं। वर्ष 1989-90 में खोले जाने वाले नए केन्द्रीय विद्यालयों की सूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

2. वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक की अवधि के दौरान, उड़ीसा में मंचेश्वर, झारसुगुड़ा, बोदामुंडाबारीपाड़ा तथा ओ० पी० बोलनगरी में पांच नए केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं।

अनुबन्ध

वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक की अवधि के दौरान खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों के राज्यवार ब्यौरे

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
		के दौरान खोले गए कन्द्रीय विद्यालय			
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	6	3	2
2.	असम	2	8	2	4

1	2	3	4	5
3. बिहार	2	5	4	6
4. गुजरात	2	2	3	2
5. दिल्ली	3	1	1	1
6. हरियाणा	—	2	5	—
7. हिमाचल प्रदेश	—	4	—	1
8. जम्मू और कश्मीर	3	3	3	1
9. कर्नाटक	—	4	—	1
10. केरल	—	4	—	1
11. मध्य प्रदेश	6	12	2	6
12. मेघालय	1	1	—	1
13. महाराष्ट्र	3	1	3	4
14. मणिपुर	—	2	—	—
15. नागालैंड	—	—	1	—
16. उड़ीसा	—	1	3	1
17. पंजाब	6	5	4	—
18. पांडिचेरी	—	1	—	—
19. राजस्थान	2	7	4	1
20. तमिलनाडु	2	1	1	—
21. उत्तर प्रदेश	5	13	9	7
22. पश्चिम बंगाल	2	10	3	2
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	1	—	—
24. गोवा	—	1	—	1
भारत से बाहर				
25. मास्को (यू० एस० एस० आर०)	—	—	1	—

श्री के० प्रधानी : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है "परियोजना क्षेत्र जिसके लिए उपयुक्त प्रस्ताव हो सकते हैं।" क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए वे प्रस्ताव कौन देते है और केन्द्रीय विद्यालय खोलने की शर्तें क्या हैं ?

श्री एल० पी० शाही : हमें केन्द्रीय विद्यालयों के लिए प्रस्ताव सिविल क्षेत्रों में राज्य सरकारों या सार्वजनिक परियोजनाओं या रक्षा मंत्रालय से प्राप्त होते हैं। ये तीन सामान्य स्थान हैं। किंतु इसके अतिरिक्त, यदि कर्मचारियों की कोई संस्था भी आवश्यक बुनियादी सुविधायें जुटाने में समर्थ हो तो वे भी प्रस्ताव भेज सकते हैं।

श्री के० प्रधानी : उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है।

श्री एल० पी० शाही : वह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : अपना दूसरा पूरक प्रश्न करें।

श्री के० प्रधानी : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग विद्यालय खोलने के लिए पूरी की जाने वाली अपेक्षित शर्तों के सम्बन्ध में था।

श्री एल० पी० शाही : केन्द्रीय विद्यालय खोलने की अपेक्षित शर्त यह है कि उनके पास 15 एकड़ भूमि होनी चाहिए। वहां कम-से-कम हजार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी होने चाहिए जो विद्यालय के लिए कम-से-कम 200 विद्यार्थी और स्टाफ के लिए मुफ्त या सामान्य किराए पर एक अस्थायी भवन उपलब्ध करा सकें।

यदि ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो वे विद्यालय खोल सकते हैं।

जहां तक उड़ीसा सरकार का सम्बन्ध है, कुछ समय पूर्व उड़ीसा सरकार ने 12 विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजा था। हम इनका ब्यौरा जानना चाहते थे किन्तु उन्होंने बताया ही नहीं। हम उन्हें लिखते रहे हैं। इन 12 विद्यालयों में से केवल दो विद्यालय खोले जा सकते थे जहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध थीं।

श्री के० प्रधानी : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है : माननीय मंत्री ने कहा है कि सिविल और रक्षा क्षेत्रों में अनेक विद्यालय खोले जा चुके हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या उन प्राईवेट पक्षकारों के लिए जो वहां सिविल या रक्षा सेवाओं में नौकरी नहीं कर रहे हैं, उन विद्यालयों में कोई कोटा है और उन विद्यालयों का पाठ्यक्रम क्या है, क्या यह पाठ्यक्रम नवोदय विद्यालयों के पाठ्यक्रमों के समान है या उससे कुछ भिन्न है।

श्री एल० पी० शाही : पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा ही है और परीक्षायें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती हैं। परीक्षा का स्तर उसी प्राधिकार द्वारा आयोजित की गई परीक्षा के समान होता है। इसलिए, पाठ्यक्रम में कोई अन्तर नहीं है।

जहां तक अन्य श्रेणियों के प्रवेश का सम्बन्ध है प्रथम वरीयता केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों को दी जाती है। किन्तु यदि स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या विद्यालय की प्रवेश क्षमता से अधिक हो तब हम यह देखते हैं कि पिछले दो वर्षों के दौरान किस व्यक्ति का स्थानान्तरण तीन बार से अधिक हुआ है।

किंतु यदि एक कक्षा के एक सेक्शन के लिए आवश्यक क्षमता 35 है और यदि वह पूरी नहीं हुई है तो इसे सिविल जनता में से भी भरा जा सकता है और अब उसके लिए एक कोटा है तथा वह भी विवेकाधिकार के अन्तर्गत दिया जाने वाला प्रवेश है। वह किसी का भी किया जा सकता है।

श्री सोमनाथ रथ : महोदय, माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया है कि किसी संस्था द्वारा दिए गए सुझाव पर केन्द्रीय विद्यालय खोला जा सकता है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि संस्था से क्या अभिप्राय है। साथ ही मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि यदि कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में अपेक्षित संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे उपलब्ध न हों तो क्या उस स्थिति में सरकार उस संख्या को पूरा करने के लिए आम जनता के बच्चों को प्रवेश देने पर विचार करेगी।

श्री एल० पी० शाही : प्राय: इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां सेना में कार्यरत सैनिकों के बच्चों के लिए, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, उनके लिए ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। इसके साथ-साथ जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स तथा नॉन-कमीशन्ड ऑफिसर्स के बच्चे हैं, उन्हें भी शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे यहां अलवर, भरतपुर, झुन्झुनू, सीकर आदि राजस्थान के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोग भारी संख्या में सेना में काम करते हैं, उनके लड़के सेना में जवान हैं, फौज में काम करते हैं। जिन क्षेत्रों से सेना में अधिक से अधिक जवान जाते हैं, उनके लिए आपने जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उससे थोड़ा डैविएट करते हुए, डिफैंस में काम करने वाले नौजवानों के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करेंगे। उन्हें आपने छोड़ दिया है। क्या आप आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे स्थानों पर आइडैन्टिफिकेशन कराने के बाद, सर्वे कराने के बाद, अधिक से अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की अभी से घोषणा करेंगे, जिन क्षेत्रों के लोग भारी संख्या में डिफैंस सर्विसेज में काम करते हैं। आज स्थिति यह है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने नये केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने में अपना डिस्क्रीशन रखा हुआ है, जहां वे चाहते हैं, वहां केन्द्रीय विद्यालय खोल दिए जाते हैं। क्या आप डिफैंस सर्विसेज में काम करने वालों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए ये सुविधायें देंगे जो संगठन का मुख्य उद्देश्य भी है।

श्री एल० पी० शाही : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा, केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के तीन स्ट्रीम्स होते हैं : सिविल स्ट्रीम, डिफैंस स्ट्रीम और पब्लिक सैक्टर स्ट्रीम। जब सिविल स्ट्रीम में कोई विद्यालय खोला जाना है तो उसमें तो हमें कुछ सोचने का मौका होता है कि कहां खोला जाये, कहां नहीं खोला जाये, लेकिन डिफैंस सैक्टर में या पब्लिक सैक्टर में हम केन्द्रीय विद्यालय तब स्थापित करते हैं जब वहां से हमारे पास प्रस्ताव आता है। इसलिए डिफैंस मिनिस्ट्री की ओर से हमारे पास कोई उस तरह का प्रस्ताव आयेगा तो हम उस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस : महोदय, वक्तव्य में यह कहा गया है कि मास्को में केन्द्रीय विद्यालय है। वास्तव में मुझे हाल ही में वहां जाने का अवसर मिला था। माननीय मंत्री द्वारा भारत के बाहर केन्द्रीय विद्यालय के अन्तर्गत विद्यालय खोलने का प्रयोग भारत से बाहर रह रहे लोगों और वहां के दूतावास से सम्बद्ध लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लगा···**(व्यवधान)** उनका विद्यालय बहुत अच्छा है। हमारे लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलता है। भारत से बाहर हमारे दूतावासों

और मिशनों में काम करने वाले लोगों को वहां अपने बच्चों के प्रवेश में बहुत कठिनाई आती है। मास्को में सरकार ने विद्यालय खोला है। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन अन्य देशों में भी ऐसे विद्यालय खोलेगी जहां लोगों को इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भविष्य की योजना में क्या वह किसी अन्य देश में ऐसे विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं? मैं मास्को में उनके द्वारा प्राप्त अनुभव के बारे में जानना चाहूंगा?

श्री एल० पी० शाही : महोदय, हमने भारत के बाहर कुछ देशों में कुछ विद्यालयों को बन्द कर दिया था—जिन विद्यालयों को हमने बन्द किया है उनमें एक विद्यालय भूटान में था। भूटान सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया है। मास्को में इसे हम चलाते हैं। किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य देशों में भी भारतीय विद्यालय हैं जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं और ये विद्यालय अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही लोकप्रिय हैं। मैंने बहरीन में एक ऐसा विद्यालय देखा है। इसमें 4600 विद्यार्थी हैं। वस्तुतः उस विद्यालय में 'ए' से 'जेड' तक सभी कक्षायें सुचारू रूप से चल रही हैं। यह बहरीन का बहुत ही लोकप्रिय विद्यालय है। इसका संचालन भी वहां हमारे दूतावास द्वारा किया जाता है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कुछ अन्य देशों में भी भारतीय विद्यालयों को किस प्रकार और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सकता है। यह विचार अच्छा है। हम इसका अनुसरण करेंगे।

श्री श्रीहरि राव : इस सूची के अनुसार आन्ध्र प्रदेश को पहले ही 13 विद्यालय दिए जा चुके हैं; असम को 16 विद्यालय दिए जा चुके हैं। जहां तक आन्ध्र प्रदेश का संबंध है जनसंख्या-वार क्षेत्रवार और निरक्षरतावार यह असम से अधिक है। आन्ध्र प्रदेश के साथ यह पक्षपात क्यों? आप आन्ध्र प्रदेश में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय क्यों नहीं खोलते हैं?

श्री एल० पी० शाही : आंध्र प्रदेश में अधिक विद्यालय खोलने में हमारी ओर से कोई हिचक नहीं है। यह राज्य सरकार के ऊपर है कि वह भूमि और बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के प्रस्ताव भेजे और तब ही हम इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने अभी तक 1989-90 की स्कूल खोलने की सिविल साइड में लिस्ट एप्रूव नहीं की है, ऐसे कुछ स्थान शेष हैं जिनका आपने परीक्षण करवाया और आपके सारे के सारे प्रतिमानों पर वह स्थान सही निकला, लेकिन किसी न किसी बहाने से उसको टाल दिया गया, आपने सूचना नहीं दी। मेरा यह निवेदन है कि आप यह स्पष्ट करें कि जो आपके मानदण्डों को स्पष्टतः पूरा करें—जैसे 15 एकड़ जमीन का आपने मुद्दा रखा है, एक ओर तो शहरों में इतना खुला स्थान मिलता नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी, वह मांग भी कालान्तर में पूरी की जा सके और तब तक वैकल्पिक तौर पर आपकी सारी बातें मान ली जायें और वह स्थान जिला मुख्यालय भी हो, तो वहां पर कब तक सेंट्रल स्कूल खोल देंगे?

श्री एल० पी० शाही : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989-90 में खुलने वाले स्कूलों की लिस्ट अभी फायनल नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रस्ताव है, तो हम जरूर देख लेंगे। लेकिन मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जब स्कूल खुल जाता है, तो बाद में जमीन मिलती नहीं है। इसलिए पहले से ही जो जमीन मिल जाए, वह अच्छी है।

अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल सप्लाई और स्वच्छता दशक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

*846. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल सप्लाई और स्वच्छता दशक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में 21 फरवरी, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 178 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल सप्लाई और स्वच्छता दशक कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 1989 तक राज्यवार कितने प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित हुई है;

(ख) क्या ग्रामीण जल सप्लाई क्षेत्र में समस्या वाले और बिना समस्या वाले गाँवों में मार्च, 1991 तक शत-प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को जल सप्लाई करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा; और

(ग) सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान ग्रामीण जल सप्लाई और ग्रामीण स्वच्छता हेतु नियत की गई कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और सातवीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान इन दो कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि दी गई है और इनका राज्यवार ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 80 प्रतिशत भाग को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान-दण्ड के अनुसार स्वच्छ पेयजल सप्लाई के अन्तर्गत कवर किया गया है । लगभग 1.69 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ शौचालय मुहैया कराए गए हैं ।

स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ शौचालयों की सुविधाओं के तहत ग्रामीण जनसंख्या की कवरेज का प्रतिशत अनुबन्ध-1 और 1-क में दिया गया है ।

समस्याग्रस्त तथा गैर-समस्याग्रस्त गाँवों के सम्बन्ध में ग्रामीण जल सप्लाई क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या की 100 प्रतिशत कवरेज के लक्ष्य को मार्च, 1991 तक प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है ।

ग्रामीण जल सप्लाई तथा ग्रामीण स्वच्छता के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान रिलीज की गई निधियों तथा सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष, 1989-90 के दौरान इन दोनों कार्यक्रमों के लिए आवंटन का राज्यवार ब्योरा अनुबन्ध-2 में दिया गया है ।

अनुबंध—1

ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर की गई जनसंख्या (लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	1-4-89 की स्थिति के अनुसार कवर की गई जनसंख्या	कवरेज का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	410.62	422.88	103
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.90	7.05	119

1	2	3	4	5
3.	असम	178.50	107.17	60
4.	बिहार	611.96	561.53	92
5.	गोवा	7.35	4.38	60
6.	गुजरात	234.84	240.57	102
7.	हरियाणा	100.95	83.49	83
8.	हिमाचल प्रदेश	39.55	28.93	73
9.	जम्मू व कश्मीर	47.27	41.14	87
10.	कर्नाटक	264.06	337.76	128
11.	केरल	206.82	105.45	51
12.	मध्य प्रदेश	415.92	422.61	102
13.	महाराष्ट्र	407.91	372.28	91
14.	मणिपुर	10.46	9.92	95
15.	मेघालय	10.95	6.88	63
16.	मिजोरम	3.72	4.01	108
17.	नागालैंड	6.55	6.42	98
18.	उड़ीसा	232.60	256.33	110
19.	पंजाब	121.41	41.56	30
20.	राजस्थान	270.51	209.11	77
21.	सिक्किम	2.55	1.90	72
22.	तमिलनाडु	324.56	219.57	68
23.	त्रिपुरा	18.27	19.23	105
24.	उत्तर प्रदेश	909.63	428.38	47
25.	पश्चिमी बंगाल	401.34	260.97	65
26.	दादर नगर हवेली	0.97	0.90	93
27.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1.39	1.85	133

1	2	3	4	5
28.	लक्षद्वीप	0.22	0.22	100
29.	पाण्डिचेरी	2.88	3.50	122
30.	दिल्ली	4.52	4.72	104
31.	दमन व द्वीप	गोवा के आंकड़ों में शामिल		
32.	चण्डीगढ़	0.29	0.29	100
	योग	5254.57	4210.3	80.13

नोट :—उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मामले में, जहां जनसंख्या की कवरेज का प्रतिशत 100 से अधिक दर्शाया गया है, यह 1981 की जनगणना के आंकड़ों से अलग जनसंख्या वृद्धि की कवरेज/40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से स्वच्छ पेय जल की सप्लाई/250 व्यक्तियों के लिए हैंडपम्प हेतु एक स्टैंड पोस्ट की तुलना में अतिरिक्त सेवा को दर्शाता है।

अनुबन्ध-1 क

ग्रामीण जनसंख्या की कवरेज और ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (लाख में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1981 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या	मार्च, 1989 तक कवरेज	प्रतिशत कवरेज
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	410.62	13.122	3·20
अरुणाचल प्रदेश	5.90	0.085	1.44
असम	178.50	0.097	0.05
बिहार	611.96	2.353	0 38
गोवा	7.35	—	—
गुजरात	234.84	1.095	0.47
हरियाणा	100.95	0.205	0.20
हिमाचल प्रदेश	39.55	1.515	3.83
जम्मू व कश्मीर	47.27	सूचना नहीं दी गई	

1	2	3	4
कर्नाटक	264.06	0.344	0.13
केरल	206.82	4.434	2.14
मध्य प्रदेश	415.92	0.328	0.08
महाराष्ट्र	407.91	0.665	0.16
मणिपुर	10.46	0.190	1.82
मेघालय	10.95	0.787	7.19
मिजोरम	3.72	0.167	4.49
नागालैंड	6.55	0.158	2.41
उड़ीसा	232.60	1.799	0.77
पंजाब	121.41	1.129	0 93
राजस्थान	270.51	2.281	0.84
सिक्किम	2.65	0.086	3.24
तमिलनाडु	324.56	51.451	15.85
त्रिपुरा	18.27	0.002	0.01
उत्तर प्रदेश	909.63	5.385	0.59
पश्चिमी बंगाल	401.34	0.617	0.15
दादर नगर हवेली	0.97	0.025	2.60
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1.39	0·08	5.76
लक्षद्वीप	0.22	0.074	33.64
पाण्डिचेरी	2.88	0.130	4.51
दिल्ली	4.52	0.038	0.84
दमन द्वीप	गोवा में शामिल		
चण्डीगढ़	0.29	0.17	58.63
योग	5254.57	89.07	1.694

अनुबन्ध 2

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान आवंटन के उपयोग तथा 1989-90 के लिए आवंटन

	(लाख रुपये में)		(करोड़ रुपये में)	
	केन्द्रीय ग्रामीण* स्वच्छता कार्यक्रम		(त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा मिनीमिशन आदि)	
राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1986-87 से लेकर 1988-89 के दौरान रिलीज की गई कुल धनराशि	आवंटन (1989-90)	1985 से 1989 के दौरान रिलीज की गई कुल धनराशि	आवंटन (1989-90)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	141.00	102.60	88.140	23.010
अरुणाचल प्रदेश	26.00	3.09	3 288	4.170
असम	34.00	37.20	56.120	13.700
बिहार	98.00	181.35	86.002	27.100
गोवा	7.00	1.47	2.010	0.500
गुजरात	22.00	49.80	68.800	14.640
हरियाणा	21.00	16.95	29.403	8.670
हिमाचल प्रदेश	49.00	16.35	39.170	6.400
जम्मू व कश्मीर	65.00	20.10	79.824	19.130
कर्नाटक	59.00	81.90	75.076	21.160
केरल	30.00	73.95	47.918	10.760
मध्य प्रदेश	91.00	121.20	122.920	25.470
महाराष्ट्र	53.00	131.85	105.874	30.630
मणिपुर	13.00	4.20	15.200	3.080
मेघालय	20.00	5.40	15.063	4.200
मिजोरम	13.80	1.95	8.500	1.170
नागालैंड	16.50	3.90	18.158	4.220

1	2	3	4	5
उड़ीसा	96.00	63.00	50.330	12.060
पंजाब	13.00	18.45	27.390	3.840
राजस्थान	89.00	66.60	132.463	36.660
सिक्किम	19.52	1.65	13.040	3.720
तमिलनाडु	106.00	111.15	75.710	18.240
त्रिपुरा	34.35	8.25	15.010	3.500
उत्तर प्रदेश	167.00	265.05	163.980	42.680
पश्चिमी बंगाल	76.00	109.35	56.930	16.480
दादरा और नगर हवेली	0.00	0.30	0.060	0.120
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5.00	0.03	1.350	0.400
लक्षद्वीप	5.00	0.30	0.150	0.100
पाण्डिचेरी	5.00	1.20	1.040	0.260
दिल्ली	0.00	0.63	0.065	0.130
दमन और द्वीप	0.00	0.03	0.140	20.00
चंडीगढ़	0.00	0.75	—	—
कापार्ट	269.00	500.00	7.500	4.750
मिनीमिशन	—	—	**	48.850
अन्य कार्यक्रम	—	—	35.656	—
योग	1644.170	2000.00	1442.280	410.000

*केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986-87 में शुरू हुआ था।

**राज्य/संघ शासित राज्यों के आंकड़ों में सम्मिलित है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : विवरण से और प्रत्येक राज्य के लिए दी गई अलग-अलग प्रतिशतता से यह पता चलता है कि 14 ऐसे राज्य हैं जो स्वच्छ पेय जल की सप्लाई के लिए जनसंख्या के कवरेज के सम्बन्ध में राष्ट्रीय औसत 80.13 प्रतिशत से काफी नीचे है। कुछ राज्यों का प्रतिशत तो बहुत ही कम है जैसे पंजाब के मामले में यह 30 है, उत्तर प्रदेश के मामले में 47 और हिमाचल प्रदेश के मामले में 73 है। ग्रामीण जनसंख्या के लिए जल सप्लाई की शत-प्रतिशत कवरेज प्रदान करने के लिए सरकार की वचनबद्धता को देखते हुए और इस लक्ष्य को मार्च, 1991 तक प्राप्त करने के लिए, क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे कि क्या जो राज्य औसत से नीचे हैं, उनमें

इस प्रयोजन के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा जिससे कि वे पीछे न रह जाएं ? सात या आठ ऐसे राज्य है । यदि उनमें वर्ष 1981 में हुई जनसंख्या में वृद्धि को हिसाब में लें तो उन्होंने न केवल लक्ष्य को प्राप्त किया है बल्कि उनका कार्य निष्पादन शत-प्रतिशत से भी अधिक रहा है ।

श्री जनार्दन पुजारी : मार्च, 1991 तक देश में सभी समस्याग्रस्त गांवों को इसके अन्तर्गत लाया जाएगा । और हमारे पास 4,801 ऐसे समस्याग्रस्त गांव हैं जिन्हें 1990-91 में इसके अन्तर्गत लाया जाएगा । ये समस्याग्रस्त गांव वे हैं, जहां कोई पहुंच नहीं है, कठिन तराई हैं और वहां पर कोई मूल- भूत सुविधाएं भी नहीं हैं । इसके लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है और वही हम करने जा रहे हैं हम 1991 तक इन सभी गांवों को कवर करने जा रहे हैं ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मंत्री जी ने अभी-अभी 'समस्याग्रस्त गांवों' शब्दों का उपयोग किया है । लेकिन विवरण में, जोकि सभा पटल पर रखा गया है, उन्होंने कोई और आश्वासन दिया है । आश्वासन यह है :

> "समस्याग्रस्त तथा गैर-समस्याग्रस्त गांवों के सम्बन्ध में ग्रामीण जल सप्लाई क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या की 100 प्रतिशत कवरेज के लक्ष्य को मार्च, 1991 तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।"

पूरक प्रश्न को अपनी नजर में, उन्होंने गैर-समस्याग्रस्त गांवों को छोड़ दिया है । मेरा विशिष्ट उल्लेख उन राज्यों के लिए था जिनका कवरेज बहुत ही कम है—पंजाब के मामले में 30, उत्तर प्रदेश के मामले में 40 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश के मामले में 73 प्रतिशत । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अधिकतर राज्यों में, इस ग्रुप में, जोकि राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं और जोकि विशेष श्रेणी के राज्य हैं और पहाड़ी राज्य हैं, क्या इस अवधि के दौरान 100 प्रतिशत के स्तर तक कवरेज के लिए बहुत ही तेज और त्वरित अभियान का लाभ दिया जाएगा ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि 100 प्रतिशत जनसंख्या कवर की जाएगी । इसमें वे सभी राज्य शामिल हैं जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मेरा विशिष्ट उल्लेख समस्याग्रस्त और गैर-समस्याग्रस्त क्षेत्रों से था ।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान देश में पीने के पानी की सबसे भयंकर समस्या से ग्रसित प्रांत है, जहां एक-एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं और पिछले 5 वर्ष से लगातार वहां सूखा है । आपके अन्तर्राष्ट्रीय माप-दंड के हिसाब से वहां पीने के पानी की विशेष समस्या पैदा हो गई है और प्राबलम विलेजेज का क्राइटीरिया भी चेंज हो गया है। ऐसी स्थिति में 31 मार्च, 1991 तक क्या राजस्थान के सभी विलेजेज कवर हो जाएंगे और उनके लिए क्या कोई विशेष सुविधा आप देने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं । हम राजस्थान में भी गांवों को कवर करने जा रहे हैं । बारमेड़, चूरू और नागौर जैसे जिलों में 'मिनी मिशन' हैं । इन जिलों में हमने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी है और हम इन तीन 'मिनी मिशनों' के लिए लगभग 13 करोड़ रुपये की धनराशि दे रहे हैं । वहां लगभग 11 डी० डी० पी०

जिलेहैं जिनके लिए राज्य सरकार से धनराशि के बिना भी हम हर वर्ष 13 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दे रहे हैं। सातवीं योजना में हमें इस विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 60 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होंगे।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि प्राबलम विलेजेज का क्राइटेरिया चेंज हो गया है और वहां लगातार 5 साल से सूखा है। जो नान-प्राबलम विलेजेज हैं, वे भी प्राबलम विलेजेज की कैटेगरी में आ गए हैं, क्या मंत्री महोदय उनके बारे में कोई सर्वे करा कर कार्ययाही करेंगे।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मानदंड में परिवर्तन के बारे में, मैं माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखूंगा। जहां तक इस योजना का संबंध है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि 1991 तक प्राबलम विलेजेज और नान-प्राबलम विलेजेज में पीने के पानी की व्यवस्था कर देंगे। अभी स्थिति यह है कि जलवायु में परिवर्तन के कारण और मैट्रोलाजिकल जो डिवीजन है, जैसे यू० पी० और राजस्थान की बात है, तो वहां पर पहले हैंडपम्प लगाकर पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी लेकिन वहां पर जल-स्तर इतना नीचे चला गया है कि 50% आफ दी टोटल हैंड-पम्प बेकार हो गए हैं। अभी यू० पी० के मुख्य मंत्री ने कहा कि मुझे 50 हजार हैंड-पम्प लगाने की जरूरत है, तभी पानी दे सकेंगे और सूखे इलाके के लिए अलग। तो क्या आपने मन में जो विचार बनाया है कि 91 तक इस कार्य को कर लेंगे तो क्या इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि जो सुविधा अब तक आप दे चुके हैं और 50 परसेंट उसमें से खराब हो गए हैं तो क्या उनको ठीक कराने के लिए भी कोई धनराशि आप देने की व्यवस्था करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार, दोनों ही गांवों को स्वच्छ पेय जल देने के प्रयास कर रही हैं, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, सच यह है कि यह बात हमारे नोटिस में भी लाई गई है कि हैंड-पम्प की कार्य-कुशलता कम हो रही है। हमने यह बात राज्य सरकार की नोटिस में लाई है और इन पम्पों की मरम्मत हेतु अथवा वैकल्पिक प्रबन्ध मुहैया कराने के लिए जल की व्यवस्था भी की जाएगी।

माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं यह कह सकता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वर्ष व्यय 1282 करोड़ रुपए था। इसके बदले में केन्द्रीय सरकार ने 1867 करोड़ रुपए दिये हैं। अत: राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की ओर से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल परिव्यय 3535.57 करोड़ रुपए था। कुल परिव्यय 3,535 करोड़ रुपए था और इसके विपरीत राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों ने 4,382.65 करोड़ रुपए खर्च किए। सभा के फायदे के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारत के कार्य-निष्पादन की किस प्रकार प्रशंसा की गई थी और वास्तव में, विदेशों से लोग यहां आते हैं और हमारा कार्य-निष्पादन देखते

हैं और वे हमारे मार्ग निर्देशों को अपनाना चाहते हैं। यही हो रहा है। अतः हमने काफी प्रगति कर ली है। इसमें कुछ कमियां हैं और हम उन्हें भी दूर करने जा रहे हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री का क्या मतलब है जब वह कहते हैं कि कवरेज 133 प्रतिशत अथवा 120 प्रतिशत और इतना ही कुछ है। दूसरा, यह आफर प्रति व्यक्ति, प्रति दिन 40 लिटर कैसे लिया गया है ? क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि सप्लाई बहुत ही कम है और इसे बढ़ाकर 50 लीटर किया जाना चाहिए ?

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य ने एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया है। जो कुछ उन्होंने बताया है वह सच है। कुछ राज्यों ने अपना कार्य-निष्पादन दिखाया है और कुछ राज्यों ने मार्ग निर्देशों का पालन नहीं किया है। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को कवर करने को प्राथमिकता नहीं दी है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उन्हें पहले कवर किया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश ने क्या किया है ? 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 67.52 लाख थी और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 29.79 लाख थी। जितने लोगों को कवर किया गया अनुसूचित जातियों के लोग 29.15 लाख और अनुसूचित जनजातियों के लोग 7·36 लाख। कवरेज का प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए 43 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 प्रतिशत था। अतः जनसंख्या के अन्य वर्गों को कवर करने की बजाए, हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की ओर अधिक ध्यान देना होगा और यह बात आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों पर लागू होती है। उन्हें मार्गनिर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए (व्यवधान)

श्री चिन्तामणि जेना : विवरण देते समय, माननीय मंत्री जी ने कुछ आंकड़े दिए थे। उन्होंने वर्ष 1981 की जनगणना की जनसंख्या के अनुसार समस्याग्रस्त-गांवों के आंकड़े दिए थे। लेकिन इस बीच जनसंख्या दस गुना बढ़ गई है और इसलिए पुरानी सूची में समस्याग्रस्त गांवों की संख्या भी जोड़ी जानी चाहिए। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार जोड़े गए समस्याग्रस्त गाँवों को कवर किया जाएगा और 1990 से पहले उनके लिए पेय जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी ?

ग्रामीण स्वच्छता के बारे में, आप कृपया उसको पढ़िए जोकि माननीय मंत्री जी ने विवरण में बताया है। जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वे बहुत ही कम हैं और बहुत से राज्यों में यह 0·1 प्रतिशत हैं। अतः सरकार का क्या करने का विचार है ताकि भावी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता को सुनिश्चित कर सकें ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं इसे देखूंगा।

डा० कृपा सिन्धु भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में पेय जल की कमी के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था। मंत्री जी जन सांख्यिकी और आंकड़ों में विशेषज्ञ हैं। प्रश्न की मुख्य बात देश भर में स्वच्छ पेय जल सप्लाई की व्यवस्था करना है—चाहे वह ग्रामीण पेय जल हो अथवा शहरी पेय जल हो, सबसे प्रथम और आवश्यक बात यह है कि हमारे देश में 80 प्रतिशत संक्रामक रोग दूषित जल से होते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मैं इन सभी मुद्दों को उठा सकता था लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, सातवीं योजना में उन्हें 6,525.24 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च करनी चाहिए थी। मेरे आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि 47 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को और 80 प्रतिशत शहरी लोगों को तथाकथित सुरक्षित पेय जल पूर्ति से कवर किया गया है। मैं यह

जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री, इस योजना को वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए श्री राजीव गांधी द्वारा बनाए गए टैक्नोलोजी मिशन से परामर्श करेंगे, और साथ ही, अपने देश में इस दिशा में कितने जल-वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। माननीय मंत्री को इस बात की पूरी जानकारी है कि अफसरशाही द्वारा दिए गये आंकड़े सही नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम पेय जल के लिए टैक्नोलोजी मिशन के पास जायेंगे जिसकी शीर्षस्थ एजेंसी भूमिगत जल चयन बोर्ड है ?

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक श्री जेना द्वारा उठाए गए मुद्दे का सम्बन्ध है, उसका उत्तर अनुबन्ध-I दिया गया है। वहां पाद-टिप्पणी भी दी गई है। जहां तक जनसंख्या कवरेज का सम्बन्ध है, हमने वर्तमान 80 करोड़ जनसंख्या के बारे में विचार किया है। जहां तक डा० भोई के मुद्दे का सम्बन्ध है, लगभग 2000 जल-वैज्ञानिक कार्यरत हैं और इस वर्ष सभी जिलों को जल-विज्ञान मान-चित्र में कवर किया जाएगा। हम टैक्नोलोजी मिशन के बारे में दिए गए सुझाव को ध्यान में रखेंगे।

असम में सांस्कृतिक संगठनों को सहायता

*847. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम में विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं/संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दी गई वित्तीय सहायता की राशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : संस्कृति विभाग ने पिछले तीन वर्षों (1986-87, 1987-88 और 1988-89) के दौरान अपनी योजनाओं के माध्यम से और अपने अधीनस्थ/स्वायत्त संगठनों की योजनाओं के माध्यम से असम में 58 संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया है। कुल स्वीकृत राशि 28,80,423/- रुपए है।

संस्थाओं और उन्हें वर्ष वार स्वीकृत राशि का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है।

विवरण

संगठन का नाम	वित्तीय सहायता की राशि		
	1986-87	1987-88	1988-89
	रुपए	रुपए	रुपए
1 2	3	4	5
I. सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान की योजना			
1. घरमोरा मॉडल सत्र हिल्स और प्लेन्स कल्चरल एसोसिएशन, लखीमपुर।	95,000	—	—
2. ल्युमीनस यूनिट, सिपाझर, दारंग	50,000	—	—
3. श्री श्रीभोगपुर सत्र श्रीमन्त शंकर देव कला परिषद् बेंगेना, जोरहट	50,000	—	—
4. जोरहट थियेटर, जोरहट (अनुदान अभी तक जारी नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने प्रारम्भिक औपचारिकतायें पूरी नहीं की थीं)	2,00,000	—	—
5. डिबरूगढ़ संगीत महाविद्यालय, डिबरूगढ़ (प्रारम्भिक औपचारिकतायें पूरी नहीं की थी अतः अनुदान अभी स्वीकृत नहीं किया गया)	25,000	—	—
6. गोलपाड़ा श्रीमंत शंकर देव सांस्कृतिक संघ, बलादमारी, गोलपाड़ा	—	1,50,000	—
7. विष्णुज्योति सांस्कृतिक समाज, चलिहा नगर, तिनसुखिया	—	1,20,000	—
8. असम सांस्कृतिक सम्बन्ध अकादमी चांदमारी, गुवाहाटी	—	1,75,000	—

9.	श्रीमन्त शंकर क्रिष्टी विकास केन्द्र, (श्रीमन्त शंकर नटघर) श्री श्रीशंकर देव मंदिर, सोलकुची, कामरूप (असम)	—	1,75,000	—
10.	कचुआ सांस्कृतिक संघ, कचुआ, लखीमपुर	—	2,00,000	—
11.	शास्त्रीय संगीत महाविद्यालय, तिहु नालबाड़ी	—	90,000	—
12.	सलागुड़ी नाट्य समाज, सलागुड़ी, शिवसागर	—	80,000	—
13.	सिल्चर संगीत विद्यालय, सिल्चर, जिला कछार	—	1,25,000	—
14.	श्री श्रीमाधव देव क्रिष्टी संघ, लतेपुखरी, लखीमपुर	—	2,00,000	—
15.	नजीरा संगीत महाविद्यालय, नजीरा, शिवसागर, (प्रारम्भिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए—अनुदान अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया)	—	2,00,000	—
16.	दुघनोई सांस्कृतिक भवन, दुघनोई गोलपाड़ा (अभी जारी नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने पहले दिए गए अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है)	—	1,00,000	—
17.	धरमोरा आदर्श मतराहिल्स और प्लेन्स सांस्कृतिक समिति, लीकाबली, सिलापथेर, लखीमपुर	—	—	72,000
18.	श्रीमन्त शंकर क्रिष्टी मन्दिर समिति, अतिलगांव, जोरहट	—	—	1,20,000
19.	पाथलीपहाड़ सम्मिलित नाट्य समाज, पाथलीपहाड़	—	—	80,000
20.	बालीगांव सम्मिलनी नाट्य मन्दिर, कोराट्टाली, जोरहट	—	—	2,00,000
21.	बरनगर म्यूजिक क्लब, सौरभोग (असम) बारपेटा	—	—	1,70,000
22.	शंकरी कला क्रिष्टी विकास समिति, कमलाबाड़ी, मजुली, जोरहट	—	—	50,000

1	2	3	4	5
23.	शिल्पी संघ संगीत महाविद्यालय, डिफु कर्बी, अंगलोंग	—	—	45,000
	II. नृत्य, नाटक और मण्डलियों के लिए वित्तीय सहायता की योजना			
1.	रामधेनु, अरूधय पथ, पोस्ट तथा जिला—शिवसागर असम। (राशि का दावा प्रस्तुत करने में असफल, जिसे सरकारी खातों में पुन: जमा करा दिया गया)	10,000	—	—
2.	रूपज्योति कला मण्डल, जोरहट, असम (राशि जारी नहीं की गई क्योंकि संस्था ने परियोजना का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया)	—	20,000	—
3.	मणिपुरी संगीत आश्रम, सिल्चर, असम। (अनुदान की संस्वीकृति के लिए परियोजना का ब्यौरा मांगा गया था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ)	—	—	राशि के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया गया।
4.	असम नाट्य सम्मिलन, नालबाड़ी (अनुदान की संस्वीकृति के लिए परियोजना का ब्यौरा मांगा गया था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ)	—	—	राशि के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया गया।
	III. संगीत नाटक अकादमी द्वारा वित्तीय सहायता की योजना			
1.	असम मणिपुरी कला अकादमी, इत्खोला, पोस्ट सिल्चर, कछार	5,000	4,000	6,000
2.	दशरूपक सांस्कृतिक संगठन, उल्लासकर दत्ता सारणी, सिल्चर 788004, कछार	5,000	4,000	6,000
3.	नट सैनिक, के० बी० रोड, उत्तर लखीमपुर	—	—	6,000
4.	रूपम सांस्कृतिक संगठन, नजरपट्टी, सिल्चर-788001	5,000	4,000	6,000

5.	श्री शंकरदेव कला क्रिष्टी केन्द्र, दिभोमुख, पो० ओ० भरालवा, तिमीअली जिला, शिवसागर ।	3,000	4,000	6,000
6.	मणिपुरी संगीत आश्रम, गांव सिंगरी, उपखण्ड सिल्चर, जिला कछार	2,000	4,000	6,000
7.	नाविक नाट्य विकास केन्द्र, के० बी० रोड, उत्तर लखीमपुर ।	—	6,000	—
8.	उत्तर कमालबाड़ी सत शंकरदेव क्रिष्टी संघ, पो० ओ० कमालबाड़ी, मजुली, जिला शिवसागर	3,500	4,000	—
9.	जगतगुरू श्रीमन्त शंकरदेव क्रिष्टी कला संघ, गांव नातून कमालबाड़ी सत्र, पो० ओ० कमालबाड़ी, मजुली, जिला शिवसागर	2,500	—	—
10.	हत्बोर केन्द्रीय नाट्य समाज, पो० ओ० हत्बोर, जिला-नवगांव	4,000	—	—
11.	खरघुली संगीत केन्द्र, खरघुली, गुवाहाटी-781001	3,000	—	—
	IV. अन्य संग्रहालयों के पुनर्गठन और विकास के लिए वित्तीय सहायता की योजना			
1.	वाणिज्यिक संग्रहालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम	60,000	—	—
2.	पूर्व भारत, नालबाड़ी, असम	—	10,000	—
	V. सांस्कृतिक कार्यकलापों में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों/सोसायटियों को शोध-सहायता के लिए वित्तीय सहायता की योजना।			
1.	ल्युमीनस यूनिट, सिपाझार, असम	—	—	10,000

1	2	3	4	5
	VI. शताब्दी/वर्षगांठ समारोहों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान की योजना			
1.	महापुरुष माधव देव के 5वीं जन्म शताब्दी समारोहों के लिए सुबसिरी सेवा समिति, उत्तर लखीमपुर, असम को वित्तीय सहायता।	—	—	80,000
	VII. पाण्डुलियों के परिरक्षण के लिए वित्तीय सहायता की योजना			
1.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी (असम)	1,00,00	—	—
2.	केन्द्रीय ताल अकादमी, पत्साकू, जिला शिवसागर (असम)	—	1,00,000	—
3.	के. के. हांदीकी पुस्तकालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय (असम)	—	1,00,000	—
4.	कामरूप संस्कृत संजीवनी सभा नालबाड़ी (असम)	—	33,000	—
	VIII. सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता की योजना।			
1.	भामुन्डी तरुण संघ और पुथी भारल, भामुन्डी, असम।	10,000	—	—
	IX. बाल पुस्तकालयों अथवा सामान्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के बाल अनुभाग के लिए वित्तीय सहायता की योजना (योजना 1987-88 में शुरू की गई थी)			
1.	जिला पुस्तकालय, धुलरी, असम	—	2,500	—
2.	जिला पुस्तकालय, उत्तर लखीमपुर	—	2,500	—
3.	जिला पुस्तकालय, नालबाड़ी	—	2,500	2,500
4.	जिला पुस्तकालय, नवगांव	—	2,500	—

5.	जिला पुस्तकालय, तेजपुर	—	2,500	—
6.	जिला पुस्तकालय, बेरपेटा	—	2,500	—
7.	जिला पुस्तकालय, करीमगंज	—	2,500	—
8.	जिला पुस्तकालय, कोकराभार	—	2,500	—
9.	जिला पुस्तकालय, हल्फलोंग	—	2,500	—
10.	जवाहर बाल भवन, असम शिशु अरू मंगल संस्थान, गुवाहाटी।	—	1,800	645
11.	जवाहर बाल भवन, पुरुबर्ती, नालबाड़ी।	—	—	3,978

श्री पराग चालिहा : महोदय, संस्कृति विभाग की वार्षिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि वर्ष 1986-87 में स्वैच्छिक संगठनों को दी गई अनुदान की राशि 1.80 करोड़ रुपए है। इसमें 9 राज्य कवर किये गए थे। केवल दिल्ली में कुल 1.13 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी; शेष भारत में वितरित किये जाने के लिए लगभग 70 लाख रुपए की धनराशि ही शेष रह गई थी। वर्ष 1987-88 में कुल अनुदान 1.90 करोड़ रुपए था और यह 9 राज्यों के लिए दिया गया था। यहां दिल्ली के लिए आंकड़े फिर पुनः 1.13 करोड़ रुपए हैं।

हमें इस बात की ईर्ष्या नहीं है कि दिल्ली के लिए काफी बड़ा हिस्सा रखा गया है लेकिन शेष भारत के लिए कुल अनुदान का केवल एक-तिहाई ही रखा गया है। यह भेदभाव है। इसके अलावा, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर में किसी भी राज्य को इस योजना के अन्तर्गत कवर नहीं किया गया है। महोदय, असम और पूर्वोत्तर भारत अपनी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परम्पराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे और पूर्वोत्तर के लोगों और संस्थाओं की सहायता करेंगे जोकि असम की संस्कृति का प्रचार करने में लगे हुए हैं ? असम की संस्कृति विशेषकर श्री शंकर देव की आभारी है जोकि असम की संस्कृति और साहित्य के मूल स्रोत थे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

"नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलेक्ट्रो-काम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर"

[हिन्दी]

*844. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलेक्ट्रो-काम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर के बारे में 1 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2819 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलेक्ट्रो-काम्प्लेक्स होम्योपैथी गोविन्द नगर, कानपुर" नामक संस्थान अभी भी विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रहा है;

(ख) क्या इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियां वैध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संस्थान के विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में यह प्रावधान है कि डिग्रियां प्रदान करने के अधिकार का प्रयोग केवल किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित अथवा निगमित किसी विश्वविद्यालय अथवा अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय समझी जाने वाली किसी संस्था अथवा डिग्री प्रदान या मंजूर करने के लिए संसद के किसी अधिनियम द्वारा विशेषरूप से अधिकार प्राप्त किसी संस्था द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत, किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय के अलावा कोई अन्य संस्था अपने नाम के साथ "विश्व-विद्यालय" शब्द संबद्ध करने की पात्र नहीं है। कानपुर से कार्यरत तथाकथित राष्ट्रीय विद्युत-

कम्प्लेक्स होम्योपैथी विश्वविद्यालय उस अधिनियम में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता और इसलिए डिग्रियां प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है। वि० अ० आ० ने संस्था को सलाह दी है कि वह अपने नाम से "विश्वविद्यालय" शब्द हटा दे और डिग्रियां प्रदान करना बंद कर दे। शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तथाकथित राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-काम्प्लेक्स होम्योपैथी विश्वविद्यालय, कानपुर सहित कुछ जाली संस्थाओं के नाम ध्यान में लाने के लिये सभी राज्य सरकारों और संघशासित प्रशासनों को लिखा है और उनसे भारतीय दंड संहिता सहित अन्य दंड कानूनों के अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उनके खिलाफ दांडिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद को सलाह दी है कि चिकित्सा और होम्योपैथी की भारतीय पद्धति में डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र प्रदान करने वाली अनधिकृत संस्थाओं पर कड़ी नजर रखे और उनके खिलाफ अपराधिक कार्रवाई करें।

अफगानिस्तान में भारतीय राष्ट्रिकों के लिये सुरक्षा प्रबन्ध

[अनुवाद]

*848. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री मोहन भाई पटेल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान में विद्रोहियों के हमलों में अब तक कितने भारतीय राष्ट्रिक मारे गये हैं;

(ख) अफगानिस्तान में भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या क्या है और उनके लिये क्या सुरक्षा प्रबन्ध किये गये हैं;

(ग) क्या अफगानिस्तान सरकार से भारत लौटने के इच्छुक भारतीयों को यात्रा सुविधायें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अफगानिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) कोई नहीं।

(ख) इस समय अफगानिस्तान में 55 भारतीय राष्ट्रिक हैं। उनकी सुरक्षा के लिए "जनरल वार्डन" का तरीका चल रहा है। राजदूतावास सभी भारतीय राष्ट्रिकों और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए है।

(ग) जी, नहीं। भारतीय राष्ट्रिकों को भारत लौटने में अब तक कोई कठिनाई नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में खेल-कूद विकास

*849. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में खेल-कूद विकास के संबंध में केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) राज्य में खेल अवस्थापना के विकास के लिए विभिन्न एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित कई प्रस्ताव समय-समय पर राजस्थान सरकार से प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग). "राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान की योजना" के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान 29 प्रस्ताव खेल अवस्थापना के सृजन के लिए प्राप्त हुए थे जिसमें से 7 स्वीकृत किए जा चुके हैं, 2 को अस्वीकृत किया गया है तथा 18 कमियों में सुधार करने के लिए राज्य सरकार को वापिस भेज दिए गए थे। शेष 2 प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

इसी प्रकार, ग्रामीण स्कूलों में आधारभूत खेल सुविधाओं के सृजन के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु 43 प्रस्ताव भी राज्य से प्राप्त हुए हैं। इनमें से 25 अस्वीकृत किए गए हैं और शेष 18 सुधारने के लिए राज्य सरकार को वापिस भेजे गए हैं।

उड़ीसा में कृषि उत्पादन

*850. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष उड़ीसा में खाद्यान्न का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य में कृषि के उत्पादन में गिरावट आई है; और

(ग) राज्य में खाद्यान्न, तिलहन, रेशे वाली फसलों और गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टनों में)
1985-86	68.8
1986-87	63.9
1987-88	50.5

वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार 1988-89 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 69 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है।

1967-68 से 1986-87 की अवधि के दौरान इस राज्य में कुल खाद्यान्नों और कुल तिलहनों के उत्पादन में क्रमश: 2.46 प्रतिशत और 9.16 प्रतिशत की संयुक्त वृद्धि देखने में आई है। इसी अवधि में पटसन, मेस्ता और गन्ने में भी वृद्धि की अच्छी दर देखने में आयी है। लेकिन, 1987-88 में खराब मौसम के कारण इस राज्य में कृषि उत्पादन पर बुरा असर पड़ा।

इस राज्य में अनाजों, तिलहनों, रेशे वाली फसलों तथा गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें लागू की जा रही हैं :

(1) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—चावल जिसमें विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम भी शामिल है।

(2) राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम और तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि परियोजना।

(3) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम।

(4) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये ग्राम कार्यनीति के अन्तर्गत गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रौद्योगिकी का अंतरण।

किसानों को बीजों की सप्लाई

*851. **श्री कादम्बुर : जनार्दन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को गारन्टीशुदा उन्नत किस्म के बीजों के वितरण के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं;

(ख) क्या फसल बीमा योजना के अंतर्गत अच्छे किस्म के बीजों का वितरण किया जाता है; और

(ग) कम से कम चावल, गेहूं और कपास जैसी फसलों के बीजो का वितरण केवल सरकारी डिपुओं के माध्यम से करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) प्रमाणित/अच्छी क्वालिटी के बीजों का उत्पादन और उनका किसानों को वितरण मूल रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। बीजों का उत्पादन राज्य निगमों, राज्यों के सरकारी बीज फार्मों, प्राइवेट बीज कम्पनियों आदि जैसे संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम जैसी राष्ट्रीय एजेंसियां उनके प्रयासों में उनकी मदद करती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम और गहन कपास विकास कार्यक्रम जैसी विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से चावल, गेहूं और कपास जैसी फसलों के बीजों के मिनिकिट वितरित किए जाते हैं। कुछ राज्य सरकारें सरकारी डिपुओं के जरिए भी बीज वितरित कर रही हैं।

कीटनाशी दवाइयों के उपयोग संबंधी बनर्जी समिति

*852. **डा० वी० विजय रामाराव :**

डा० वी० एम० होलेप्पा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बनर्जी समिति को वर्ष 1986 और वर्ष 1987 में प्राप्त रिपोर्टों के बारे में अपने निर्णय को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रिपोर्टों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) डा० एस० एन० बनर्जी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति ने छः कीटनाशियों के संबंध में 1986 और 1987 में दो रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। बी० एच० सी० के संबंध में निर्णय लिया जा चुका है।

(ख) सरकार ने फैसला किया है कि :

(1) कृषि और जनस्वास्थ्य में बी० एच० सी० के इस्तेमाल को वर्तमान तक प्रतिबन्धित किया जाए;

(2) बी० एच० सी० की विनिर्माण क्षमता की वर्तमान स्तर पर रखा जाए;

(3) सब्जियों और फलों, तिलहन फसलों पर और अनाजों, दालों आदि के संरक्षण के लिए किए जाने वाले बी० एच० सी० के इस्तेमाल को प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ). सरकार द्वारा इन रिपोर्टों के सार्वजनिक बनाने के प्रश्न का निर्णय सभी रिपोर्टों पर निर्णय लिए जाने के बाद लिया जाएगा।

लौह अयस्क की खानों का बन्द होना

*853. **श्री चिन्तामणि खेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में लौह अयस्क की खानें बन्द करनी पड़ीं और मजदूरों की छंटनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या के समाधान और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि आगामी वर्षों में लौह अयस्क के उत्पादन में कमी न आए ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) देश में अनेक लौह अयस्क खानें हैं। इस्पात और खान मंत्रालय देश में निजी लौह अयस्क खानों से संबंधित जानकारी नहीं रखता। बिहार और उड़ीसा में कुछ लौह अयस्क खानों के बन्द होने के बारे में सूचना मिली है।

(ख) प्रत्येक खानों के बन्द होने से संबंधित विशिष्ट कारणों का पता नहीं है। तथापि, विगत कुछ वर्षों में लौह अयस्क की निर्यात मण्डी बन्द रही और इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1987-88 में कुल निर्यात की मात्रा में लगभग 40 लाख टन की कमी आई। इससे वर्ष 1988-89 के दौरान खान एवं खनिज व्यापार निगम को बिहार-उड़ीसा क्षेत्र से कम माल उठाने के लिए विवश होना पड़ा जिससे कुछ खानों, जो पूर्णतया खान एवं खनिज व्यापार निगम द्वारा निर्यात प्रयोजनों पर निर्भर करती हैं, पर प्रभाव पड़ा हो।

(ग) देश की निजी लौह अयस्क खानें मुख्यतया खान एवं खनिज व्यापार निगम की एजेंसी के माध्यम से निर्यात मण्डी के लिए व्यवस्था करती है। पिछले कुछ वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय लौह

अयस्क मण्डी मन्द रही। तथापि हाल में इस्पात उद्योग में विश्व व्यापी उछाल आने से अन्तर्राष्ट्रीय लौह अयस्क मण्डी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1988-89 के दौरान निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई है तथा वर्ष 1989-90 के लिए वर्धित आर्डर दिए गए हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र लागू करना

*854. **डा० सुधीर राय** :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय विद्यालयों के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान लागू किये गये त्रिभाषा सूत्र में वर्ष 1989-90 के शिक्षा सत्र में कोई परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख). सभी केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के०मा०शि०बो०) से सम्बद्ध हैं। अतः वे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित अध्ययन की योजना का अनुसरण करते हैं। के०मा०शि०बो० ने माध्यमिक कक्षाओं के लिए अध्ययन की अपनी योजना को सितम्बर, 1988 में संशोधित किया जिसमें कक्षा-X तक हिन्दी, अंग्रेजी तथा एक आधुनिक भारतीय भाषा के अध्ययन की जरूरत है। संस्कृत का अध्ययन हिन्दी "क" स्तरीय पाठ्यक्रम के भाग के रूप में किया जाना था। केन्द्रीय विद्यालयों ने 1988-89 में अध्ययन की इस योजना का क्रियान्वयन आरम्भ किया तथापि, इसके समक्ष दायर की गई याचिका में, उच्चतम न्यायालय ने के०मा०शि०बो० की अध्ययन की इसकी संशोधित योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए 17.3.89 को एक अन्तरिम आदेश पास किया है। न्यायालय के इस निर्देश के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्यालयों को सितम्बर, 1988 से पूर्व भाषाओं के अध्यापन के संबंध में क्या व्याप्त स्थिति को बनाये रखने के लिए अनुदेश दिए गये हैं।

कृषि सेवा केन्द्रों को दिये गये ऋणों पर ब्याज माफ करना

*855. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 में वाणिज्यिक बैंकों को यह निर्देश देने का प्रस्ताव था कि कृषि सेवा केन्द्र योजना से सम्बद्ध कृषि उद्यमियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कृषि सेवा केन्द्रों को दिये गये ऋणों पर ब्याज माफ कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इस बीच ब्याज माफ कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी हां।

(ख) विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि ब्याज माफ करने के लिए बैंकों को सामान्य अनुदेश जारी न किए जाएं क्योंकि बैंक समान रूप से सभी मामलों में ब्याज बट्टे खाते में डालने की स्थिति में नहीं हैं।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को यह अनुदेश दिया कि वे सभी पार्टियों से परामर्श करके उन्हें निश्चित योजना प्रस्तुत करें ताकि सही तरीके से समस्या का समाधान किया जा सके ।

आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय विद्यालय खोलना

*856. **श्री बी० बी० रमैया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बालक और बालिकाओं के लिए होस्टल सुविधा वाले कितने तथा बिना होस्टल सुविधा वाले कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की सम्भावना है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ अनुमानत: कितनी राशि का आवंटन किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालयों की आवश्यकताओं को वर्षानुवर्ष के आधार पर केन्द्रीय सरकार के योजनेत्तर बजट में से वहन किया जाएगा । तदनुसार, आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कोई योजनागत प्रावधान नहीं होगा ।

केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नूथी को विकास सहायता

*857. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नूथी को विकास सहायता के रूप में कितनी धनराशि का आवंटन किया था;

(ख) धनराशि का आवंटन किन-किन परियोजनाओं के लिए किया गया है; और

(ग) अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) महोदय, 465.26 लाख रुपये ।

(ख) (i) कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विकास; और

(ii) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के लिये ।

(ग) 370.69 लाख रुपये ।

दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण

*858. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था और अब तक क्या प्रगति हुई है और कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता दी गयी है;

(ग) इस भवन के निर्माण के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गयी थी और कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(घ) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख). दिल्ली में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्य भवनों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इन भवनों का निर्माण कार्य शुरू किये जाने तक, विश्वविद्यालय ने परिसर में कुछ अर्द्ध स्थायी इमारतों का निर्माण करने का निश्चय कर लिया है, जो शुरू में कार्यालयों के लिये उपयोग की जाएंगी और इसके बाद में इनका उपयोग गोदामों, कार्यशालाओं इत्यादि के रूप में किया जायेगा। तदनुसार लगभग 1,20,000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के निर्माण का ठेका एक सरकारी उपक्रम, मैसर्स हिन्दुस्तान प्रेफेब लिमिटेड को सौंपा गया है। कार्य सितम्बर 1988 में शुरू किया गया।

(ग) और (घ). अर्द्ध स्थायी इमारतों के निर्माण की कुल अनुमानित लागत लगभग 2 63 करोड़ रुपये है। इसमें से अब तक 1.69 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। निर्माण कार्य अगस्त, 1989 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

यूनाइटेड नेशन्स कान्फ्रेंस आन ट्रेड एण्ड डिवलपमेंट का समुद्री पोत कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव

*859. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को समुद्री पोत कार्मिकों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) देश में समुद्री पोत कार्मिकों को कितने संस्थान प्रशिक्षण दे रहे हैं;

(ग) क्या यूनाइटेड नेशन्स कान्फ्रेंस ऑन ट्रेड एण्ड डिवेलपमेंट ने समुद्री पोत कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिये तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) भारतीय नौवहन निगम सहित इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन ने मर्चेन्ट नेवी कार्मिकों को विदेशी जहाजों पर लगाने के कारण अधिकारियों की कमी होने की सूचना दी है।

(ख) मेरीटाइम कार्मिकों को समुद्रपूर्व प्रशिक्षण देने के लिये सरकार द्वारा संचालित दो मेरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय राष्ट्रिक

**860. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :*

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान की जेलों में भारतीय राष्ट्रिकों के बारे में लगाए गये आरोपों का खंडन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में पाकिस्तानी सरकार से बातचीत करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के राजदूतावास ने उस कथित वक्तव्य का खंडन किया है जो इस्लामाबाद में भारत के राजदूतावास के किसी अधिकारी द्वारा दिया गया बताया गया है और जिसमें पाकिस्तानी जेलों में भारतीय राष्ट्रिकों के प्रश्न पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण की आलोचना की गई है। असल बात यह है कि ऐसा कोई वक्तव्य दिया ही नहीं गया था।

(ख) से (घ). चूंकि भारतीय राजदूतावास के किसी अधिकारी ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया ही नहीं, अतः इनका प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वेतन का भुगतान न किये जाने के बारे में शिकायतें

[अनुवाद]

7964. **श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर)** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने जनवरी, 1988 में जम्मू और कश्मीर सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वेतन का भुगतान न करने तथा बंमहांग नागोटे खानी-धम्मेर, जिला ऊधमपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी वित्त पोषण संबंधी मामलों के बारे में कोई रिपोर्ट मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त हुई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सलाल और सावालकोट पन बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में इस क्षेत्र में अन्य कार्यों को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय परियोजना के साथ-साथ हो रहे विकास के बुनियादी ढांचे सहित सामान्य विकास गतिविधियों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है; और

(घ) क्या इन पर्वतीय क्षेत्रों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम और सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन करने का विचार किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत सरकार को, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वेतन का भुगतान न करने तथा बमहांग नसयोटे खानी-छम्मेर जिला ऊधमपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जाली वित्त पोषण संबंधी मामलों के बारे में दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक शिकायत 1986 में प्राप्त हुई थी जिसे जनवरी, 1986 में समुचित कार्रवाई के लिये राज्य सरकार को भेज दिया गया था। 1988 में प्राप्त हुई दूसरी शिकायत राज्य सरकार को जुलाई 1988 में रिपोर्ट भेजने के लिए भेजी गई थी।

(ख) राज्य सरकार से अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) राज्य सरकार के विचार मालूम किए जा रहे हैं।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन पहले से ही पूरे देश में नियमित रूप से किया जा रहा है। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विलय कर दिया गया है और अब ये नये रोजगार कार्यक्रम अर्थात् जवाहर रोजगार योजना का अंग बन गये हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का मूल्यांकन शीघ्र शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

बाढ़ राहत सहायता के लिए पंजाब खेत मजदूर और पंजाब किसान सभा के ज्ञापन

7965. **श्री रेणुपद दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और बाढ़ राहत सहायता के बारे में पंजाब खेत मजदूर यूनियन और पंजाब किसान सभा से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) ज्ञापन में क्या-क्या मुख्य मांगें की गई हैं; और

(ग) इन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) से (ग). इस संबंध में पंजाब सरकार को 1.11.1988 को कृषक फोरम (पंजाब कृषक समाज) से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। किसान फोरम द्वारा की गई मुख्य मांगों और पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बाढ़ राहत के लिये सहायता प्राप्त करने लिए पंजाब सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किये जाने पर, भारत सरकार ने राज्य सरकार को बाढ़ राहत के लिये 150.30 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की थी।

विवरण

क्रम संख्या		मुख्य मांग	पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
1		2	3
I	1.	पंजाब भूमि सुधार निगम लिमिटेड को अपने खेतों को जोतना चाहिए और अपनी अगली फसलें बोने के लिए सभी आवश्यक कार्य करने चाहिए।	पंजाब भूमि विकास निगम लिमिटेड ने प्रभावित किसानों के खेतों को गाद से मुक्त कराने के लिये योजनायें बनाई हैं। संबंधित राज्य सरकार की एजेंसी के लिये यह संभव नहीं है कि वे किसान के खेतों को जोतें और अगली फसल बोने के लिये सभी कार्य करें।
	2.	फसल के पक कर तैयार हो जाने पर खेती की लागत किसानों से वसूल की जाये।	
	3.	सरकार द्वारा उन्हें बीज और उर्वरक दिये जाने चाहिए।	राज्य सरकार ने उन किसानों को जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और उन स्थानों में जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक हानि होती है, प्रति एकड़ 40 किलोग्राम की दर से मुफ्त गेहूं, बीज के रूप में उपयोग करने के लिये वितरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में सहकारी संस्थायें, प्रभावित किसानों को उर्वरक प्रदान करने के लिये कार्य कर रही हैं।
	4.	ट्यूबवेलों, ट्रेक्टरों आदि (जो कार्य के लिये अयोग्य होने के कारण बेकार हो गये हैं) के लिये किसानों द्वारा लिये गये लम्बित पड़े हुये सभी ऋणों को माफ कर दिया जाना चाहिये।	राज्य सरकार ने अल्पावधि और मध्यावधि सहकारी कृषि ऋणों को परिवर्तित/पुनर्निर्धारित किये जाने तक उन किसानों के संबंध में जिनकी फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति पहुंची है, ऋणों की वसूली के कार्य को स्थगित रखा है।
	5.	मूल्यांकन संबंधी कार्य जो मौजूदा पद्धति के अनुसार पटवारी द्वारा ही किया जाता है, मे कृषि विभाग के किसी अधिकारी/पदाधिकारी को	राज्य सरकार ने राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहुंची क्षतियों को आंकने और पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा इसकी जांच करवाने के लिये जिला प्राधिकारियों को आवश्यक

	शामिल किया जाना चाहिये ताकि प्रभावित किसानों को पहुंची क्षति का ईमानदारी और न्यायपूर्ण ढंगों से मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके।	अनुदेश जारी किये हैं। राज्य सरकारों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि क्षतियों को आंकने के कार्य में गांव बुजर्गों को भी सम्बद्ध किया जाना चाहिये।
II.	उन कुक्कुट फार्मों के मालिकों को जिनके फार्म बाढ़ बहा ले गई है, आसान किस्तों पर ऋण की उचित धनराशि दी जानी चाहिए ताकि वे अपने को फिर से स्थापित कर सके।	यह मांग पंजाब सरकार के विचाराधीन है।
III.	प्रत्येक उस किसान को जिसको पशुहानि पहुंची है, कम से कम दो भैंसें खरीदने के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए और प्रभावित किसानों द्वारा लिये गये किसी भी ऋण को माफ कर दिया जाना चाहिए।	राज्य सरकार ने बड़े पशुओं की हानि के लिये प्रति पशु 1000 रुपये और बकरी और भेड़ के लिए 200 रुपए के एक समान मापदंड के अनुसार राहत देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह राहत प्रति परिवार दो बड़े पशुओं और चार छोटे पशुओं की अधिकतम सीमा शर्त के तहत दी जायेंगी। पशुओं की खरीद के लिये ऋण सामान्यतया समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत दिये जाते हैं और ऐसे पशु सामान्यतया वोमित होते हैं।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अग्नि दुर्घटना

7966. **श्री सोडे रमैया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हाल ही में अग्नि काण्ड से कितना नुकसान हुआ है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयंत्र में भविष्य में अग्नि दुर्घटना दुबारा होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) दिनांक 28-11-1988 को विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना में लगी आग के कारण, आरंभिक मूल्यों तथा संविदात्मक दरों के आधार पर लगभग 1.70 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(ख) आग की दुर्घटना की जांच करने के लिये सरकार द्वारा दिनांक 1.12.1988 को नियुक्ति की गई एक सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.1.1989 को दे दी थी। संक्षेप में इसका निष्कर्ष यह था कि वेल्डिंग अथवा गैस काटने संबंधी प्रचालन कार्य में कार्यरत कामगारों की लापरवाही के कारण आग लगी। समिति ने आग लगने का कारण तोड़फोड़ अथवा बिजली सार्ट सर्किट होने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है।

(ग) परियोजना के प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित उपाय—

(i) सुरक्षा एवं बचाव पूर्वापायों को कड़ाई से लागू करना।

(ii) सुरक्षा इंजीनियरी विभाग को मजबूत बनाना।

(iii) रात और दिन दोनों समय गश्ती बढ़ाना।

(iv) आग बुझाने के उपायों के बारे में कामगारों को प्रशिक्षण देना।

(v) संयंत्र के कुछेक संवेदनशील क्षेत्रों में धूम्रपान पर पूर्ण पाबन्दी लगाना।

(vi) अग्नि सिस्टम की समय-समय पर जांच करना।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का अमरीकी परामर्श सेवा कम्पनी को ठेका

7967. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने सुरक्षा, पर्यावरण और भारतीय इस्पात प्राधिकरण के इस्पात संयंत्र के व्यवसायजन्य रोगों के क्षेत्र में भारतीय परामर्श सेवा कम्पनी को ठेका दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख). इस्पात संयंत्रों में सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन करने तथा इस्पात संयंत्रों में अधिक सुरक्षा वाले पर्यावरण को बनाने में सहायता देने वाले उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए "सेल" ने 1986 में मैसर्स आर्थर डी० लिटल को कार्य पर लगाया था। यह कदम उठाये गए अनेक उपायों में से एक है। इस क्षेत्र में

मैसर्स आर्थर डी० लिटल की व्यापक विशेषज्ञता और लम्बे अनुभव को मद्देनजर रखते हुए "सेल" द्वारा उन्हें यह कार्य दिया गया था। मैसर्स आर्थर डी० लिटल का भारतीय सहयोगी मैसर्स भारत टेकनोलोजिज है। अध्ययन कार्य पूरा हो गया है तथा कार्यान्वयन के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आस्ट्रेलिया की परामर्श कम्पनियों को ठेका

7968. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के चार इस्पात संयंत्रों में पर्यावरण संबंधी व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक मास्टर प्लान के विकास के लिए आस्ट्रेलिया की दो इंजीनियरी परामर्श सेवा कम्पनियों को ठेका दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस ठेके की शर्तों सहित इसका पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) ठेके के लिए निविदायें भेजने वाली अन्य अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श सेवा कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आस्ट्रेलिया की उक्त परामर्श सेवा कम्पनियों के भारतीय एजेन्टों के क्या नाम हैं; और

(ङ) ठेके में शामिल किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख). विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत तकनीकी सहायता ऋण के अन्तर्गत "सेल" के एकीकृत इस्पात के कारखानों में पर्यावरण प्रबन्धन तथा प्रदूषण नियंत्रण पर परामर्शी अध्ययन करने के लिए इसने मैसर्स बी०एच०पी० इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और कितहिल इंजीनियर्स प्रा० लिमिटेड जो आस्ट्रेलिया का एक संयुक्त उद्यम है, के साथ एक करार किया है।

इस समझौते की शर्तें विश्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुकूल हैं। सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित समय सहित अध्ययन की अवधि इसको आरम्भ करने की तारीख से 23 महीने की है।

(ग) दो अन्य अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं जिन्होंने बोली में भाग लिया था—वे हैं—मैसर्स यू०ई०सी० इन्वायरनमेंटल सिस्टम्स आई.एन.सी., अमरीका तथा मैसर्स ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन (ओवरसीज सर्विसेज) लि०, यू०के०।

(घ) आस्ट्रेलियाई परामर्शदाताओं ने घोषित किया है कि ठेके के सम्बन्ध में उनका कोई भारतीय एजेन्ट नहीं है।

(ङ) ठेके में शामिल किए गए कार्यकलाप ये हैं—"सेल" के कारखानों तथा निजी खानों में प्रदूषण स्तरों का मूल्यांकन करना, व्यापक प्रदूषण मानिटरिंग तंत्र की स्थापना करना, उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों की सिफारिश करना तथा एक व्यापक पर्यावरण प्रबन्धन कार्यक्रम तैयार करना।

दिल्ली परिवहन निगम के नियमित और दैनिक दिहाड़ी के कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करना

7969. **श्री गंगा राम** : क्या अल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम में श्रेणीवार कुल कितने नियमित तथा दैनिक दिहाड़ी वाले कर्मचारियों, जिनकी 240 दिन से अधिक की सेवा है, की वर्ष 1988 में तथा 1989 में, अब तक, सेवायें समाप्त की गई हैं;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) इन कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति के बाद श्रेणी वार कितने व्यक्तियों को नियमित रूप से तथा दैनिक दिहाड़ी पर नियुक्त किया गया;

(घ) इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कितने-कितने लोग हैं; और

(ङ) प्रत्येक श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लोगों के लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

अल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम में 1-1-1989 की स्थिति के अनुसार 22% की कुल अपेक्षाओं के मुकाबले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व 23·34% है। तथापि, पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के अभाव में उनके लिए आरक्षित कोटे को पूर्णतः नहीं भरा जा सका और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच रिक्तियों के विनिमय के मानक के अनुसार रिक्त स्थानों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नियुक्त कर भर लिया गया। रोजगार कार्यालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के एसोसिएशन/संगठन को अधिसूचित कर तथा अखबारों में विज्ञापन के जरिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थियों का पता लगाने के प्रयास किए जाते हैं।

शिशुओं और युवा वर्ग को दूध उपलब्ध न होना

7970. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशुओं और युवा वर्ग को दूध उपलब्ध न हो पाने के कारण, उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य गिर रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का सफी दुग्ध उत्पादों पर तब तक प्रतिबंध लगाने का विचार है, जब तक कि जनता की दूध की आवश्यकता की पूर्ति उचित मूल्य पर पूर्णतः नहीं हो जाती; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) सामान्यतया, शिशुओं को पौषणिक तत्व संबंधी आवश्यकताओं को स्तन पान के माध्यम से पूरा किया जाता है और बच्चों की शक्ति संबंधी जरूरतें दूध के अलावा अन्य आहारों जैसे धान्यों और दालों के माध्यम से पूरी की जाती हैं। 1971-72 से 1987-88 की अवधि के दौरान यह अनुमान है कि दूध की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन 112 ग्राम से बढ़कर 161 ग्राम प्रतिदिन हो गई है।

(ख) और (ग). यद्यपि दूध उत्पादों के विनिर्माण पर पूरी तरह रोक लगाए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, फिर भी सरकार दूध की मांग को पूरा करने की प्राथमिकता देती है। मांग को पूरा करने के लिए सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में डेरियां दूध की लगातार अधिक मात्रा बेच रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शिक्षा

7971. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए "महिला समाख्य" योजना आरम्भ करने में हुई प्रगति का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कितने और किन-किन राज्यों में शुरू की गई है तथा "महिला समाख्य" योजना के अन्तर्गत जिला-वार, चरणबद्ध रूप से लाये गए गांवों की संख्या जिला-वार कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, नहीं। "महिला सामाख्य" परियोजना को औपचारिक रूप से अक्तूबर, 1988 से ही चलाया गया है।

(ख) महिला-सामाख्य परियोजना में निम्नलिखित 10 (दस) जिलों को शामिल किया है—

गुजरात	—	बड़ौदा
		राजकोट
		सकरकान्ता
कर्नाटक	—	बीदर
		बीजापुर
		मैसूर
उत्तर प्रदेश	—	बांदा
		टिहरी गढ़वाल
		वाराणसी
		सहारनपुर

इस स्तर पर इन जिलों में संभावी परियोजना पदाधिकारियों का अनुस्थापन/प्रशिक्षण आरम्भ किया गया है। गांवों में इस कार्यक्रम का वास्तविक कार्यान्वयन शीघ्र आरम्भ होगा।

एल्यूमिनियम उत्पादक एककः

7972. **श्री एन० डेनिस** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम उत्पादक [एकक विमानों आदि के निर्माण में काम आने वाले एल्यूमिनियम पुर्जों का निर्माण कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख). विमानों के उपकरणों के निर्माण के लिए एल्यूमिनियम उत्पादक यूनिटें हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लि० को एल्यूमिनियम शीटों, प्लेटों, बिलेटों एवं पेंच (एक्सट्रूजन्स) आदि की आपूर्ति कर रही है।

केरल में साक्षरता

7973. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में नवीनतम उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार अनपढ़ व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) केरल में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान केरल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा की योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख). केरल राज्य में 1981 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निरक्षरों की कुल संख्या और साक्षरता प्रतिशतता क्रमशः 75.29 लाख और 70.24 थी।

(ग) 1988-89 के दौरान राज्य में प्रौढ़ शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहे 5542 केन्द्रों में कार्यात्मकता साक्षारता प्रदान करने के लिए 1,67,150 प्रौढ़ शिशुओं को नामांकित किया गया था।

केन्द्रीय विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्यों के रिक्त पद

7974. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में 20 नवम्बर, 1988 और 1 अप्रैल, 1989 की स्थिति के अनुसार, उप-प्रधानाचार्यों के रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 20 नवम्बर, 1988 के बाद आज तक भरे गए रिक्त पदों और उन्हें भरने के लिए अपनाए गए तरीके का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) 20.11.1888 तथा 1.4.1989 की यथास्थिति के अनुसार रिक्त पड़े उप-प्रधानाचार्यों के पदों की संख्या निम्नलिखित हैं—

दिनांक	उप-प्रधानाचार्य
20.11.88	44
1.4.89	22

(ख) उप-प्रधानाचार्यों के 44 पदों को पदोन्नति द्वारा भरा गया है।

एल्यूमिनियम के मूल्यों में वृद्धि

7975. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल्यूमिनियम के मूल्य और वितरण पर 1 मार्च, 1989 से नियन्त्रण हटाने के बाद एल्यूमिनियम के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति को नियन्त्रण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) "नेल्को" (नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी) छोटे उद्योगों विशेषकर एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने वाले उद्योगों जैसे वास्तविक प्रयोक्ताओं को एल्यूमिनियम की शीटें किस प्रकार सप्लाई करता है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख). एल्यूमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों द्वारा एल्यूमिनियम धातु पिंडों का फैक्ट्री बाह्य मूल्य सामान्यतः लगभग 2 से 3 रु० प्रति किलोग्राम बढ़ाये जाने की खबर है, जबकि उत्पाद शुल्क में वृद्धि जो लगभग 3 रु० प्रति किलोग्राम है, के बावजूद खुले बाजार मूल्य में गिरावट का रुख देखने में आया है। यह भी सूचना है कि एल्यूमिनियम पर नियन्त्रण समाप्ति के बाद, प्राथमिक उत्पादकों ने रौल्ड शीटों, एक्सट्रूजनों जैसे अर्द्ध-निर्मित सामान का फैक्ट्री बाह्य मूल्य बढ़ाया है। बाजार में स्थायित्व की प्रक्रिया आ रही है।

(ग) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी (नाल्को) एल्यूमिनियम बर्तन निर्माताओं सहित लघु स्तरीय खपत-कर्त्ताओं को पूर्व में उनकी मांग और खरीद के आधार पर एल्यूमिनियम सिल्लियों की आपूर्ति करती है। नाल्को द्वारा विभिन्न खपत कर्त्ताओं को उनकी जरूरत के मूल्यांकन तथा मांग-पत्र की संवीक्षा के बाद, धातु का आवंटन किया जाता है, जिसमें वाणिज्यिक श्रेणी के एल्यूमिनियम धातु के तैयार स्टाक का ध्यान रखा जाता है।

आंध्र प्रदेश में अनाज का उत्पादन

7976. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में अनाज के उत्पादन में उल्लिखित सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख). 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान आंध्रप्रदेश में धान्यों का उत्पादन क्रमशः 97·5, 85·5, और 90.5 लाख मीटरी टन हुआ था। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार, 1988-89 के दौरान इस राज्य में धान्यों का सम्भावित उत्पादन पिछले वर्षों में हुए उत्पादन से काफी अधिक होने की आशा है।

आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में पोलिटैक्नीक कालेजों का खोला जाना

[हिन्दी]

7977. **श्री मानकूराम सोडी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आदिवासी उपयोजन-क्षेत्रों में पोलिटेक्नीक कालेजों को खोलने हेतु वित्तीय वर्ष 1989-90 के बजट में कोई धनराशि रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में ऐसा कालेज खोलने हेतु क्या मानदंड है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में आरक्षित पदों का भरा जाना

[अनुवाद]

7978. **श्री मौरिस कुजूर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के लिए आरक्षित काफी संख्या में शैक्षिक और गैर-शैक्षिक पदों पर इस निदेशालय में कार्यरत अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की उपेक्षा करके गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगों को नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, नहीं। शिक्षा निदेशालय में रखे गये रोस्टर के अनुसार पद भरे जाते हैं। आरक्षित पद रोस्टर के अनुसार तभी भरे जाते हैं जब कभी आरक्षित वर्गों से उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने हेतु आवेदन-पत्र

7979. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना हेतु कितने आवेदन पत्र भेजे हैं;

(ख) इन आवेदन पत्रों में से कितनों में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे एकक लगाने का प्रस्ताव है तथा प्रस्तावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से कितने आवेदन-पत्रों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और शेष को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के सहायता प्राप्त अथवा गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के लेखा-परीक्षित लेखे

7980. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्कूल अधिनियम, 1973 की धारा 18(5) के अन्तर्गत प्रत्येक स्कूल के लिए, चाहे वह सहायता प्राप्त स्कूल हो अथवा बिना सहायता के चल रहा हो ; यह अनिवार्य है कि वह प्रत्येक वर्ष अपने लेखा परीक्षित लेखे निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में कुछ स्कूलों ने पिछले कई वर्षों से अपने लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं और वे निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना भारी शुल्क वसूल कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) जी हां,।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पाकिस्तान के गृह मन्त्री के साथ हुई बातचीत के परिणाम

7981. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के गृह मन्त्री ने अप्रैल, 1989 में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विषयों पर उनके साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) आपसी हित के मामलों के बारे में पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मन्त्री के साथ विचार-विमर्श में इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देश द्विपक्षीय सम्बन्धों के संवर्द्धन की दिशा में कार्य करते रहेंगे।

बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना

7982. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान दिल्ली के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पांच वर्ष से चौदह वर्ष तक के बीच के आयु वर्ग में पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले लड़कों तथा लड़कियों की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) घरेलू कार्यों, दुकानों और फैक्टरी क्षेत्रों में कार्यरत और भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने ऐसे सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा इन्हें बलपूर्वक रोजगार एवं भिक्षावृत्ति से बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, वर्ष 1983-84 में कक्षा VIII को सहगण (कोहोर्ट) पूरा करने के लिए कक्षा I—VIII में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की दर दिल्ली में 30·33% (लड़कों के लिए 27·29% और लड़कियों के लिए 33·98%) थी।

(ख) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार, संघ शासित प्रदेश/जिला दिल्ली में 5—14 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 1·76 प्रतिशत बच्चे आर्थिक कार्यकलापों में लगे हुए थे। घरेलू दुकानों, फैक्टरी क्षेत्रों अथवा भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों की प्रतिशतता उपलब्ध नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में वर्ष 1995 तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की गई है। सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। कामकाजी बच्चों और स्कूलों से छोड़ जाने वाले बच्चों के लिए उनके सुविधाजनक समय में अंशकालिक शिक्षा प्रदान करने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा का एक वृहद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अन्तर्गत, श्रम विभाग द्वारा ऐसे कुछ विशेष क्षेत्रों में अनेक योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं, जहां श्रमिक बच्चों का बाहुल्य है। इस योजना के अन्तर्गत, इस प्रकार के बच्चों का गैर-औपचारिक शिक्षा, व्यायसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देख-भाल, अनुपूरक पोषण आहार आदि प्रदान करने के लिए विशेष स्कूल स्थापित किए गए हैं।

तिलहनों के उत्पादन के लिए अमेरिका के कोआपरेटिव लीग और केनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेन्सी के उपहार

7983. **श्री एल० पलाकोंड्रायुडू** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के कोआपरेटिव लीग और केनेडियन इन्टरनेशनल डेवेलपमेंट एजेन्सी ने तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये वर्ष 1980 से भारी मात्रा में उपहार दिये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये ये उपहार आंध्र प्रदेश को भी दिये गये हैं ;

(ग) तिलहनों के उत्पादन के लिये विभिन्न राज्यों को किस मानदंड के अनुसार धन दिया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश को वर्ष-वार कितना धन वास्तव में दिया गया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने अपनी वनस्पति तेल परियोजना "खाद्य तेल का पुनर्मिश्रण और तिलहन उत्पादन तथा विपणन" के लिए अमेरिका को कोआपरेटिव लीग से अब तक 1,59,535 मीटरी टन परिष्कृत सोयाबीन तेल और केनेडियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से 2,04,527 मीटरी टन अपरिष्कृत तोरिया तेल प्राप्त किया है। उपहार के रूप में प्राप्त तेल का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(मीटरी टन)

वर्ष	अमेरिकी कोआपरेटिव लीग	केनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	योग
1979-80	49368	—	49368
1980-81	6513	3260	9773
1981-82	26660	—	26660
1982-83	21506	29649	51155
1983-84	12951	18297	31248
1984-85	9675	—	9675
1985-86	—	20050	20050
1986-87	21115	85709	106824
1987-88	11747	19992	31739
1988-89	—	27570	27570
कुल	159535	204527	364062

(ख) जी हां।

(ग) राज्य के प्रस्ताव और परियोजना की प्रगति के आधार पर निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस परियोजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को 808 लाख रुपये निर्मुक्त किये गये हैं। इसका वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है—

वर्ष	निर्मुक्त की गई निधि
	(लाख रुपये में
1986-87	335
1987-88	157
1988-89	316
कुल	808

आन्ध्र प्रदेश में केले तथा आलू की खेती को बढ़ावा देना

7984. **श्री श्रीहरि राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश को केले और आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए अब तक कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग). 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, आंध्र प्रदेश सरकार को केले तथा आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त नहीं की गई है।

नालन्दा स्थित बौद्ध बिहार

[हिन्दी]

7985. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा जिले में बिहार शरीफ के पर्वतों में स्थित बौद्ध बिहार तेजी से नष्ट होते जा रहे हैं;

(ख) क्या वहां हिन्दू देवताओं की 24 प्रतिमाएं हाल ही में पाई गई हैं; यदि हां, तो ये किस स्थान पर रखी गई है; और

(ग) सरकार ने बौद्ध बिहारों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी नहीं। बिहार शरीफ कस्बे के समीप पहाड़ी पर, किसी बुद्ध बिहार के प्रकट अवशेष नहीं हैं।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास उक्त स्थल पर कथित खोज के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय हज समिति

[अनुवाद]

7986. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हज समिति में इस समय कितने सदस्य हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय हज समिति के सदस्यों में कोई तमिलनाडु का भी प्रतिनिधि है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें केन्द्रीय हज समिति में तमिलनाडु के कुछ व्यक्तियों को नामांकित करने का अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) केन्द्रीय हज समिति के लिए सदस्यों के चयन का मानदण्ड क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) हज समिति अधिनियम 1959 की धारा 4 के अनुसार हज समिति के 19 सदस्य हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति, महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष अथवा महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्रीय हज समिति में आठ सदस्यों के मनोनयन में सरकार का कोई दखल नहीं होता। पदेन छह सदस्य उन सरकारी विभागों द्वारा नामजद किए जाते हैं, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। 16 नामजद सदस्यों द्वारा तीन सदस्य सह-योजित किए जाते हैं। केन्द्र सरकार की ओर से दो सदस्य संतुलित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और हज यात्रियों के हितों की कारगर निगरानी का सुनिश्चय करने के लिए नामजद किए जाते हैं। सरकार को संसद के कुछ सदस्यों से और अन्य लोगों से कुछ ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें यह सुझाव दिया गया था कि तमिलनाडु से कुछ लोगों को केन्द्रीय हज समिति में नामजद किया जाना चाहिए। उल्लिखित मानदण्डों के आधार पर केन्द्रीय हज समिति में सदस्यों के मनोनयन के समय सरकार ने इन सिफारिशों पर यथोचित ध्यान दिया था। चूंकि सरकार सिर्फ दो ही सदस्यों को नामजद कर सकती है, इसलिए प्राप्त सभी अनुरोधों को स्थान नहीं दिया जा सका।

पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण एकक

7987. **श्री कमल चौधरी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में कोई खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित किया गया है अथवा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा खनिज विकास कम्पनी लिमिटेड और बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय का स्थानान्तरण

7988. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ठकुरानी स्थित उड़ीसा खनिज विकास कम्पनी लिमिटेड और कलकत्ता स्थित बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड को बरबील, राउरकेला अथवा उड़ीसा के किसी अन्य हिस्से में स्थानान्तरित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मुख्यालय को वर्ष 1989-90 के दौरान स्थानांतरित किए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में लवणीय और क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाना

7989. **श्री श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियर** :

श्री एच० जी० रामुलु :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव वर्ष 1986 से स्वीकृति के लिए लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग). कर्नाटक में लवणीय और क्षारीय मुद्दा में सुधार करने का एक प्रस्ताव कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था। सितम्बर, 1987 में राज्य सरकार को अतिरिक्त जानकारी सहित एक संशोधित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। संशोधित प्रस्ताव मार्च, 1989 में प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

विश्वविद्यालयों में अकादमी स्टाफ कालेजों में कर्मचारियों की नियुक्ति

7990. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ विश्वविद्यालयों में अकादमी स्टाफ कालेजों की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो इन कालेजों के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में पालन किए जाने वाले नियमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में 48 शैक्षिक स्टाफ कालेजों की स्थापना को अनुमोदित किया है।

(ख) आयोग ने प्रत्येक शैक्षिक स्टाफ कालेज के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय/सहयोगी स्टाफ (दोनों, शिक्षण और गैर-शिक्षण) अनुमोदित किया है।

केन्द्रीय स्टाफ

निदेशक	—	एक (प्रोफेसर के वेतनमान में)
रीडर	—	एक
लेक्चरर	—	एक

सहयोगी/प्रशासनिक स्टाफ

आशुलिपिक-टंकण	—	एक
पुस्तकाध्यक्ष/तकनीकी	—	एक
चपरासी	—	एक

उपर्युक्त पदों के लिए नियुक्तियां संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में समान पदों पर नियुक्तियों के संबंध में उनके द्वारा तैयार किए गए नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाती हैं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शैक्षिक स्टाफ कालेजों ने तत्काल कार्य करना शुरू कर दिया है, आयोग ने सामान्य चयन-प्रणाली में छूट देकर निदेशक की नियुक्ति को अन्तिम रूप देने में एक पद्धति अपनाने के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को प्राधिकृत किया है। यह निर्धारित किया गया था कि इस पद पर जिस व्यक्ति का चयन किया गया है वह प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित सभी अर्हताएं पूरी करता है। केन्द्रीय स्टाफ की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे चयन-समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी नामजद व्यक्ति को भी संबद्ध करें।

सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

7991. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार ने शिक्षा के निजीकरण पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में वर्ष 1995 तक 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों के लिए शिक्षा पहले से ही निःशुल्क है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

महिला कृषि मजदूरों को प्रशिक्षण

7992. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कृषि क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षण" परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान राज्यों को दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान राज्यों को निर्मुक्त की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य	निर्मुक्त की गयी धनराशि
कर्नाटक	56 लाख रुपये
तमिलनाडु	70 लाख रुपये
उड़ीसा	63.65 लाख रुपये

आन्ध्र प्रदेश में खेल-कूद का विकास

7993. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार को राज्य में खेल-कूद के विकास के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1988-89 में, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने खेल अवस्थापना के विकास के लिए 7 प्रस्ताव और ग्रामीण स्कूलों में आधारभूत खेल सुविधाएं सृजित करने के लिए 12 प्रस्ताव भेजे थे। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक, खेल अवस्थापना के विकास के लिए 2 प्रस्ताव तथा ग्रामीण स्कूलों में आधारभूत खेल सुविधाएं सृजित करने के लिए भी 23 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

गुड़ीवाड़ा और इल्लूरू में खेल अवस्थापना के सृजन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की गई है तथा अब तक 54 लाख रुपए दिए गए हैं। 5 प्रस्ताव राज्य सरकार को दोषों में सुधार करने हेतु भेजे गए हैं। ग्रामीण स्कूलों में आधारभूत खेल सुविधाएं सृजित करने के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

कर्नाटक द्वारा जल विभाजक (वाटर शेड) द्वितीय विकास परियोजना की मंजूरी के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव

7994. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित द्वितीय जल विभाजक (वाटरशैड) विकास परियोजना की मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार के पास कोई संशोधित प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए संशोधित प्रस्ताव में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत काबल नाला जलविभाजक के विकास को चालू योजना के अतिरिक्त दो जलविभाजकों के विकास की योजना शामिल है।

(ख) और (ग). राज्य सरकार के दो अतिरिक्त जल-विभाजकों के विकास के प्रस्ताव को विश्व बैंक के परामर्श से तकनीकी रूप से स्वीकृति दे दी गई है और राज्य सरकार को परियोजना का विस्तृत ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की उत्तर-पुस्तिकाओं की बिक्री

[हिन्दी]

7996. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की उत्तर-पुस्तिकाओं की बिक्री से संबंधित समाचार के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का परीक्षा आयोजित करने में होने वाली ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) दिनांक 15.2.89 को "हिन्दुस्तान" नई दिल्ली में इस विषय पर प्रकाशित एक समाचार सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्हें, उनके किसी परीक्षा केन्द्रों से उत्तर पुस्तकों की तथाकथित बिक्री के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तकें जारी करते समय पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है। तथापि विश्वविद्यालय ने पुलिस से समाचार रिपोर्ट की सच्चाई का पता लगाने के लिए अनुरोध किया है।

खाद्य समस्या पर वैज्ञानिक सलाहकार परिषद की सिफारिश

[अनुवाद]

7997. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड ने सूचित किया है कि भारत को 1960 के दशक की भांति खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने ऐसे संकट का पूर्वानुमान लगाने में क्या मुख्य तथ्य प्रस्तुत किये हैं;

(ग) क्या वर्तमान खाद्य उत्पादन योजनाएं संकट से निबटने के लिए पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्य कदम क्या उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख). "सन् 2001 ई० के लिये एक संदर्शी योजना हेतु एक दृष्टिकोण : विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका-कार्यवाही के लिये सिफारिशें" शीर्षक नामक दस्तावेज में खाद्य उत्पादन के संदर्शी अनुमान बनाते समय प्रधान मंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद ने यह चिंता व्यक्त की है कि यदि इस शताब्दी के अन्त तक खाद्य उत्पादन का अनुमानित स्तर प्राप्त नहीं किया गया तो

भारत को एक खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है जो इस शताब्दी के छठे दशक में आये खाद्य संकट का स्मरण करवा सकता है।

(ग) और (घ). सरकार, देश की खाद्य आवश्यकताओं के सम्बन्ध में पूरी तरह से जागरूक है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये कई कार्यक्रम और योजनायें पहले ही शुरू की जा चुकी हैं ताकि उत्पादन को अपेक्षित स्तर तक बढ़ाया जा सके।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए खाद्यान्नों का अन्यत्र प्रयोग

7998. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिकों को उनको दिहाड़ी के रूप में गेहूं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को गेहूं की कुल कितनी मात्रा में सप्लाई की गई;

(ग) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भारी मात्रा में सप्लाई किये गये गेहूं को बाजार में बेच दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को ऐसे कितने मामलों के बारे मे पता चला है और भविष्य में इन अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को आबंटित की गई और उनके द्वारा उठाई गई गेहूं की कुल मात्रा निम्न प्रकार है :—

(मी० टन)

वर्ष	आबंटित मात्रा	उठाई गई मात्रा
1986-87	276,340	234,811
1987-88	264,262	1'1,489
1988-89	87,400	34,253 (दिसम्बर 88 तक)

(ग) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किए गए गेहूं को बाजार में बेचे जाने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय नागरिकों को विदेशी पुरस्कार/सम्मान/उपाधियां

7999. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों द्वारा भारतीय नागरिकों को दिये जाने वाले पुरस्कार, सम्मान और उपाधियां उन्हें सरकार के माध्यम से प्रदान की जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख). किसी भी विदेश द्वारा किसी भारतीय नागरिक को, जो सरकारी कर्मचारी हो, कोई पुरस्कार, सम्मान अथवा विशिष्ट सम्मान देने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत सरकार इस बात की अनुमति नहीं देती है कि सरकारी कर्मचारी इस प्रकार के किसी भी पुरस्कार, सम्मान अथवा विशिष्ट सम्मान को स्वीकार करे। अन्य सभी मामलों में विदेशी पुरस्कार, सम्मान अथवा विशिष्ट सम्मान को सरकार प्रोत्साहित तो नहीं करती है किन्तु उन पर उसने कोई रोक भी नहीं लगाई है।

भारतीय कृषक समाज द्वारा दिया गया मांग-पत्र

8000. **डा० ए० के० पटेल** :

श्री सी० गंगा रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1989 में केकरी (राजस्थान) में भारतीय कृषक समाज के सम्मेलन में एक मांग-पत्र दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) फरवरी, 1989 में केकड़ी (राजस्थान) में हुए सम्मेलन में भारत कृषक समाज ने एक ज्ञापन दिया था।

(ख) भारत कृषक समाज द्वारा की गई मांगों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मांगों की जांच कर ली गई है और भारत कृषक समाज के अध्यक्ष को स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

विवरण

भारत कृषक समाज द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों की सूची

1. कृषि उत्पाद का मूल्य लाभकारी होना चाहिये। ऐसा तभी सम्भव होगा जब कृषि उत्पाद की कीमतों को निर्धारित करने से सम्बद्ध अर्थशास्त्री वे हों जिनको इस क्षेत्र का व्यावहारिक अनुभव हो।

2. भारतीय खाद्य निगम और भारतीय कपास निगम जैसे केन्द्रीय संगठनों की कार्य-प्रणाली, जो कुछ हद तक ट्रेडरों जैसी बन गई है, को कारगर और सरल बनाया जाना चाहिए ताकि इस पर हो रहे बहुत अधिक खर्चों को बचाया जा सके तथा इस समय चल रहे घपलों को रोका जा सके जो इनके सृजन के मूल उद्देश्य को ही नष्ट कर रहे हैं।

3. भूमि और अतिरिक्त भार नहीं उठा सकती। अतः कृषि का कृषि आधारित उद्योगों में परिवर्तन ही एक ऐसा हल है जो बढ़ती हुई कुण्ठा को रोक सकता है तथा इस व्यवसाय को आकर्षक एवं लाभकारी बना सकता है।

4. कृषि उत्पादों की कीमतों को कृषि आदानों की कीमतों से मूल्य-सूचकांक की तरह जोड़ा जाए जैसा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में होता है, ताकि समानता लायी जा सके और काफी समय से चले आ रहे क्षोभ को दूर किया जा सके।

5. कृषि प्रयोजनों के लिए ऋण 6 प्रतिशत की घटी ब्याज की दर पर मुक्त रूप से उपलब्ध करायी जाए ताकि खाद्य उत्पादन की पैदावार को प्रोत्साहित किया जा सके।

6. तिलहनों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएं।

7. उन किसानों और फार्म श्रमिकों को जो अपने व्यवसाय के दौरान दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, अनुग्रह क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।

8. सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि के खतरे से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय "प्राकृतिक आपदा परिक्रामो निधि" का सृजन किया जाए।

9. खाद्य तेल, चीनी अन्य जिन्से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करके आयात की जाती हैं। दूसरी ओर, वे किसान, जो दलहनों और तिलहनों का उत्पादन कर रहें हैं प्रोत्साहन न मिलने से हतोत्साहित महसूस करते हैं। इनकी आवश्यक रूप से जरूरत है और ये उपलब्ध होने चाहिए।

10. मूल्य निर्धारण का एक-एक रूप प्रतिमान और लाभ का अन्तर प्रत्येक स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि उत्पादक, व्यापारी एवं उपभोक्ता के हित की पर्याप्त रूप से रक्षा की जा सके।

11. बैंकों से ऋण लेने को सुसाध्य बनाने के लिए कृषक ऋण कार्ड शुरू किए जाएं।

12. सिंचाई की स्प्रिंकलर एवं ड्रिप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ऋण नीति को उदार बनाया जाए जिससे पानी को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।

13. पी वी सी पाइप मैदान में पानी लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। सिंचाई उद्देश्यों के लिए प्रयोग में आने वाली पी वी सी के कच्ची सामग्री पर शुल्क माफ होना चाहिये, जोकि अब 100% शुल्क के साथ आयात किया जा रहा है ताकि अप्राप्य पानी के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

14. देश में बीज उत्पादन का कार्य कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों को सौंपा जाना चाहिए और उनके संगठनो को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिये। इस समय जो राज्य फार्म कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर रहे हैं उनका उचित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

15. कृषि मशीनरी और उसके अतिरिक्त पुर्जों के मूल्य का संवर्धन करने के लिए स्वतन्त्र आयोग स्थापित किया जाए ताकि वे किसानों तक पहुंच सकें।

16. खाद्यान्नों का भण्डारण किसानों को सौंप दिया जाये। सरकार खाद्यान्नों के मूल्य का 80 प्रतिशत अग्रिम दे सकती है, 20 प्रतिशत खाद्यान्नों को प्रत्याभूति किसानों के लिए देखरेख के रूप में रख सकती है और बदले में उसे कुछ उपयुक्त भण्डारण शुल्क दे। यह सरकार के बहुत से खर्चों को बचाएगी और कठिनाईयों में कमी लाएगी।

17. कृषि और बागवानी उत्पाद का उपयोग करने के लिये देहाती इलाकों में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा तैयार उत्पादों के जरिए विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे।

18. कुछ मामलों में कृषि प्रयोजन के लिये उपलब्ध जल का उपयोग करने के लिये छोटे बांधों के निर्माण की अनुमति इस स्तर पर नहीं दी जा रही है कि उस विशेष क्षेत्र में वनों का संरक्षण किया जाना है। इस नीति पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है। जहां लाभानुभोगी बांधों के निर्माण द्वारा क्षतिग्रस्त या प्रभावित वृक्षों की संख्या से दुगनी संख्या में वृक्ष लगाने की जिम्मेवारी लेते हैं, उस स्थिति में प्रतिबंध में छूट दी जानी चाहिये।

19. बारानी फसलों जैसे दलहनों और तिलहनों के मूल्य समर्थन कार्य और विपणन के बुनियादी ढांचे में विस्तार की आवश्यकता है।

20. बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए दीर्घावधि उपायों का विकास, सिंचाई के अन्तर्गत अधिकतम क्षेत्र लाना, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमि जल का पूरी तरह उपयोग करना तथा वन रोपण और पारस्थिति को संतुलन के कार्यक्रम को तेज करना ताकि उपजाऊ मृदा के क्षय को रोका जा सके।

21. वर्षासिंचित और बारानी क्षेत्रों में पर्याप्त विस्तार समर्थन के साथ इष्टतम फसल पद्धति विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

22. भूमि जलाशयों की पहचान, कृषि और सूखा स्थितियों का प्रबोधन करने के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे सुदूरपूर्व सैंसिंग को काम में लाना चाहिए।

23. स्तर सुधार तथा कृमियों और रोगों की बेहतर रोधी उच्च उपज किस्मों के उपयोग और विकास को प्रोत्साहन दिया जाए।

24. कीटनाशियों/उर्वरकों में मिलावट की जांच करने के लिये प्रभावी उपाय किये जाएं।

25. कृषि, फलों का परिसंस्करण तथा फलों का रस तैयार करना, कीटनाशियों और कृमिनाशियों के लिए आयातित मशीनरी पर कस्टम शुल्क तथा राज्य कर समाप्त किए जाएं। यह राष्ट्र के लिये निर्यात क्षमता को बढ़ाएगा और विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा।

26. कृषि मशीनरी, बीजों, उर्वरकों, कीटनाशी दवाओ और कृमिनाशियों पर केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त किया जाए ताकि कृषक समुदाय को राहत दी जा सके। राज्यों को भी तदनुसार सलाह दी जाये।

27. अमोनियम सल्फेट तथा अन्य उर्वरकों के विनिर्माण के लिये सप्लाई किये जाने वाले नेपथा के मूल्य घटाये जाने चाहिए ताकि सस्ते दामों में उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

28. सूखा, बाढ़ तथा देरी से वर्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बीज का आरक्षण किया जाना चाहिये।

29. उर्वरकों, कृमिनाशियों और ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि मशीनरी की उत्पादन लागत की जांच के लिये एक आयोग गठित किया जाना चाहिये।

30. कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा विभिन्न रूपों में किसानों को दी जाने वाली राजसहायता उन तक नहीं पहुंचती है। अतः विभिन्न राजसहायताओं की सकल राशि बैंकों में जमा करायी जाये तथा बदले में, बैंक किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दें।

31. कृषि प्रयोजनों के लिए ऋण की अधिकतम सीमा उपयुक्त रूप से बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे ऋणों पर ब्याज मूल धनराशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

32. राज्यों में भारत कृषक समाज की यूनिटों के माध्यम से किसानों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण कार्य किया जाए। उर्वरकों, कीटनाशियों और कृमिनाशियों में मिलावट की कारगर ढंग से जांच की जाये। किसानों को इन मदों के नमूने प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये। इस उद्देश्य के लिए ब्लाक स्तरों पर प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं।

33. जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई, भूमिगत पाइपों और अन्य इसी प्रकार की योजनाओं के लिए ब्याज रहित ऋणों की व्यवस्था करने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

34. खाद्य परिसंस्करण मंत्रालय द्वारा विभिन्न लाइसेंस जारी किए जाने के सम्बन्ध में भारत कृषक समाज द्वारा प्रायोजित कृषक समितियों को वरीयता दी जानी चाहिए।

35. नदियों के पानी को काम में लाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि नदियों के पानी का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।

36. सभी पेयों (साफ्ट ड्रिंक्स) में 7 से 9 प्रतिशत फलों के रस का उपयोग अनिवार्य बनाया जाए ताकि बागवानी को बढ़ाया जा सके और लोक स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

अनुसूचित जातियों के लोगों को हस्तांतरित भूमि वापस दिलाना

8001. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का अनुसूचित जातियों के लोगों की भूमि के हस्तांतरण संबंधी समस्याओं के बारे में निश्चित अवधि के अन्दर कानूनी अथवा अन्य कदम उठाने का प्रस्ताव है, ताकि इन लोगों को हस्तांतरित की गई भूमि वापस दिलाई जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकार का अनुसूचित जातियों के लोगों की भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने और ऐसी हस्तांत-

रित भूमि को उन्हें वापिस दिलाने के सम्बन्ध में कानूनी अथवा अन्य कदम उठाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भूमि राज्य का विषय है और यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे अपने भूमि कानूनों में ऐसा प्रावधान करने पर विचार करें। वास्तव में, अनुसूचित जातियों के लोगों की भूमि की वापसी की समस्या से निबटने के लिए कुछेक राज्यों के पास उनके कानूनों में पहले से प्रावधान है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेय अल्कोहल और अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थों के निर्माण के लिए सहयोग-परियोजना

8002. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन तथा यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप ने एक सहयोग समझौता किया है और खराब अनाज और आलू से पेय अल्कोहल और अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थों के निर्माण के लिए एक परियोजना स्थापित करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना को स्थापित करने की अनुमति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश ठाईटलर) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार जनरेशन कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल के इडुक्की जिले में सड़कों का निर्माण

8003. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के इडुक्की और पठानमथिट्टा जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार जनरेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं को जिला स्तर पर अंतिम रूप दिया जाता था और अनुमोदित किया जाता था। तथापि, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं के मामले में यह आवश्यक था कि इनको कार्यान्वित किए जाने से पहले इनका अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता था। 1988-89 के दौरान केरल के इडुक्की

और पठानमथिट्टा जिलों में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के लिए प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

जिले का नाम	अनुमोदित सड़क निर्माणकार्यों का मूल्य (लाख रुपये में)	सड़कों की लम्बाई (किलोमीटर)
इडुक्की	66.50	26.40
पठानमथिट्टा	58.32	28.25

उपरोक्त परियोजनाएं 1988-89 के दौरान ही अनुमोदित कर दी गई थी।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु छात्रों का नामांकन

8004. **श्री एस०बी० सिदनाल :**

श्री एस० एम० गुरड्डी :

डा० कृपासिंधु भोई :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1995 तक हायर सैकेन्डरी स्तर के 35 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान कितने छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा;

(ग) कर्नाटक को वर्ष 1987-88 के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए कुल कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी सहायता प्रदान की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम 1990 तक उच्चतर माध्यमिक छात्रों के 10 प्रतिशत तथा 1995 तक 25 प्रतिशत छात्रों को शामिल करेंगे।

(ख) अभी तक संस्वीकृत किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1989-90 के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में संभावित नामांकन 1.47 लाख होगा।

(ग) और (घ). कर्नाटक सरकार को 100 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए 1987-88 में 93.00 लाख रु० की तथा 140 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान 244.70 लाख रु० की सहायता संस्वीकृत की गई थी। वर्ष 1989-90 के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।

प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएं चलाने के लिए गुजरात से प्राप्त आवेदन

8005. **श्री रणजीतसिंह गायकवाड़** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात से प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएं चलाने के लिये वर्ष 1988-89 के दौरान कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या गुजरात सरकार के माध्यम से आवश्यक सिफारिश के साथ भेजे गए अनेक आवेदन पत्र काफी समय से लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है इससे कितने छात्रों को प्रौढ़ शिक्षा दी जा सकेगी तथा केन्द्रीय एवं राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत इस पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी; और

(घ) आवेदन पत्र को अब तक लंबित रखने के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक निपटाया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएं चलाने के लिए गुजरात की स्वैच्छिक एजेंसियों से 117 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

(ख) से (घ). गुजरात सरकार द्वारा अनुशंसित स्वैच्छिक एजेंसियों के 43 प्रस्ताव मंत्रालय में लम्बित पड़े हैं । लम्बित पड़े मामलों और उनके अनिर्णीत पड़े रहने के कारणों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है । लाभान्वित होने वालों की कुल अनुमानित संख्या और इन 43 प्रस्तावों में निहित राशि 80,400 और 0.9 करोड़ रुपये होगी ।

उपर्युक्त में से केवल 5 प्रस्ताव पूर्ण हैं और उन पर अनुदान सहायता स्वीकृति द्वारा उसकी अगली बैठक में विचार किया जायेगा । दूसरे प्रस्ताव पर तभी विचार किया जायेगा जब अपेक्षित दस्तावेज/सूचना प्राप्त हो जायेगी ।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान गुजरात सरकार द्वारा सिफारिश की गई स्वैच्छिक एजेंसियों के लम्बित पड़े प्रस्तावों की सूची

क्रम० सं०	पता सहित स्वैच्छिक एजेंसियों का नाम	अनिर्णीत मामलों के कारण
1	2	3
1.	भगिनी समाज, सानंद जिला अहमदाबाद पिन कोड-380001	एजेंसी से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
2.	श्री मेथन केल्वनी मण्डल मेथन, जिला—सुरेन्द्र नगर	एजेंसी अपने अस्तित्व के 3 वर्ष पूरे नहीं कर पाई इसलिए यह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है ।
3.	लोकानंद न्यास मुकाम व डाकखाना राईखल तालुक डहगाम जिला—अहमदाबाद	एजेंसी से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित

1	2	3
4.	श्री भारतीय समाज कल्याण सम्मेलन मुकाम व डाकखाना लिलिआ जिला मेहसाना।	एजेंसी से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
5.	राजकोट जिल्ला खादी ग्रामोद्योग संघ, मोटा भेला, तालुक मलिया जिला राजकोट।	संघ से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
6.	विपा सेवा मण्डल नवियावाड़, ए एम-हिलाम होटल अमतपुर के पास अहमदाबाद	पिछली परियोजनाओं के लेखे तैयार नहीं हुए
7.	समाज कल्याण समूह तृतीय तल, कामधेनु भवन मोती टँक चौक राजकोट	पिछली परियोजनाओं के लेखे तैयार नहीं हुए
8.	श्री नीरव शान्ति निकेतन शिक्षा न्यास, भेढाली डाकखाना—हिमतपुर तालुक, इदर जिला साबरकंठा	एजेंसी से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
9.	ज्योति संघ रिलीफ मार्ग, अहमदाबाद	एजेंसी से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
10.	कस्तूरबा गान्धी, राष्ट्रीय स्मारक न्यास कोबा, गान्धी नगर	पिछली परियोजनाओं के लेखे निपटाए नहीं गये
11.	ग्राम विद्यालय डा० बुधला तालुका पालिटाना जिला भावनगर	एजेंसी से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
12.	गायत्री शिक्षा न्यास तलोड़, तालु॰ प्रान्तिज जिला सागरकंठा	न्यास से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित

1	2	3
13.	जन कल्याण नीति न्यास, द्वारा नवयुग उच्च माध्यमिक स्कूल, उस्मानपुर चार रास्ता अहमदाबाद	न्यास से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
14.	गायत्री शिक्सन समाज वंथाली	अनुदान सहायता समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जाने वाले पूर्ण प्रस्ताव
15.	श्री सर्वोदय आश्रम सोनाली, तालुक दांता जिला बानस कंठा।	एजेंसी से मांगे गये प्रस्ताव प्रतीक्षित
16.	राधेश्याम सार्वजनिक परोपकारी न्यास, महिला उद्योग मन्दिर महुआ जिला भावनपुर।	न्यास से मांगे गये प्रस्ताव प्रतीक्षित
17.	महिकंठा सेवा मण्डल सलोल, तालुक, बोरसद जिला खेड़ा।	मण्डल से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
18.	स्वामी शून्यानन्द सेवा न्यास 13 स्वास्तिक सोसाइटी गोवरी मार्ग, पालनपुर जिला बासन कंठा	न्यास से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
19.	श्री जी शिक्षा न्यास पिपराला, जिला भावनगर	न्यास से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
20.	सामाजिक शिक्षा समिति अहमदाबाद शहर श्रम कल्याण भवन राइपुर गेट के बाहर अहमदाबाद।	एजेंसी से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
21.	गायत्री फल्वणि मण्डल द्वारा अम्बिका वाणिज्य संस्थान देहगाम, अहमदाबाद	पिछली परियोजनाओं के लेखे निपटाये नहीं गये
22.	श्री सिंघज सर्वांगनानिक केल्वणि, मण्डल, सिन्धाज तालुका कोदीनर, जिला अमरेली	अनुदान सहायता समिति की बैठक के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जाने वाले पूर्ण प्रस्ताव

1	2	3
23.	श्री राजपूत केल्वणि सहायक मण्डल दुधियावाड़ी पालनपुर, जिला बानस कंठा	मन्डल को पहली परियोजना के बगैर खर्च की नई राशि से 13000 रुपये वापिस करने हैं।
24.	अमर भारती, मोती पावधि वाया बहियाल, तालुका देहगाम जिला अहमदाबाद	एजेंसी से मांगे गये प्रस्ताव प्रतीक्षित
25.	श्री राम कृष्ण शिक्षा न्यास मुकाम व डाकखाना लितछा, तालुका भिलोदा, जिला साबरकंठा	जैसा न्यास की वित्तीय स्थिति असन्तोष जनक है, अनुदान संस्वीकृत नहीं किया जा सकता
26.	लोक निकेतन रतनपुर तालुका पालनपुर, जिला बानसकंठा	अनुदान सहायता समिति की बैठक के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जाने वाले पूर्ण प्रस्ताव
27.	जीवन शाला न्यास अम्बार्दी, तालुक जसदान जिला राजकोट	न्यास से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
28.	अखिल भारतीय समाज सेवा परोपकारी न्यास 1-संस्थान सोसाइटी कोचारा, मेहमादाबाद, अहमदाबाद	न्यास से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
29.	मंगल प्रभात न्यास बथियाबाडी कम्पाउण्ड मिरजापुर मार्ग, अहमदाबाद	एजेंसी से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
30.	श्रम कल्याण न्यास गांधी मजदूर सेवालय पो०बा०सं० 110 बघरा अहमदाबाद	पिछली परियोजनाओं के लेखे निपटाये नहीं गये
31.	श्री नवचेतन कल्वणि मण्ड, 1.3.19 पटेल कुंज आजाद चौक, सैंजापुर बोघा रोड़, अहमदाबाद	एजेंसी से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
32.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन सुवास, मोटी टंकी के पास राजकोट	एजेंसी से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित

1	2	3
33.	श्री बाल्मीक कल्याण समिति, रिनटोडा, डाकखाना बूटावद तालुका मिलोदा जिला साबरकंठा ।	एजेंसी से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
34.	गुजरात प्रदेश अनुसूचित जाति विकास न्यास, 220-1 मुंजुरीचल सारसपुर, अहमदाबाद ।	गुजरात सरकार से रिपोर्ट प्रतीक्षित
35.	उदत्त न्यास एल-ए/5/66, शास्त्री नगर अहमदाबाद	न्यास से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
36.	श्री पदुसन समूह केल्वणि न्यास पदुसन, तालुका प्रान्तिज जिला साबरकंठा ।	न्यास से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
37.	श्री जामनगर जिला समाज कल्याण संघ, पंडित नेहरू मार्ग, जाम नगर	जैसाकि वर्ष 1988-89 के दौरान 100 केन्द्र संस्वीकृत किये गये नये प्रस्तावों पर परियोजना के पूर्ण हो जाने के बाद विचार किया जावेगा ।
38.	न्यू महिला अगरबत्ती उद्योग केन्द्र परोपकारी न्यास अहमदाबाद	शिकायत की जांच रिपोर्ट गुजरात सरकार से प्रतीक्षित है ।
39.	सेठ श्री एम०पी० बाल मन्दिर न्यास गामगावाडी के पास राजा राटना मगनलाल प्रभु दास मार्ग, सिंघ, उत्तर गुजरात ।	एजेंसी से मांगे गये दस्तावेज प्रतीक्षित
40.	लाल भाई समूह ग्रामीण विकास निधि आनन्दजी, कल्याण जी ब्लाक अरबिन्द मिल के सामने नरोडा मार्ग, अहमदाबाद ।	गुजरात सरकार से रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।
41.	श्री सरस्वती महिला जागृति मण्डल मुकाम व डाकखाना मामर, तालुक दियोदर जिला बानसकंठा	अनुदान की अगली बैठक में अनुमोदन के लिए रखे जाने वाले पूर्ण प्रस्ताव

1	2	3
42.	अपराध रोकथाम न्यास गुजरात राज्य	अनुदान की अगली बैठक में अनुमोदन के लिए रखे जाते वाले पूर्ण प्रस्ताव
43.	पटनी शेटी सेवा संघ पवगम्र चौक अहमदाबाद	वर्ष 1988-89 के दौरान 60 केन्द्रों की एक परियोजना संघ के लिए संस्वीकृत की गई थी। नये प्रस्ताव पर वर्तमान योजना के पूर्ण होने के बाद विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय विद्यालयों के प्रयोगशाला सहायकों और अटेंडेंट्स को वर्ग "ग" के कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत करना

8006. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सेवारत प्रयोगशाला सहायकों और अटेंडेंटों को वर्ग "ग" के कर्मचारी घोषित करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर संगठन की प्रतिक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पदों का वर्गीकरण किया गया है। इन आदेशों के अनुसार, उन पदों का वेतनमान, जिनके वेतन का अधिकतम 1150/- रु० अथवा कम है, को ग्रुप "ग" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तदनुसार, 770-1025 रु० के वेतनमान वाले प्रयोगशाला परिचरों को ग्रुप "घ" के पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय विद्यालयों के प्रयोगशाला परिचरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रयोगशाला परिचरों के वेतनमानों को संशोधित करने और ग्रुप "ग" के रूप में प्रयोगशाला परिचर के पद को वर्गीकृत करने की मांग की गई है। प्रयोगशाला परिचर के किसी भी वेतनमान को संशोधित करने का और ना वर्ग "ग" के रूप में पद को वर्गीकृत करने का कोई प्रस्ताव है।

न्यू मंगलौर पोर्ट पर अतिरिक्त सुविधाएं

8007. **श्री शांतिलाल पटेल** :

श्री बी०एस० बासवराजू :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू मंगलौर पोर्ट पर एक लाख डी०डब्ल्यू०टी० से अधिक के पोतों का संचालन करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या बड़े आकार के लौह अयस्क और तेल टैंकरों को ले जाने वाले पोतों को ठहराने के लिए बन्दरगाह की सुधार योजना को तैयार करने में जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी की सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). न्यू मंगलूर पत्तन पर एक लाख डी०डब्ल्यू०टी० से अधिक के जहाजों को हैंडल करने के लिए सुविधाए सुलभ कराने की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ). इस प्रकार का व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जे०आई०सी०ए०) की सहायता मांगी गई है। अध्ययन के तहत किए जाने वाले कार्य के क्षेत्र को मार्च, 1989 में अन्तिम रूप दे दिया गया है। अध्ययन रिपोर्ट 1990 के अन्त तक प्राप्त हो जाने की संभावना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान

8008. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं;

(ख) वे आवेदन-पत्र कब से और किन-कारणों से विचाराधीन हैं; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन आवेदन-पत्रों पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग). उन विश्वविद्यालयों को जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 12-ख के अन्तर्गत उपयुक्त घोषित किए गए हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा योजनाओं के दो बड़े वर्गों अर्थात् सामान्य विकास तथा विशिष्ट योजनाओं के कार्यान्वयन के अन्तर्गत उनके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामान्य विकास अनुदानों को प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा अब तक यह पद्धति अपनाई गई है कि वे प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए प्रत्येक योजना में अनुमोदित कुल परिव्यय के अन्तर्गत एक अस्थाई आबंटन बताते हैं और तत्पश्चात् प्रत्येक विश्वविद्यालय को उस आबंटन के अन्तर्गत अपनी योजना तैयार करने और इसे आयोग को प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। सातवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है--125 लाख रुपये, 100 लाख रुपये, 75 लाख रुपये और 50 लाख रुपये। आयोग ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उनके वरिष्ठ संकाय सदस्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों, विशेषज्ञों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ सातवीं योजना के अन्तर्गत अपने प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया। आयोग के अनुसार 99 विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव उनके सामान्य विकास के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान संस्वीकृत किए गए हैं। परन्तु मगध और पटना विश्वविद्यालयों के विकास प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया

जाना है और शीघ्र ही संबद्ध विश्वविद्यालयों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। इन विश्वविद्यालयों को चालू योजना अवधि में किताबों, पत्रिकाओं और उपकरणों की खरीद के लिए पहले ही अनुदान प्रदान किए गए हैं।

कृषि और सिंचाई योजना के लिए आवंटित धनराशि

[हिन्दी]

8009. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कृषि और सिंचाई योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने आवंटित धनराशि का उपयोग किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान कृषि और सिंचाई के लिए आवंटित धनराशि लगभग 15,805.39 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग). इसी अवधि के दौरान उपयोग में लाई गई धनराशि लगभग 15,503.19 करोड़ रुपये है जो आवंटन का 98.09 प्रतिशत बैठती है। इस तथ्य के बावजूद कि उपर्युक्त अवधि, प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों से प्रभावित थी, आवंटित धनराशि के मुकाबले उपयोग में लाई गई धनराशि में आई कमी की मात्रा बहुत ही कम रही है।

मत्स्य पोतों के किराए पर लेने सम्बन्धी आशय-पत्रों की तारीख बढ़ाने का अनुरोध

[अनुवाद]

8010. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के उद्यमियों से मत्स्य पोतों को किराए पर लेने संबंधी आशय-पत्रों की तारीख और बढ़ाने हेतु कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) चौदह।

(ख) उनके अनुरोध विचाराधीन हैं।

दूध का उत्पादन

[हिन्दी]

8011. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में श्वेत क्रांति लाने की दिशा में सरकार प्रभावी प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विशेष अवधि के लिए देश में दूध उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत देश में वर्ष 1989-90 के लिए दूध उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) इस लक्ष्य की प्राप्ति होने पर भारतीय नागरिकों को प्रति व्यक्ति औसतन कितना दूध उपलब्ध होगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें नियंत्रित प्रजनन, बेहतर आहार, प्रबंध पद्धतियां और पशु स्वास्थ्य की प्रभावी व्यवस्था किया जाना शामिल है।

(ख) जी हां। देश में दूध उत्पादन के लक्ष्य प्रत्येक योजना अवधि के आरम्भ में और प्रति वर्ष निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) वार्षिक राज्य योजना पर 1988-89 के दौरान हुए विचार-विमर्श के दौरान 1989-90 के लिए दूध उत्पादन के राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और ये संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) 1989-90 के लिये देश में दूध उत्पादन का इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य 50.61 मिलियन मीटरी टन है।

(ङ) 1989-90 के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के बाद, प्रति व्यक्ति औसत दूध उत्पादन 171 ग्राम प्रतिदिन (811 मिलियन पूर्वानुमानित आबादी के हिसाब से) होगा।

विवरण

दूध उत्पादन के लक्ष्य 1989-90

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दूध (हजार मीटरी टन) लक्ष्य 1989-90
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3400.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	39.50
3.	असम	670.00
4.	बिहार	3000.00
5.	गोवा	27.00

1	2	3
6.	गुजरात	3100.00
7.	हरियाणा	3125.00
8.	हिमाचल प्रदेश	515.00
9.	जम्मू व कश्मीर	492.00
10.	कर्नाटक	2550.00
11.	केरल	1500.00
12.	मध्य प्रदेश	3500.00
13.	महाराष्ट्र	2930.00
14.	मणिपुर	92.00
15.	मेघालय	52.00
16.	मिजोरम	13.50
17.	नागालैंड	5.50
18.	उड़ीसा	425.00
19.	पंजाब	5000.00
20.	राजस्थान	4250.00
21.	सिक्किम	27.00
22.	तमिल नाडु	3300.00
23.	त्रिपुरा	29.00
24.	उत्तर प्रदेश	9210.00
25.	पश्चिम बंगाल	3000.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.50
27.	चंडीगढ़	32.00
28.	दादर और नगर हवेली	2.50
29	दमन और दीव	0.50
30.	दिल्ली	285.00
31.	लक्षद्वीप	1.20
32.	पांडिचेरी	22.00
	योग	50613.20

पुरातत्व विज्ञान सम्बन्धी विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशें

[अनुवाद]

8012. **श्री मुहिराम सैकिया** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व-विज्ञान संबंधी विशेषज्ञ दल ने देश में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों के बेहतर संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्रशासकीय और व्यवसायिक आवश्यकताओं के बारे में कतिपय सिफारिशें की हैं;

(ख) सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया है;

(ग) क्या इन सिफारिशों में सामान्य संवर्ग के निदेशकों की सामान्य समयावधि में पदोन्नति करने के लिए पुरातत्व विभाग की विज्ञान, संरक्षण और शिलालेख जैसी विशेषीकृत शाखाओं के निदेशकों के अगले उच्च ग्रेड में यथावत पदोन्नति करना अधिकारियों की चार-स्तरीय पदोन्नति प्रणाली को तीन-स्तरीय पदोन्नति प्रणाली में बदलना और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारियों के पदनाम में परिवर्तन करना शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने इन सिफारिशों को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

(ग) जी, हां। इसके अलावा विशेष रूप से इन सिफारशों में, यह सुझाव नहीं दिया गया है कि सामान्य संवर्ग के निदेशकों की पदोन्नति सामान्य अवधि में की जाए।

(घ) और (ङ). मामले के सभी सम्बद्ध पहलुओं की जांच किए जाने के बाद ही इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सकता है।

मधुमक्खी पालन के सम्बन्ध में अध्ययन

[हिन्दी]

8013. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मधुमक्खी-पालन की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में मधुमक्खी-पालन को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी हां।

(ख) (i) भा०कृ०आ० परिषद की मधुमक्खी अनुसंधान और प्रशिक्षण से सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के तहत सरकारी बागवानी अनुसंधान, केन्द्र चौबटिया, रानी खेत में मधुमक्खी प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है।

(ii) खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तर्गत केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान पुणे तीन मधुमक्खी पालन अनुसंधान केन्द्र चला रहा है जो हल्द्वानी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में स्थित हैं। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के भी उत्तर प्रदेश के हरेक पहाड़ी जिले में एक मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र है।

(iii) उत्तर प्रदेश सरकार भी दो मधुमक्खी प्रशिक्षण केन्द्रों, आठ मधुमक्खी प्रजनन केन्द्रों और आठ मधुमक्खी विस्तार केन्द्रों को चला रही है।

अल्पसंख्यक विद्यालयों को अनुदान-सहायता

8014. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान दिल्ली में कितने अल्पसंख्यक विद्यालयों को अनुदान-सहायता मंजूर की गई;

(ख) दिल्ली में ऐसे अल्पसंख्यक विद्यालयों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक अनुदान-सहायता मंजूर नहीं की गई तथा जिनके आवेदन पत्र अभी लम्बित पड़े हैं;

(ग) उन्हें अनुदान सहायता मंजूर न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन विद्यालयों को अनुदान-सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम में किया गया पूंजी निवेश

8015. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम में कोई पूंजीनिवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को निवेश की गई उक्त धनराशि पर निगम से कोई लाभांश प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस निगम को कोई राजसहायता दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उक्त निगम को कितना संचयी घाटा हुआ है और इसके क्या कारण हैं; और

(ज) उक्त निगम में केन्द्रीय सरकार द्वारा निवेश की गई धनराशि को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-सूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी हां। पूंजीगत ऋण सहायता के रूप में अब तक 11·86 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

(ग) और (घ). जी नहीं। सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत प्रदान की गई पूंजीगत ऋण सहायता एक ब्याज युक्त ऋण है और उस पर कोई लाभांश देय नहीं होता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि निगम को जनवरी, 1989 तक 50·86 करोड़ रु० का संचयी घाटा हुआ। घाटे के लिए बताए गए कारण ये हैं—बेड़े में बसों की अपर्याप्त संख्या, पुरानी बसें, राष्ट्रीय रूटों पर प्राइवेट प्रचालकों द्वारा किए जाने वाले अनधिकृत प्रचालनों की देख-रेख का अभाव, इत्यादि।

(ज) केन्द्रीय पूंजीगत अंशदान पर मार्च, 88 तक बकाया ब्याज की राशि का निगम द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका है। राज्य सड़क परिवहन निगमों के भौतिक और वित्तीय निष्पादन में सुधार सुनिश्चित करने के लिए 1987-88 से राज्य सड़क परिवहन निगमों को केन्द्रीय पूंजीगत ऋण सहायता का रिलीज किया जाना प्रचालनों के समता स्तर/मुनाफा संबंधी मानदण्डों पर निर्भर कर दिया गया है।

बंगलौर सिटी में "सिंथेटिक ट्रैक" बिछाना

8016. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने बंगलौर सिटी में खेल परिसर में "सिंथेटिक ट्रैक" बिछाने के लिए अब तक कितनी धनराशि दी है;

(ख) उक्त कार्य को पूरा करने के लिए कितती धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) उक्त कार्य में राज्य सरकार ने कितनी धनराशि का योगदान दिया है; और

(घ) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) सिंथेटिक ट्रैक बंगलौर शहर में नहीं बिछाया जा रहा है परन्तु भा०खे०प्रा० के दक्षिणी केन्द्र कंगेरी में अपनी राशि से बिछाया जा रहा है।

(ख) इस कार्य के लिए (सिविल कार्य को छोड़कर) 7, 88, 800 डच मार्क राशि की आवश्यकता है, जो लगभग 56·91 लाख रुपये है।

(ग) शून्य।

(घ) "डी" क्षेत्र की ऊपरी सतह के एक छोटे से भाग को छोड़कर ट्रैक बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है।

पारादीप में मछली पकड़ने वाले जलपोतों के लिए बंदरगाहों का निर्माण

8017. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने पहले प्रस्ताव में परिवर्तन करके पारादीप में दो मत्स्य-नौका बंदरगाहों के निर्माण का निर्णय लिया है जिनमें से एक गहन समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलपोतों के लिए और दूसरा महानदी के मुहाने पर मछली पकड़ने वाले यंत्रीकृत पोतों के लिए होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दोनों परियोजनाओं पर अनुमानतः कितनी लागत आवेगी; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ). अप्रैल, 1988 में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत की गई संभाव्यता रिपोर्ट के अनुसार पारादीप स्थित मत्स्य बन्दरगाह को दो भागों में विकसित किया जाना है। लगभग 500 यंत्रीकृत मत्स्य जलयानों के प्रचालन के लिए इनमें से एक भाग को लगभग 2134 लाख रुपये की एक अनुमानित लागत पर महानदी के मुहाने पर विकसित किया जाना है। गहरे समुद्र में मत्स्यन करने वाले लगभग 50 जलयानों के प्रचालन के लिए इस मत्स्य बन्दरगाह के दूसरे भाग को 443 लाख रुपये की एक अनुमानित लागत पर पारादीप के व्यापारिक पत्तन के भीतर विकसित किया जाना है। दोनों भागों को मिलाकर इस परियोजना की अनुमानित लागत 2577 लाख रुपये है। माडल संबंधी अध्ययन करने और संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट को अभी तक 26 लाख रुपये की एक धनराशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

भारतीय बागवानी संस्थान द्वारा अधिक उपज वाली बीजों की किस्मों का विकास

8018. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हेसरघट्टा (बंगलौर) ने ऐसी नई किस्म के बीजों का विकास किया है जो रोग तथा कीटरोधी होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्थान ने कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना कीट-नियंत्रण विधियों का भी सफलतापूर्वक विकास किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी हां।

(ख) कीट तथा रोग प्रतिरोधी विकसित की गई किस्में ये हैं—तरबूज की-अर्क मानिक, एंथ्रेकनोज चूर्णी फफूंदी तथा मृदु रोमिल फफूंद की तिहरी प्रतिरोधी, खरबूज की चूर्णी फफूंद प्रतिरोधी अर्क राजहंस, कद्दू की फल वाली मक्खी की प्रतिरोधी अर्क सूर्यमुखी तथा प्याज की बैंगनी धब्बे की प्रतिरोधी अर्क कल्याण।

(ग) जी हां।

(घ) अब अंगूर के मिली बग का बिना कीटनाशियों के प्रयोग के ही जैविक नियन्त्रण किया जाता है। इसमें नियंत्रण के लिए आस्ट्रेलियन लेडी बर्ड बीटल का उपयोग किया जाता है जिसमें अंगूर की प्रत्येक बेल पर 10 प्रौढ़ों को छोड़ा जाता है।

अत्यधिक विषैले कीटनाशकों का आयात

8019. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अत्यधिक विषैले कीटनाशकों का आयात करने की अनुमति दी गई है, यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या कीटनाशक पंजीकरण समिति ने भारत में मेथीमिल तथा थ्रिमाजोफास के उत्पादन का मामला इस आधार पर पहले ही अस्वीकार कर दिया था कि ये अत्यधिक विषैले होने के बावजूद हेलियोथिस तथा ह्वाइट फ्लाई को नष्ट करने में कारगर साबित नहीं हुए हैं तथा फेनप्रोपेथ्रिन के निर्माण को अनुमति आंकड़े एकत्र करने मात्र के लिए दी गई थी न कि इसका उपयोग करने के लिए;

(ग) क्या समिति को कुछ नए वैज्ञानिक आंकड़े दिए गये थे, जिनके आधार पर उसने अपना पहला निर्णय बदल दिया है;

(घ) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र की कम्पनी हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड के माध्यम से आयात करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) केवल उन्हीं कीटनाशकों का आयात किये जाने की अनुमति है जिनकी उपयोग में प्रभावोत्पादकता और सुरक्षा की जांच कर लिये जाने के पश्चात जिन्हें पंजीकृत किया गया है। देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ बहुत ही अथवा अत्यधिक विषैले कीटनाशकों को भी आयात के लिए पंजीकृत किया जाता है और पंजीकरण समिति औचित्यपूर्ण रूप से सुरक्षित सूत्रीकरणों में और उचित किस्म को संभाल संबंधी सावधानियों के साथ इनके उपयोग की अनुमति देती है। हाल ही में, इन श्रेणियों से संबंध रखने वाली मिथोमील और ट्रियाजोफोस के आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ख) जी, नहीं। मिथोमील और ट्रियाजोफोस का आयात करने के लिए इनका पंजीकरण करने के लिए आवेदन पत्रों को इन कीटनाशियों को जैव प्रभावोत्पादकता के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया गया था। मैसर्स रेलीज इंडिया को फैनुप्रोपाथ्रिन टैकनीकल का आयात करने और आंकड़े सृजित करने और व्यापारीकरण करने के लिए इसको देश में ही तैयार करने की अनुमति दी गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को कीटनाशियों के आयात को अनुमति तभी दी जाती है जबकि उनके पास संबंधित कीटनाशियों के लिए कीटनाशी अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाण-पत्र हो।

भारत प्रवेश करने वाले नेपाली वाहनों पर कर लगाना

[हिन्दी]

8020. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार नेपाल सीमा और सहरसा (बिहार) में कोसी बराज से प्रवेश करने वाले भारतीय वाहनों से कर की वसूली कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार भी भारत प्रवेश करने वाले नेपाली वाहनों से कर वसूल करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग). सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं और सभी संबंधित मुद्दों की जांच कर रही है, जिनमें पारस्परिकता से सम्बद्ध मुद्दा भी शामिल है।

गैर-शिक्षक कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढ़ाना/पदनाम बदलना/वेतनमानों में वृद्धि करना

[अनुवाद]

8021. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने उनके मंत्रालय में गैर-शिक्षक कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढ़ाने, पदनाम बदलने और वेतनमानों में वृद्धि करने का अनुरोध किया है जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश की गई है और स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की कार्यकारी परिषद द्वारा स्वीकार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पदों और उनके संशोधित वेतनमानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और इसकी सूचना स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को भेज दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इन पदों तथा इनके वेतनमानों को कब तक मंजूर किया जाएगा और इसकी सूचना इस स्कूल को कब तक भेजी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख). जी, हां,। इस प्रस्ताव में विभिन्न पदों के पदनामों, वर्तमान वेतन मानों तथा प्रस्तावित नए वेतनमानों के ब्यौरे शामिल हैं।

(ग) और (घ). इस प्रस्ताव की जांच करने के बाद, स्कूल को भर्ती अर्हताओं, सेवाओं तथा उत्तरदायित्वों पर और ऐसे अन्य समान संस्थाओं में तुलनीय पदों के संशोधित वेतनमानों की सूचना

देते हुए संशोधन करने की, सलाह दी गई है। स्कूल से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर इसकी जांच की जाएगी।

साइप्रस के राष्ट्रपति के दौरे का परिणाम

8022. **श्री प्रकाश चन्द्र :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1989 में साइप्रस के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या उनके दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर भी किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) साइप्रस के राष्ट्रपति की हमारे नेताओं के साथ हुई बातचीत के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि द्विपक्षीय सहयोग को सघन करने की जरूरत है विशेषकर आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में। पारस्परिक हित के जिन अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत हुई वे थे साइप्रस का प्रश्न और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के समक्ष उपस्थित चुनौतियां।

(ग) और (घ) भारत और साइप्रस के बीच आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक सहयोग से संबंधित एक समझौते पर 13 अप्रैल, 1989 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना है।

मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर

8023. **श्री नारायण चौबे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान चलाई गई परियोजनाओं की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बन्द की गई परियोजनाओं की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजनाओं में गत तीन वर्षों के दौरान कितने अस्थायी कर्मचारियों को रोजगार दिया गया;

(घ) इसी अवधि के दौरान परियोजनावार कितने अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी की गई और कितनों को पुनः रोजगार दिया गया;

(ङ) इन कर्मचारियों को उनकी छंटनी किये जाने का परियोजनावार कितना मुआवजा दिया गया;

(च) क्या अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन दिया जा रहा है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (छ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

असम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

8024. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में शीघ्र ही एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या असम के छुवरी जिले में इस विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना का कोई प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि संरक्षण योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को सहायता

8025. **श्री मदाधर साहा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1985-86 से 1988-89 के दौरान वर्षवार भूमि सरक्षण योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : 1985-86 से 1988-89 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध तथा राज्य भूमि उपयोग बोर्डों को मजबूत बनाने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई :

वर्ष	लाख रुपये में
1985-86	177.82
1986-87	161.50
1987-88	176.85
1988-89	183.90
	(अनन्तिम)

दिल्ली के सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितताएं

8026. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों में अनियमितताएं होने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अनियमितताओं के बारे में कोई जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) इस संबंध में दिल्ली प्रशासन को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ?

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा दुग्धचूर्ण संयंत्रों की खरीद

8027. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** :

चौधरी खुर्शीद अहमद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा बड़े आकार वाले 8 दुग्ध चूर्ण संयंत्र खरीदे गये हैं जबकि मौजूदा संयंत्रों की क्षमता केवल 20 प्रतिशत माल का ही उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन संयंत्रों की खरीद पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) इन संयंत्रों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है अथवा करने का विचार किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग). राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने 30 मीटरी टन प्रत्येक की क्षमता वाले 8 दुग्ध पाउडर संयंत्र खरीदे हैं, जिनकी लागत लगभग 24 करोड़ रुपये है । ये संयंत्र अपने निर्माण की विभिन्न स्थितियों में हैं । जनवरी, 1989 को आपरेशन फ्लड के अधीन वर्तमान संयंत्रों की क्षमता के उपयोग का प्रतिशत 60 था ।

पाउडर संयंत्रों की आवश्यकता मुख्यत: भरपूर मौसम में दूध संरक्षण के लिए तथा कमी वाले मौसम में पुनर्मिश्रण द्वारा तरल दूध की मांग को पूरा करने के लिए होती है। पर्याप्त पाउडर संयंत्र क्षमता के सृजन का निर्धारण तरल दूध की दिन प्रति दिन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की भावी योजना की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है । उन्नत प्राद्योगिकी वाले बड़े आकार के पाउडर संयंत्रों की ज्यादा लागत प्रभावी मानी जाती है ।

मध्य प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

8028. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**

डा० बसा सामन्त :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को छठी योजनावधि वर्ष 1980-85 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई भारी सहायता धनराशि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और बैंक के पास अनप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान बैंकों के पास कितनी धनराशि पड़ी हुई थी और इसमें से वर्ष 1985-86 से अब तक कितनी धनराशि उनके द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को वापस की गई; और

(ग) क्या 1 अप्रैल 1988 को बची हुई शेष धनराशि में अधिकांशत: वह धनराशि थी जिसका छठी योजना अवधि के दौरान प्रयोग नहीं किया गया था ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में झींगा मछली पालन उद्योग की स्थापना

8029. **श्री राधाकांत डिगाल : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कटक जिले के पारादीप और पुरी जिले के कोटाकुड़ी में एक और झींगा मछली पालन उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) ये परियोजनायें केन्द्रीय सरकार को कब प्रस्तुत की गई थीं; और

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री इबाद लाल यादव) : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार ने अप्रैल, 1987 में पारादीप में झींगा मछली हैचरी और कोटाकुड़ी में झींगा मछली फार्म के विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। भारत सरकार ने विदेशी आर्थिक सहयोग निधि, जापान से ऋण सहायता लेने के लिए प्रस्ताव मंजूर किए हैं। इस मामले पर जापान सरकार विचार कर रही है।

जोतों की चकबन्दी

8030. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को जोतों की चकबन्दी करके भूमि को टुकड़े-टुकड़े होने से बचाने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने जोतों की चकबन्दी का काम शुरू कर दिया है; और

(ग) सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों का जोतों की चकबन्दी से संबंधित कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में जोतों की चकबन्दी कार्यक्रम के महत्व पर बल दिया गया है। तदनुसार अनेक राज्यों ने जोतों की चकबन्दी करने के लिए कानून बना लिए हैं लेकिन उन सभी ने समान तत्परता से इसके कार्यान्वयन पर जोर नहीं दिया है।

(ख) 15 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश (तेलगांना क्षेत्र), असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र) और दादरा व नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र) में जोतों की चकबन्दी करने के लिए कानूनी व्यवस्थायें हैं। आंध्र प्रदेश के आंध्र क्षेत्र, गोवा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और त्रिपुरा में ऐसे कार्य करने के लिए कोई कानून नहीं हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों की परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां चकबन्दी के लिए पर्याप्त गुंजाइश नहीं है। सिक्किम में भी 80 प्रतिशत भूमि जोतें इस प्रकार की हैं कि उनकी चकबन्दी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों ने पहले चकबन्दी का काम किया था लेकिन इन राज्यों में अब कोई योजना नहीं चल रही है। वे राज्य और संघ शासित क्षेत्र जहां इस समय जोतों की चकबन्दी का काम प्रगति पर है, ये हैं—बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)। इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्र में से बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र) में अनिवार्य चकबन्दी का प्रावधान है जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में, हालांकि अनिवार्य चकबन्दी के लिए प्रावधान किए गए हैं, व्यावहारिक रूप में योजना स्वैच्छिक आधार पर चलाई जाती है। मध्य प्रदेश में योजना स्वैच्छिक है।

(ग) उन राज्यों, जहां इस समय चकबन्दी कार्य प्रगति पर है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान जोतों की चकबन्दी के निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जोतों की चकबन्दी की प्रगति

क्षेत्र लाख हैक्टेयर में

राज्य का नाम	सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान चकबन्दी किया गया क्षेत्र				कुल
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	
1	2	3	4	5	5
बिहार	1.64	1.21	0.06	असूचित	2.91
गुजरात	0.96	0.83	0.39	0.30	2.48

1	2	3	4	5	6
हरियाणा	0.05	0.03	0.05	असूचित	0.13
हिमाचल प्रदेश	0.35	0.35	0.29	0.01	1.00
महाराष्ट्र	7.72	6.95	8.23	असूचित	22.90
उड़ीसा	0.66	0.87	0.58	0.04	2.15
पंजाब	0.07	0.06	0.06	असूचित	0.19
उत्तर प्रदेश	3.17	3.35	3.30	0.02	9.84
योग	14.62	13.65	12.96	0.37	41.60

दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम

8031. **श्रीमती डी०के० भण्डारी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अधिकांश केन्द्रीय विद्यालयों में 11वीं और 12वीं कक्षाओं में केवल विज्ञान विषय ही पढ़ाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषयों के अलावा वाणिज्य और मानविकी विषयों का अध्ययन भी शुरू कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ). दिल्ली में 18 केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनमें जमा 2 स्तर है, 10 स्कूलों में विज्ञान, मानविकी तथा वाणिज्य के सभी तीन विषय हैं तथा 6 स्कूलों में विज्ञान तथा मानविकी विषय हैं। केवल 2 स्कूलों में विज्ञान विषय है। +2 स्तर में विषय आरंभ करना पात्र बच्चों की संख्या तथा भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों को परेशान करना

8032. **श्री सनत कुमार मंडल** :

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मार्च, 1989 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों को सीमा शुल्क और आप्रवासी अधिकारियों द्वारा परेशान किया

जाता है जो उनसे पैसा ऐंठते हैं और कभी-कभी उनके पासपोर्ट और सामान को भी जब्त कर लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग). सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि लाहौर जाने वाले कुछ भारतीय यात्रियों को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा परेशान किया गया। इस मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया गया है।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० में लाभ/हानि

8033. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० को वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० का आधुनिकीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) ने वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान कर पूर्व क्रमश: 42.70 करोड़ रुपये और 15.62 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान फैक्ट ने 3.35 करोड़ रुपये का लाभ दर्शाया है।

(ख) और (ग). जी हां। अपेक्षित ब्यौरे पहले ही दिनांक 2 मार्च, 1989 को पूछे गये अता० प्रश्न सं० 1249 के उत्तर में दिए गए हैं।

उर्वरक का भण्डार

8034. **श्री मोहनभाई पटेल** :

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उर्वरक संयंत्रों में भारी मात्रा में उर्वरकों का भंडार एकत्रित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संयंत्र में कितनी मात्रा में उर्वरक एकत्रित हो गया है और उसका अनुमानित मूल्य क्या है;

(ग) इसके एकत्रित होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उर्वरकों के इस प्रकार एकत्रित भंडारों से उर्वरकों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो एकत्रित भंडार को वितरित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०प्रभु) : (क) 31.3.89 की स्थिति के अनुसार संयंत्रों के पास उर्वरक सामग्री का भंडार 4.85 लाख मी० टन था।

(ख) 31.3.89 की स्थिति के अनुसार संयंत्र-वार भण्डार तथा उनके मूल्य संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं।

(ग) संयंत्रों के लिए यह सामान्य बात है कि संयंत्रों में कुछ भण्डार रखें।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सामग्री को देश के विभिन्न भागों में गोदामों में सतत आधार पर प्रेषित किया जा रहा है जो आगामी महीनों/मौसम के लिए प्रत्याशित खपत/ई०सी०ए० आवंटनों पर निर्भर करता है।

विवरण

31.3 89 की स्थिति के अनुसार संयंत्रों में उत्पाद के स्वदेशी भण्डार तथा उनका लगभग मूल्य

कम्पनी का नाम	उत्पाद का नाम	मात्रा	लगभग मूल्य* (रु० लाखों में)
1	2	3	4
(I) **सार्वजनिक क्षेत्र** :			
फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया			
सिन्दरी आधुनिकीकरण	यूरिया	1436	33.75
	ए/एस	429	7.08
गोरखपुर	यूरिया	3143	73.86
रामागुण्डम	यूरिया	200	4.70
तलचर	यूरिया	10306	242.19
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०			
नांगल-I	सी०ए०एन०	3097	52.65
नांगल-II भटिंडा पानीपत विजयपुर	यूरिया	7372	173.25
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन			
नामरूप-I	ए/एस	289	4.77

1	2	3	4
नामरूप-II	यूरिया	14584	342.72
नामरूप-III	यूरिया	12300	289.05
दुर्गापुर	यूरिया	6465	150.52
बरौनी	यूरिया	4873	114.52
फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर लि०			
उद्योग मण्डल	ए/एस	980	1.62
	एस०एस०पी०	305	3.36
	ए/सी	10	0.17
कोचिन-I	यूरिया	17	0.40
कोचिन-II	20:20	122	2.93
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स			
ट्राम्बे	यूरिया	2395	56.28
	15:15:15	2410	50.61
	ए०एन०पी० (20.7:20.7)	1922	49.97
थाल	यूरिया	34528	811.41
मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड			
	यूरिया	3800	89.30
	17:17:17	666	17.32
	19:19:19	1885	55.61
स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लि०	सी०ए०एन०	4369	74.27
नवेली लिगनाइट कार्पोरेशन	यूरिया	15685	36.86
पाराद्वीप फास्फेट लि०			
	डी०ए०पी०	11640	419.04
उप-उत्पाद	ए/एस	700	11.55
हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड	एस०एस०पी०	4544	49.98

1	2	3	4
(II) सहकारी क्षेत्र			
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव			
कलोल	यूरिया	20147	473.45
काण्डला	10:26:26	5216	153.87
	12:32:16	3971	129.06
	डी०ए०पी	640	23.40
फूलपुर	यूरिया	14954	351.42
आंवला	यूरिया	6107	143-51
कृषक भारती कोआपरेटिव			
	यूरिया	4500	105.75
(III) निजी क्षेत्र			
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स क०			
	यूरिया	1290	30.32
	ए/एस	68')	11.22
	डी०ए०पी०	960	34.56
कोरोमंडल फर्टिलाइजर लि०			
	28:28	1948	70.13
	14:35:14	14	0.48
श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स			
	यूरिया	16836	395.65
इण्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड			
	यूरिया	6700	157.45
जुआरी एग्रो केमिकल्स	यूरिया	1704	40.04
	19:19:19	197	5.81
	28:28:0	—	—
	डी०ए०पी०	—	—
सदरन पेट्रो-केमिकल्स इण्डिया कोर्पोरेशन			
	यूरिया	18573	436.47
	डी०ए०पी०	1798	64.73

1	2	3	4
मंगलोर केमिकल्स एण्ड फर्टि०			
	यूरिया	3354	78.82
	डी०ए०पी०	1130	40.68
ईडी-पेरी (इण्डिया) लि०			
	16:20	401	9.22
हरी फर्टिलाइजर्स			
	ए/सी	—	—
गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स क०	यूरिया	3052	71.72
टूटीकोरिन अल्कली			
	ए/सी	525	8.93
हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड			
	डी०ए०पी०	—	—
उप-उत्पाद	ए/एस	255	4.21
पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर			
	ए/सी	114	1.94
जी०एस०एफ०सी० : सिक्का	डी०ए०पी	8403	302.51
जी०एफ०सी० : काकीनाड़ा	डी०ए०पी०	487	17.53
आई०जी०एफ०सी०सी० : जगदीशपुर	यूरिया	10220	240.17
एस०एस०पी० एकक	एस०एस०पी०	200500	2205.50
कुल योग :	सभी उत्पाद	485088	8828.29
		अर्थात 88.28 करोड़ रु०	

*कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा यथा घोषित उपभोक्ता मूल्यों को लेखे में लेकर मूल्य परिकलित किया गया है ।

"टर्न की" आधार पर चीनी मिल परियोजना के सप्लायर

8035. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री "टर्न की" आधार पर चीनी मिल परियोजना प्रारंभ करने के लिए पंजीकरण के बारे में 30 मार्च, 1989 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4145 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार 31 मार्च, 1989 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा "टर्न की" आधार पर चीनी मिल परियोजना के लिए तैयार की गई सप्लायरों की सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई सूची में शामिल करने हेतु सप्लायरों से प्राप्त आवेदन पत्र वर्ष 1985 से लम्बित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चीनी मिल संयंत्रों की सहकारी चीनी मिलों को पूर्ण सप्लाई करने के लिए सरकारी कम्पनियों की सूची में शामिल करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) पूर्ण चीनी संयत्र सप्लायर्स की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ). केन्द्र सरकार द्वारा स्थायी समिति का गठन 1986 में किया गया था। गठन के पश्चात् समिति ने "टर्न की" आधार पर पूरी चीनी संयंत्र सप्लाई करने हेतु सप्लायरों के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किये। वर्तमान सूची में सभी क्षेत्रों अर्थात् निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र, की संस्थाओं के सप्लायर पहले ही शामिल हैं। केवल 3 पार्टियों के आवेदनों पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। सप्लायरों के पंजीकरण के मामलों पर स्थायी समिति द्वारा इनके गुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

पूर्ण चीनी संयंत्रों के सप्लायर्स

1. मैसर्स आंध्रा फाऊंड्री एंड मशीन्स कं० लि०,
   मौला अली, हैदराबाद।
2. मैसर्स बकाऊ वुल्फ इण्डिया लिमिटेड,
   पिम्परी, पुणे-411018
3. मैसर्स बिन्नीज इंजीनियरिंग वर्क्स लि०,
   पोस्ट बाक्स नं० 111, मीनाम्बक्कम,
   मद्रास-600061
4. मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड,
   हिमालय हाऊस, कस्तुरबा गांधी मार्ग,
   नई दिल्ली-110001
5. मैसर्स इंडियन शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कार्पोरेशन,
   5 व 6 कम्यूनिटी सेंटर, पो० बा० सं० 7037,
   न्यू फ्रेंडस कालोनी, नई दिल्ली-110065
6. मैसर्स दि के०सी०पी० लिमिटेड,
   त्रिवोत्तियूर, मद्रास-600019

7. मैसर्स नेशनल हेवी इंजी० को०आ० लिमिटेड,
16-महात्मा गांधी मार्ग, पुणे-411001
8. मैसर्स प्रेम हेवी इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा० लि०,
रानी मिल्स, दिल्ली रोड, मेरठ (उ० प्र०)
9. मैसर्स रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि०,
बायकुला, सर जे० जे० रोड, बम्बई।
10. मैसर्स टैक्समाको लिमिटेड,
बेलघेरिया रोड, कलकत्ता-700054
11. मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लि०,
पो०ओ० टी०एस०एल० नैनी, इलाहाबाद (उ० प्र०)
12. मैसर्स वालचन्दनगर इंडस्ट्रीज लि०,
(मार्केटिंग डिविजन), 16-महात्मा गांधी रोड,
पुणे-410001
13. मैसर्स आनन्द टैक्स एंड वैसलस प्रा० लि०,
डी-8, एम०आई०डी०सी० स्ट्रीट नं० 16, मरोल,
अंधेरी (पूर्व), बम्बई-400003
14*. सुमक इन्टरनैशनल प्रा० लि०,
506-507, कुशल बाजार, 32-33 नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110019

* पंजीकरण अस्थायी है तथा इसे पक्का करने की कार्यवाही इनके द्वारा निर्मित पहले संयंत्र का कार्य देखने के पश्चात् ही की जाएगी।

उड़ीसा में संस्कृति का विकास

8036. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में संस्कृति के विकास यथा तंत्र पांडुलिपियों का प्रकाशन रघुराजपुर की पट्टचित्र कला के अनुरक्षण और विकास तथा ओडिसी नृत्य के प्रोत्साहन और प्रचार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने के लिये क्या कदम उठा रही हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) राज्य सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं के पास उपलब्ध पाण्डुलिपियों के परिरक्षण क्रय, सूचीयन, सूचीपत्र तैयार करने, उनके मूल्यांकन और प्रकाशन की एक योजना भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा संचालित की जा रही है। ताड़पत्र-पाण्डुलिपियों की एक परियोजना के लिए केन्द्रीय ललित कला अकादमी ने

उड़ीसा राज्य ललित कला अकादमी, भुवनेश्वर को सहायता के रूप में 20,000/- रु० के अनुदान दिए थे। संगीत नाटक अकादमी श्रव्य/दृश्य रिकार्डिगों, छायाचित्रों और स्लाइडों के माध्यम से प्रलेखन और प्रसार द्वारा ओडिसी संगीत और नृत्य संवर्धन और प्रचार कार्य कर रही है। संगीत नाटक अकादमी अध्येतावृत्ति/पुरस्कार प्राप्त करने वाले 14 सुविख्यात ओडिसी कलाकारों/गुरूओं का प्रलेखन इसका उदाहरण है। युवा ओडिसी संगीतकारों और नर्तकों को बढ़ावा देने के लिए अकादमी "युवा उत्सव" प्रायोजित करती है। यह ओडिसी नृत्य एवं संगीत के प्रशिक्षण के लिए स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों/संस्थाओं को दी जाती है, न कि राज्य सरकार को।

अधिक चावल उगाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गये जिले

8037. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक चावल उगाओ कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुडी और कूचबिहार जिलों को चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा उपरोक्त तीन जिलों की पृथक-पृथक रूप से कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कितना अंशदान किया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना-विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम 1985-86 से जालपायगुड़ी जिले के दो चुनिन्दा प्रखंडों और कूचबिहार जिले के चार प्रखण्डों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) से (घ). वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत चावल विकास कार्यक्रमों के लिये पश्चिम बंगाल के वास्ते केन्द्रीय हिस्से का आबंटन 624 लाख रुपये है। जालपायगुड़ी और कूचबिहार जिलों के लिए केन्द्रीय हिस्से की धनराशि क्रमशः 6 लाख रुपये तथा 12 लाख रुपये है। राज्य से अपने 25 प्रतिशत हिस्से के कुल 208 लाख रुपये का योगदान देने की अपेक्षा की जाती है।

दार्जिलिंग को इस योजना में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि यह पश्चिम बंगाल का एक मुख्य चावल उत्पादक जिला नहीं है।

रोगवाहक कीटों में कीटनाशक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक शक्ति

8038. **श्री पी०आर० कुमार मंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोगवाहक कीटों में कीटनाशी दवाओं के प्रति प्रतिरोधक शक्ति एक गम्भीर समस्या बन गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है;

(घ) क्या कीटनाशी दवा प्रयोक्ता विभागों जैसे उद्योग, स्वास्थ्य जैव प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के बीच कोई तालमेल है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित की गई संयुक्त बैठकों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस मामले में इन विभागों द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग). मच्छरों की कुछ प्रजातियों में डी०डी०टी० और बी०एच०सी० जैसी कुछ कीटनाशी दवाओं के प्रति प्रतिरोधक शक्ति विकसित हो गई है।

किए गए उपचारात्मक उपाय निम्नलिखित हैं :—

मैलाथियोन जैसी वैकल्पिक कीटनाशी दवाओं द्वारा प्रतिस्थापन चरणों में स्रोत पर कमी करने की विधियां।

(घ) से (च). जब भी आवश्यक समझा जाता है, कीटनाशी दवाओं से संबंधित मामलों पर कीटनाशी दवाओं का उपयोग करने वाले विभागों द्वारा अन्तर-विभागीय परामर्श/बैठकें आयोजित की जाती हैं।

शिक्षा प्रणाली

8039. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों की शारीरिक रूप से तैयारी और मानसिक परिपक्वता के स्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या नर्सरी के अनेक विद्यार्थियों के मामले में प्रवेश से पहले न तो उनके हाथ और आंखों का समन्वय ठीक होता है और न ही उनमें वस्तु विशेष को समझने की क्षमता पूरी तरह विकसित होती है;

(ग) क्या हमारे स्कूलों में पश्चिम देशों की ड्रेस पहनने पर जोर देने से भारतीय ड्रेस और संस्कृति के प्रति हीन भावना भी पैदा करता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) वर्तमान प्रणाली विद्यार्थियों की शारीरिक तत्परता तथा परिपक्वता के स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। स्कूल पूर्व तथा स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यचर्या उनके विकास के विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों की शारीरिक तत्परता तथा परिपक्वता के स्तरों को ध्यान में रखकर विकसित की जाती हैं।

(ख) सामान्यतः 3 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे नर्सरी कक्षाओं में दाखिल किए जाते हैं। 3+ की आयु तक, बच्चे हाथ और आंखों का समन्वय अच्छी मात्रा में विकसित कर लेते हैं। नर्सरी स्कूली शिक्षा अवधि के दौरान सामान्यतः विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों तथा खेलने की तकनीकों, भाषा खेलो, अंक खेलों तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के प्रति निर्देशित

कार्यकलापों आदि के माध्यम से इस समन्वय को और अधिक विकसित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इन कार्यकलापों से बच्चों के लिए आनन्दपूर्ण अनुभव सीखने के रूप में उपयोग किये जाने की आशा की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"जल रक्षा, जीवन रक्षा" विषय पर राष्ट्रीय मछुआरा मंच द्वारा आयोजित संगोष्ठी

8040. **श्री पी० एम० सईद :**

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मछुआरा मंच के दिल्ली स्थित पोषण दल ने दिल्ली में मार्च, 1989 के अंतिम सप्ताह के दौरान "जल रक्षा, जीवन रक्षा" विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी में जिन प्रमुख मुद्दों, विशेष रूप से देश के मछुआरों के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की गई, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संगोष्ठी के पश्चात कोई अभ्यावेदन अथवा ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जालंधर-मंडी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल करना

8041. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जालंधर-होशियारपुर-अम्बल-हमीरपुर-रिवालसर-मंडी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल करने के बारे में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार के विचार अब तक प्राप्त हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) विभिन्न क्षेत्रों से मांग प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार की राय मांगी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीज उद्योग

8042. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीज उद्योग को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाने का विचार है ताकि इसे अनुसंधान और विकास पर व्यय के मामले में प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य उद्योगों के समान प्राथमिकता मिल सके;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए बीज उद्योग को अन्य क्या लाभ देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख). उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची-I में बीज उद्योग शामिल नहीं है। लेकिन, पौधे के टिशु-कल्चर के जरिए विकसित प्रमाणित अधिक उपज देने वाले संकर बीजों तथा संकर पौधों के उत्पादन को उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है और उसे 1986 से अल्पसंख्यक और प्रतिबंधित व्यापारिक प्रथायें/फेरा (एफ०ई०आर०ए०) वाली कम्पनियों की सहभागिता के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधित अधिनियम, 1973 के परिशिष्ट-I में शामिल किया गया है।

(ग) बीज विकास की नई नीति के अन्तर्गत बीज उद्योग की निर्यात आय के लिए निम्नलिखित लाभ दिए गए हैं—

(i) (क) 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 180 दिन के लिए शिपमेंट से पहले का ऋण दिया जाता है।

(ख) 180 दिन के बाद लेकिन कुल मिलाकर 270 दिन तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से ब्याज दर 11.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

(ग) शिपमेंट के बाद का ऋण भी 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर अनुमत है।

(ii) बीजों के निर्यात पर 10 प्रतिशत की दर से नकद प्रतिपूर्ति सहायता अनुमत है।

इसके अलावा, आय कर देने वाले बीज उद्योग, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एच०एच०सी० के अन्तर्गत प्रदत्त लाभ ले सकते हैं, जिनमें निर्यात आय पर आय कर के भुगतान से शत प्रतिशत छूट है।

आन्ध्र प्रदेश में कीटनाशकों में मिलावट की समस्या से निपटना

8043. **श्री टी० बाल गौड़** :

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशक निर्माता तथा व्यापारी घटिया किस्म के कीटनाशकों का उत्पादन कर रहे हैं तथा इन्हें आन्ध्र प्रदेश के बाजारों में अत्यधिक मात्रा में बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कीटनाशकों में मिलावट की समस्या से निपटने के लिए नियन्त्रित आदेश जारी करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध के अनुसार नियंत्रण आदेश कब तक जारी कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) आंध्र प्रदेश की सरकार ने अनिवार्य जिंस अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत "कीटनाशी दवा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 1988" नामक आदेश को जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति मांगी थी।

(ग) और (घ). चूंकि आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रस्तावित विशेष आदेश द्वारा विनियमित होने के लिए सोचे गए मामले पर्याप्त रूप से कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत आते हैं, इसलिए, राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि उक्त आदेश को जारी करने से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती।

तिलहनों का लाभप्रद मूल्य

8044. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री जी०एस० बासवराजू :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने तिलहन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने में सहायता करने के लिए अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाया है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को मदद देने के लिए "मार्केट इन्टरवोशन फण्ड" गठित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्य क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख). जी हां। सरकार द्वारा घोषित समाकलित नीति के अनुसरण में राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल को खाद्य तेलों के थोक मूल्यों को सही स्तर पर बरकरार रखने के लिए मार्किट में हस्तक्षेप करने वाली एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया था जिससे कि किसानों को प्रोत्साहन मिले और यह उपभोक्ताओं के लिए अभी तक उपयुक्त है। तदनुसार राष्ट्रीय डेरी विकास मंडल तथा राष्ट्रीय डेरी विकास मंडल से धन प्राप्त करने वाले सात राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघों ने करीब 300 करोड़ रुपये मूल्य का तिलहन तथा खाद्य तेल खरीदा है जिसे उचित कीमतों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए बे मौसम में मार्किट में सप्लाई किया जाएगा।

2. यह निर्णय लिया गया है कि खाद्य तेलों तथा तिलहनों में बाजार में हस्तक्षेप करने से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास मंडल द्वारा 30 करोड़ रुपये की बाजार हस्तक्षेप निधि तैयार की जाए।

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास मंडल के बाजार हस्तक्षेप कार्य के लिए सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

कपास का उत्पादन

8045. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री शांतिलाल पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू कपास मौसम के दौरान मार्च, 1989 तक कपास के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : वर्ष 1988-89 के लिए कपास के उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्यों से अभी प्राप्त किए जाने हैं। तथापि, वर्तमान अनुमान के अनुसार चालू वर्ष के दौरान देश में कपास का कुल उत्पादन 80 लाख गांठों के आस-पास होने की सम्भावना है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में गैर-शिक्षक संवर्गों में पद रिक्तियां

8046. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न गैर-शिक्षक संवर्गों में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) को संस्वीकृत किए गए 219 पदों में से (ग्रुप "घ" पदों को छोड़कर) 43 पद रिक्त पड़े हुए हैं।

(ख) और (ग). इन पदों को नियमानुसार भरने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक एजेन्सियों का कार्य-निष्पादन

8047. **श्री टी० बशीर** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक एजेन्सियों के कार्य के बारे में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी हां।

(ख) 1987-88 के दौरान सरकार ने उन स्वैच्छिक एजेन्सियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए संयुक्त मूल्यांकन दल गठित किये थे जिन्हें 1986-87 के दौरान अनुदान संस्वीकृत किये गये थे।

संयुक्त मूल्यांकन दल ने 347 स्वैच्छिक एजेन्सियों के कार्य का मूल्यांकन किया है।

दल द्वारा दी गई रिपोर्टों के आधार पर स्वैच्छिक एजेन्सियों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है—

क—	27
ख—	118
ग—	126
घ—	76
कुल	347

"क" श्रेणी उन एजेंसियों को दी गई थी, जिनका कार्य निष्पादन पूर्ण रूप से संतोषजनक पाया गया था।

जिन एजेंसियों के कार्यों में कुछ सुधार की आवश्यकता है उन्हें "ख" श्रेणी में रखा गया था।

"ग" श्रेणी की एजेंसियां वे एजेंसियां हैं जिनका कार्य असंतोषजनक है परंतु उनकी प्रमाणिकता के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

जिज एजेंसियों का कार्य बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था/या जिनकी प्रमाणिकता पर भी संदेह है, उन्हें "घ" श्रेणी में रखा गया था।

संयुक्त मूल्यांकन दलों की रिपोर्टों की समीक्षा व संयुक्त मूल्यांकन दलों के कुछ सदस्यों से विचार-विमर्श करने के पश्चात् "ग" श्रेणी की एजेंसियों का और आगे श्रेणीबद्ध करने की आवश्यकता समझी गई। तदनुसार निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार 126 "ग" श्रेणी की एजेंसियों को सी-1 और सी-2 श्रेणियों में पुनः श्रेणीबद्ध किया गया—

(I) प्रथम दल में वे स्वैच्छिक एजेंसियां शामिल होंगी जो कमियां होते हुए भी कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित कर रही हैं। उनके मामलों में, कार्यान्वयन के लिए उनकी क्षमता अनुसार केन्द्रों की संख्या पुनः निर्धारित करके सहायता दी जाती रहेगी। दूसरी किस्त मामले के गुणों के आधार पर दी जायेगी। इस श्रेणी में 56 एजेंसियां शामिल की गई थीं। इन एजेंसियों को बाद में आयोजित किए जाने वाली श्रेणी सुधारक कार्यशालाओं में बुलाया जाना था।

(II) एजेंसियों के दूसरे दल के संबंध में जो कार्यक्रम को जारी रखने के लिए पर्याप्तरूप से सक्षम नहीं हैं तथा जो अपने में परिवर्तन नहीं ला सकतीं, उन्हें अतिरिक्त कार्यक्रमों के लिए आगे अनुदान नहीं दिया जा सकता। पहले से चल रहे केन्द्रों को दूसरी किस्त उनके द्वारा वास्तव में चलाए जा रहे केन्द्रों की संख्या के संबंध में मूल्यांकन दलों द्वारा किए गए अवलोकन की ध्यानपूर्वक छानबीन करने के बाद गुणों के आधार पर दी जा सकती है। सहायता केवल इस सीमा तक दी जा सकती है। जिन एजेंसियों को दूसरी किस्त देने के लिए उपयुक्त या योग्य नहीं समझा जाता उन्हें अपने लेखों का अन्तिम

रूप से निपटारा करने के लिए सूचित किया जाता था। 70 एजेंसियों को "ग"-2 एजेंसियों की श्रेणी में रखा गया था।

76 "घ" श्रेणी की एजेंसियों में से, संयुक्त मूल्यांकन दलों को विशेष रूप से 27 स्वैच्छिक एजेंसियों की प्रमाणिकता के विषय में संदेह है। अनुदान लौटाने के लिए पत्र पहले ही जारी कर दिए गए हैं तथा उनके विरुद्ध अनुदान के दुरुपयोग हेतु कानूनी कार्रवाई की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो के परामर्श से की जा रही है।

संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट कृतियों के लिए पुरस्कार

8048. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत में मौलिक साहित्य का सृजन निरंतर होते रहने के कारण साहित्य अकादमी द्वारा संस्कृत को एक आधुनिक भारतीय साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है;

(ख) क्या अकादमी द्वारा वार्षिक पुरस्कार योजना आरम्भ किए जाने के समय से संस्कृत की उत्कृष्ट कृतियों के लिये प्रति वर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह योजना आरम्भ किये जाने के समय से अब तक कितने पुरस्कार दिए गए हैं और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और उनकी कृतियों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) जी हां। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में परिगणित अन्य भाषाओं सहित अकादमी द्वारा अपनी स्थापना के समय से संस्कृत एक स्वतन्त्र साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त भाषा है।

(ख) जी, हां।

(ग) अकादमी ने अब तक संस्कृत की 21 पुस्तकों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। विवरण संलग्न है। तथापि, अकादमी द्वारा वर्ष 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1965, 1969, 1971, 1972, 1975, 1976 और 1978 में उत्कृष्ट संस्कृत साहित्य के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिए गए हैं।

विवरण

साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त संस्कृत पुस्तकों की सूची

1956.	हिन्दू आफ धर्म शास्त्र, भाग-IV (शोध)	महामहोपाध्याय पी०वी० काणे
1961.	वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति (हिन्दी में अध्ययन)(शोध)	गिरधर शर्मा चतुर्वेदी
1963.	ए हिस्ट्री आफ द्वैत स्कूल आफ वेदांत एंड इट्स लिटरेचर (शोध)	बी०एन० कृष्णमूर्ति शर्मा
1964.	तांत्रिक वाङ्मय में शाक्तदृष्टि (हिन्दी में निबंध)(शोध)	महामहोपाध्याय गोपीनाथ

1966. भोजा स ऋंगार प्रकाश (सौंदर्य शास्त्र)	वी० राघवन
1967. चित्रकाव्य कौतुकम (कविता-संग्रह)	*रामरूप पाठक*
1968. श्री गुरुगोविन्दसिंह चरितम् (कविता संग्रह)	सत्यव्रत शास्त्री
1970. शब्दतरंगिणी (मौखिक ज्ञान पर शोध प्रबंध)	वी० सुब्रह्मण्य शास्त्री
1973. श्रीतिलकयशोर्णव: (महाकाव्य)	एम०एस० अनेय
1974. श्रीशिवराज्योद्यम (महाकाव्यात्मक कविता)	एस०बी० बारनेकर
1977. बुद्धविजयाकाव्यम (कविता-संग्रह)	शान्तिभिक्षु शास्त्री
1979. केरलोदय: (महाकाव्य)	के०एन० इज्जुथचन
1980. क्रिस्तुभागवतम (महाकाव्य)	पी०सी० देवासिया
1981. कपिशायनी (कविता संग्रह)	जगन्नाथ पाठक
1982. विश्वभानु (महाकाव्य)	पी०के० नारायण पिल्ले
1983. श्री शंभुलिंगेश्वर विजय चम्पू (जीवनी)	पंथारीनाथाचार्य गलगली
1984. सिन्धु-कन्या (ऐतिहासिक उपन्यास)	श्रीनाथ एस० हसुरकर
1985. विंध्यवासिनी विजय महाकाव्यम् (महाकाव्य)	वसंत त्रिबंक शेवडे
1986. श्रीराधाचरित महाकाव्यम् (महाकाव्य)	कालिका प्रसाद शुक्ल
1987. अविनाशी (उपन्यास)	विश्वनारायण शास्त्री
1988. इक्षुगन्धा (लघु कहानियां)	राजेन्द्र मिश्र

(सन् 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1965, 1969, 1971, 1972, 1975, 1976 और 1978 में कोई पुरस्कार नहीं दिए गए)

अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष

8049. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो स्कूलों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक आदि तीनों स्तरों पर विशेष अध्यापकों की संख्या, भवनों, खेल तथा अन्य विविध गतिविधियों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि से संबंधित मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक श्रेणी के बिना अध्यापकों, भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और पेय जल की सुविधा वाले स्कूलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सातवीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान अध्यापक, भवन तथा अन्य सुविधाओं संबंधी अभावों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) पांचवे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण चुनिंदों सांख्यिकी नामक 5वें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण की प्रारम्भिक रिपोर्ट रा०शै०अ०प्र०परि० द्वारा निकाली गई है। अन्तिम वृहद रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ख) सर्वेक्षण के अनुसार, जिसकी संदर्भ तारीख 30 सितम्बर, 1986 थी की स्थिति नीचे दी गई है :—

शिक्षक स्तर	अध्यापकों की संख्या
प्राइमरी	2,541,194
माध्यमिक	7,25,935
सीनियर माध्यमिक	4,25,622

6,68,079 प्राइमरी स्कूलों में से 84,057 स्कूलों के पास कच्चे भवन थे, 1,11,085 स्कूलों के पास आंशिक रूप से कच्चे भवन और 3,95,742 में पक्के भवन थे। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों से संबंधित सूचना मुख्य रिपोर्ट का भाग होगी।

क्रीड़ा के मैदान	स्कूलों की संख्या	क्रीड़ा के मैदानों की संख्या
प्राथमिक	6,68,079	4,11,463
माध्यमिक	52,208	45,021
सीनियर माध्यमिक	15,498	13,940

खेल, पाठ्येत्तर क्रिया कलापों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि से संबंधित सूचना भी वृहद रिपोर्ट का भाग बनी रहेगी।

(ग) 30.9 1986 को सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे 77,195 प्राइमरी स्कूल थे जो घासफूस की झोपिड़ियों में तम्बुओं अथवा खुले स्थानों में चल रहे थे। अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के संबंध में बिना अध्यापक/भवन आदि वाले स्कूलों के संबंध में सूचना एकत्र नहीं की गयी थी।

(घ) केन्द्रीय प्रायोजित आपरेशन ब्लैक-बोर्ड की योजना के अन्तर्गत देश में प्राइमरी स्कूलों को न्यूनतम अनिवार्य भौतिक तथा शैक्षिक सुविधाएं प्रदान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना में (i) सभी मौसमो की परिस्थितियों में प्रयास किये जाने के योग्य पर्याप्तरूप से अपेक्षाकृत बड़े दो कमरों (ii) पाठ्यचर्या को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित आवश्यक खिलौने, खेल कूद सामग्रियों, श्यामपट्टों, नक्शों, चार्टों और शिक्षण सामग्रियों, तथा (iii) ऐसे एकल शिक्षक वाले स्कूलों में एक अरिरिक्त अध्यापक जो अधिमानतः एक महिला शिक्षक होगी, की व्यवस्था करके प्राइमरी स्कूलों में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सहायता सहित एक चरणबद्ध अभियान चलाने की परिकल्पना की गयी है।

प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा

8050. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक शिक्षा के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि रिलीज की गई तथा वस्तुत: कितनी धन-राशि अब तक खर्च की गई;

(ग) आवंटित की गई धन-राशि तथा वास्तविक व्यय में कमी के क्या कारण हैं तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) सरकार का (एक) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लिखित एवं इससे पूर्व 1986 में कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत व्यय करने, (दो) वर्ष 1995 तक सबको साक्षर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने, (तीन) 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति को सुनिश्चित करने तथा तीनों स्तरों अर्थात् प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में से प्रत्येक स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (ग). सातवीं योजना में प्रारम्भिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1963.70 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। इस योजना अवधि के दौरान किया गया वास्तविक खर्च और किए गए वार्षिक आवंटन निम्नलिखित रहे हैं :—

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	खर्च (करोड़ रुपयों में)
1985-86	274·77	267·15 (वास्तविक)
1986-87	360·98	377·66 (वास्तविक)
1987-88	626·33	632·21 (वास्तविक)
1988-89	753·36	736·56 (पूर्वानुमानित)
1989-90	1037·21*	

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह निर्धारित किया गया है कि जहां वास्तविक अपेक्षाओं की गणना समय-समय पर अनुश्रवण और समीक्षा के आधार पर की जायेगी, वहां पर सातवीं योजना में नीति के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा के परिव्यय को यथासम्भव अनिवार्य सीमा तक बढ़ाया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से आगे इसमें राष्ट्रीय आय का समान रूप से 6 प्रतिशत की वृद्धि हो। आठवीं योजना के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

*कुछ राज्यों के लिए अस्थाई परिव्यय को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का उद्देश्य 1995 तक सार्वभौमिक साक्षरता का लक्ष्य नहीं है, अपितु उस तारीख तक प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना है। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आरंभ करने के बाद, विद्यमान शैक्षिक स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करने के बाद एक कार्रवाई योजना तैयार की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत अपनाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड, संशोधित तथा वृहद गैर-औपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम, विज्ञान-शिक्षण का सुधार, व्यावसायिकीकरण, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों, शिक्षक शिक्षा के कालेजों और शिक्षा में उन्नत अध्ययन के संस्थानों की स्थापना आदि सहित शिक्षक शिक्षा जैसी अनेक योजनाएं चलाई गई हैं।

शारीरिक रूप से विकलांग अध्यापकों के संबंध में स्थानान्तरण नीति

8051. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक रूप से विकलांग अध्यापकों के मामलों में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थानान्तरण नीति में विशेष उदारता बरते जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर संगठन की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (ग). अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का अनुकम्पा चिकित्सा आधार पर स्थानान्तरण की श्रेणी के अंतर्गत उनके स्थानान्तरण के लिए विशेष प्रावधान करने का सुझाव दिया है। सुझाव पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रबन्ध द्वारा विचार किया जाएगा।

दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण

8052. **प्रो० पराग चालिहा** :

श्री गंगा राम :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के लिये दिल्ली क्षेत्र के विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थीं;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के कितने छात्रों को वास्तव में प्रवेश दिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षित शेष सीटों को वर्ष 1989-90 में भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) प्रथम श्रेणी में 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति के छात्रों तथा 7½ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) दिल्ली क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय में 963 छात्र अनु०जा०/अनु०ज०जा० समुदाय के दाखिल किये गये थे।

(ग) सहायक-आयुक्त, दिल्ली क्षेत्र ने 1989-90 के लिए आरक्षित स्थानों की सुविधाओं के लिए प्रमुख-समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया है।

नेहरू युवा केन्द्रों के विस्तार के लिए बजट प्रावधान

[हिन्दी]

8053. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूर-दराज के क्षेत्रों, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में नेहरू युवा केन्द्रों के क्रियाकलापों के विस्तार के लिए वर्ष 1989-90 के बजट प्रावधान में वृद्धि का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख). नेहरू युवा केन्द्रों का प्रबन्ध और प्रशासन नेहरू युवा केन्द्र संगठन नामक स्वायत्त संगठन द्वारा किया जाता है जो कि पूर्णतया सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के लिए 1989-90 के बजट प्राक्कलन में योजनागत 450 लाख रुपये का प्रावधान और योजनेत्तर 218.36 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। यह आशा की जाती है कि सभी जिले चाहे वे दूर-दराज, कठिन पहाड़ी क्षेत्रों या रेगिस्तानी क्षेत्रों में हों उनमें 1989-90 के अन्त तक केन्द्र खोले जायेंगे। संगठन के कार्यकलापों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए 1989-90 के दौरान संगठन के कार्यक्रमों के लिए यदि आवश्यक हुआ तो अधिक संसाधन आवंटित करने के प्रयास किए जायेंगे।

गांवों में पेयजल की सप्लाई हेतु राजस्थान को सहायता

[अनुवाद]

8054. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सभी गांवों को पेयजल की सप्लाई हेतु बेहतर व्यवस्था करने के लिए पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकार ने वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया है;

(ग) इसके फलस्वरूप रेगिस्तानी जिलों में पेयजल सप्लाई में जो सदैव सूखाग्रस्त रहते हैं कितना सुधार हुआ है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस सहायता में वृद्धि करने का है ताकि इन रेगिस्तानी जिलों विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर की भरपूर सहायता की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गत चार वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम

और राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अधीन विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	मिनीमिशन	उप मिशन	योग
1985-86	27.32	—	—	27.32
1986-87	27.00	2.06	—	29.06
1987-88	26.64	0.20	—	26.84
1988-89	46.23	3.00	3.46	52.69
योग (चार वर्ष) (1985-88)	127.19	5.26	3.46	135.91

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार चार वर्षों के दौरान 1.4.85 से लेकर मार्च 89 तक 135.68 करोड़ रुपये की राशि वास्तव में उपयोग की गई थी।

(ग) उपरोक्त केन्द्रीय सहायता और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च की गई 82.73 करोड़ की राशि के परिणामस्वरूप 1985-89 के दौरान पूरे राज्य में 6020 समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं और 1290 समस्याग्रस्त गांव 1989-90 में कवर किए जाने के लिए बकाया रह गए थे।

(घ) और (ङ). 1989-90 में राजस्थान को त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 25.22 करोड़ रुपये, मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्रों के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 11.44 करोड़ रुपये, योजनाओं की प्रगति के आधार पर बाड़मेर, चुरू तथा नागौर के मिनी-मिशन परियोजना क्षेत्रों के लिए 14.05 करोड़ रुपये, फलोराइड दूर करने के संयंत्रों की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपये, और गिनीकृमि को दूर करने के लिए स्टेप कुंओं को स्वच्छ कुंओं में बदलने के लिए 2.46 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है।

राजस्थान में खानों का विकास

8055. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में चालू खानों का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन खानों के विकास के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की हैं; और

(ग) अपने खनिजों का निर्यात करने वाली खानों का ब्यौरा क्या है और यह निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वर्ष 1988 के दौरान 890 खानों से खनिजों (ईंधन, परमाणु तथा गौण खनिजों को छोड़कर) के उत्पादन की सूचना थी। जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो ने खनिज संरक्षण तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए अजमेर में एक जोनल कार्यालय तथा अजमेर व उदयपुर में दो क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं। ब्यूरो द्वारा वर्तमान तथा नए पट्टों के लिये खनन योजनाएं मंजूर की जाती हैं, ताकि राज्य में खनिज पट्टा क्षेत्रों का क्रमबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सके। ब्यूरो खानों का निरीक्षण भी करता है, जिसके आधार पर खान मालिकों को गवेषण, विकास तथा पर्यावरण पहलुओं पर सुझाव दिए जाते हैं। विभिन्न खनिजों, यथा एस्बेस्टस, बैराइट फेल्सपार, गार्नेट, चूना पत्थर, क्वार्टिज, अभ्रक, रॉक-फास्फेट, सोप-स्टोन, टंगस्टन, वर्मिक्यूलाइट, बोलेस्टोनाइट आदि पर लगभग 50 तकनीकी परामर्शी अध्ययन किए गए। इसके अतिरिक्त, राजस्थान के अलवर, डूंगरपुर तथा उदयपुर जिलों में बैराइट और सोपस्टोन की करीब 15 खानों में छोटे पट्टा क्षेत्रों का भूभौतिकी मानचित्रण कार्यक्रम भी शुरू किया गया। ब्यूरो के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के अन्य संगठन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज गवेषण निगम लि०, हिन्दुस्तान कापर लि०, हिंदुस्तान जिंक लि० आदि भी राजस्थान में गवेषण तथा खनन कार्यों में लगे हुए हैं।

(ग) निर्यातित खनिजों के खान-वार तथा राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राजस्थान के उदयपुर जिले की खान से वर्ष 1987 में 8802 टन बोलेस्टोनाइट का तथा श्रीगंगा नगर जिले की खान से वर्ष 1988 में 7000 टन जिप्सम का नेपाल को निर्यात किया गया। राजस्थान में उत्पादित अधिकांश अभ्रक का भी निर्यात किया जाता है।

विवरण

राजस्थान में, 1988 में उत्पादनरत खानें

खनिज	जिला	खानों की संख्या
1	2	3
धात्विक खनिज		
तांबा	**कुल**	**4**
	अलवर	1
	झुन्झुनु	3
	उदयपुर	(ए)
लौह अयस्क	**कुल**	**15**
	जयपुर	9
	झुन्झुनु	3
	सीकर	3
सीसा (सान्द्र)	**कुल**	**4**
	उदयपुर	4
जस्ता (सान्द्र)	**कुल**	(सी)
	उदयपुर	

1	2	3
टंगस्टन (सान्द्र)	**कुल**	**1**
	नागौर	1
चान्दी	**कुल**	(बी)
	उदयपुर	
गैर-धात्विक खनिज		
एस्बेटस	**कुल**	**61**
	अजमेर	15
	भीलवाड़ा	1
	डुंगरपुर	1
	पाली	5
	उदयपुर	39
फास्फोराइट	**कुल**	**7**
	बांसवाड़ा	1
	उदयपुर	6
बाल क्ले	**कुल**	**55**
	बीकानेर	53
	जैसलमेर	1
	पाली	1
बेराइट्स	**कुल**	**13**
	अलवर	7
	सीकर	2
	उदयपुर	4
कैल्साइट	**कुल**	**15**
	अजमेर	1
	जयपुर	3
	झून्झूनु	2
	पाली	1
	सीकर	4
	सिरोही	2
	उदयपुर	2
कोरंडम	**कुल**	**1**
	टोंक	1

1	2	3
डोलोमाइट	कुल	12
	जयपुर	2
	जैसलमेर	2
	झून्झूनु	2
	सीकर	6
इमराल्ड	कुल	—
	अजमेर	—
फेल्सपार	कुल	88
	अजमेर	56
	अलवर	1
	भीलवाड़ा	13
	जयपुर	4
	पाली	4
	सीकर	2
	टोंक	5
	उदयपुर	3
	अलवर	2
	बीकानेर	23
	झून्झूनु	3
	सवाई-माधोपुर	1
फलोराइट (ग्रेडिड)	कुल	9
	डुंगरपुर	4
	जलोर	5
गार्नेट (अपघर्षी)	कुल	8
	अजमेर	2
	भीलवाड़ा	2
	सीकर	2
	टोंक	2
गार्नेट (रत्न)	कुल	(डी)
	भीलवाड़ा	
	टोंक	
जिप्सम	कुल	33
	बाड़मेर	5
	बीकानेर	6

1	2	3
	जैसलमेर	2
	जालौर	1
	नागौर	7
	पाली	6
	श्री गंगानगर	11
जेस्पर	कुल	20
	जोधपुर	20
काओलिन	कुल	42
	चित्तौड़गढ़	12
	बीकानेर	1
	चित्तौड़गढ़	18
	जयपुर	11
	सवाई-माधोपुर	3
	उदयपुर	2
जिप्सम	कुल	1
	उदयपुर	1
सिल्लिमेनाइट	कुल	1
	उदयपुर	1
चूना पत्थर	कुल	38
	अजमेर	1
	बांसवाड़ा	3
	बूंदी	3
	चित्तौड़गढ़	5
	चुरू	1
	जयपुर	3
	जैसलमेर	1
	झुन्झुनू	1
	जोधपुर	2
	कोटा	2
	नागौर	4
	पाली	2
	सवाई माधोपुर	3
	सीकर	3
	सिरोही	2
	उदयपुर	2

1	2	3
मैग्नेसाइट	कुल	8
	अजमेर	7
	पाली	1
अभ्रक (क्रूड)	कुल	32
	भीलवाड़ा	28
	अजमेर	3
	जयपुर	1
अभ्रक (छीजन तथा कतरन)	कुल	(इ)
	भीलवाड़ा	
	अजमेर	
	जयपुर	
चूना पत्थर	कुल	11
	अलवर	2
	चित्तौड़गढ़	8
	उदयपुर	1
पाइरोफिलाइट	कुल	8
	उदयपुर	8
क्वार्टज	कुल	108
	अजमेर	66
	अलवर	1
	भरतपुर	1
	भीलवाड़ा	5
	जयपुर	5
	झूंझूनु	1
	पाली	10
	सीकर	12
	टोंक	6
	उदयपुर	1
क्वार्टजाइट	कुल	1
	सवाई-माधोपुर	1
सिलिका सैंड	कुल	61
	अलवर	2
	बूंदी	1
	बाड़मेर	2
	भीलवाड़ा	1

1	2	3
	भरतपुर	11
	बीकानेर	1
	जयपुर	17
	जैसलमेर	1
	झुन्झुनु	18
	सवाई-माधोपुर	18
	सीकर	2
खड़िया	कुल	1
	अलवर	1
स्टीटाइट	कुल	196
	अजमेर	10
	अलवर	7
	बांसवाड़ा	3
	डूंगरपुर	2
	भीलवाड़ा	20
	डुंगरपुर	23
	जयपुर	7
	झुन्झुनु	5
	पाली	2
	सवाई-माधोपुर	5
	उदयपुर	112
वर्मीक्यूलाइट	कुल	1
	अजमेर	1
वालेस्टोनाइट	कुल	1
	सिरोही	1

(ए) सीसा सान्द्रों वाली खानें।

(बी) जस्ता सान्द्र से उपोत्पाद के रूप में प्राप्त चांदी।

(सी) सीसा सान्द्रों वाली खानें।

(डी) गार्नेट (अपरदी) वाली खानें।

(ई) अभ्रक (कच्चा) वाली खानें।

राज्यों को सूखा-राहत सहायता

8056. *श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) वर्ष 1989 के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में अभी तक कोई भी केन्द्रीय दल नहीं भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार कब तक राजस्थान में एक अध्ययन दल भेजकर वहां सहायता प्रदान करेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1989 के दौरान केवल राजस्थान और केरल की सरकारों ने ही सूखा राहत के लिए क्रमश: 222·48 करोड़ रुपये और 47·92 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं। उन ज्ञापनों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) और (ग). राजस्थान में पीने के पानी की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 2 मई, 1989 से अधिकारियों का एक दल उस राज्य का दौरा कर रहा है।

(घ) उक्त दल की रिपोर्ट पर स्थापित पद्धति के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

केन्द्रीय विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद हेतु साक्षात्कार

8057. **डा० सुधीर राय :**

श्री मानवेन्द्र सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पदों के लिए नवम्बर, 1988 में साक्षात्कार लिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो भरे गये पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधानाचार्यों के कुछ पद अभी भी रिक्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन पदों को कब तक भरा जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ). दिसम्बर, 1988 तथा जनवरी, 1989 में केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार आयोजित किये गये थे तथा एक पैनल तैयार किया गया है, पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई प्रगति पर है।

कृषि उद्यमियों के लिए पुनर्वास योजना

8058. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि सेवा केन्द्रों के उद्यमियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को कृषि सेवा केन्द्रों के उद्यमियों के लिये पुनर्वास योजना तैयार करने तथा कृषि सेवा केन्द्रों के वित्तीय उत्तरदायित्वों की भरपाई करने का निदेश दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) भारत सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि लगभग 25 प्रतिशत उद्यमी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे थे।

(ख) और (ग). जी, हां। भारत सरकार ने मई, 1986 में उच्चतम न्यायालय में ठीक से न चलने वाले कृषि सेवा केन्द्रों के लिए एक पुनर्वास योजना प्रस्तुत की है।

कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना

8059. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1970-71 में पूरे देश में ऐसे दस हजार कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था जहां किसानों को एक ही स्थान, उचित समय, उचित मूल्य पर और उनके निवास स्थानों के निकट कृषि प्रादान उपलब्ध हो सकें;

(ख) यदि हां, तो कितने केन्द्र स्थापित किए गये हैं;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह योजना बन्द कर दी गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1971-72 में कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करने की एक योजना बनाई गई, जिसमें चौथी योजना अवधि के दौरान 2500 कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। 2500 कृषि सेवा केन्द्रों का ऐसा ही लक्ष्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित किया गया था।

(ख) 31.3.79 तक 3036 कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई थी।

(ग) और (घ). जी, नहीं। अधिक उद्यमी कृषि सेवा केन्द्रों को लगाने के लिए इच्छुक नहीं थे और वित्त की मंजूरी के लिए प्रस्तुत की गई कुछ परियोजना रिपोर्टें बैंकों द्वारा व्यावहारिक नहीं पाई गईं।

(ङ) और (च). राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार 1.4.1979 से यह योजना राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दी गई है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संगीत शिक्षकों को टी०जी०टी० का वेतनमान देना

8060. **श्री बी०बी० रमैया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने संगीत-शिक्षकों को टी०जी०टी० का वेतनमान देने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब लिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) और (ख). केन्द्रीय विद्यालय में संगीत चूंकि एक सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलाप के रूप में पढ़ाया जाता है, अतः केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने उच्च वेतनमान में संगीत शिक्षकों की नियुक्ति करना उचित नहीं समझा।

अन्तर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़क योजना के अन्तर्गत भुवनेश्वर तक वैकल्पिक सड़क सम्पर्क के लिए ऋण सहायता

8061. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों के संबंध में इसके द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 पर खुनखुनी से भुवनेश्वर तक वैकल्पिक सड़क संपर्क के निर्माण हेतु सातवीं योजना में ऋण सहायता देने के लिए सहमत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए सरकार कितनी ऋण सहायता देने के लिए सहमत हुई थी;

(ग) धनराशि अब तक न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना के शीघ्र पूरा होने के लिए पर्याप्त राशि देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) 342 लाख रु०

(ग) और (घ). राज्य सरकार से स्कीम को स्वीकृत करने संबंधी ब्यौरेवार प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं। उन पर तकनीकी और वित्तीय संस्वीकृति के बाद धनराशियां रिलीज की जाएंगी।

उड़ीसा में खण्डागिरि और उदयगिरि के बीच रज्जु मार्ग

8062. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खंडागिरि और उदयगिरि के बीच एक रज्जू-मार्ग की व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्वीकृति के लिये विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) शीघ्र स्वीकृति दिये जाने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड

8063. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में निदेशक (वित्त) सहित निदेशकों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान कापर लि० के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) के एक मात्र रिक्त पद को भरने के लिए पहले ही कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है। मण्डल स्तर पर रिक्त अन्य सभी पदों पर नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है।

इजरायली खिलाड़ियों के विरुद्ध भारतीय खिलाड़ियों का मैच

[हिन्दी]

8064. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में डोर्टमंड में आयोजित विश्व टेबिल टेनिस चैम्पियनशिप में भारत के खिलाड़ी इजरायली खिलाड़ियों के विरुद्ध नहीं खेले थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खिलाड़ियों को इजरायली खिलाड़ियों के विरुद्ध पहले भी खेलने की अनुमति नहीं दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस विश्व टूर्नामेंट में फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन और इजरायल के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया था; और

(च) यदि हां, तो बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूर्व निर्णय पर पुनः विचार न करने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत का पिछला मैच रात्रि 2.00 बजे समाप्त हुआ था तथा इजरायल के साथ अगला मैच उसी दिन प्रातः 9.00 बजे शुरू होना था और खिलाड़ी बहुत थके हुए थे।

(ग) और (घ). नई दिल्ली में हुई 39वीं विश्व टेबिल टेनिस चैम्पियनशिप 1987 में सरकार द्वारा इजराइली टेबिल टेनिस टीम को चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए बीजा नहीं दिया गया था। जुलाई, 1987 में इजराइली डेविस कप टीम को नई दिल्ली में भारत के विरुद्ध मैच खेलने की अनुमति नहीं दी गई थी।

(ङ) जी, हां।

(च) इजराइल के विरुद्ध न खेलने का निर्णय सरकार के बिना किसी निर्देश के भारतीय टेबिल टेनिस संघ द्वारा लिया गया था।

कृषि के क्षेत्रीय विकास का अध्ययन

[अनुवाद]

8065. **श्रीमती वसवराजेश्वरी :**

डा० गौरी शंकर राजहंस :

श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के आधार पर देश में कृषि के अधिक सन्तुलित क्षेत्रीय विकास के लिए कुछ नए नीतिगत उपायों की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख). वृद्धि के बारे में "भारतीय कृषि विकास के स्वरूप – एक जिला स्तरीय अध्ययन" नामक एक अध्ययन औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान द्वारा किया गया था और उसे योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया था। उस अध्ययन में स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद उत्पादन, फसल स्वरूप और आदानों के उपयोग की बहनता के स्तरों में किस किस्म का विकास और परिवर्तन आया है इसका गहराई से विश्लेषण किया गया है। पिछले दो दशकों के दौरान नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के परिणामस्वरूप भारत में कृषि विकास की क्षेत्रीय सीमाओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

इस अध्ययन की महत्वपूर्ण सिफारिशों में जल प्रबंध, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई की व्यवस्था, पनधारा प्रबंध और नए इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर बल लगाने की सिफारिश शामिल है।

(ग) और (घ). इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाए कि केन्द्रीय प्रायोजित विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम जिसे अब विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम में मिला दिया गया है, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि परियोजना, गेहूं, चावल और मोटे अनाजों का मिनिकिट कार्यक्रम, तथा छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देना जैसे उत्पादन को बढ़ावा देने वाले कई कार्यक्रम पहले ही चलाए जा रहे हैं, ताकि कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ सके तथा कृषि विकास में एक बेहतर क्षेत्रीय संतुलन बन सके। इन कार्यक्रमों द्वारा उक्त अध्ययन की मुख्य सिफारिशों की पूर्ति हो जाती है।

नेशनल फर्टिलाइजर लि० द्वारा भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० के टेलीविजन विभाग का खरीदा जाना

[हिन्दी]

8066. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर लि० ने भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० के टेलीवीजन विभाग को खरीद कर इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में कार्य शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सरकारी उपक्रम द्वारा अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करने की बजाय अपना कारोबार अन्य क्षेत्रों में फैलाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहारशरीफ शहर (बिहार) में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

8067. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बिहारशरीफ शहर में केन्द्रीय सरकार के अनेक कार्यालय होने के बावजूद वहां पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में निकट भविष्य में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बिहारशरीफ में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को किसी भी प्रायोजित एजेन्सी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल द्वारा कमजोर तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं

[अनुवाद]

8068. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल कमजोर तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार की नई शिक्षा नीति को पूरी तरह कार्यान्वित कर रहा है;

(ख) केरल सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु इस नीति के कार्यान्वयन में क्या त्रुटियां पाई गई हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान कराने के बारे में कोई विशेष निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख). अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित की गई नई शैक्षिक संस्थाओं की मान्यता और सम्बद्धन के सम्बन्ध में केरल राज्य सरकार द्वारा लगाये गये तथाकथित कुछ प्रतिबन्ध, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के ध्यान में लाए गए थे।

(ग) और (घ). जी, हां। अ०ज०/अ०जा०जा० और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के सम्बन्ध में अध्याय XIII और XIV के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए, उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में, भारत सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है। "संविधान के अनुच्छेद 30(I) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने भी केरल के मुख्य मंत्री को संविधान के अनुच्छेद 30(I) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है और साथ ही यह भी आग्रह किया है कि इस प्रावधान के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाये।

कोचीन शिपयार्ड के पोत निर्माण और मरम्मत कार्य के ठेके

8069. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड निगम तीन वर्षों के दौरान जहाज निर्माण और जहाजों की मरम्मत के ठेकों में किये गये वायदों को पूरा करता रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो जिन क्षेत्रों में विलम्ब किया गया उनका ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ऊपर उल्लिखित अवधि में निर्मित तीन जहाजों में कुछ विलम्ब हुआ है। जहाज मरम्मत कार्य के वायदों को सामान्यतः पूरा किया जाता है, केवल एक मामले को छोड़ कर जहां आर्डर दिये गये उपस्कर की प्राप्ति में विलम्ब, अतिरिक्त स्टील कार्य और सप्लाई किये गये उपस्कर और सामग्री में कमियों को दूर करने के कारण विलम्ब हुआ। जहाज निर्माण ठेकों में विलम्ब मुख्यतः सामग्री की प्राप्ति में विलम्ब, बिजली की कटौतियों और डिलीवरी लेने में मालिकों की अनिच्छा के कारण हुआ।

नये मंगलौर बन्दरगाह का विकास

8070. **श्री श्रीकान्तदत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान नये मंगलौर बन्दरगाह के विकास पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बन्दरगाह के विकास के लिये कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सातवीं योजना के दौरान 31 मार्च, 1989 तक न्यू मंगलूर पत्तन न्यास के विकास पर 1532.59 लाख रु० की राशि खर्च की गई है। इसमें 1988-89 के दौरान अनंतिम रूप से खर्च की गई राशि शामिल है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यू मंगलूर पत्तन में अब तक क्रियान्वित की गई कुछ प्रमुख स्कीमों में अतिरिक्त सामान्य कार्गो बर्थ का निर्माण, टगों और मोबाइल क्रेन की खरीद, कंटेनर हैंडलिंग कार्य के लिये आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था और सड़क नेटवर्क प्रणाली का विकास करना और उसमें सुधार करना शामिल है।

प्रकाश व्यवस्था में सुधार और उसका विस्तार करने, अतिरिक्त अग्निशमन उपस्करों की खरीद और एक अन्य सामान्य कार्गो बर्थ का निर्माण करने से संबंधित कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

जहाजी माल लादने और उतारने के कार्य के सम्बन्ध में कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड तथा कलकत्ता बन्दरगाह ट्रस्ट के बीच मतभेद

8071. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजी माल लादने और उतारने के कार्य के संबंध में कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड तथा कलकत्ता बन्दरगाह ट्रस्ट के बीच मतभेद पैदा हो गये हैं;

(ख) क्या इस घटना से कलकत्ता बन्दरगाह ट्रस्ट के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का दोनों निकायों के बीच मतभेद दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नही उठते।

ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता का अनुपात

8072. **श्रीमती एन०पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता का अनुपात क्या है;

(ख) वर्ष 1961, 1971, 1981 और 1986 के अंत में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में अलग-अलग अशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ग) इस संबंध में संवैधानिक निर्देशों को कब तक पूरी तरह लागू किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की निरक्षरता दर क्रमशः 59.21 और 82.04 है। अद्यतन स्थिति के अनुसार निरक्षरता दरों के प्राक्कलन उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1961, 1971 और 1981 के लिए देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षर पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या से सम्बन्धित आंकड़े दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 1986 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जहां तक प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने का संबंध है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 और कार्रवाई योजना में यह परिकल्पना की गई है कि 6-11 वर्ष तक आयु-वर्ग के बच्चों को 1990 और 11-14 वर्ष तक की आयु-वर्ग के बच्चों को 1995 तक शामिल किया जायेगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य वर्ष 1990 तक 15-35 आयु-वर्ग के 30 मिलियन प्रौढ़ों और 1995 तक 50 मिलियन प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का है।

विवरण

जनगणना वर्ष	ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरों की संख्या		
	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1961	291,848,745	130,159,345	161,689,400
1971	434,848,441	149,262,429	185,586,012
1981*	357,090,814	153,987,806	203,103,008

*वर्ष 1981 के आंकड़ों में असम शामिल नहीं है जहां वर्ष 1981 की जनगणना के समय असन्तुलित परिस्थितियां होने की वजह से जनगणना नहीं की जा सकी ।

बीजों का उत्पादन

[हिन्दी]

8073. **श्री बलवंतसिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विभिन्न किस्म के बीजों के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और क्या गत वर्षों में इस बीच यह उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में बीज की कितनी मांग होने का अनुमान है; और

(घ) बीजों की मांग और पूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए तत्काल क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) यद्यपि बीज उत्पादन के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है फिर भी सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कृषि मंत्रालय द्वारा प्रमाणित/बेहतर किस्म के बीज का निर्धारित वितरण लक्ष्य 70.00 लाख क्विंटल है।

(ख) प्रमाणित/बेहतर किस्म के बीजों का वास्तविक विवरण निम्नलिखित है—

वर्ष	मात्रा लाख क्विंटल में
1985-86	55.01
1986-87	55.83
1987-88	56.30
1988-89 (अस्थायी)	56.80

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रमाणित/बेहतर किस्म के बीज का लक्षित वितरण 70.00 लाख क्विंटल है।

(घ) बीज की तत्काल मांग को पूरा करने के लिए बीज उत्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्य सरकारी बीज फार्मों, राज्य बीज निगमों, गैर-सरकारी बीज कम्पनियों आदि के माध्यम से संगठित किया जाता है। राष्ट्रीय एजेन्सियों जैसे राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा राज्य सरकारों के प्रयास पूरे किये जाते हैं।

उड़ीसा में खेल-कूद का विकास

[अनुवाद]

8074. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खेल-कूद के विकास का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में खेल-कूद के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) राउरकेला में कृत्रिम हाकी सतह बिछाने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव तथा आधारभूत खेल सुविधाओं के सृजन के लिए ग्रामीण स्कूलों को केन्द्रीय अनुदान हेतु दो प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। "राज्य खेल परिषदों को अनुदान" आदि की योजना के अन्तर्गत खेल अवस्थापना के चौंतीस मामले राज्य सरकार को कमियों के सुधार के लिए वापिस भेज दिए हैं।

(ग) खेलों के विकास के लिए राज्यवार कोई लक्ष्य नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों और शिक्षक संघ के शिष्टमंडल के बीच हुई बातचीत

8075. **श्री एम०आर० सैकिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 शैक्षिक सत्र के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्राधिकारियों और अधिकारियों और अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के बीच हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख). अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल 28 नवम्बर, 1988 को अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन से मिला था। इस प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों तथा प्रिंसिपलों के स्थानांतरण, शिक्षकों के पदोन्नति के कोटा संगीत शिक्षकों के वेतनमानों, प्रयोगशाला सहायकों को शिक्षण भत्ता में वृद्धि करने, केन्द्रीय विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों के संवर्ग को पुनर्जीवित करने और; माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्तरों में डाइंग संगीत आदि वैकल्पिक विषयों को आरंभ करने; स्कूल पुस्तकालयों के लिए श्रेणी-IV कर्मचारियों का प्रावधान बोर्ड में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व तथा केन्द्रीय विद्यालयों के ऐसे शिक्षकों, जो अगस्त, 1984 में सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर चले गए थे, को वेतन का भुगतान करने से सम्बन्धित मामलों पर प्रारम्भिक चर्चा की थी।

उपर्युक्त चर्चा के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह निर्णय किया कि टर्मिनल बीमारी से पीड़ित शिक्षकों के स्थानांतरण सम्बन्धी अनुरोधों पर पूरे वर्ष विचार किया जाएगा। इसके साथ, चूंकि वर्ष 1988 में स्नातकोत्तर शिक्षक तथा उप-प्रधानाचार्यों के रूप में पदोन्नत/चुने गए शिक्षकों के एक पर्याप्त अनुपात ने स्थानांतरण मार्गदर्शी रूपरेखाओं की सीमा के अन्तर्गत उनको भेजे गए तैनाती प्रस्तावों के अनुसार उन्होंने दूरस्थ राज्यों में कार्यभार नहीं सम्भाला था, इसलिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह निर्णय किया है कि इनको एक उपयुक्त सीमा तक समीप के राज्यों में नियुक्ति को प्रस्ताव किया जाएगा। प्रयोगशाला सहायकों को शिक्षण भत्ता देने से सम्बन्धित मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संगीत शिक्षकों के वेतनमानों में वृद्धि करने का सुझाव स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है। प्रयोगशाला सहायक के संवर्ग को पुनर्जीवित करने, जमा 2 स्तर पर ड्राईंग, संगीत आदि जैसे बड़ी संख्या में विषयों को आरम्भ करना और स्कूल पुस्तकालय के लिए श्रेणी-IV कर्मचारी के प्रावधान हेतु सुझाव भी स्वीकार योग्य नहीं पाए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय

[हिन्दी]

8076. **श्री हरीश रावत** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालयों में कितने विद्यार्थियों को प्रवेश मिला;

(ख) क्या इस राज्य में स्थित इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी०शाही) : (क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान क्रमश: 1,016 और 1,320 छात्र दाखिल किये गये थे।

(ख) और (ग). जी, हां। प्रतिवर्ष आयोजित दाखिला परीक्षा के आधार पर प्रत्येक नवोदय विद्यालय की कक्षा VI में अधिकतम 80 (दो कक्षाएं प्रत्येक कक्षा में 40 छात्रों सहित) छात्र दाखिल किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में खोले गये केन्द्रीय विद्यालय

8077. **श्री हरीश रावत** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में सिविल क्षेत्रों और सेना क्षेत्रों में कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले गये हैं;

(ख) क्या इस राज्य में वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान ऐसे कुछ और विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या धारचूला डी०डी०हाट (चमड़ा) और बागेश्वर में ऐसे विद्यालय खोले जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी०शाही) : (क) पिछले तीन शैक्षिक सत्रों के दौरान उत्तर प्रदेश के सिविल तथा रक्षा क्षेत्रों में खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या निम्नलिखित है—

वर्ष	सिविल	रक्षा	कुल
1986-87	5	7	12
1987-88	4	1	05
1988-89	2	3	05
कुल	11	11	22

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश के दिदीहाट, धारचूला तथा बागेश्वर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए किसी भी प्रायोजित एजेंसी से केन्द्रीय विद्यालय संगठन को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में मकानों का निर्माण

8078. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कितने मकानों का निर्माण किया गया तथा उनमें से कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित किए गए;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार इस योजना के तहत निर्मित होने वाले मकानों को संवर्ण निर्बल वर्ग को आबंटित किए जाने की प्रतिशतता को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता कितनी बढ़ाई जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान (दिसम्बर के अन्त तक) उत्तर प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लक्ष्य समूह के लिए 14691 घर निर्मित/आबंटित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में केवल गरीबी की रेखा से नीचे के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के लिए ही घर निर्मित/आबंटित किए जाते हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना

[अनुवाद]

8079. **डा० ए०के० पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों, तिलहनों और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विशेष अभियान कार्यक्रम प्रारम्भ करने की तारीखें और विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम के वर्ष-वार क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई अन्य समान कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख). भारत सरकार ने दालों और तिलहनों सहित खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्न विशेष अभिवृद्धि कार्यक्रमों को शुरू किया है :—

विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम

यह कार्यक्रम असम, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में 1985-86 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को आदानों के उपयोग के लिए और उन्नत चावल उत्पादन औद्योगिकी को अपनाने के लिए सहायता दी जाती है। आरम्भ में केन्द्र और राज्यों के बीच कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि देने की पद्धति 50:50 थी और 1989-90 के लिए यह 75:25 है। छः पूर्वी राज्यों में चावल का औसत वार्षिक उत्पादन 1987-88 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान बढ़कर 3321 लाख मीटरी टन हो गया जबकि 1984-85 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान यह 2825 लाख मीटरी टन था। त्रिपुरा को 1988-89 से कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया था।

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम

यह कार्यक्रम भारत सरकार की 100 प्रतिशत सहायता से खरीफ 1988-89 से 44 चुनिंदा राज्यों के 169 चुनिंदा जिलों में शुरू किया गया था। चुने गये राज्यों के नाम ये हैं:—आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य फसलें ये हैं :— चावल, गेहूं, मक्का और अरहर। विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम— चावल राजस्थान को छोड़कर शेष सभी विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम वाले राज्यों को कवर करता है। विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—गेहूं, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों को कवर करता है। विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—मक्का, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कवर करता है। दालों के अन्तर्गत चना और अरहर को कवर किया जाता है। विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—चना, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कवर करता है और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—अरहर, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कवर करता है।

विशेष अभिवृद्धि कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 1988-89 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन 1665.7 लाख मीटरी टन के लक्ष्य से अधिक होने की आशा है।

तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि परियोजना

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 1987-88 में शुरू किया गया था। यह परियोजना इस समय 17 राज्यों के 250 जिलों को कवर करती है। परियोजना के अंतर्गत शामिल की गई तिलहन की फसलें ये हैं :—मूंगफली, तोरिय-सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी जो कुल तिलहन उत्पादन का करीब 85 प्रतिशत है। तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम विकास के प्रमुख घटकों, अर्थात् प्रमाणीकृत बीजों का वितरण, पौध संरक्षण रसायनों और उपकरणों का वितरण और जिप्सम/पाईराइट का वितरण, पर 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करता है। तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 1987-88 के दौरान तिलहन का उत्पादन बढ़कर 123.8 लाख मीटरी टन हो गया जबकि भारी सूखा पड़ने के बावजूद 1986-87 के दौरान यह 112.7 लाख मीटरी टन था। 1988-89 के दौरान तिलहनों का उत्पादन तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम और राष्ट्रीय तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 156.5 के लक्ष्य से बढने की सम्भावना है।

(ग) जी नहीं।

चुंगी के स्थान पर आय के वैकल्पिक साधन

8080. **डा० ए०के० पटेल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में परिवहन विभाग परिषद में चुंगी के स्थान पर आय के वैकल्पिक साधनों के संबंध में कोई विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उपाय करने के लिए राज्य सरकारों को लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर राज्यवार क्या उत्तर प्राप्त हुए ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी, हां। परिवहन विकास परिषद अपनी बैठकों में इस बात पर विचार-विमर्श करती रही है और सुझाव देती रही है कि राज्य सरकारें चुंगी कर के सम्भावित विकल्पों के रूप में प्रवेश कर अथवा बिक्री कर पर अधिभार अथवा मोटर वाहन कर पर अधिभार लगाने पर विचार करें। 18.11.88 को हुई इसकी पिछली बैठक में परिषद ने चुंगी समाप्त किए जाने की आवश्यकता को दोहराते हुए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से आग्रह किया है कि वे इस संबंध में तेजी से कार्रवाई करें।

(ग) और (घ). इस मामले में राज्य सरकारों को लिखा गया है। चुंगी कर वसूल करने वाले अधिकतर राज्यों से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। पंजाब सरकार ने इस समय कोई परिवर्तन करने में अपनी असमर्थता बताई है। अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र ने चुंगी कर के स्थान पर परिवहन कर शुरू करने की योजना बनाई है और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित वैकल्पिक स्रोत संबंधी समिति की सिफारिशों के प्राप्त हो जाने के बाद इस मामले की जांच करने का निश्चय किया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए नियत की गई धनराशि और उन पर किया गया व्यय

8081. **श्री सोमनाथ रथ :**

श्री पीयूष तिरकी :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रख-रखाव और उनकी मरम्मत के लिए राज्य-वार, कितनी धनराशि नियत की गई थी और अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख-रखाव और उनकी मरम्मत के लिए राज्यवार कितनी धनराशि नियत की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). विवरण-1 और विवरण-2 संलग्न हैं। 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए 129.50 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया है। रख-रखाव के लिए समय-समय पर जरूरतों के आधार पर राज्यवार आबंटन किया जाएगा।

विवरण 1

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 1985-86 से 1988-89 के दौरान आबंटन और व्यय का (जैसे राज्यों द्वारा अनुमानित किया गया है) राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	विकास			रखरखाव		
		आबंटन 1985-86 से 1988-89	व्यय 1985-86 1989-89	जिस महीने तक का खर्च शामिल किया गया है	आबंटन 1985-86 से 1988-89	व्यय 1985-85 1988-89	जिस महीने तक का खर्च शामिल किया गया है
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	6231.82	6018.02	फरवरी, 89	3046.17	2747.42	फरवरी, 89
2.	अरुणाचल प्रदेश	217.00	258.87	,,	84.49	112.11	,,
3.	असम	3660.21	3269.54	,,	2015.63	1988.91	,,
4.	बिहार	5692.59	5066.47	,,	3514.19	2805.64	,,
5.	चण्डीगढ़	38.00	33.66	मार्च, 89	52.59	52.41	मार्च, 89
6.	दिल्ली	1020.50	999.92	,,	282.19	463.83	,,
7.	गोवा	2180.04	2254.64	,,	562.78	616.79	,,
8.	गुजरात	9275.20	8746.73	फरवरी, 89	2559.96	2800.05	फरवरी, 89
9.	हरियाणा	3264.92	3175.03	,,	183.17	761.62	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	हिमाचल प्रदेश	2600.00	2270.65	फरवरी, 89	1091.28	1061.57	फरवरी, 89
11.	जम्मू एवं कश्मीर	2445.32	2380.40	मार्च, 89	530. 44	468.61	मार्च, 89
12.	कर्नाटक	5537.46	5653.68	,,	1997.86	2407.03	,,
13.	केरल	4011.43	3099.51	,,	1256.68	1581.54	फरवरी, 89
14.	मध्य प्रदेश	6514.00	6550.33	,,	2699.35	2829.22	मार्च, 89
15.	महाराष्ट्र	7978.00	7207.89	फरवरी, 89	3984.09	3908.65	फरवरी, 89
16.	मणिपुर	1142.00	1043.82	,,	275.77	270.44	,,
17.	मेघालय	2555.00	2246.99	,,	625.28	621.71	,,
18.	नागालैंड	387.50	287.80	मार्च, 89	7.35	11.37	मार्च, 89
19.	उड़ीसा	4113.45	3655.39	फरवरी, 89	2129.63	1930.06	फरवरी, 89
20.	पाण्डिचेरी	181.00	124.72	,,	36.04	30.54	,,
21.	पंजाब	5404.08	4462.25	,,	1350.20	1472.37	,,
22.	राजस्थान	5439.40	5491.49	,,	2723.98	2805.29	मार्च, 89
23.	तमिलनाडु	6347.40	6156.75	,,	2166.05	2016.90	फरवरी 89
24.	उत्तर प्रदेश	1185 40	10548.43	,,	4324.90	4524.31	,,
25.	पश्चिम बंगाल	3760.00	3368.46	,,	3092.11	3465.60	,,

विवरण 2

1989-90 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए आवंटित राशि

क्रम० संख्या	राज्य का नाम	आवंटन 1989-90
1.	आंध्र प्रदेश	1800.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00
3.	असम	1100.00
4.	बिहार	1200.00
5.	चण्डीगढ़	10.00
6.	दिल्ली	300.00
7.	गोवा	1300.00
8.	गुजरात	3500.00
9.	हरियाणा	2100.00
10.	हिमाचल प्रदेश	900.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	300.00
12.	कर्नाटक	1600.00
13.	केरल	1200.00
14.	मध्य प्रदेश	1900.00
15.	महाराष्ट्र	2700.00
16.	मणिपुर	400.00
17.	मेघालय	700.00
18.	नागालैंड	100.00
19.	उड़ीसा	1200.00
20.	पांडिचेरी	125.00
21.	पंजाब	3000.00
22.	राजस्थान	2000.00
23.	तमिलनाडु	2900.00
24.	उत्तर प्रदेश	4000.00
25.	पश्चिम बंगाल	1700.00

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

8082. **श्री सोमनाथ रथ :**

श्री सोडे रमैया :

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत एक वर्ष में बसों से कुल कितनी दुर्घटनाये हुई हैं;

(ख) क्या दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण पाने के लिए कुछ वर्ष पूर्व कोई योजना तैयार की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस योजना को किस हद तक कार्यान्वित किया गया; और

(घ) दिल्ली में भारी वाहनों एवम् टैक्सियों के अन्धाधुन्ध चलाने को रोकने हेतु क्या प्रभावी कार्यवाही करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 1988 के दौरान मालवाही वाहनों से 1323 और बसों से 1476 दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ख) दिल्ली पुलिस प्राधिकारियों के अनुसार दुर्घटनाओं के नियन्त्रण के लिए तैयार की गई कार्य योजना में निम्नलिखित बातें शामिल हैं—

(i) ओवरस्पीडिंग, पीकर ड्राइविंग, ओवरलोडिंग आदि के बारे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई,

(ii) सड़क डिजाइनों में सतत सुधार;

(iii) आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले प्रत्याशित मानकों पर बल दिया जाना;

(iv) यह सुनिश्चित करना कि वाहनों में यांत्रिक खराबी न्यूनतम हो;

(v) दुर्घटना बहुल इलाकों में कतिपय समय के दौरान भारी और मझोले परिवहन वाहनों के चालन पर प्रतिबन्ध;

(ग) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 1988 में विभिन्न प्रकार के यातायात संबंधी अपराधों के लिए 2,01,421 भारी परिवहन वाहनों तथा 35,577 बसों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई थी। सड़क में सुधार के अलावा चेतावनी ब्लिंकर्स यातायात प्रकाश संकेत लगाये गये। विभिन्न स्थानों पर वन वे प्रणाली लागू की गई है। पीली रेखा, स्टापलाइन भी लगाई गई है। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को सख्ती से चैकिंग करने के लिए लिखा गया है।

(घ) दिल्ली पुलिस ने अन्धाधुन्ध लेन बदलने वाले वाहनों तथा लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान शुरू करने, यातायात नियमों को विशेषकर व्यस्त घंटों में सख्ती से लागू करने कतिपय सामग्रियों की मंडियों को नगर के बीच भीड़-भाड़ वाले इलाकों से नगर के बाहरी इलाकों में स्थानान्तरित करने के मामले की पैरवी करने का प्रस्ताव किया है।

"कम्प्यूटर कोर्स" का प्रशिक्षण देने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को मान्यता देना

8083. **श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद देश में "कम्प्यूटर कोर्स" का प्रशिक्षण देने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में कम्प्यूटर कोर्स परिषद द्वारा ऐसे कितने गैर-सरकारी संस्थाओं को मान्यता दी गई है;

(ग) क्या परिषद इन मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा वसूल किये जाने वाले शुल्क का भी निर्धारण करती है;

(घ) क्या कर्नाटक में कई गैर-मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थायें कंप्यूटर कोर्स करा रही हैं; और

(ङ) इन समस्त गैर-मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं को बंद कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अभी तक मात्र संगणक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाली किसी निजी संस्था को मान्यता प्रदान नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जिसे तकनीकी शिक्षा पद्धति की समेकित आयोजना, प्रोत्साहन तथा विनियमन के लिए हाल ही में सांविधिक अधिकार दिये गये हैं, इलेक्ट्रोनिक विभाग की एक योजना के अन्तर्गत ऐसी निजी संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की जांच की जा रही है जो संगणक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करती है।

महिला क्रिकेट टीम का भारत तथा विदेशों में मैच खेलना

8084. **श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विभिन्न देशों के साथ कितने टेस्ट मैच खेले;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विदेशों में टेस्ट मैच खेलने के लिए किन-किन देशों का दौरा किया;

(ग) क्या भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अब तक कोई एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला है;

(घ) क्या देश में किसी भी क्रिकेट क्लब के माध्यम से महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) वर्ष 1988 के दौरान महिलाओं में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) कोई नहीं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां। भारतीय महिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा।

(ङ) सरकार भारतीय महिला क्रिकेट एसोसिएशन के जरिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने, कोचिंग/प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए तथा वैतनिक सहायक सचिव के वेतन के लिए वित्तीय सहायता देकर महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देती है।

(च) सरकार ने 1988 में 1,12,560/-रुपये खर्च किये थे।

कर्नाटक में नए इंजीनियरी कालेज खोलने के लिए प्रस्ताव

8085. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान नए इंजीनियरी कालेज खोलने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में अलग-अलग कितने कालेज खोले जायेंगे;

(ग) इन्हें खोलने के लिए प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इन प्रस्तावों के लिए अपनी मंजूरी दे दी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (घ). कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान निजी क्षेत्र में बंगलौर में एक नए इंजीनियरी कालेज की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव की जांच करने तथा अपनी रिपोर्ट अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है।

उड़ीसा में मत्स्य पत्तन का निर्माण

8086. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गोपालपुर मत्स्य पत्तन की वर्तमान संशोधित अनुमानित लागत कितनी है; और

(ख) इस मत्स्य पत्तन के निर्माण में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सहयोग का कितना-कितना हिस्सा है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जनवरी, 1989 में मंत्रालय में प्राप्त हुई गोपालपुर मात्स्यिकी बन्दरगाह की मौजूदा अनुमानित लागत 648 लाख रुपये है ।

(ख) मात्स्यिकी बन्दरगाह की लागत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए लागू सहायता के प्रतिमान के अनुसार, भारत सरकार और उड़ीसा सरकार के बीच बराबर-बराबर की भागीदारी की जायेगी ।

इंजीनियरी कालेजों को वित्तीय सहायता

8087. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न इन्जीनियरी कालेजों को प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए बुरला इन्जीनियरी कालेज, उड़ीसा को वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां ।

(ख) 1987-88—27 लाख रुपये

1988-89—20 लाख रुपये

राष्ट्रीय पशु धन विकास बोर्ड

8088. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं । पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शहरों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को दूसरी ओर मोड़ने हेतु अनुरोध

8089. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस समय शहरों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का मार्ग बदलकर शहरों के बाहर की ओर करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी, हां। नगरों के इर्द-गिर्द बाई पासों का निर्माण करना एक सतत् योजनागत कार्यकलाप है और धनराशि की उपलब्धता, यातायात जरूरतों तथा अन्य पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर स्कीमों का चयन किया जाता है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सातवीं योजना को राज्य सरकार की सिफारिशों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया था, जिसमें निम्नलिखित बाई पासों का प्रावधान किया गया है—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर पनवेल बाई पास

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर पुणे वेस्टरली डाइवर्शन

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को जोड़नेवाला नागपुर बाई पास

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर लोना वाला खण्डाला डाइवर्शन (केवल भूमि अधिग्रहण)।

नागपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

8090. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय विदर्भ क्षेत्र के कम से कम नौ जिलों में सर्वेक्षण करेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और इसकी स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग). विदर्भ क्षेत्र, जिसमें 9 जिले शामिल हैं, के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक लघु मण्डल स्थापित करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्रालय के स्टाफ जांच एकक द्वारा अभी अध्ययन किया जाना है।

नागपुर में मिनी इस्पात संयंत्र की स्थापना

8091. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के नागपुर जिले में मिनी इस्पात संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संयंत्र कब तक स्थापित कर दिए जायेंगे ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग). 59,000 टन प्रति वर्ष इस्पात पिंड/बिलेट का उत्पादन करने के लिए महाराष्ट्र में नागपुर जिले में एक लघु इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में मैसर्स शारदा इन्डस्ट्रीज एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को दिनांक 20.2.84 को आशय-पत्र जारी किया गया था। यह आशय-पत्र 31.12.89 तक वैध है।

यह बताना कठिन है कि यह कब तक स्थापित हो जायेगी।

महाराष्ट्र में सन्तरे के उत्पादन को बढ़ावा देना

8092. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अनुसंधान परिषद ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सन्तरों के उत्पादन को बढ़ावा देने में नई तेजी लाने हेतु कोई अध्ययन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का इस राज्य में सन्तरे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये अपनी तकनीकी जानकारी कब प्रयोग करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (ग). जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नागपुर में निबूवर्गीय फलों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की गई है। विदर्भ क्षेत्र में सन्तरे की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए इस केन्द्र ने अधिक जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान की है।

बल दिए जाने वाले क्षेत्र हैं—समेकित कीट प्रबंध विशेषकर काली मक्खी; जल एवं पोषक तत्व प्रबंध; फसल नियंत्रण और कटाई के बाद का प्रबंध।

महाराष्ट्र के नागपुर और अमरावती जिलों में संतरे के बागों का नवीनीकरण करने के लिए केन्द्र ने पहले ही प्रदर्शन परीक्षण कर लिया है। संतरे की फसल की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए किसानों को नई टेकनोलॉजी के बारे में शिक्षित करने के लिए केन्द्र ने किसानों की अनेक बैठकों का भी आयोजन किया है।

राज्य सड़क परिवहन निगमों को लाभ/घाटा

8093. **श्री सी० जंगा रेड्डी** :

श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में दौरान प्रत्येक राज्य सड़क परिवहन निगम को कितना लाभ/घाटा हुआ और प्रत्येक मामले में संचयी लाभ/घाटे और किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलादेश के शरणार्थी

8094. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक असहिष्णुता बढ़ने के कारण बंगलादेश से भारी संख्या में शरणार्थी पुनः भारत आ गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से हो रहा है और आज तक कुल कितने शरणार्थी आ चुके हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख). बंगलादेश से भारत में गैर-कानूनी आप्रवासन की समस्या बढ़ती जा रही है। भारत में गैर-कानूनी रूप से प्रवेश करने वाले बंगलादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की संख्या में हाल की प्रवृत्ति को देखें तो यह विस्तार की प्रवृत्ति रही है। जो लोग गैर-कानूनी रूप से देश में घुसते हैं, वे कहीं अपना पंजीकरण नहीं कराते और इसलिए गैर-कानूनी रूप से आने वाले लोगों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है।

बिहार में नारियल के पेड़ लगाना

[हिन्दी]

8095. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में नारियल के पेड़ लगाने के लिए किन जिलों को चुना गया है;

(ख) राज्य में नारियल विकास बोर्ड के कार्यालय कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) वर्ष 1988-89 के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार राज्य को कितनी अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) बिहार में नारियल की खेती के लिए चुने गए जिले माधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया हैं।

(ख) नारियल विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय पटना में स्थित है और नारियल विकास बोर्ड का राज्य केन्द्र माधेपुरा में स्थित है।

(ग) 1988-89 के दौरान नारियल की क्षेत्र विस्तार योजना के लिए 1,07,500 रुपए की राशि दी गई थी। पटना स्थित बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय पर खर्च किए गए 5,83,679 रुपए के अतिरिक्त माधेपुरा के 40 हैक्टेयर क्षेत्र वाले प्रदर्शन एवं बीज उत्पादन फार्म पर नारियल विकास बोर्ड द्वारा 5,21,797 रुपए की राशि खर्च की गई थी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार को संशोधित वेतनमान

[अनुवाद]

8096. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा "विश्वविद्यालय के रूप में माने जाने वाले विश्वविद्यालयों" के रजिस्ट्रार आदि के वेतनमान 2 नवम्बर, 1988 से संशोधित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख). जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित केन्द्रीय विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं के प्रशासनिक अधिकारियों के वेतनमान सरकार के पत्र सं० एफ० 10-52/87-डेस्क (यू०) दिनांक 2-11-1988 द्वारा संशोधित किये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

रजिस्ट्रार/परीक्षा नियंत्रक/वित्त अधिकारी	4500—7300
उप रजिस्ट्रार एवं उनके समकक्ष	3700—5700
सहायक रजिस्ट्रार एवं उनके समकक्ष	2200—4000

संशोधित वेतनमान 1-1-1986 से लागू हैं।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के भूवैज्ञानिक

8097. **श्री नारायण चौबे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था में सहायक-ग्रेडों में कितने कनिष्ठ और वरिष्ठ भूवैज्ञानिक थे;

(ख) वर्ष 1988-89 के फील्ड सीजन में कितने भूविज्ञान अनुसंधान करने की योजना बनाई गई थी; और वास्तव में कितने अनुसंधान किये गये;

(ग) 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1988-89 के फील्ड सीजन के अन्तर्गत लक्षित अनुसंधान हेतु कितने भूविज्ञानी मौके पर अनुसंधान कार्य में कार्यरत थे;

(घ) भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के विभिन्न कार्यालयों में ऐसे कितने भूवैज्ञानिक कार्यरत थे जो वर्ष 1988-89 के फील्ड सीजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित किसी भी भूविज्ञान अनुसंधान कार्य से संबद्ध नहीं थे;

(ङ) क्या जो भूवैज्ञानिक भूविज्ञान अनुसंधान से संबद्ध नहीं हैं वे भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्थान में फालतू हैं;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में भूवैज्ञानिकों की पदोन्नति सम्बद्ध भूवैज्ञानिक द्वारा किये गये भूवैज्ञानिक अनुसंधानों की संख्या पर आश्रित हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति के लिए सम्बद्ध अधिकारी की योग्यता का निर्णय किस आधार पर लिया जाता है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) **पदासीन भूवैज्ञानिक** :

भूविज्ञानी (वरिष्ठ) — 797

भूविज्ञानी (कनिष्ठ) — 668

सहायक भूविज्ञानी — 110

(ख) 1988-89 फील्ड सत्र में 921 भूवैज्ञानिक खोजें एवं अभियान करने का प्रस्ताव है। इनमें से अनेक कार्य मदों पर कार्यवाही शुरू किये जाने की संभावना है।

(ग) प्रशिक्षार्थियों सहित 1249 भूविज्ञानी व्यावसायिक अभिविन्यास और उन्नयन का प्रशिक्षण ले रहे हैं।

(घ) से (च). 301 भूविज्ञानी भूवैज्ञानिक खोजों से सम्बद्ध नहीं है। किन्तु वे भूवैज्ञानिक मानचित्र संकलन व प्रकाशन, भू-आंकड़ा स्रोत सर्वेक्षण, प्रबन्ध सूचना पद्धति, तकनीकी समन्वय कार्यक्रमों तथा मानिटरिंग योजना एवं ऐसे ही अन्य जरूरी कार्यकलापों में संलग्न हैं।

(छ) और (ज). भूविज्ञानियों की एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति भर्ती नियमों, गोपनीय चरित्रपंजियों, विभागीय पदोन्नति समिति के मानकों आदि से जुड़ी होती है। किसी भूविज्ञानी द्वारा की गई खोजों की संख्या ही मात्र उसकी पदोन्नति की कसौटी नहीं है। प्रत्येक स्तर पर पदोन्नति के लिए विचारणीय मानकों में, अन्य के साथ-साथ सुपुर्द कार्य की प्रकृति, अतिरिक्त श्रेय वाले कार्य, कार्य के प्रति रुझान, निर्णय लेने की योग्यता, स्वतः प्रेरण, समन्वय क्षमता, अभिव्यक्ति की

योग्यता, योजनाबद्ध कार्य की योग्यता, पर्यवेक्षण क्षमता, प्रबंधन नियंत्रण सम्बन्धी मूल्यांकन, नेतृत्व के गुण तथा सत्यनिष्ठा का भी समावेश होता है ।

दिल्ली के विद्यालयों में उचित सुविधाएं

8098. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी विद्यालयों में स्थिति बहुत ही अस्वास्थ्यकर है, उनके शौचालयों में बदबू आती है, वहां पेयजल उपलब्ध नहीं है और अभी तक इन मूल सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है;

(ख) क्या अधिकारी ने अनेक विद्यालयों में मूल सुविधाओं के अभाव की ओर ध्यान दिया है; और

(ग) विद्यालयों में शत प्रतिशत स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध कराने के लिये इस वर्ष उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) . (क) से (ग). कुछ पुनर्वास झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों में स्थापित कुछ नये स्कूलों में दिल्ली प्रशासन ने बेसिक सुख सुविधाओं के अभाव को नोट किया है । इन स्कूलों का दिल्ली प्रशासन द्वारा पता लगाया गया है और बेसिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गयी है इसके साथ ही स्कूलों के प्रमुखों को पीने के पानी का भण्डार करने के लिए पानी के टैंक खरीदने के लिए अनुदेश दिये गये हैं ।

मृदा सर्वेक्षण के लिये राज्यों को आवंटित धनराशि

8099. **श्री गदाधर साहा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मृदा सर्वेक्षणों के लिये राज्यों को वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और उसमें से कितनी उपयोग में लाई गई;

(ख) मृद्रा सर्वेक्षण के अन्तर्गत शामिल किये गये जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मृदा सर्वेक्षणों के निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) राज्य मृदा सर्वेक्षण को सुदृढ़ करने की केन्द्र क्षेत्र की योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, गोवा, मिजोरम और पांडिचेरी में क्रियान्वित की जा रही है । अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार, पांडिचेरी के सभी जिले और गोवा का एक जिला शामिल किया गया है । मिजोरम और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संबंध में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) मृदा सर्वेक्षण भूमि की क्षमताओं और संसाधन सूचियों से सम्बन्धित मूल जानकारी देता है और भूमि पर आधारित विकास कार्यक्रमों के निरूपण में उपयोगी पाया गया है ।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मृदा सर्वेक्षणों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय मृदा संरक्षण क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आबंटित की गयी राशि और उपयोग की गयी राशि का ब्यौरा (राज्य मृदा सर्वेक्षण योजना को सुदृढ़ करना)

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89*		1989-90
	आबंटित की गई	उपयोग की गयी	आबंटित की गयी	उपयोग की गयी	आबंटित की गयी	उपयोग की गयी	आबंटित की गयी	उपयोग की गयी	आबंटित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
गोवा	2.000	0.770	1.125	1.025	—	1.330	2.000	1.670	2.000
मिजोरम	8.600	8.600	5.225	5.225	7.000	7.000	8.000	8.000	6.000
पांडिचेरी	1.400	1.400	1.650	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
	14.000	12.770	10.000	9.900	12.000	13.330	16.000	15.670	15.000

*अस्थाई

सोवियत संघ द्वारा अस्त्र श्रेणी के यूरेनियम का उत्पादन बंद किया जाना

8100. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, सोवियत संघ के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में लंदन में की गई उस घोषणा की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने अस्त्र श्रेणी के यूरेनियम का उत्पादन न करने और तीन परमाणु रिएक्टरों को बंद करने का सोवियत संघ का इरादा प्रकट किया था; और

(ख) यदि हां, तो विश्व शांति की संभावनाओं के संदर्भ में इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने राष्ट्रपति गोर्बाचेव की घोषणा का स्वागत किया है। सरकारी प्रवक्ता द्वारा 11 अप्रैल, 1989 को दिए गए वक्तव्य की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सरकारी प्रवक्ता द्वारा 11 अप्रैल, 1989 को दिया गया वक्तव्य

सरकार, राष्ट्रपति गोर्बाचेव द्वारा लंदन में 7 अप्रैल, 1989 को की गई उस घोषणा का स्वागत करती है जिसमें उन्होंने सोवियत संघ के इस निर्णय का उल्लेख किया है कि हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन इस वर्ष से बन्द कर दिया जाएगा। हथियारों की होड़ को रोकने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय का गुणात्मक महत्व इसके मात्रात्मक महत्व से कहीं अधिक है।

हमें आशा है कि सोवियत संघ की इस पहलकदमी से नाभिकीय अस्त्रों वाले सभी राज्य इस बात से सहमत होंगे कि हथियारों के प्रयोजनार्थ विखण्डनशील सामग्री का उत्पादन पूर्णत: बन्द कर दिया जाए। भारत बहुत समय से इस बात का समर्थन करता रहा है कि नाभिकीय अस्त्र वाले सभी राज्य हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली विखण्डनशील सामग्री का उत्पादन रोक दें जो कि हथियारों की होड़ रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। हमने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस विषय पर बहुत से प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और हमने नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने की अपनी त्रिसूत्रीय कार्य-योजना के अभिन्न अंग के रूप में इसे शामिल किया है।

हमारे लिए यह विशेष संतोष की बात है कि लंदन में दिए गए अपने भाषण में अत्यधिक महत्वपूर्ण नाभिकीय हथियारों वाले राज्यों में से एक राज्य के नेता ने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया है कि नाभिकीय भय दिखाने के सिद्धान्त को त्याग दिया जाए, नाभिकीय हथियारों को पूर्णतया समाप्त किया जाए और ये उद्देश्य ही भारत की निरस्त्रीकरण नीति का आधार बिन्दु हैं और कार्य-योजना में भी इन्हें समुचित स्थान दिया गया है।

दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना

8101. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** :

श्री हेत राम :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने प्रति दिन केवल 200 लाख लीटर दूध का निष्टान

करने की क्षमता वाले दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों पर 400 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि व्यय कर दी है जबकि दूध की खरीद प्रतिदिन लगभग 75 लाख लीटर है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किस प्रकार करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख). 1970 में कार्यक्रम शुरू किए जाने से फरवरी, 1989 तक आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत दूध परिसंस्करण, संरक्षण और विपणन की सुविधाओं को सृजित करने के लिए 389.8 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है। आपरेशन फ्लड (जनवरी, 1989) के अन्तर्गत निम्न क्षमता उपलब्ध है :—

परिसंस्करण	128.9 लाख लिटर प्रति दिवस
द्रवशीतन	52.4 ,,
महानगर में विपणन	36.4 ,,
दुग्ध चूर्ण उत्पादन क्षमता	624.5 मीटरी टन प्रति दिवस

परिसंस्करण सुविधाएं अनिवार्य रूप से कमी वाले मौसम में अधिप्राप्ति को पूरा करने के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं, जो कमी वाले मौसम में अधिप्राप्ति की तुलना में सामान्यतः 50 प्रतिशत अधिक होती है। आपरेशन फ्लड परियोजना क्षेत्र में जनवरी, 1989 में दुग्ध संयंत्रों की औसत क्षमता उपयोग करीब 80% था और 34 दुग्ध-शालाओं में यह उपयोग क्षमता से अधिक था।

टेट्रापैक मशीनों का उपयोग

8102. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 में राष्ट्रीय डेयरी निगम बोर्ड द्वारा खरीदी गई 18 टेट्रा पैक मशीनों की क्षमता का अभी केवल 20% ही उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन मशीनों की क्षमता का कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या 1986-87 में एकल निविदा के आधार पर, टेट्रा पैक मशीनों के मूल्य से तीन गुने मूल्य पर खरीदी गई टेट्राब्रीक मशीन का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन मशीनों के खरीदने के और इनका प्रयोग न किये जाने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख). राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 1980-82 के दौरान 16 टेट्रा पैक मशीनें प्राप्त की। 1988-89 के दौरान इन मशीनों की उपयोग क्षमता 13% थी। हाल ही की सूखा परिस्थितियों के परिणामस्वरूप एसेप्टिक पैकेजिंग का कम उपयोग दुग्ध की कम उपलब्धि मुख्य कारण रहा है।

(ग) और (घ). खरीदी गयी 31 टेट्रा ब्रिक मशीनों में से 24 स्थापित की गयी हैं और 7 आबंटित की गयी हैं। टेट्रा ब्रिक मशीनें तकनीकी रूप से टेट्रा पैक मशीनों से बेहतर हैं। एक निविदा खरीद आवश्यक हो गयी थी क्योंकि केवल टेट्रापैक ने ही ऐसी मशीनों के लिये भाव भेजे

थे और उस समय एसेप्टिक पैकिंग करने वाली मशीनों का उत्पादन करने वाली टेट्रा के ही एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध फर्म थी ।

हमारे देश में नयी होने के कारण एसेप्टिक पैकिंग पद्धति को स्थापित होने में समय लगना स्वाभाविक है ।

छोड़ी हुई खानें

8103. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोड़ी हुई खानों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छोड़ी हुई खानों में फिर से खुदाई करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ). भारतीय खान ब्यूरो ने बंद अभ्रक खानों का वर्ष 1985 में अध्ययन किया था, जिसमें बन्द खानों की स्थिति, बन्द किए जाने के कारणों एवं गवेषण की स्थिति, उत्पादन का पूर्व इतिवृत्त शामिल था, साथ ही उन खानों का निर्धारण किया गया, जिनकी अभ्रक क्षमता के आकलन हेतु और अधिक गवेषण किया जा सके । अध्ययन रिपोर्ट अनुवर्ती कार्यवाही के लिये सम्बन्धित राज्यों को भेज दी गई ।

अनुसूचित जाति के मछुआरों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

8104. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के मछुआरों को, उनकी नौकाओं को यन्त्रीकृत बनाने के लिए सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान उड़ीसा में अनुसूचित जाति के कितने मछुआरों को इस योजना के अन्तर्गत नौकाएं दी गई;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में अनुसूचित जाति के मछुआरों को नौकाएं उपलब्ध कराने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) इस आर्थिक सहायता में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अनुपात का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ). "परम्परागत जलयानों का मोटरीकरण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, परम्परागत जलयानों के लिए इंजन की लागत की 50 प्रतिशत राजसहायता केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर दी जाती है, जो कि अधिक से अधिक 7500 रुपए प्रति इंजन होगी । शेष

50 प्रतिशत राशि बैंक ऋण से सम्बद्ध होती है। यह सहायता परम्परागत जलयान रखने वाले अनुसूचित जाति के मछुवारों सहित परम्परागत मछुवारों को मुहैया की जाती है। देश के जलयानों के मोटरीकरण के लिये अनुसूचित जाति के मछुवारों के लिए कोई अलग से आबंटन नहीं किया जाता है। 1987-88 और 1988-89 के दौरान, 9,03,750 रुपए का केन्द्रीय अनुदान निर्मुक्त करके उड़ीसा में क्रमश: 80 और 161 परम्परागत जलयानों का मोटरीकरण करने के लिए मंजूरी जारी की गई है।

मूर्ति की चोरी

8105. **श्री रामाश्रय सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में मूर्ति चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की जानकारी के अनुसार गत वर्ष विभिन्न राज्यों में ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं;

(ग) क्या सरकार की मूर्ति चोरी को रोकने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, नहीं। 1987 में 241 और 1988 में 211 मामलों की रिपोर्ट की गयी थी। कुछ राज्यों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है।

(ख) राज्यवार चोरी के मामले जो पिछले एक वर्ष में सरकार के ध्यान में आये हैं उनका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ). सरकार ने मूर्तियों की चोरी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

1. पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को लागू करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्थायें की गई हैं :

(i) निश्चित श्रेणी के पुरावशेषों (सभी प्रकार की मूर्तियां, कलाचित्र तथा सुसज्जित और सचित्र पाण्डुलिपियां) का, पंजीकरण अधिकारियों के पास अनिवार्य रूप से पंजीकरण;

(ii) इस प्रकार से पंजीकृत पुरावशेषों के गमनागमन की सूची पंजीकरण अधिकारियो को देना;

(iii) पुरावशेषों के व्यापार को अनुज्ञप्ति-शुदा व्यापारियों तक सीमित करना;

(iv) पुरावशेषों के निर्यात को प्रतिबन्धित करना।

2. इसके अतिरिक्त, कुछ मण्डल मुख्यालयों में पहरा और निगरानी प्रबन्धों तथा सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन महत्वपूर्ण केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में से कुछ में सशस्त्र प्रहरियों को तैनात किया गया है।

अबद्ध मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए मूर्ति शेडों और स्थलों पर ही पुरावशेषों को प्रदर्शित करने के लिये नये स्थल संग्रहालयों का निर्माण किया गया है।

3. सांस्कृतिक परिसम्पत्तियों के अवैध आयात, निर्यात और स्थानान्तरण को रोकने के तरीकों पर यूनेस्को समझौते का भारत ने 1977 में अनुसमर्थन किया। इस समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि संविदाकारी पक्षकार अपने-अपने देश की सीमा में चुराई हुई सांस्कृतिक परिसम्पतियों के अवैध आयात को रोकने के लिये कदम उठाएंगे। तथापित, समझौते के अन्तर्गत संविदाकारी पक्षकारों के अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से प्रभावी होंगे न कि अतीत से।

4. पुरावशेषों की चोरी और गुम होने के मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों में एक पुरावशेष कक्ष खोला गया है।

5. अबद्ध मूर्तियों, कलाचित्रों, सचित्र पाण्डुलिपियों आदि के प्रलेखन के लिए पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं।

6. पुरावशेषों की पहचान करके, उनका अवैध निर्यात रोकने में सीमाशुल्क अधिकारियों की सहायता के लिये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारत के प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाहों और हवाई-अड्डों पर अपने अधिकारी नियुक्त किये हैं। इसके अतिरिक्त, निर्यात की जाने वाली कलाकृतियों की जांच करने के लिये भारत के महत्वपूर्ण नगरों में विशेषज्ञ सलाहकार समितियां गठित की गई हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इनमें से कोई कलाकृति, पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अधीन, पुरावशेष है।

विवरण

1988 के दौरान मूर्ति चोरियों के मामलों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र		1988
1	2		3
1.	आन्ध्र प्रदेश	...	12
2.	बिहार	...	—
3.	गुजरात	...	—
4.	हरियाणा	...	—
5.	हिमाचल प्रदेश	...	8
6.	जम्मू और कश्मीर	...	3
7.	कर्नाटक	...	6
8.	केरल	...	1
9.	मध्य प्रदेश	...	46

1	2		3
10.	महाराष्ट्र	...	3
11.	मणिपुर	...	—
12.	उड़ीसा	...	15
13.	पंजाब	...	—
14.	राजस्थान	...	17
15.	तमिलनाडु	...	41
16.	उत्तर प्रदेश	...	47
17.	पश्चिम बंगाल		5
18.	चण्डीगढ़	...	—
19.	दिल्ली		—
20.	गोआ, दमन और दीव	...	7
21.	पाण्डिचेरी	...	—
		योग	211

विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा में सुधार

8206. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **मानव ससाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा में सुधार किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) देश में विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा के स्तर को और उन्नत बनाने के लिए सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को क्या निर्देश दिये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में यह व्यवस्था है कि विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि जिससे बच्चे में अच्छी योग्यताएं व मान्यताएं जैसे पूछताछ करने की योग्यता, सृजनात्मकता, वस्तुपरकता, प्रश्न करने की क्षमता और सौंदर्य विषयक संवेदनशीलता विकसित हो सके। इसमें यह भी परिकल्पना की गई है कि औपचारिक शिक्षा के घेरे से बाहर अधिक व्यक्तियों को विज्ञान शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जायेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो उच्च शिक्षा के रख-रखाव और समन्वय के लिए जिम्मेवार है, ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में विज्ञान शिक्षा के सुधार हेतु कई उपाय किये हैं। इसमें निम्न-लिखित शामिल हैं :—

(I) आयोग ने अवर स्नातक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम आरम्भ किया।

(II) आयोग कुछ चुने हुए विज्ञान तथा तकनीकी विभागों में संरचनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने के कार्यक्रम भी कार्यान्वित करता रहा है;

(III) विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता को प्रोन्नत करने के अपने विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोग कुछ विश्वविद्यालय विभागों को सहायता प्रदान कर रहा है।

(IV) आयोग ने अभी दिल्ली में एक नाभिकीय विज्ञान केन्द्र तथा पूणे में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किया है।

(V) आयोग, विश्वविद्यालय तथा कालेजों को, पुस्तकालय प्रयोगशाला सुविधाओं में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करता है।

जहां तक स्कूल क्षेत्र का सम्बन्ध है, शिक्षा विभाग के स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के सुधार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की है तथा जनवरी, 1988 में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 और 88-89 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अब तक 58.41 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है।

(I) उच्च प्राथमिक स्कूलों को विज्ञान किट और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की प्रयोगशालाओं की स्तरोन्नति।

(II) विज्ञान और गणित में पुस्तकालय की पुस्तकें खरीदना।

(III) अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण।

(IV) जिला संसाधन केन्द्र स्थापित करना।

विज्ञान तथा गणित अध्यापकों का प्रशिक्षण, योजना का महत्वपूर्ण अग है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद को अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए विभिन्न प्रमुख संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान आदि के साथ समन्वय और संपर्क की जिम्मेवारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्कूलों के विज्ञान अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित करने का कार्य भी सौंपा गया है।

दिल्ली में सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव

8107. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सड़कों का, विशेषकर भीतरी और बाहरी रिंग रोडों का उचित प्रकार से रख-रखाव नहीं हो रहा है और उनकी हालत खस्ता है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में सड़कों की बुनियादी स्तर सुधारने, अच्छी किस्म की सड़कें उपलब्ध कराने तथा उनका समुचित रख-रखाव करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली में उनकी देख रेख में जो सड़क है, उन्हें सामान्यतः ठीक दशा में रखा जा रहा है। मुख्य सड़कों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है और किसी ऐसे पहुँच मार्ग जहां विशेषकर बहुत भारी यातायात के कारण सतह खराब हो जाती है, वहां सतह को अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए समय-समय पर नई बाइटुमिनस की सतह बिछाई जा रही है।

केन्द्रीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र

8108. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अधिकांश पब्लिक स्कूलों के नये शैक्षिक सत्र प्रतिवर्ष अप्रैल में आरम्भ होते हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालयों का शैक्षिक सत्र अभी भी प्रति वर्ष मई से आरम्भ होता है ;

(ग) क्या सरकार का केन्द्रीय विद्यालयों का शैक्षिक सत्र प्रति वर्ष अप्रैल से आरम्भ करने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन से शैक्षिक सत्रों आदि के आरम्भ करने के सम्बन्ध में पूरे देश में एक समानता लाने की अपेक्षा की जाती है। विद्यमान पद्धति संतोषजनक पाई गई है और कोई परिवर्तन करना अनिवार्य नहीं समझा गया है।

सिक्किम के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हेतु कोटा

8109. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों के विद्यार्थियों के लिए जहां इंजीनियरी कोर्स, मैडिकल कोर्स और अन्य शैक्षिक अध्ययन की व्यवस्था नहीं है, उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इनका कुछ कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1989 की स्थिति के अनुसार सिक्किम के लिए निर्धारित ऐसे कोटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सिक्किम के कोटे में वृद्धि करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ङ). किन्हीं भी ऐसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जहां इन अध्ययनों की व्यवस्था नहीं है, उन में से किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेश के छात्रों के लिए इंजीनियरी, चिकित्सा-पाठ्यक्रमों और अन्य शैक्षिक अध्ययनों के लिए कोई निर्धारित कोटा नहीं है। फिर भी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विभागों को प्रत्येक वर्ष अनुरोध पर इस प्रकार के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए चिकित्सा, इंजीनियरी और कृषि पाठ्यक्रमों में कुछ स्थान उपलब्ध होते हैं। स्थानों का आबंटन उपलब्धता तथा मांग पर निर्भर करते हुए वर्षानुवर्ष भिन्न-भिन्न होता है। सिक्किम के लिए 1.4.89 की यथास्थिति के अनुसार स्थानों की स्थिति निम्नलिखित है :—

इंजीनियरी	21 (1988-89 के लिए)
चिकित्सा	24 (1988-89 के लिए)
कृषि	21 (1989-90 के लिए)

पूर्वी क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधायें

8110. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डिग्री स्तर से आरम्भ होने वाले उच्च अध्ययन की व्यवस्था का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने की कोई योजना बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) पूर्वी क्षेत्र के बहुत से राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध कालेज डिग्री स्तर से उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

(ख) ऐसे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम हैं —अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल। सिक्किम में गंगटोक में एक राजकीय डिग्री कालेज है जो उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है तथा इससे स्नातक डिग्री तक पढ़ाई होती है।

(ग) से (ङ). सरकार ने नागालैंड, और असम राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय और असम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है।

महाराष्ट्र में खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना

8111. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में दक्षिण के पठार क्षेत्र में खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) इन उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गन्ने की खेती वाला क्षेत्र

8112. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 के बाद प्रतिवर्ष गन्ने की खेती के अन्तर्गत राज्यवार कुल कितना क्षेत्र रहा है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : वर्ष 1981-82 से 1987-88 तक गन्ने के तहत आने वाले क्षेत्र के राज्यवार अनुमानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1981-82 से 1987-88 तक गन्ने के तहत आने वाले क्षेत्र के राज्यवार अनुमान

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

राज्य	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	179.7	169.7	141.5	137.7	133.2	137.8	150.4
असम	49.4	49.4	49.2	53.0	47.8	46.5	43.2
बिहार	123.6	130.4	127.6	111.8	119.0	112.0	119.6
गोवा	1.2	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7
गुजरात	84.3	95.2	102.6	103.3	90.8	69.2	81.7
हरियाणा	147.0	147.0	134.0	124.0	106.0	124.0	142.0
हिमाचल प्रदेश	3.0	3.1	3.7	3.4	2.7	2.7	2.8
जम्मू एवं कश्मीर	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
कर्नाटक	175.3	187.1	172.7	172.0	171.5	180.8	168.4
केरल	8.0	7.8	8.1	7.8	7.8	7.6	7.8
मध्य प्रदेश	42.6	47.2	44.6	42.6	37.2	45.6	66.1
महाराष्ट्र	297.1	325.8	294.0	292.6	265.3	279.9	291.9
मणिपुर	2.3	1.7	1.7	1.7	0.7	2.6	2.6

1	2	3	4	5	6	7	8
मेघालय	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
मिजोरम	1.1	1.1	0.7	1.0	0.6	0.6	1.0
नागालैंड	4.3	3.8	3.0	3.0	3.2	3.3	3.3
उड़ीसा	50.0	51.2	42.3	57.0	57.8	45.5	42.3
पंजाब	106.0	104.0	84.0	78.7	78.0	97.0	104.0
राजस्थान	37.1	38.1	33.6	30.8	26.5	29.3	26.6
तमिलनाडु	201.3	174.5	151.7	169.5	191.1	196.4	207.6
त्रिपुरा	1.8	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.9
उत्तर प्रदेश	1651.7	1782.7	1688.0	1543.2	1490.0	1677.7	1806.8
पश्चिम बंगाल	23.0	31.1	20.3	13.4	12.9	12.5	11.0
अखिल भारत	3193.3	3357.6	3109.7	2953.2	2849.4	3078.7	3286.9

महाराष्ट्र में साक्षरता में वृद्धि

8113. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान साक्षरता में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख). देश में साक्षरता आंकड़ों का संकलन केवल दशवार्षिक जनगणना द्वारा किया जाता है। 1991 में की जाने वाली जनगणना के पश्चात् ही 1981 के बाद साक्षरता की दर में वृद्धि का पता चल सकेगा।

(ग) प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, अनौपचारिक शिक्षा का क्रमबद्ध कार्यक्रम तथा प्रौढ़ शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में साक्षरता प्रोन्नत करने की बृहद योजना के अनिवार्य भाग हैं।

खेती क्षेत्र

8114. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन कार्य किया गया है कि देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान खेती क्षेत्र में किस प्रकार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख). नवीनतम उपलब्ध भू-उपयोग सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार, गत तीन वर्षों अर्थात् 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान, देश में खेती के तहत आने वाला क्षेत्र करीब 1560 लाख हैक्टेयर निरन्तर बना रहा है।

(ग) और (घ). कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण एक से अधिक बार बुवाई करने, उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि करने तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाने के कारण हुई है।

आयातित फासफोरिक एसिड

8115. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अस्थायी प्रतिलम्बन के बाद, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से डी-अमोनियम फासफैट और अन्य उर्वरकों के लिए कच्चे माल का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओ०सी०पी० मारेक्को की अड़ुवाई में अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक संघ डी०ए०पी० के उत्पादन के लिए फासफोरिक एसिड और अमोनिया बेच रही है; और

(घ) यदि हां, तो मोरक्को कम्पनी द्वारा फारफोरिक एसिड के बिक्री मूल्य में वृद्धि किए जाने की स्थिति को देखते हुए उर्वरक उत्पादक संघ का किस प्रकार मुकाबला करने का विचार किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) सरकार रॉक फास्फेट, सल्फर फोस्फोरिक एसिड और अमोनिया का आयात करने का प्रस्ताव रखती है जो कि डाइ-अमोनियम फोस्फेट के निर्माण के लिए कच्चे माल हैं।

(ख) ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा।

(ग) डी०ए०पी० के उत्पादन के लिये ओ०सी०पी० मोरोक्को फोस्फोरिक एसिड के आपूर्तिकर्ता रहे हैं।

(घ) सरकारी नीति के ब्यौरों का रहस्योदघाटन करना जनहित में नहीं होगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं

8116. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1987-88, 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक प्रारम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी कौन सी परियोजनाओं को शुरू करने का विचार है जो सरकार के पास स्वीकृति के लिये लम्बित पड़ी हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०) के अन्तर्गत, परियोजनाओं को अनुमोदित और कार्यान्वित करने का प्राधिकार/उत्तरदायित्व जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के पास निहित था। कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा अनुमोदित/आरम्भ की गई परियोजनाओं के ब्यौरों की निगरानी केन्द्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है।

(ख) चूंकि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं को अनुमोदित करने में स्वयं सक्षम है अत: उन्हें परियोजनाएं अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिये केन्द्र सरकार के पास कोई परियोजनाएं अनुमोदन के लिये लम्बित नहीं हैं।

दामोदर घाटी निगम द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को सप्लाई की गई बिजली का उपयोग न किया जाना

8117. **डा०वी०एस०शैलेश** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के अनुसार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में अपनी वचनबद्धता के अनुसार अपने दुर्गापुर संयंत्र और अलौह इस्पात संयंत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली

का प्रयोग नहीं किया जिसके फलस्वरूप दामोदर घाटी निगम को प्रतिमाह 50 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्र द्वारा बिजली की अधिक मांग के अनुरूप बिजली सप्लाई करने की अपनी वचनबद्धता के कारण दामोदर घाटी निगम इस बिजली को अन्य उपभोक्ताओं को, जो बिजली की अधिक सप्लाई चाहते थे, सप्लाई करने में असमर्थ रही; और

(घ) क्या दामोदर घाटी निगम और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बीच इस विवाद को सुलझाने हेतु कोई अन्तर-मंत्रालयीय बैठक आयोजित की गई है, यदि हां, तो इसके परिणाम क्या निकले, और यदि नहीं, तो इस मामले को किस प्रकार सुलझाने तथा दामोदर घाटी निगम को घाटे से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय पोतों में निर्यात के माल का आरक्षण

8118. **डा०बी०एल० शैलेश** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्षों तक विचार-विमर्श करने के बाद भारतीय पोतों में निर्यात सामान के 40 प्रतिशत आरक्षण के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनका भारतीय नौवहन उद्योग के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). सरकार ने कार्गो आरक्षण के बारे में अब तक निर्णय नहीं लिया है । इसका मुख्य कारण यह है कि निर्यात संगठनों ने प्रस्ताव में बाध्यता की भावना सम्बन्धी किसी संघटक का विरोध किया है । वाणिज्य मंत्रालय ने भी कार्यविधि और समय सीमा के बारे में कुछेक आपत्तियां की है जिसमें राष्ट्रीय लाइनों को कार्गो समर्थन दिया जाना चाहिये ।

(ग) भारतीय लाइनों के प्रचालन की आर्थिक स्थिति सुधारने के अलावा नौवहन कम्पनियों द्वारा निश्चित रूप से कार्गो समर्थन से लाइनर और कार्गो जहाजों में योजनाबद्ध रीति से निवेश करने में मदद मिलेगी ।

फाउन्ड्री यूनिटों में कच्चे लोहे की कमी

8119. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाउन्ड्री यूनिट गत कुछ वर्षों से कच्चे लोहे की निरन्तर कमी के संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) फाउन्ड्री और कास्टिंग यूनिटों की वर्ष 1988-89 के दौरान कच्चे लोहे की मांग कितनी है;

(घ) इन यूनिटों को सरकार द्वारा कितनी मात्रा में कच्चे लोहे की सप्लाई की गई; और

(ङ) कच्चे लोहे की कमी की इस समस्या का समाधान कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख). हाल के वर्षों में देश में कच्चे लोहे की कमी रही है क्योंकि देशी उत्पादन तथा आयात की तुलना में मांग अधिक थी।

(ग) लगभग 9,80,000 टन।

(घ) कच्चे लोहे की सप्लाई उत्पादकों द्वारा की जाती है न कि सरकार द्वारा। वर्ष 1988-89 के दौरान कच्चे लोहे की कुल सप्लाई 10.40 लाख टन होने का अनुमान है।

(ङ) चालू वर्ष के दौरान कच्चे लोहे की उपलब्धता में सुधार होने की आशा है।

महिला ग्राम विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) द्वारा दी गई बी०ए० की डिग्री को मान्यता

8120. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला ग्राम विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) द्वारा दी जाने वाली बी०ए० की डिग्री (भारती) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक में भर्ती हेतु मान्यता प्राप्त नहीं है, हालांकि यह डिग्री उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती के लिए बी०ए० की डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस डिग्री को सरकारी क्षेत्र के बैंकों/केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में भर्ती के लिए मान्यता देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) (क) से (ग). भारत सरकार के अधीन रोजगार के प्रयोजनार्थ प्राइवेट निकायों और संस्थाओं (भारतीय तथा विदेशी) की डिग्रियों/डिप्लोमाओं की मान्यता पर विचार करने के लिए भारत सरकार का एक शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड है। महिला ग्राम विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद की बी०ए० डिग्री (भारती) को अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

हिंदुस्तान कापर लिमिटेड की अलाभप्रद खानों को धीरे-धीरे बन्द करना

8121. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने अपनी अलाभप्रद खानों को धीरे-धीरे बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन अलाभप्रद खानों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख). अलाभप्रद खानों को क्रमिक आधार पर बन्द करने के प्रति खान विभाग के सभी सरकारी उपक्रमों द्वारा (हिंदुस्तान कापर लि० सहित) सतत

ध्यान दिया जाता है। तथापि, तांबा मूल्यों के वर्तमान स्तर पर हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की कोई भी खान वस्तुतः ऐसी अलाभप्रद नहीं है, कि उसे तत्काल बन्द कर दिया जाये।

उड़ीसा खनिज विकास निगम की रुग्णता

8122. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में क्योंझर जिले में ठकुरानी में उड़ीसा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड की तेजी से रुग्णता होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के अधीन कितनी खानें हैं और इन खानों की बढ़ती हुई रुग्णता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए इस कम्पनी और खानों का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (घ). तत्कालीन बर्ड एण्ड कम्पनी लि० की अधीनस्थ निजी कम्पनी, उड़ीसा खनिज विकास कारपोरेशन के अपने नियत्रणाधीन तीन खानें थीं जो निजी मालिकों के विगत उपेक्षा किये जाने तथा इस्पात कारखानों द्वारा लौह अयस्क की निम्न खरीद के कारण रुग्ण हो गई। बर्ड एण्ड कम्पनी लि० (उपक्रम तथा अन्य सम्पत्ति अधिग्रहण और हस्तान्तरण) अधिनियम 1980 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत कम्पनी के कुछ शेयर केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित कर दिए गये थे। इसके परिणामस्वरूप उड़ीसा खनिज विकास बोर्ड की देखभाल राष्ट्रपति जी की ओर से शेयर धारक के रूप में केन्द्रीय सरकार करती है। बाद में सरकार इसके पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता देती रही है।

विदेशी विश्वविद्यालयों के बारे में गुमराह करने वाले विज्ञापन

8123. **श्री श्रीकान्तदत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों तथा व्यावसायिक संस्थानों, जो ऐसी डिग्रियां, डिप्लोमा और उपाधियां देने का दावा करते हैं, जिन्हें भारत से मान्यता प्राप्त नहीं है, के नाम से समाचार पत्रों में गुमराह करने वाले समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में चल रहे ऐसे संस्थानों के नाम क्या हैं तथा इनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कुछ संस्थानों को अपने अधिकार में लेने तथा छात्रों को उचित सुरक्षा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन संस्थानों को मान्यता देने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) शिक्षा विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि विदेशी विश्वविद्यालयों तथा व्यावसायिक संस्थाओं, जिनकी योग्यताएं तथा पुरस्कार न तो उनके देश में और न ही भारत में

मान्य हैं, के नाम से कई भ्रामक विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ समय-समय पर प्रेस द्वारा सामान्य जनता को भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में सतर्क करता रहा है तथा जनता को इस प्रकार के विश्वविद्यालयों/संस्थानों के स्तर की सूचना लेने की सलाह दी है।

(ख) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ये संस्थाएं कई स्थानों से कार्य करती हैं तथा उनका संपर्क पता समय-समय पर बदलता रहता है।

(ग) और (घ). इस प्रकार के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

दिल्ली में सहायताप्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के भविष्य निधि अंशदान पर प्रदत्त ब्याज की दर

8124. **श्री पी०एम० सईद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए भविष्य निधि में अंशदान करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो उक्त भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज किस दर से दिया जाता है;

(ग) क्या यह ब्याज दर सरकारी कर्मचारियों और दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत चल रहे सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों को दिये जा रहे ब्याज दर के बराबर है;

(घ) क्या इन विद्यालयों में भविष्य निधि योजना को किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता दी गई है और इस अंशदान पर आयकर से छूट दी जाती है; और

(ङ) क्या इन अध्यापकों के लिए सरकारी विद्यालय के अध्यापकों को उपलब्ध भविष्य निधि योजना लागू करने का विचार है अथवा उन्हें केन्द्रीय भविष्य निधि अथवा सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान करने की व्यवस्था की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन के अधीन सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत् शिक्षकों के सम्बन्ध में भविष्य निधि में योगदान को ऐसे अनुसूचित बैंकों/डाकघरों में जमा कराया जाता है। जिन पर इस प्रकार की जमा-राशियों के लिए ग्राह्य-यथा-दरों पर इस प्रकार का ब्याज दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में उच्च-तकनीकी उपकरणों का प्रयोग न किया जाना

8125. **डा० बी०एल० शेलेश** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जापान से आयातित सभी उच्च तकनीकी उपकरण इस बीच संस्थापित कर दिए गए हैं और उनका प्रयोग आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन उपकरणों का यथासंभव प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) से (ग). दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय ने वर्ष 1986 के दौरान जापान से 17 ही-टेक उपकरण आयात किए थे। उपकरण को लगाने और चालू करने का कार्य उपकरण देने वाली जापानी फर्मों द्वारा निर्धारित समय सारणी पर निर्भर करता है। इस उपकरण को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक उपकरण केन्द्र के परिसरों में लगाया गया है। 11 उपकरणों का भी उपयोग किया जा रहा है। आशा है शेष उपकरण शीघ्र ही कार्य करने लगेंगे।

उड़ीसा में सुकिन्दा में लौह-अयस्क और मैंगनीज के भंडार

8126. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कटक जिले में सुकिन्दा में अलौह अयस्क और मैंगनीज के कितने भंडार हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में लौह-अयस्क और मैंगनीज की कितनी मात्रा का विभिन्न देशों को निर्यात किया गया है;

(ग) सुकिन्दा में इन अयस्कों को निकालने में कार्यरत कंपनियों के नाम क्या हैं;

(घ) इन खानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने श्रमिक हैं;

(ङ) इन अयस्कों के निर्यात से गत तीन वर्षों में सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है;

(च) इस क्षेत्र तथा इन खानों में कार्यरत श्रमिकों की दशा में सुधार करने हेतु सरकार और इन कंपनियों द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(छ) क्या इस क्षेत्र में चार्ज क्रोम पर आधारित कोई नया उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुरक्षित खनिज माल-सूची के अनुसार उड़ीसा में कटक जिले के सुकिन्दा तहसील में प्राप्य लौह अयस्क का कुल 74 लाख टन भंडार होने का अनुमान है। सुकिन्दा में मैंगनीज अयस्क के भण्डार होने की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात के लिए कटक जिले में स्थित खानों से प्रेषित लौह अयस्क की मात्रा निम्नलिखित है—

1986	64,000 टन
1987	77,000 टन
1988	47,000 टन

(ग) कटक जिले में लौह अयस्क का कार्य उड़ीसा खनन निगम कर रहा है।

(घ) भारतीय खान ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार इन खानों में 1988 के दौरान औसत दैनिक रोजगार 118 थी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कटक जिले में स्थित खानों से प्रेषित लौह अयस्क का निर्यात मूल्य निम्नलिखित प्रकार है—

1986	1·28 करोड़ रुपये
1987	1·54 करोड़ रुपये
1988	0·98 करोड़ रुपये

(च) पारादीप पत्तन से निर्यात में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे बिहार-उड़ीसा क्षेत्र में लौह अयस्क खनन कार्य में समृद्धि होगी।

(छ) टिस्को द्वारा एक क्रोमाइट सज्जीकरण संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय चार्ज क्रोम लि०, जो एक निजी कंपनी है, इस जिले में चौधर में एक चार्ज क्रोम संयंत्र तैयार कर रही है।

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपलब्ध न होना

8127. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध न होने के कारण, इस स्टेशन से रेलयात्रा करने वाले यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो शहर के सभी ओर से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं। दिल्ली परिवहन निगम की रूट नं० 413, 427, 431, 623 आर०एल०-44 और आर०एल०-45 पर चल रही सेवाएं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को आई०एस०बी०टी०, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, महरौली, बसंत विहार और पुष्प विहार के साथ जोड़ती हैं। इसके अलावा, रिंग रोड पर, जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से पैदल की दूरी पर है, हाई फ्रीक्वेंसी के कई रूट हैं। रेलों द्वारा आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए स्टैंड-बाई बसों की भी व्यवस्था की गई है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर चलाया जाता है। दिल्ली परिवहन निगम के अनुसार बसों की उपलब्धता के बारे में सार्वजनिक उद्घोषण प्रणाली पर बार-बार घोषणाएं की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोग

8128. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** :

श्री सोडे रमैया :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गए हैं; और

(ख) दोषी वाहन चालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उन्नतीस ।

(ख) दिल्ली पुलिस प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि दोषी ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं । जांच पड़ताल चल रही है । टक्कर मार-कर भाग जाने वाले मामलों में पहचान नहीं हो सकने वाले मामलों को छोड़कर जान लेवा दुर्घटनाओं में दोषी व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस की अनर्हताओं के लिए भी नोटिस जारी किए गए हैं।

विद्यालय भवनों के लिए महाराष्ट्र को धन-राशि देना

8129. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत महाराष्ट्र में पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु इस राज्य को मंजूर की गई/मंजूर की जाने वाली धन-राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में बनाये जाने वाले विद्यालय भवन का ब्यौरा क्या है तथा इनका निर्माण किन स्थानों पर किया जायेगा; और

(ग) इन प्रयोजनार्थ राज्य को आवश्यक धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (ग). राज्यों को पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत कोई योजना नहीं बनाई गई है । अतः महाराष्ट्र को ऐसी संस्वीकृति प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आदिवासी जिला शिक्षा विकास कार्यक्रम

8130. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजाति जनसंख्या बहुल राज्यों में आदिवासी जिला शिक्षा विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) वर्ष 1989-90 में कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी; और

(घ) इस योजना के परिणामस्वरूप कितने आदिवासी लाभान्वित होंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) भारत सरकार द्वारा "जनजातीय जिला शिक्षा विकास कार्यक्रम" नामक कोई कार्य-क्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

आंध्र प्रदेश में खानों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

8131. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के विकास के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इस हेतु उक्त राज्य सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की है और खानों के विकास के लिए इसका किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग). केन्द्र सरकार राज्य की वार्षिक योजना के लिये परिव्यय प्रदान करती है जिसमें खनिज विकास परिव्यय भी शामिल है।

आंध्र प्रदेश में खनिज विकास के लिये 1986-87 से 1987-90 के दौरान अनुमोदित परिव्यय इस प्रकार है :

अनुमोदित परिव्यय (लाख रु० में)

	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
खान तथा भूतत्व की योजनाएं	25	25	25	25
आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम की परियोजनाएं	25	35	35	35
सिंगरैनी कोलियरीज	600	1000	1000	1000
	650	1060	1060	1060

केन्द्रीय खान विभाग द्वारा, 1989-90 के दौरान खानों के विकास हेतु राज्य सरकार के लिये किसी पृथक वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं है।

सिकन्दराबाद और हैदराबाद में केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

8132. **श्री मानिक रेड्डी** :

श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं;

(ग) क्या सिकन्दराबाद और हैदराबाद में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों को निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (ग). केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारी चिकित्सा देखरेख नियमों द्वारा अभिशासित होते हैं। तथापि दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में कुछ केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारी सी०जी०एच०एस० सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

(घ) सी०जी०एच०एस० सुविधा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जो भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं है और इसलिए वे स्वतः ही सी०जी०एच०एस० की सुविधा में शामिल किए जाने के पात्र नहीं हैं। गैर पात्र श्रेणियों के सम्बन्ध में के०स०स्वा० योजना को शामिल करने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय की पूर्व सहमति अपेक्षित होती है।

के०स०स्वा० योजना की सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अन्य केन्द्रीय विद्यालयों का इस सुविधा को प्रदान करने का इच्छुक नहीं है।

केन्द्रीय महाविद्यालय आरम्भ करने का प्रस्ताव

8133. **श्री मानिक रेड्डी :**

श्री ए०जे०वी०वी० महेश्वर राव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और रक्षा कार्मिकों की सुविधा के लिए केन्द्रीय विद्यालयों की तरह केन्द्रीय महाविद्यालय (डिग्री स्तर के कालेज) आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार एवं रक्षा कार्मिक के लाभ के लिए केन्द्रीय विद्यालय की तरह केन्द्रीय महाविद्यालय (डिग्री स्तर कालेज) शुरू करने का इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, "विकास के चार दशक" विकास (पुनरीक्षण सम्मेलन) पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान द्वारा 15 से 17 अप्रैल, 1989 तक नई दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित किया गया था और सम्मेलन में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सिफारिश की गई थी कि सारे देश में अध्यापकों और छात्रों में गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय विद्यालय पद्धति के अनुसार बड़े पैमाने पर नेहरू महाविद्यालय स्थापित किये जाने चाहिएं।

अल्युमिनियम फोसफाइड से हुई विषाक्तता से मृत्यु होना

8134. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम :**

डा०जी० विजय रामाराव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और अन्य राज्यों में अल्युमिनियम फोसफाइड से हुई विषाक्तता से कुछ मौतें हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विशाखापट्नम मत्स्य पत्तन में जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना

8135. **श्री सोडे रमैया** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री विशाखापत्तनम मत्स्य पत्तन के लिये स्वच्छ पेय जल की सप्लाई के बारे में 20 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6276 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगामी मत्स्य ग्रहण मौसम में शुद्ध पेय जल के अभाव की समस्या को सुलझाने के लिये विशाखापत्तनम मत्स्य पत्तन में जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : जी, नहीं। फिशिंग बंदरगाह में विशाखापत्तनम नगर निगम से फिल्टर और ट्रीट किए गए पानी की सप्लाई की जा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के कर्मचारियों की विदेश यात्रा

8136. **श्री माणिक रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के कितने संकाय सदस्य और अन्य शैक्षिक कर्मचारी सरकारी यात्रा पर विदेश गये;

(ख) विदेश यात्रा के सम्बन्ध में संकाय सदस्यों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के चयन के लिये क्या मानदंड अपनाये जाते हैं; और

(ग) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, जो अभी तक विदेश में हैं और उनके वहां रुके रहने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) सताइस।

(ख) और (ग). संकाय सदस्यों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों का विदेश दौरा उच्च शिक्षा, प्रतिनियुक्ति आधार पर रोजगार और बैठकों सम्मेलनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में ही सकता है। उन व्यक्तियों का चुनाव करते समय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा अपनाए जाने वाले मानदण्ड, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान में संस्थान की आवश्यकताएं और साथ-ही कार्मिक की संबंधित शैक्षिक विशिष्टता तथा निष्पादन और भावी उन्नति के लिए उनकी

सम्भाव्यता होते हैं विदेशी दौरे की अनुमति उस स्थिति में भी दी जाती है यदि कार्मिक को उच्च शिक्षा के लिए संस्थाओं द्वारा प्रायोजित किया जाता है।

इस समय 5 व्यक्ति विदेश में हैं, इनमें से तीन उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, एक प्रति-नियुक्ति आधार पर रोजगार हेतु गया है तथा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए गया हुआ है।

दुग्ध-उत्पादन

8137. **श्री पी०आर० कुमारमंगलम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक समितियों ने देश में दुग्ध उत्पादन के अनुमान के बारे में सन्देह व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या भा-समिति द्वारा वर्ष 1984 में की गई विभिन्न सिफारिशों को विशेष रूप से देश में दुग्ध-उत्पादन के अनुमानों से संबंधित सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख). आपरेशन फ्लड-II संबंधी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट से पता चला है कि सम्बद्ध आंकड़े एकत्रित करने के लिए पद्धति और उपकरण दोनों में सुधार करने की आवश्यकता है। किए गए विभिन्न उपचारी उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) विभिन्न राज्यों को इस बात के लिए राजी किया गया कि वे दूध सहित प्रमुख पशुधन उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए नमूना सर्वेक्षण करें और अधिकांश राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रमुख पशुधन उत्पादों का अनुमान लगाने के लिए नमूना सर्वेक्षण कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान अपने अंश हेतु इस योजना के लिये 191 लाख रुपये निर्मुक्त किए हैं।

(2) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गये ताकि विभिन्न राज्यों में पहलु और परिभाषा एक समान हो।

(3) जल्दी से अन्तिम रूप दिये गये राज्यवार दुग्ध उत्पादन के आंकड़ों को प्रकाशित करना और 1986-87 तक के दुग्ध उत्पादन आंकड़े प्रकाशित किए गये हैं।

(ग) और (घ). भा समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और राज्यों को उनकी सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है क्योंकि डेरी राज्य का विषय हैं। दुग्ध उत्पादन के अनुमानों से संबंधित सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। निदेशक, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, जिसके पशु विज्ञान क्षेत्र में विषयगत विशेषज्ञों के अलावा केन्द्र और राज्यों के विभिन्न सांख्यिकी संगठनों में अपने सदस्य हैं, की अध्यक्षता में कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा गठित पशु-पालन और डेरी संबंधी सांख्यिकी आंकड़ों के सुधार करने संबंधी अनुदेश देने वाली एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति आंकड़ों के महत्वपूर्ण अन्तराल पता लगाती है, जानकारी के संचयन, विश्लेषण और प्रचार के लिए संबद्ध सांख्यिकी की

योजनाओं का प्रस्ताव करती है, सांख्यिकी की उपयुक्त पद्धतियों का इस्तेमाल करती है और राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर परिणामों की नियुक्ति के लिए समय-समय पर स्वीकृति प्रदान करती है।

आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में स्वीट्जरलैंड के साथ समझौता-ज्ञापन

8138. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में परस्पर सहायता प्रदान करने के बारे में हाल ही में किये गये समझौता-ज्ञापन के अन्तर्गत स्वीट्जरलैंड से कोई सहायता नहीं मांगी है जैसा कि 19 मार्च, 1989 को "दी स्टेट्समैन" में प्रकाशित नई दिल्ली स्थित "स्वीस चार्ज एफेयर्स" के वक्तव्य से ज्ञात होता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का और क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार एक याचिका पत्र के रूप में कार्यवाही कर चुकी है जो स्विटजरलैण्ड के न्याय एवं पुलिस विभाग को सौंपा गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

अपंग बच्चों के लिए समेकित स्कूल

8139. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में, विशेषरूप से उड़ीसा में अपंग बच्चों के लिए कितने समेकित स्कूल हैं;

(ख) क्या और अधिक ऐसे स्कूल खोलने की मांग की गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1989-90 के दौरान देश में अपंग बच्चों के लिए और अधिक नये समेकित स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो राज्यवार उनकी संख्या क्या है; और

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने इस प्रयोजनार्थ और अधिक धनराशि रिलीज करने का अनुरोध किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एस० पी० शाही) : (क) प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा (वि०ब०स० शि०) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शामिल स्कूलों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) वि०ब०स०शि० की योजना के अंतर्गत वर्ष 1989-90 के दौरान शामिल किए जाने वाले नए स्कूलों की संख्या, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों और योजना के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए निधियों को मुक्त करने के लिए, उड़ीसा राज्य सरकार से अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	शामिल स्कूलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	46
2.	बिहार	35
3.	गुजरात	53
4.	हरियाणा	9
5.	हिमाचल प्रदेश	5
6.	कर्नाटक	173
7.	केरल	4471
8.	मध्य प्रदेश	17
9.	महाराष्ट्र	32
10.	मिजोरम	20
11.	नागालैंड	39
12.	उड़ीसा	20
13.	पंजाब	16
14.	राजस्थान	22
15.	सिक्किम	1
16.	उत्तर प्रदेश	17
17.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30
18.	दिल्ली	36

यह योजना, तमिलनाडु में भी कार्यान्वित की जा रही है लेकिन, शामिल किए गये स्कूलों की संख्या के सम्बन्ध में सही सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है।

विदेश भेजी गई कलात्मक वस्तुएं

8140. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत महोत्सव के संबंध में सोवियत संघ भेजी गई कलात्मक वस्तुओं में से कितनी कलात्मक वस्तुएं क्षतिग्रस्त रूप में वापस लाई गई हैं;

(ख) क्षतिग्रस्त कलात्मक वस्तुओं के संबंध में बीमा कम्पनी को कितनी धनराशि का दावा प्रस्तुत किया गया और बीमा कम्पनी द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का दावा मंजूर किया गया; और

(ग) क्या सरकार का विचार किसी भी प्रयोजन से विदेशों को बहुमूल्य कलात्मक वस्तुएं भेजने पर प्रतिबंध लगाने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : (क) भारत महोत्सव के तत्वावधान में प्राचीन और समकालीन कला की 861 कलाकृतियां छह अलग-अलग प्रदर्शनियों में सोवियत संघ भेजी गई थीं। इनमें से 30 कलाकृतियां कमोबेश क्षतिग्रस्त हुई हैं।

(ख) बीमा कम्पनी को 7,65,480 रुपए की राशि का दावा प्रस्तुत किया गया है और बीमा कम्पनी ने अब तक 5,38,500 रुपए की राशि का दावा मंजूर किया है।

(ग) इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी निर्दिष्ट है कि दुर्लभ, बहुमूल्य और अत्यधिक भंगुर कलाकृतियां विदेश न भेजी जाएं।

शिशु आहारों में कीटनाशी दवा

8041. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सेबों पर भारी मात्रा में कीटनाशी दवा का छिड़काव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिक मात्रा में सेब मिश्रित दूध छुड़ाने वाले आहारों सहित शिशु आहारों में कीटनाशी दवा का अंश पाया गया है जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(ग) इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या निगरानी रखी गई है और क्या परीक्षण किए गए हैं;

(घ) क्या देश में अलार (डमिनोजाइड) कीटनाशी का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित/आयातित इस कीटनाशी दवा की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) जी, नहीं। सेबों पर कीटनाशियों का भारी मात्रा में छिड़काव नहीं किया जाता है, क्योंकि एक मौसम में संस्तुत: कीटनाशियों का केवल 5-7 बार ही छिड़काव किया जाता है।

(ख) सरकार की जानकारी में दूध छुड़ाने वाले आहारों सहित शिशु आहारों में संदूषण संबंधी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आहार (स्वास्थ्य) प्राधिकरणों को बार-बार सलाह दी गई है कि वे आहारों में कीटनाशियों की उपस्थिति हेतु आहारों की सभी वस्तुओं का विश्लेषण करें।

(घ) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत देश में अलग (डमिनोजाइड) नामक कीटनाशी, इस्तेमाल हेतु पंजीकृत नहीं की जाती है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के पांच स्वयं-सेवक आमरण अनशन पर बैठे हैं, और आज इसका सातवां दिन है। वे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सभी मान्यता-प्राप्त भारतीय भाषाओं के लिए अंग्रेजी के समान अधिकारों और विशेषाधिकारों की मांग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तो करा था आपने।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप पहले ही इन मांगों का समर्थन कर चुके हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। मतलब की बात है। ऐसा क्यों करते हैं।

[अनुवाद]

मैं आप में से एक को बोलने की अनुमति दूंगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी तो यही कह रहा हूं। मेरी बात सुनिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उनका जीवन बचाने के लिए आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है। आप मंत्री जी को कहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही उनसे अनुरोध कर चुका हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि वे मर गए तो गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी। आप मंत्री जी से कहिये कि वह उनसे संपर्क करें और उन्हें आश्वासन दें कि इस बारे में कुछ किया जायेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा प्रश्न है, मेरे विचार से, जिसमें सभी माननीय सदस्यों की दिलचस्पी है·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या करते हैं।

··· ···**(व्यवधान)**·····

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : शताब्दी मेल समाचार पत्र में इस सदन के सदस्य जनता पार्टी के नेता, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो मूल्य और सिद्धांत के आधार पर राजनीति की बात करते हैं····· इस सम्बन्ध में मैंने नोटिस भी दिया है·····**(व्यवधान)**·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एलाउ नहीं किया है।

......(व्यवधान)......

श्री निर्मल खत्री : तस्करों के सम्बन्ध में उजागर किया गया है। जब वे 1985 में वित्त मंत्री थे ......(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

......(व्यवधान)*......

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एलाउ नहीं किया है। मैं एलाउ करूं तब आप बोलेंगे।

......(व्यवधान)*......

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कह रहा था। यदि मैं किसी को बोलने की अनुमति दूं तभी यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित होगा अन्यथा नहीं। मैं एक-एक करके अनुमति दे सकता हूं। ऐसे नहीं।

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री : आपने मुझे एलाउ किया था, तभी मैं बोला हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे प्रतीक्षा करने के लिये अनुरोध किया था।

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री : मैं आपके आदेश का इन्तजार करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विद्यार्थियों की इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री : मैंने नहीं सुना।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दस दफा कहा है। चिल्लाकर कहा है। मेरी आवाज इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती।

श्री निर्मल खत्री : सर, मैं सुन नहीं पाया।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं सुनते आप ?

*कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री निर्मल खत्री : सर, कोई बात नहीं। जब आप इजाजत देंगे, तब मैं कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा था, यह प्रश्न इन्होंने भी उठाया, वैरागी जी ने भी उठाया और सभी साथियों ने उठाया। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : कहने दीजिये। मैं कहना चाहता हूं। मैं आपकी बात कह रहा हूं।

[अनुवाद]

वह मामला उठायेंगे और इस कार्य को तुरन्त किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

मैंने पहले भी कहा था, मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

आप मुझे लिख कर दीजिये। इस प्रकार नहीं।

.....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में समाचार पत्र है, मैंने इसके लिये नोटिस भी दिया है, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह मूल्य और सिद्धांत के आधार पर राजनीति की बात करते हैं।.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं करते हैं। आप बैठ जाइये। ऐसे नहीं।

.....(व्यवधान).....

श्री निर्मल खत्री : जब वे वित्त मंत्री थे, उस समय तस्करों के खिलाफ आदेश होने के बावजूद भी मौखिक दबाव से मौखिक आदेश को.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं करते हैं। देखिये, नहीं, यह बात गलत है।

[अनुवाद]

नहीं। इस प्रकार नहीं। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता (डायमण्ड हार्बर) : महोदय अमरीका से प्राप्त एक अशांत करने वाली खबर के बारे में मैंने सूचना दी है। सीनेट की एक उपसमिति की सुनवाई में, यह पता चला है कि उप-समिति के चेयरमैन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ कामर्स को यह आदेश दिये हैं अथवा उनसे अनुरोध किया है कि वह सुनिश्चित करें कि कतिपय अत्याधुनिक उपस्कर भारत को निर्यात न किये जायें। भारत को जलवायु सम्बन्धी जांच के लिये इन उपस्करों की आवश्यकता थी। परन्तु इनका इस्तेमाल अग्नि प्रक्षेपास्त्र को छोड़ने के लिये भी किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से मालूम करूंगा। आप इसे मुझे दे दीजिये।

श्री अमल दत्ता : अब आम धारणा यह है कि अमरीकी सरकार भारत सरकार पर दबाव डाल रही है ताकि अग्नि प्रक्षेपास्त्र छोड़ा ही न जाये और यह दो बार असफल हो चुका है। इस पर चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : राज्यों से अशांत करने वाली एक खबर मिली है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय या कृषि मंत्रालय पंचायती राज्य विधेयक पारित होने से पूर्व ही पंचायतों को सीधे धनराशि भेज रहा है और प्रधान मंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं कि राज्य सरकारों को सूचित किये बिना कोई धनराशि नहीं भेजी जायेगी। इस बारे में चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा की अनुमति पहले ही दे चुका हूं। आपने कल भी की थी। हम अनुमति दे चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों देश के जनता दल का तस्करों के साथ सांठगांठ के संबंध में नोटिस दिया था ·····**(व्यवधान)**·····

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

श्री राम प्यारे पनिका : आज जो माननीय सदस्य, निर्मल खत्री जी ने उठाया, वह पार्टी और वह दल·····**(व्यवधान)**·····

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं करते हैं।

·····**(व्यवधान)***·····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता; अनुमति नहीं दी गई।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिले में अनजान बीमारी से पिछले 10 दिनों में 21 आदिवासियों की मौत हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिये।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी की भी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जावे। अब पत्र सभा पटल पर रखे जायें।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में कालेजों और यूनिवर्सिटी के कई हजार टीचर्स 80, 85 दिनों से इस्ट्राइक पर हैं, जिससे वहां की शिक्षा बिलकुल ठप्प हो गई है। केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे।

अध्यक्ष महोदय : यह वहां की बात है, यहां की नहीं।

.....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : कल आपने आश्वासन दिया था कि आप स्टेट्समैन वाले मामले में अपना विनिर्णय देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं लिख चुका हूं। मैंने कार्यवाही शुरू कर दी है। जो कुछ मैं कर सकता था, मैं कर चुका हूं।

श्री अमल दत्ता : कृपया चर्चा की अनुमति दीजिये .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं अनुमति दे सकता हूं तो मैं अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। यह राज्य का विषय है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय आप हमारी बात सुनिये। हम नियम के अनुसार बात करना चाहते हैं .....**(व्यवधान)**.....

गत महीने की 30 तारीख को हमारे जिले में मरिचहवा गांव में जंगल पार्टी के लोगों ने 13 आदमियों को गोली से भून दिया। यह स्थान नेपाल, यू०पी० और बिहार के बोर्डर पर स्थित है। मैंने इसके लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं चलेगा।

श्री राम नगीना मिश्र : आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यह राष्ट्रीय मामला है। .....**(व्यवधान)**..... 193 में मैंने सवाल किया है कि गंडक का पानी रुका हुआ है, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। उस पर आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : जो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट है, वह आपने एप्रूव कर दी है। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री राम नगीना मिश्र : हमको जवाब नहीं मिला है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप पूछ लीजिये। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आ गई है। श्री वसंत साठे।

12.07 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, औरगांव के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, औरगांव का वर्ष 1987-88 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने पर में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7825/89]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे आदि

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : मैं श्री भजन लाल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7826/89]

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन — संघ सरकार (डाक तथा दूर संचार संघ सरकार विनियोग लेखे (डाक सेवायें तथा दूर संचार सेवाएं) 1987-88

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं, श्री एडुअार्डो फैलोरी की से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31, मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन संघ सरकार (डाक तथा दूर-संचार)— की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7827/89]

(2) वर्ष 1987-88 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखाओं (डाक सेवाएं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7828/89]

(3) वर्ष 1987-88 के लिए संघ सरकार विनियोग लेखाओं (दूरसंचार सेवाए) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7829/89]

कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 संबंधी वार्षिक प्रतिवेतन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7830/89]

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पंचालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7831/89]

12.08 म०प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1989 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 26 अप्रैल, 1989 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

12.09 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

71 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करती हूं।

"कि यह सभा 3 मई, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 71वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 3 मई 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गये कार्य मंत्रणा समिति के 71वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कर्नाटक के उत्तर और दक्षिण कनारा जिले के अनेक भागों में फैले "बन्दर रोग" पर काबू पाने के लिए तत्काल उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री जी० देवराय नायक (कनारा) : कर्नाटक के उत्तर तथा दक्षिण कनारा जिलों में बन्दर रोग गम्भीर खतरा बन गया है। अब तक इससे 35 जानें जा चुकी हैं और कई सौ लोग उपचाराधीन हैं।

राज्य सरकार लोगों को इस भयंकर बीमारी से नहीं बचा पाई है। इससे बुरी तरह प्रभावित लोगों में समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे तथा औरतें हैं।

अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह उस क्षेत्र में हुई हानि का मूल्यांकन करने हेतु एक दल भेजे। इस बीमारी के लिए सीरप तैयार करने हेतु तत्काल उपाय किये जाने चाहिएं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए सीरप तथा अन्य दवाईयां बनाने हेतु राज्य में एक कारखाना लगाया जाना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस बीमारी पर तत्काल काबू पाये और लोगों की जानें बचाये।

(दो) उड़ीसा में खुर्दा रोड डिवीजन में रेलवे स्टेशनों तथा अन्य रेलवे स्टेशनों पर रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयंती पटनायक (कटक) : बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त होने से उड़ीसा में खुर्दा रोड डिवीजन के कई रेलवे स्टेशनों और विशेष रूप से कटक और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशनों पर रेल आरक्षण और अन्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह दु:ख की बात है कि इस तथ्य के बावजूद कि ये पद पिछले चार वर्षों से रिक्त पड़े हैं, इन्हें भरने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। रिक्त पदों में कमर्शियल क्लर्कों और स्टेशन बुकिंग क्लर्कों के पद शामिल हैं। कुछ वर्ष पहले रेलवे सेवा आयोग ने परीक्षा लेने के बाद उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की थी और इसमें से उम्मीदवारों की भर्ती किए जाने के लिए यह सूची गार्डन रीच, कलकत्ता स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय में भेजा था। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इनमें से 90 प्रतिशत उम्मीदवार उड़ीसा के थे। तब से उस सूची पर मुख्यालय के कार्मिक विभाग में धूल पड़ रही है। खुर्दा रोड डिवीजन के अधिकारियों में स्टाफ की अत्यन्त कमी और उसके परिणामस्वरूप होने वाली परेशानी के बारे में कई बार दक्षिण पूर्व रेलवे, कलकत्ता का ध्यान इस ओर दिलाया है।

12.12. म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसे मद्दे नजर रखते हुए मैं यह मांग करता हूं कि उड़ीसा के विभिन्न स्टेशनों पर पड़े रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाए और जिन उम्मीदवारों के नाम पैनल पर हैं उनकी नियुक्ति के लिए तत्काल आदेश दिए जाएं।

(तीन) सरसों के लिए लाभप्रद मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धीरज्जल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष सरसों का भाव 1100 रुपये प्रति क्विंटल था जो अब घटकर 500 रुपए प्रति क्विंटल तक रह गया है। किसान ने अच्छा बीज महंगी

(श्री बीरबल)

सफरे व महंगी खाद लगाकर अथक परिश्रम से सरसों की फसल पैदा की, परन्तु उसे अपनी लागत एवं परिश्रम का कोई फल नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार तारामीरा व तौरिये व चनों के भाव भी गिरते जा रहे हैं। बाजार में सरसों की फसल आ चुकी है। यदि सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रहार होगा।

अतः मेरा केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्री जी से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि सरसों के भाव कम से कम 1000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए जावें, जबकि बाजार में वह आज लागत से कम मूल्य पर बिक रही है।

(चार) भंजनगर (उड़ीसा) में एक दूरदर्शन केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सरकार के निर्णय के अनुसार भंजनगर, उड़ीसा में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की जानी थी। दूरदर्शन इंजीनियरों के सुझाव और निर्णय के अनुसार टी० वी० केन्द्र खोलने के लिए स्थानीय बी० एड० कालेज के भवन में फेर बदल किए गए थे। कुछ केन्द्र, जिन्हें स्थापित करने की अनुमति भंजनगर केन्द्र से काफी समय बाद दी गई, स्थापित किए जा चुके हैं। भंजनगर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए प्राप्त किए गए उपकरण भी कहीं और लगा दिए गए हैं।

भंजनगर और इसके आसपास के इलाकों के लोगों को काफी समय पहले भजनगर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के निर्णय से बहुत आशाएं बंधी थी। उस क्षेत्र की जनता की आशाओं को तोड़ने का कोई कारण नहीं है।

हमेशा की तरह इस बार भी मानसून जून के दूसरे सप्ताह में आएगा। अतः यह जरूरी है कि भंजनगर में बिना विलम्ब किए एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाए।

भंजनगर उड़ीसा राज्य के चमसर सब-डिवीजन का केन्द्र है। इसलिए भंजनगर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने पर जोर देने की जरूरत नहीं है।

अतः मेरा अनुरोध हैं कि भंजनगर में एक दूरदर्शन केन्द्र खोलने की तारीख तुरन्त बताई जाए।

(पांच) बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी में सीता के जीवन पर 'प्रकाश और ध्वनि' कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : उत्तरी बिहार में मिथिला सीता का जन्मस्थल है। भारतीय इतिहास में सीता को विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसे बलिदान की कहानी विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती।

आज के युवकों को सीता के पूरे जीवन की जानकारी नहीं है।

भारत और विदेशों से प्रति वर्ष हजारों तीर्थ यात्री मिथला जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि जनता को सीता के जीवन की जानकारी देने के लिए मिथिला में तीन स्थानों—मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी में ऐसा ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम शुरू किया जाए, जैसा कि लाल किला और नेहरू संग्रहालय में दिखाया जाता है।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए तथा मिथिला में ऐसे शो का आयोजन किया जाना चाहिए।

(छः) सूखे से बुरी तरह प्रभावित दक्षिण-पूर्व राजस्थान के जिलों में पेय-जल उपलब्ध कराए जाने हेतु तुरन्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : मान्यवर, राजस्थान में इस समय भयंकर पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है। नदी, नाले, तालाब तथा कुएं सब सूख गए हैं।

दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जहां उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले आते हैं, लोग बहुत अधिक परेशान हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की स्थिति बहुत अधिक गम्भीर है। ट्यूबवैल, हैण्डपम्प तक सूख गए हैं। मई जून का महीना निकालना बहुत कठिन होगा, यदि तत्काल पीने के पानी की व्यवस्था के लिए हैण्ड पंप तथा ट्यूबवैल गहरे नहीं कराए गए तो कई पशु और मानव मर जायेंगे। कृपया भारत सरकार शीघ्र हाई प्रेशर रिग की व्यवस्था कराये और विशेषकर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में हाई प्रेशर रिग भेजकर पानी की व्यवस्था कराई जाये।

(सात) तमिलनाडु के सलेम जिले में मेत्तूर में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के० आर० नटराजन (डिंडीगुल) : महोदय; मैं तमिलनाडु के सेलम जिले में मेत्तूर में अपर्याप्त टेलीफोन सुविधा से सम्बन्धित एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं। मेत्तूर को देश के अन्य भागों से जोड़ने के लिए वहां एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। ट्रंक काल जल्दी और समय पर नहीं मिलते।

मेत्तूर एक बड़ा औद्योगिक शहर है, जहां ऐसे कई उद्योग हैं, जहां जनता के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण होता है तथा वहां एक तापीय विद्युत केन्द्र भी है। इसके पास ही एक बड़ा बांध भी है। लोगों को अपने रोजमर्रा के व्यापार आदि और अन्य कार्यों के लिए मेत्तूर से अन्य स्थानों के लिए संपर्क स्थापित करना होता है। साथ ही देश के अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी अक्सर इस नगर की जनता से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। आम जनता तथा व्यापारी वर्ग काफी समय से वहां एस०टी०डी० सुविधा की आवश्यकता महसूस कर रहा है ताकि यहां से देश के अन्य भागों से आसानी से सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

अतः संचार मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह मेत्तूर के लिए एस०टी०डी० सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने पर विचार करें।

(आठ) पश्चिम बंगाल के लिए चावल और गेहूं के मासिक आवंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : जून 1988 से केन्द्र सरकार का पश्चिम बंगाल को चावल और गेहूं दोनों का महीने का कोटा कम होकर 90,000 मीट्रिक टन रह गया है। पुनः फरवरी 1989 से चावल का एक महीने का कोटा 16,000 मीट्रिक टन तक कम करके केवल 64,000

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

मीट्रिक टन कर दिया गया। इस तरह करीब 1 वर्ष की अवधि में चावल के मासिक कोटे में 50 प्रतिशत कटौती की गई। घटिया किस्म के खाद्यान्नों तथा पहले ही से कम किए गए कोटे की अपर्याप्त मात्रा में सप्लाई से स्थिति और खराब हो गई है। उदाहरण के लिये पिछले तीन महीनों में क्रमश: केवल 49,000 मीट्रिक टन, 14,000 मीट्रिक टन और 47,000 मीट्रिक टन गेहूं सप्लाई किया गया और अप्रैल माह में 14 तारीख तक केवल 6000 मीट्रिक टन गेहूं दिया गया है। इससे पश्चिम बंगाल में समूची सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिखर जाने का खतरा है जिसमें तुरंत सुधार किए जाने की जरूरत है।

चावल के बिक्री मूल्य में 5-10-82 से 25-1-89 की अवधि तक सात बार वृद्धि की गई, आम चावल की कीमत प्रति क्विंटल 188 रुपए से बढ़ाकर 244 रुपए, बढ़िया चावल की कीमत 200 रुपए से बढ़ाकर 304 रुपए और बहुत बढ़िया चावल की कीमत 250 रुपए से बढ़ाकर 325 रुपए कर दी गई। यहां तक कि आई०टी०डी०पी० क्षेत्रों में चावल की कीमत घटिया चावल (34 रुपए) बढ़िया (71 रुपए) और अधिक बढ़िया (77 रुपए) प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई। गेहूं के बिक्री मूल्य में भी यही स्थिति है।

बजबज स्थित भारतीय खाद्य निगम का ओरिएंट जूट मिल का गोदाम बंद पड़ा है और उसमें काफी भंडार जमा पड़ा है। इसे खोलने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार को इसे खोलने के लिए तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए।

मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल के लिए चावल और गेहूं के मासिक आवटन में तुरन्त वृद्धि करें और इस बात की गारन्टी दें कि वहां पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जाए तथा वहां घटिया गेहूं न भेजा जाए। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि समूचे देश में इनके बिक्री मूल्यों को कम किया जाए।

(नौ) टैगोर की कृतियों का प्रतिलिप्यधिकार 50 वर्ष से बढ़ाकर 100 वर्ष किए जाने की आवश्यकता

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों का प्रतिलिप्यधिकार 1991 में समाप्त हो रहा है जबकि इस लेखक की मृत्यु हुये 50 वर्ष हो जाएंगे। टैगोर की कृतियों को न केवल देश-विदेश में पढ़ा ही जाता है अपितु प्राइमरी से अनुसंधान स्तर तक सभी श्रेणियों के छात्रों को पढ़ाया भी जाता है। तथाकथित प्रतिलिप्यधिकार समाप्त होने पर वे बेईमान प्रकाशक, जो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, टैगोर की कृतियों का अप्रमाणित और घटिया प्रकाशन करेंगे।

रवीन्द्र संगीत और उसकी धुन दोनों का विशेष स्थान है और इसकी धुन स्वयं रवीन्द्रनाथ टैगोर ने तैयार की थी। टैगोर के लेखक की पवित्रता को बनाए रखने का एक ही उपाय है कि उनके प्रतिलिप्यधिकार की अवधि बढ़ाई जाए। विश्व के कई देशों, जिनमें से अनेक ने बर्न सम्मेलन में अपने हस्ताक्षर किए थे, ने काफी पहले की अवधि 50 वर्ष से बढ़ाकर 100 वर्ष कर दी है। सभी लेखकों की कृतियों के मामले में समान व्यवहार का सिद्धान्त आड़े नहीं आना चाहिए क्योंकि टैगोर जी की कृतियां सबसे अलग और विशेष हैं।

उनकी कृतियों के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके प्रतिलिप्यधिकार से न केवल कुछ लोगों को अपितु विश्व भारती संस्थान, जो एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, को लाभ पहुंचेगा ।

इस संबंध में यूनेस्को का कार्यकारी दल दो तरह के उपायो के बारे में सर्वसम्मत था । जिनसे बौद्धिक कृतियों की सुरक्षा, जनता के हितों की सुरक्षा और इनके गलत उपयोग को सुनिश्चित किये जाने की संभावना है ।

अतः, मैं इस संबंध में प्रधान मंत्री, जो विश्व भारती के चांसलर हैं तथा मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वह इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें ताकि टैगोर की कृतियों का प्रतिलिप्यधिकार 50 वर्ष से बढ़ाकर 100 वर्ष कर दिया जाए ।

(दस) राजस्थान में पाली, बालोतरा और जोधपुर जिलों के उन किसानों को, जिनकी फसलों को कारखानों से छोड़े गये दूषित पानी से नुकसान पहुंचा है, मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पाली, बालोतरा, जोधपुर की रंगाई, छपाई की फैक्ट्रियों के दूषित पानी से किसानों की हजारों बीघा भूमि व सिंचाई के कुएं नष्ट होने की जानकारी होते हुए भी सरकार द्वारा उन किसानों को मुआवजा दिलाने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ तक नहीं की गई है, जबकि पाली कलैक्टर के समक्ष 14 नवम्बर 1988 नेहरू जयन्ती के दिन प्रभावित किसानों ने आवेदन भी प्रस्तुत किए थे । भारत सरकार द्वारा ऐसे किसानों को मुआवजा दिलाने व जो फैक्ट्रियों के मालिक ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने को उत्सुक हैं अथवा प्रदूषण मिटाने के उपाए किये हैं, उन्हें तो तकनीकी सहयोग देना चाहिए, लेकिन जो उद्योगपति ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने हेतु व समस्या के समाधान हेतु अभी तक उदासीन हैं, उनके विरुद्ध कानून के तहत कार्यवाही करने व जिनके लिये प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट यह आ चुकी है कि अमुक फैक्ट्री से अब प्रदूषण बंद हो गया है, उसको चालू रखने का भी न्याय संगत निर्णय लेना चाहिए। जिन फैक्ट्रियों से प्रदूषण चालू है, उसको मिटाने हेतु व किसानो को राहत पहुंचाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जानी अनिवार्य है ।

12.24 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया ने 24 अप्रैल, 1989 को उठाया था । श्री चरनजीत सिंह वालिया ।

श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, हम देश के सामने एक गम्भीर समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम सभी लोग इससे चिन्तित हैं ।

[श्री चरनजीत सिंह बालिया]

साम्प्रदायिक दंगे, चाहे वे बिहार शरीफ में हों अथवा हजारी बाग, जम्मू, बीदर अथवा अलीगढ़ में, सम्पूर्ण देश को अस्थिर बना रहे हैं। हम उन स्थानों की गिनती भी नहीं कर सकते जहां विगत में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं।

मेरे मित्र, श्री रघुनन्दन लाल भाटिया ने कुछ समय पहले कहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और हमने यह सोचा कि स्वतन्त्रता के बाद फूट डालो शासन करो की यह नीति, चाहे यह धर्म के आधार पर हो अथवा जाति के आधार पर, समाप्त हो जायेगी। परन्तु मुझे यह उल्लेख करते हुए दुख है कि स्वतन्त्रता के चार दशकों के बाद भी हम साम्प्रदायिक दंगों की इस बुराई के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साम्प्रदायिक फूट दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। साम्प्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं। अतः मैं यह अवश्य कहूंगा कि सत्तापक्ष के मेरे माननीय सहयोगियों और केन्द्रीय सरकार को यह दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूं कि उन्हें यह फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों से विरासत में मिली है और वे इसका अनुपालन सफलतापूर्वक और इमानदारी से कर रहे हैं।

साम्प्रदायिक दंगों में बहुत से लोगों की जाने गई हैं। इससे सैकड़ों करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई है। परन्तु ऐसा नहीं लगता कि इस साम्प्रदायिक फूट और दंगों की समाप्ति हो जायेगी। हम कुछ बातों का अनुपालन करते हैं जबकि प्रचार कुछ अन्य बातों का करते हैं। भारत में राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषता के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। परन्तु मुझे यह कहना पड़ेगा कि साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का दायित्व बहुसंख्यक समुदाय का ही है। हमारे बहुत से मित्रों—विशेषरूप से श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी यह उल्लेख किया है कि पंजाब में कोई साम्प्रदायिक फूट अथवा दंगा नहीं हुआ है। मुझे इस बात पर गर्व है। हम इस बात पर गर्व से अपना सिर उठा सकते हैं कि पंजाब में जटिल और कठिन स्थिति के बावजूद भी वहां बहुमत समुदाय ने साम्प्रदायिक सदभाव को बनाए रखा है और पंजाब में साम्प्रदायिक दंगों को दूर रखा है।

मैं, सम्पूर्ण देश के बहुसंख्यक समुदाय के अपने भाइयों से यह अनुरोध करता हूं कि उन्हें सिखों से यह सीखना चाहिए कि बहुसंख्यक समुदाय कैसे साम्प्रदायिक सदभाव के लिए कार्य कर सकता है। हमने इस बारे में रास्ता दिखाया है। हमें यह खुशी है कि हमने जो कुछ देखा उसकी प्रतिक्रिया को नहीं भड़काया। हमने 1984 के साम्प्रदायिक दंगों की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया को उत्तेजित नहीं किया। एक ओर सिखों ने सब कुछ सहन किया। दूसरी ओर उनका कसूर क्या था ? उनका कसूर यही था कि वे सिख थे। बीदर में उन्हें क्या मिला ? जम्मू में उन्हें क्या मिला ? उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया था। उन्हें सिख होने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा।

उन सिखों को कष्ट उठाने पड़े जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ किया जो बहादुरी से लड़े और उन्होंने भारत को स्वतन्त्र बनाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। भारत की स्वतन्त्रता के बाद होने वाली तीनों लड़ाइयों में, चाहे वह चीनी आक्रमण हो अथवा वर्ष 1965 और 1971 में पाकिस्तान की लड़ाई हो, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया। उन्होंने इस देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। परन्तु हमें इसके बदले में क्या मिला ? हमने अंग्रेजों द्वारा दिए गए लालच को ठुकरा दिया, वे हमें एक अलग सिख राज्य, एक अलग देश देने के लिए

तैयार थे परन्तु हमने अपने भाग्य को भारत के साथ जोड़ा। परन्तु हमें उसके बदले में क्या मिला ? हमें शक की निगाह से देखा जाता है और हमें देश द्रोही कहा जाता है। अब सिख इस देश में अपने आपको असुरक्षित अनुभव करते हैं। अपने भाग्य को भारत के साथ जोड़ने और देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के बदले में हमें यह परिणाम मिला। प्रैस और मीडिया द्वारा ऐसा किया जा रहा है। हमें अलगाववादी और पृथकतावादी कहा जाता है।

कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने शिमला में कहा था कि प्रैस में छपे अनुसार आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव मुस्लिम लीग के प्रस्ताव जैसा ही है। यह सिखों के प्रति अन्याय है। उन्होंने वर्ष 1981 में इस प्रस्ताव के आधार पर ही चुनाव लड़ा था। उन्होंने इस देश के कोने-कोने में यह प्रचार किया था कि आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव एक पृथकतावादी दस्तावेज है जिससे देश का विघटन हो जायेगा। परन्तु चुनाव जीतने पर उन्होंने लोंगोंवाल के साथ एक समझौता किया और उन्होंने स्वयं सरकारिया आयोग को यह आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव सौंपा था। यदि यह एक पृथकतावादी दस्तावेज था तो फिर इसे सरकारिया आयोग को सौंपने की क्या आवश्यकता थी ? मैं कहता हूं कि आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव इस देश को विखंडित करने वाला दस्तावेज नहीं है। यह दस्तावेज भारत से विच्छेद करने वाला दस्तावेज नहीं है। इसमें राज्यों के लिए अधिक अधिकारों की मांग की गई है। हम भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं परन्तु हम राज्यों की कीमत पर ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि राज्य भी समान रूप से मजबूत बनें। अत: यह प्रस्ताव राज्यों को अधिक शक्तियां देने के बारे में है। अत: यह प्रस्ताव देश के संघीय ढांचे को सही और व्यवहार्य रूप देने के लिए है। अत: मैं निवेदन करता हूं कि हमें संकीर्ण राजनैतिक और साम्प्रदायिकतावादी हितों को ध्यान में रखते हुए नीति और राजनीति का अनुपालन नहीं करना चाहिए। और सम्पूर्ण देश के बहुसंख्यक समुदाय का नैतिक दायित्व और केन्द्रीय सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व यही है कि उन्हें अल्पसंख्यकों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। उन्हें भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करनी चाहिए। उन्हें देश के संविधान और नियमों और विनियमों में उल्लिखित अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और कुछ लोगों के मन में यह भावना नहीं आनी चाहिए कि उनसे अलग व्यवहार किया जा रहा है अथवा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के लिए नियम अलग-अलग हैं। वर्ष 1984 में केवल एक स्थान पर ही नहीं, अपितु बहुत से शहरों में, कस्बों में, देहात में, और यहां तक कि हमारी केन्द्रीय सरकार के अत्यन्त निकट राजधानी में भी हजारों सिखों की हत्या कर दी गई। क्या सरकार इन हत्याओं को रोक नहीं सकती थी ? इन हत्याओं को रोकना सरकार का उत्तरदायित्व था।

कुछ लोगों ने ऐसी मांग की है और मैं भी यह मांग करता हूं कि साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए, उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों, उस विशेष जिले जहां ऐसे दंगे होते हैं, के पुलिस अधीक्षक अथवा जिला मजीस्ट्रेट को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए और उन्हें तुरन्त निलम्बित कर दिया जाना चाहिए। उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए और उन्हें उचित सजा दी जानी चाहिए। उन्हें इन दंगों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। उन्हें एक सबक सिखाया जाना चाहिए। यह दर्शाया जाना चाहिए कि सरकार की ऐसी इच्छा है कि वह दंगों को रोकना और समाप्त करना चाहती है। यदि आप दंगों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों अथवा किसी विशेष स्थान के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हैं तो यह एक निवारक कार्यवाही होगी।

[श्री चरनजीत सिंह बालिया]

मैं यह सुझाव दूंगा कि हम राजनीतिज्ञों और सार्वजनिक व्यक्तियों की भी साम्प्रदायिक दुर्भावना को कम करने के लिए कुछ जिम्मेदारी है। मैं यह सुझाव दूंगा और अपने सहयोगियों चाहे वे विधान मंडल में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हों अथवा संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हों से यह अनुरोध करूंगा कि यदि उनके चुनाव क्षेत्र में कोई साम्प्रदायिक दंगा होता है तो उन्हें भी आगे आकर त्याग पत्र दे देना चाहिए क्योंकि यह समझा जाता है कि वे लोग अपने विशेष क्षेत्र अथवा चुनाव क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव दूर करने के लिए उत्तरदायी हैं।

हमें इस बात का गर्व है कि पंजाब में साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते हैं। ये दंगे कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में होते हैं परन्तु देश के अन्य भागों में चाहे जो भी स्थिति हो, पंजाब में साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। पंजाब के उदाहरण से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि धार्मिक सहनशीलता कैसे सिखाई जा सकती है और बहुमत वाला दल अथवा बहुसंख्यक समुदाय को कैसे व्यवहार करना चाहिए।

हमारे प्रधान मंत्री बार-बार यह कहते हैं कि राजनीति और धर्म साथ-साथ नहीं चल सकते। उन्हें पृथक रखा जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने इसका कभी समर्थन नहीं किया कि धर्म और राजनीति को अलग-अलग रखा जाना चाहिए। महात्मा गांधी बुनियादी रूप से एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने अनुभव किया कि यदि वे साथ-साथ रहेंगे तो धर्म का राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है जिससे नैतिक मूल्यों और सिद्धान्तों पर आधारित राजनीति का विकास होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सहनशीलता और अन्य धर्मों का सम्मान करना है। सिखों के लिए धर्म और राजनीति अपृथक्करणीय हैं। यदि उन्हें एक साथ रखा जायेगा तो हमारी राजनीति को सही दिशा मिल सकती है। सरकार को आगे आना चाहिए और उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए जिन्हें जांच आयोग ने 1984 में दिल्ली और देश के अन्य भागों में दंगों के लिए दोषी ठहराया है। सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए इसे जल्दी से आगे आकर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और अपने कार्य से अल्पसंख्यकों में पुनः विश्वास पैदा करना चाहिए। उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करें और अपराधियों को दण्ड दें। अल्पसंख्यकों का विश्वास खत्म होने के कारण यह देश के लिए बड़े दुख की बात है।

हम सभी देश की एकता और अखंडता चाहते हैं। परन्तु सरकार को जो कुछ वह कहती है उसे व्यवहार में लाकर जनता में पुनः विश्वसनीयता पैदा करनी चाहिए। सरकार को प्रचार साधनों का दुरुपयोग या शोषण नहीं करना चाहिए अन्यथा एक विशेष समुदाय का सही वर्णन नहीं हो पायेगा। इसलिए धर्म निरपेक्षता को सकारात्मक विचार और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाये। हमारे प्रधानमंत्री ने कल सभा में स्वयं स्वीकार किया कि उन्होंने जो चौदह सूत्री कार्यक्रम चलाया है वह उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा। यदि यह उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि यह प्रभावी ढंग से कार्य करे और इसे राज्यों से भी कहना चाहिए कि वह इसे उचित ढंग से क्रियान्वित करें।

इन टिप्पणियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, धर्म और राजनीति का मेल लोकतन्त्र की बुनियादी भावना के विरुद्ध है। कल प्रधान मंत्री जी ने सारे देश की भावना को बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया और कहा कि केवल धर्म-निरपेक्ष भारत ही और धर्म-निरपेक्ष भारत का ही अस्तित्व कायम रह सकता है। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो शब्द कहे, वह एक राष्ट्रनेता के शब्द हैं, निश्चित रूप से उनका असर आज की परिस्थितियों पर पड़ेगा।

जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो उनके अनुसार यकीनन 1985-86 से आज तक प्रतिवर्ष साम्प्रदायिक दंगों में मरने वालों की संख्या कम होती गई है, मगर स्थिति आंकड़ों से स्पष्ट नहीं होती। आंकड़े तो केवल समुद्र की सतह पर उभरे हुए चिन्ह हैं, अन्दर जो साम्प्रदायिक भावना बनाने की चेष्टा की जा रही है गांव-गांव में और मोहल्ले-मोहल्ले में, उसको कम करके आंकना न केवल सरकार के लिए बल्कि सारे देश के लिए खतरनाक है। आज स्थिति यह है कि देश में साम्प्रदायिकता के आधार पर राजनीति करने वाले, जाति के आधार पर राजनीति करने वाले, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले और धार्मिक स्थानों के नाम पर राजनीति करने वाले गांव-गांव में फैल रहे हैं और मुहल्ले-मुहल्ले में फैलकर प्रचार कर रहे हैं। वह ऐसा विषाक्त वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कट करके रह जाए और एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से कटकर रह जाए व साधारण से साधारण व्यक्ति महसूस करने लगे कि दूसरे धर्म का व्यक्ति उसकी धार्मिक भावनाओं, उसके धार्मिक स्थलों, उसकी धार्मिक मान्यता वाले पुरुषों का सम्मान नहीं करता। जो लोग राजनीति करने वाले हैं वह आपस में बंटे हो सकते हैं। विभिन्न धर्मों के तथाकथित नेतागण जो उनका ठेका लेकर बैठे रहते थे वह आपस में अपने स्वार्थों के कारण बंटे हो सकते हैं लेकिन हिन्दुस्तान का सौभाग्य रहा है कि सामान्य जनता कभी भी धर्म के आधार पर बंटी हुई देखी नहीं गई। उनको कुछ समय विशेष के लिए लोग भड़काने में जरूर सफल हुए हैं परन्तु अन्ततोगत्वा जो जनता की आम भावनायें हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द्र, वह कायम रहा और विजयी हुआ। मगर आज जिस प्रकार का वातावरण कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बनाने की चेष्टा की जा रही है उसके प्रति मैं अपनी चिन्ता माननीय गृह मंत्री जी से जाहिर करना चाहता हूं।

अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद सवाल के निर्णय के लिए प्रदेश सरकार ने हाई-कोर्ट से अलग बैंच बनाने के लिए निवेदन किया है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान जैसे देश में जिस में हमने न्यायपालिका की सर्वोच्चता को माना है किसी भी धर्म का व्यक्ति चाहे वह किसी धार्मिक मान्यता को मानने वाला हो या किसी सम्प्रदाय का हो, उसको न्यायपालिका के विवेक में भरोसा करना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि न केवल विश्व हिन्दू परिषद, शिव सेना और बजरंग सेना और आर०एस०एस० के लोग बल्कि भारतीय जनता के लोग इसमें बहुत बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे मित्र श्री जंगा रेड्डी यहां पर नहीं है। मुझे बड़ी उनके साथ सहानुभूति है। उन बेचारों को सारे बी०जे०पी० पर जो आक्रमण हो रहा है, जो तथाकथित आक्रमण हो रहा है उसका जवाब देना पड़ेगा। वैसे उनको मान्यता, उनका दृष्टिकोण और उनके प्रोग्राम हमेशा कांग्रेस जैसे रहे हैं, लेकिन यह विडम्बना है कि उनको यह सारी बातें सुननी पड़ रही हैं। मगर हकीकत यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खास तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि सरकार ने केवल अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए इस मुद्दे को हाई-कोर्ट को देने की पेशकश की या हाई-कोर्ट के बैंच को देने की पेशकश की। सभी लोग इस बात को मानते हैं कि इस मुद्दे का और कोई

[श्री हरीश रावत]

हल हो ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरीके का कुप्रचार करने में जमकर जुटे हुए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि वह इस मामले की तह में व गहराई में जायें। आज जो कुछ केवल कुछ राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है वही सब कुछ नहीं है। उनके प्रचारक व उनके कार्यकर्त्ता जिस तरह से लोगों की मनोभावना को उभारने की चेष्टा कर रहे हैं वह एक चिन्ता जनक विषय हो जाता है। यह कहा जा रहा है कि एक पत्थर और एक ईंट लेकर चलो, इसका इलाहाबाद में स्नान कराओ, उसके बाद नवम्बर में राम जन्म भूमि का मंदिर तैयार किया जायेगा। यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। एक प्रकार का ज्वालामुखी सारे देश के अन्दर चुनावों से पूर्व भड़काने की चेष्टा की जा रही है। वह मानकर चल रहे हैं कि जो धर्म के नाम पर राजनीति करते थे वह मृतप्राय हो गये हैं। आज वह अपने मृत शरीर में इस इशू के आधार पर अपने भूत को जीवित करने की कल्पना कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इन राजनीतिक पैरासाइड्स को जो धर्म के आधार पर जीवित हैं जो धर्म का नाम लेकर उससे जीवन खींचते हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाइये। यदि आप प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते···जंगा रेड्डी साहब आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपको बताना चाहते हैं कि वह आ गए हैं। इसलिए वह उस तरफ से आये हैं।

श्री हरीश रावत : महोदय, इसका कारण यह है कि उनकी हमसे पुरानी मित्रता है। वह सच्चे कांग्रेसी हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : कभी नहीं है, कभी नहीं होगा।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : जरूरत भी नहीं है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : वह खुद बोल रहे हैं, हम तुम्हारी पार्टी में कभी नहीं थे और कभी आने वाले भी नहीं हैं।

श्री प्रताप भानु शर्मा : जरूरत नहीं है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : जरूरत नहीं है, यह बात नहीं है।

श्री हरीश रावत : माननीय गृह राज्य मंत्री जी से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत दिनों से इस बात की मांग हर विवेकशील व्यक्ति द्वारा की जा रही है, सारे देश के अन्दर डिफरेंट क्रास सैक्शन लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि धर्म और राजनीति को अलग करने के विषय में सरकार को कुछ कारगर कदम उठाने चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी कल इस सदन में इस बात को कह चुके हैं कि कुछ राजनैतिक दलों को अपने संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, मैं भी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग से बातचीत करके सारे राजनैतिक दलों को इस बात के लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि कैसी ही स्थिति क्यों न आये, कोई भी राजनैतिक दल परोक्ष और अपरोक्ष रूप से किसी भी प्रकार से किसी धार्मिक संस्था से, धार्मिक नाम से और धर्म के आधार पर चलने वाले क्रियाकलापों से जुड़ा नहीं रहेगा, उससे राजनैतिक शक्ति ग्रहण करने

की कोशिश नहीं करेगा और जो कोशिश करेगा उसको डिसक्वालिफाई कर दिया जायेगा। मैं माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्होंने बहुत तथ्यात्मक बातें कहीं, दिल को छू लेने वाली बातें कहीं और उन्होंने एक आफर सारे राजनैतिक दलों के सामने रखा कि राजनैतिक दलों को आगे बढ़कर जो लोग धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर विश्वास करते हैं, जो कम्युनल फोर्सेज के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उठकर खड़े होना चाहते हैं उनको फील्ड में भी इकट्ठे काम करना चाहिए, केवल सदन में ही नहीं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उनके इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और माननीय गृह मंत्री जी से कहा है कि एक प्रपोजल बनाइये, बातचीत करिये। मैं जहां माननीय प्रधान मंत्री जी की भावना और माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी की भावना का स्वागत करता हूं, मैं इन्द्रजीत गुप्त जी की तरह सोचने वाले अपने वामपंथी मित्रों से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहता हूं, आज सारे देश के अन्दर जो वातावरण है, चाहे इश्यूज कोई भी उठाये जायें, मुद्दे कुछ भी उठायें, बात कुछ भी करें मगर डिफरेण्ट फोर्सेज का एक राइटिस्टरी एक्शनरी पोलिटीकल एलाइंस बनाने की चेष्टा की जा रही है। आप कहीं भी देख लीजिए, जितनी राइटिस्ट रीएक्शनरी फोर्सेज हैं, चाहे वह किसी धर्म के नाम पर राजनीति करती हों, किसी धर्म की बात करती हों, किसी एरिया की बात करती हों, क्षेत्रवाद की बात करती हों, जातिवाद की बात करती हों, वह एक मंच पर आने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे की आलोचना नहीं करतीं, एक दूसरे के ऊपर चोट नहीं करतीं और हमारे लैफ्टिस्ट मित्रों को इस ट्रेण्ड को समझना चाहिए। आज वह अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए यह मानकर थोड़ी देर के लिए कांग्रेस पर हमला करें लेकिन यह हकीकत है कि कांग्रेस के अलावा इस देश के अन्दर कोई ऐसी बड़ी सैकुलर जमात नहीं है, धर्मनिरपेक्ष जमात नहीं है जो देश को एकता के सूत्र में बांध सके, सब को विश्वास में लेकर चल सके, जो साम्प्रदायिकता फैलाने वाले, जातिवाद फैलाने वाले तत्वों का मुकाबला कर सके। हानन मुल्ला साहब, जो खतरा है मैं उसके प्रति भी आपको सतर्क करना चाहता हूं, यदि आज आपने कांग्रेस के ऊपर हमला किया, यदि आज आपने कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर हमला किया, जिस तरह से आप कर रहे हैं तो आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा और आप खुद अपने आपको माफ नहीं करेंगे क्योंकि यह ऐतिहासिक तथ्य होगा कि इस देश के अन्दर वामपंथी लोगों ने राइटिस्ट रीएक्शनरी फोर्सेज को ताकत देने का काम किया था, यह इतिहास कहेगा, हम नहीं कहेंगे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महोदय, मैं सी०पी०आई० और सी०पी० एम० का सम्मान करता हूं।

[हिन्दी]

मैं यह मानकर चलता हूं कि सी०पी०आई०, सी०पी०एम० के लोग न केवल बातचीत में बल्कि प्रैक्टिस के अन्दर भी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को अपनाने की चेष्टा करते हैं लेकिन आज वे भ्रम में हैं। वह जैसे जनता दल और दूसरों तीसरों के साथ कभी-कभी प्लेटफार्म शेयर कर लेते हैं, वह लोग कौन हैं, जरा सा उनको पहचानें तो सही कि वह किस तरह का कम्बीनेशन है। जनता दल के विषय में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं, सारा सदन इस बात को जानता है और सारा देश इस बात को जानता है कि जनता दल के एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट के लीडर, जो एक प्रदेश के मुख्य मंत्री भी हैं, अजगर की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अजगर-अहीर, जाट, गूजर और राजपूत, इन जातियों का कम्पोनेन्ट बनना चाहिए

[श्री हरीश रावत]

क्योंकि यह बहुमत वाला कम्पोनेन्ट है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना खतरा धर्मवाद से है उतना ही खतरा जातिवाद से है लेकिन इस बात को हमारे कम्युनिस्ट मित्र समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे केवल कांग्रेस के विरोध के नाम पर जनता दल से.....

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : गुजरात में जातियां और समुदाय 'कौम' के नाम पर मिले हुए हैं। इसकी खोज किसने की और चुनावों के लिये इसका उपयोग किसने किया ?

श्री हरीश रावत : केवल विपक्षी सदस्य यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि 'कौम' का नेतृत्व कर रहे थे।

[हिन्दी]

हम लोग वहां पर माइनोरिटीज को, बैकवर्ड क्लासेज को, हरिजनों को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की हमने कोशिश की है और आज भी हम हरिजनों को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बैकवर्ड क्लासेज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, माइनोरिटीज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आप इस को चाहे खाम का नाम दीजिए या कुछ और नाम दीजिए, इसमें हमें कोई परहेज नहीं है लेकिन हम इन क्लासेज के साथ हैं और मजबूती के साथ उनके साथ रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अजगर की राजनीति की बात कर रहा था, जातिवाद की राजनीति की बात कर रहा था। आज उनको कुछ लोगों द्वारा ताकत देने की चेष्टा की जा रही है। आप इलाहाबाद के इलेक्शन को देखिये। अब सब जगहों पर यह बात साफ हो चुकी है और आरिफ मोहम्मद खां साहब यहां पर बैठे हुए हैं। वे मेरे दोस्त हैं और पहले कांग्रेस में थे और कल को वे फिर कांग्रेस में आएंगे, सब लोग इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद के अन्दर आरिफ मोहम्मद खां साहब को बुलाया जाए या श्री साहबुद्दीन को बुलाया जाए—दोनों हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं—यह कन्ट्रोवर्सी बहुत दिनों तक अखबारों में आई और इन की पार्टी के अन्दर भी रही और आज यह तथ्य भी साफ हो गया है कि हाजी मस्तान की मदद किस ने ली इलाहाबाद इलेक्शन के अन्दर। हाजी मस्तान ने स्टेटमेंट दे कर कहा है कि हमसे कहा गया था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के इश्यू पर और तुम्हारा जो स्टैंड इस मसले पर होगा, उस में हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसलिए हमने उनकी मदद की लेकिन आज श्री वी०पी० सिंह क्यों ऐसा कर रहे हैं, वे हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है। पहले दिन जब इस इश्यू पर बहस चली थी, तो श्री तम्पन थामस, जो जनता दल के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे थे, ने यह कहा था कि यह सरकार कम्युनल है क्योंकि यह 'महाभारत' को टेलीविजन पर दिखा रही है और 'रामायण' को टेलीवीजन पर दिखा रही है। शायद उन की पार्टी का यह स्टैंड रहा होगा। 'महाभारत' और 'रामायण' को टी०वी० पर दिखाना जनता दल की नजर में कम्युनल हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : आप उनके भाषण का उपयोग, अपने लाभों के लिये हिन्दुओं से अपील करने के लिये कर रहे हैं। आप उनको गलत उद्धृत कर रहे हैं।

श्री हरीश रावत : यह रिकार्ड में है। श्री तम्पन थामस ने ऐसा कहा था। मैं नहीं सोचता कि आप जनता दल के प्रवक्ता हैं। आप सी०पी०एम० के हैं।

[हिन्दी]

हम तो आपको सी०पी०एम० का मेम्बर समझते हैं, आप को आइडियोलाजी वाला समझते हैं, आप अपने को जनता दल वाला क्यों समझ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि श्री तम्पन थामस और उनकी पार्टी के लोग इस बात को डिनाई करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूं कि वे चाहें इस बात की आलोचना करें लेकिन श्री तम्पन थामस इस बात को भूल गये कि हरियाणा के अन्दर उनकी पार्टी की सरकार है और वह सरकार किस की मदद से खड़ी है। जो आर०एस०एस० के स्टान्च लोग हैं, जिसको बी०जे०पी० कहते हैं, उन बी०जे०पी० के लोगों में से हाल में उस व्यक्ति को उप-मुख्य मंत्री लिया गया, जो आर०एस०एस० की स्ट्रांग बैक-ग्राउन्ड वाला व्यक्ति है।

श्री सी० अंगा रेड्डी : केरल में।

श्री हरीश रावत : मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। श्री मंगल सेन को इसलिए लिया गया क्योंकि उनकी आर०एस०एस० की स्ट्रांग बैकग्राउन्ड है लेकिन श्री तम्पन थामस हमारी सरकार की आलोचना करते वक्त इस तथ्य को भूल गये कि उनकी पार्टी सरकार में शेयर कर रही है। मैं यह निवेदन कर रहा था वामपंथी मित्रों से कि हम तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी तैयार है और जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि कम्युनल फोर्सेज से लड़ने के लिए हम हर सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। आज जो माहौल राइट रीएक्शनरी फोर्सेज बना रही हैं और जिस माहौल के एवज में वे पनप रही हैं और ताकत ग्रहण कर रही हैं और पैराशाइट की तरह खून चूस चूस कर अपनी शक्ति को बढ़ा रही हैं, उस माहौल को समझें और माहौल को समझ कर के, इन राएट्स को समाप्त करने के लिए कांग्रेस का साथ दें। क्योंकि हकीकत यह है कि आज देश में कांग्रेस से बड़ी कोई जमात नहीं है। यह भी सत्य है कि श्री राजीव गांधी उस परिवार के व्यक्ति हैं जिस परिवार से बड़ा, हिन्दुस्तान में कोई दूसरा धर्मनिरपेक्ष परिवार नहीं है, कोई सेक्युलर परिवार नहीं है। नेहरू जी की धर्म-निरपेक्षता पर कभी किसी ने कोई संदेह नहीं किया। उसी प्रकार आज राजीव गांधी की धर्म-निरपेक्षता पर, निष्पक्षता पर सब को यकीन है। चाहे कोई दक्षिण का रहने वाला हो, उत्तर का हो, पूर्व का हो, पश्चिम का हो, चाहे कोई हिन्दू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति, क्षेत्र या धर्म का व्यक्ति हो, सभी को राजीव गांधी जी पर विश्वास है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज इसके खिलाफ हम सभी को मिल कर संघर्ष करना होगा। इसके लिए मेहरबानी करके सभी धर्म के, सभी जातियों के लोग, इस सिचुएशन को समझ कर के आगे आएं।

अंत में मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति विस्फोटक है। आपको जिस धरातल पर यह दिखायी दे रही है हकीकत वह नहीं है। हकीकत यह है कि चाहे मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बढ़ाने वाले तत्व हों, चाहे हिन्दू साम्प्रदायिकता को बढ़ाने वाले, उभाड़ने वाले तत्व हों, दोनों के समान उद्देश्य हैं। दोनों की एक ही प्रकार की इन्टेंशन है कि गांवों में जा कर के लोगों की धार्मिक भावनाओं को, उन्माद को उभाड़ने की चेष्टा की जाए। वे देश में विस्फोटक स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनावों में इन लोगों के पास कुछ ताकत, कुछ शक्ति आ जाए। ऐसे मौके पर इस बात की आवश्यकता है कि सरकार मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ ऐसे तत्वों का मुकाबला करके उन्हें सख्ती के साथ दबाने की चेष्टा करे।

[श्री हरीश रावत]

मैं इस निवेदन के साथ, श्री रामूवालिया जी ने जो इस बहस को प्रारम्भ किया है, इसका स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 म०प० तक स्थगित होती है।

1.02 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.00 म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

2.06 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.06 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अमर रायप्रधान बोलें।

[हिन्दी]

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, आज हमारे देश में साम्प्रदायिकतावाद और क्षेत्रीयतावाद बहुत जोरों से है। यह किसी एक जगह पर नहीं है, अभी हजारीबाग में देखिए, मथुरा में देखिए, जहां पर स्वतंत्रता के पश्चात कभी दंगे नहीं हुए, वहां पर भी अब दंगे होने शुरू हो गए हैं। इसका क्या कारण है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 15 अगस्त 1947 को हिन्दू और मुसलमानों के दो भाग कर के, जाति के नाम पर हिन्दुस्तान का बंटवारा कर दिया, उसी दिन हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता का बीज बो दिया गया था। उसी के फलस्वरूप आज तक दंगे चल रहे हैं। इन दंगों का जिस तरह से निपटारा करना चाहिए, उसके लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, उसमें से एक भी कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। आप देखिए कि जहां भी दंगों की शुरूआत हुई, मेरठ, हजारीबाग, मथुरा, यहां पर क्यों दंगों की शुरूआत हुई। इनके पीछे मुस्लिम लोग हैं या विश्व हिन्दू परिषद है और सरकार चाहती है कि विश्व हिन्दू परिषद और मुस्लिम लीग का आपस में झगड़ा चलता रहे और ऐसा होने से सरकार को सुविधा होती रहे। अंग्रेजों के जमाने में हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमान को अलग करके डिवाइड एण्ड रूल की पालिसी पर साम्प्रदायिकतावाद लागू किया जाता था, उसी ढंग से स्वतंत्रता के बाद 42 वर्षों से सरकार भी कर रही है। सरकार को है कि देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगे होते रहें और सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन कायम रहे, इसलिए यह झगड़ा चल रहा है। आज सरकार इन हिन्दू-मुस्लिम दंगों को निपटाना नहीं चाहती। **(व्यवधान)**

मान्यवर, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, अगर वास्तव में दंगों से सरकार निपटना चाहती है तो तीन प्वाइंट्स पर ध्यान देना होगा। सरकार सैक्युलरीज्म की बात करती है। लेकिन यह बताइए कि क्या आपके दिल में सैक्युलरीज्म है। मैं कहता हूं नहीं है। आप लोग सिर्फ साधु-संतों

के सामने माथा टेककर फोटो खिचवाने का काम करते हैं। आपके दिल में सैक्युलरीज्म की बात नहीं है।.....(**व्यवधान**) मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता से पहले महात्मा गांधी जी ने सैक्युलरीज्म की बात की थी। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने कभी ऐसा नारा नहीं लगाया बल्कि करके दिखाया। इसी तरह आजाद हिन्द फौज के शाहनवाज, सहगल और ढिल्लन ने एक्शन में करके दिखाया और हिन्दु, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबको एक साथ लेकर चलने के लिए कहा। सरकार का विचार इस तरह का नहीं रहा। सरकार हमेशा अलग-अलग करने के लिए चिंतन करते रहे। सैक्युलरीज्म का जो दृष्टिकोण है सरकार का, वह ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। हम लोग हमेशा यह बोलते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग कीजिए। इस बारे में लोक सभा में कई बार चर्चा हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या कदम उठाया।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कदम भारी हो गया है, उठ नहीं सकता।

श्री अमर रायप्रधान : सभी मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं "ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सूलुल्लाह"। वे कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान भाईयों की भलाई न करो बल्कि सभी की भलाई की बात करो। इसी तरह क्रिश्चियन्स के लिए जेसस क्राइस्ट ने कहा है "आइ बिलिव इन ट्रुथ" मैं सत्य में विश्वास करता हूं। इसी तरह हिन्दुओं के लिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है : "सर्वधर्म परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज:" यह माम कौन है "अहं ब्रहमा, अहं विष्णु, शुहंग धर्म:"। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने इसको सरल भाषा में बंगला में कहा है "जीवे दया कोरीजेई सेईजान, सेंवीछें ईश्वर जान"। इसको मैं ट्रांसलेट करता हूं :

[अनुवाद]

"जो दलितों की सेवा करते हैं वे भगवान की सेवा करते हैं।" आप यह सब भूल गये हैं और आप सत्य से बहुत दूर हैं।

[हिन्दी]

आप लोग सब कुछ भूल गए हैं। ऐसा मालूम होता है, आप लोग जानबूझकर जानना नहीं चाहते हैं। हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार धर्म को राजनीति से अलग करने का कदम उठाये जो मुसलमान भाई नमाज पढ़ना चाहते हैं उनको आप नमाज पढ़ने दीजिए। जो हिन्दु भाई पूजा करना चाहते हैं, उनको पूजा करने दीजिए। ऐसे ही कोई हिन्दु पूजा करना चाहता है, काली की पूजा करना चाहता है तो वह करे, अपने घर में जाये, लेकिन राष्ट्रीय स्थल में यह सब नहीं करना चाहिए। मेरे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन मंत्रीजी के पास लिस्ट होगी और उन्हें जानकारी होगी कि कितने देश धार्मिक संस्थाओं के नाम से और संस्कृति के नाम से हमारे देश में पैसा भेज रहे हैं। सरकार के पास जो हिसाब है उसके अनुसार शायद 300 करोड़ रुपये हर साल हमारे यहां रिलीजन और कल्चर के नाम पर आ रहा है और कौन-कौन से देश भेज रहे हैं अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्विटजरलैंड, स्वीडन, सऊदी अरब, कुवैत, नेपाल और पाकिस्तान भी भेज रहा है। वह रुपया किस लिए और किस काम के लिए आ रहा है। किस ढंग से यह खर्च हो रहा है इसको जानने की आवश्यकता है। क्योंकि इससे हमारे देश में साम्प्रदायिकता भड़क रही है, चाहे वह विश्व हिन्दू परिषद द्वारा हो या मुस्लिम लीग द्वारा हो। धर्म की आड़ लेकर वे लोग हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। वह क्रिश्चियन के नाम से भी हो सकते हैं। आपने कभी इसको जानने की कोशिश की है ? आप तो चाहते हैं कि यह रुपया देश में आने दें जिससे देश में साम्प्रदायिकता का

[श्री अमर राय प्रधान]

वातावरण पैदा हो, गड़बड़ी हो जिससे कांग्रेस (इ) को मुनाफा होगा, सरकार को फायदा होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो साम्प्रदायिक दल हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। आपके पास तो जानकारी है कि कौन-कौन सी साम्प्रदायिक पार्टीज हैं। लेकिन आप कुछ नहीं करके सिर्फ नारा लगा रहे हैं कि इन पर बैन होना चाहिए और वह आप नहीं कर रहे हैं। हमारे हिन्दुस्तान में सभी धर्मों के लिए जगह है, एक धर्म ही यहां पर नहीं हैं, अनेक धर्मों के लोग यहां रहते हैं इसलिए आप क्यों नहीं साम्प्रदायिकता को बैन करते। क्योंकि इससे हिंसा का वातावरण पैदा होता है। यह केन्द्र सरकार आजादी के 42 साल बाद भी यह समझ नहीं पा रही है कि यह साम्प्रदायिकता के नाम पर गड़बड़ क्यों पैदा हो रही है।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, सारे राष्ट्र के अन्दर जो फिरकापरस्ती फैल रही है, मैं समझता हूं सारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे विपक्ष के लोग इस सरकार पर दोषारोपण करते हैं कि यह सरकार फिरकापरस्ती को शह दे रही है। पंजाब में उग्रवाद पैदा हुआ, फिरकापरस्ती से लोगों को नुकसान पहुंचा और जिस ढंग से इन लोगों ने उनकी मांगों का समर्थन किया है, जैसे आनन्दपुर साहब प्रस्ताव पास किया गया और उसका समर्थन किया गया। इसी तरह से मुस्लिम लीग का भी प्रस्ताव पास हुआ था और आनन्दपुर साहब का प्रस्ताव भी उसी तरह से पास हुआ, उसमें यद्यपि खालिस्तान के संबंध में स्पष्ट तौर से कोई बात नहीं कही गई परन्तु यह अवश्य कहा गया कि हम एक इंडीपैन्डेंट स्टेट चाहते हैं, वह भी इस विधान सभा के अंदर चाहते हैं। उसका मकसद क्या था, उसका मकसद यही था कि इस देश में गड़बड़ पैदा की जाए। हमारे कई विपक्ष के लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, सी०पी०एम० वालों ने तो उसका विरोध किया लेकिन कुछ लोग छिपकर उसका समर्थन करते रहे। ये वही लोग हैं जो इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं, जो इस देश को छिन्न-भिन्न कर देना चाहते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिये। जहां तक कश्मीर का सवाल है, आज कश्मीर में भी भारी गड़बड़ कराई जा रही है क्योंकि नेशनलिस्ट ताकतें तो मुनाइटिड हैं लेकिन गाहे-बगाहे विदेशों की तरफ से, या हिन्दुस्तान से जो कुछ फिरकापरस्त लोग मौजूद हैं, जिनका एकमात्र यही काम है कि इस देश को कमजोर बना दिया जाए, इस सरकार और हमारे प्रधान मंत्री को बदनाम किया जाए जो इस देश का उचित मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध कर आगे ले जाना चाहते हैं, वे ताकतें विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहती हैं। ऐसे फिरकापरस्त और साम्प्रदायिकता फैलाने वाले लोगों को जल्दी से जल्दी सफाया किया जाना चाहिये, सारी जनता आप के साथ है। वे लोग इस राष्ट्र को कमजोर बना देना चाहते हैं। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, हमारी सरकार ने वहां अमन चैन कायम करने के लिए पूरा प्रयत्न किया है, लेकिन वहां जिस तरह से उग्रवाद पनप रहा है, पैदा हो रहा है, पंजाब के लोग भारत सरकार को दोष देते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने चाहे लोंगोवाल एकौर्ड हो या अन्य तरीके से, उग्रवाद को समाप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न किया है। हमने पंजाब और हरियाणा के सम्बन्ध में जो ईमानदारी के साथ फैसला करना था, उसे सदन में बताकर ध्वनि मत से स्वीकृति दी। सारी पार्टियां यही चाहती हैं कि पंजाब में अमन कायम हो, लेकिन पंजाब और हरियाणा में कुछ राष्ट्रविरोधी ताकतें ऐसी हैं जो हमारे प्रयत्नों को नाकाम बनाने में लगी हैं। हरियाणा में अब जो सरकार है, पहले वह जनता पार्टी की थी, बाद में लोक दल हुई और अब जनता दल की सरकार है। उस

जनता दल की सरकार की यह मान्यता है कि हमारी भारत सरकार इस देश के गरीबों के लिए जो नीति या योजना बनाती है, वह उस राज्य के माफिक नहीं है, उससे राज्य के लोगों का भला नहीं हो सकता। पंजाब और हरियाणा के साथ हमारा हिमाचल लगता है, हमारे यहां भी उसका असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले गरीब लोगों, हरिजनों आदि के कर्जे माफ करेंगे, फिरकापरस्ती से काम नहीं लेंगे, माइनौरिटीज को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न करेंगे, सब लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे लेकिन करनाल में क्या हुआ। हमारे साथी चिरंजी लाल शर्मा जी बता रहे थे कि 120 हरिजन परिवारों को बुलडोजर चला कर सड़क पर बिठा दिया गया, वहां की देवीलाल सरकार ने। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग हरिजन, आदिवासी, माइनौरिटीज आदि लोगों की भलाई की बातें सोचते हैं, वे किसी को बरगलाने वाले नहीं हैं, ब्राह्मण, राजपूत, उन फिरकापरस्तों के सामने कुछ नहीं हैं। ऐसे तत्वों को समाप्त करने के लिए, सभी विपक्षी नेताओं को हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। यदि हम इस देश से साम्प्रदायिकता का विष समाप्त करना चाहते हैं तो मन्दिर, मस्जिद और गुरूद्वारों में आज जिस तरह की राजनीति चलाई जाती है, सबसे पहले सरकार को उस पर पाबंदी लगानी चाहिए, बैन लगाना चाहिए। वहां किसी तरह के जलसे न होने पायें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारा तजुर्बा है कि पंजाब के हर गुरूद्वारे में राजनैतिक भाषण दिए जाते हैं, वहां किसी तरह का धर्म कर्म बाकी नहीं रह गया है। वहां सिर्फ हम लोगों के मन्दिर, मस्जिद और गुरूद्वारों का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की जाती है। स्थिति को सम्भालने के लिए सरकार को पूरा प्रयत्न करना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो ऐसे प्रभावी कानून बनाने चाहिये ताकि इस राष्ट्र में साम्प्रदायिकता फैलाने वाले लोगों का खात्मा किया जा सके, वे ताकतें अपना सिर उठाने न पायें। आज हम देखते हैं कि जहां गरीब लोग ज्यादा संख्या में काम करते हैं, वहां जात-पांत के आधार पर बंटवारा कराने की कोशिश की जाती है, सभी लोगों के उठने-बैठने की जगहों, मन्दिरों, मस्जिदों और यहां तक कि पीने के पानी में भी, हर जगह जात-पांत की भावना को उभारने का प्रयत्न किया जाता है, ऊंच-नीच की भावना फैलाने का काम किया जाता है, आज कोई ईश्वर, अल्लाह या गुरु नानक को याद नहीं करता। जिसका यह अंश है कोई पंडित यह बता सकता है कि हरिजन या दूसरे गरीब लोगों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है, न उन्हें कोई मस्जिद में नवाज पढ़ने से रोक सकता है। आज डर रहता है कि ये ऐसी साम्प्रदायिक ताकतें देश को छिन्न-भिन्न करने के लिए तुली हुई हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए।

हम यह समझते हैं कि अगर हमारा देश सुरक्षित है, तो सब कुछ सुरक्षित है। हमारी राजनीति भी अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकती है। ये विपक्षी लोग कहते हैं कि हम फिरकापरस्ती को खत्म नहीं करना चाहते हैं और ये विपक्षी लोग फिरकापरस्ती को खत्म करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ये इस किस्म के लोग हैं, ये ऐसा मिक्श्चर है, जो फिरकापरस्ती को और हवा देने के लिए इकट्ठा हुआ है। अब आप देखते हैं कि हरियाणा में क्या हो रहा है। वहां पर एक तरफ आर०एस०एस० है और दूसरी तरफ जनता दल है और ये हमको कहते हैं कि कांग्रेस (आई) हमारी सरकार को हथियाना चाहती है और फिरकापरस्ती को और साम्प्रदायिकता के खिलाफ काम नहीं कर रही है, यह बिल्कुल गलत है। ऐसी बात नहीं है। हम किसी भी सरकार को गिराना या हथियाना नहीं चाहते हैं। हम तो साम्प्रदायिकता के खिलाफ पूरे प्रयत्न से काम कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां ये सरकारें हैं वहां कुछ संस्थाओं को बाहर का, विदेशी धन आ रहा है।

[श्री के०डी० सुलतानपुरी]

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां अभी बात आई कि ऐसी कई संस्थाएं इस देश में हैं जहां बाहर से लाखों की संख्या में धन आ रहा है। मैं यह कहता हूं कि इस प्रकार से जो धन आ रहा है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। इन संस्थाओं के कार्यक्रम और क्रियाकलापों को देखना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि यह धन कहां से और किस काम के लिए आ रहा है। क्या यह राष्ट्र के हित में काम आ रहा है और क्या राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यदि इस देश के अन्दर ऐसी संस्थाएं हैं जो इस देश को कमजोर करना चाहती हैं और हमारे देश में साम्प्रदायिकता की भावना फैला रही हैं, तो ऐसी संस्थाओं को बन्द किया जाना चाहिये। इनके कार्यकलापों के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। इसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए।

महोदय आखिर में, मैं यह कहना चाहूंगा फिरकापरस्ती को रोकने का जहां तक सवाल है, उसमें सरकारें भी बहुत योगदान करती है, लेकिन जहां सरकारें फिरकापरस्ती का काम करती हैं, वहां हमें सख्ती से काम लेना चाहिए। हमारी विपक्ष की सरकारें इसको हवा दे रही हैं क्योंकि ये कई किस्म के आदमी इकट्ठे हो गये हैं। ये लोग हमारे यहां से भागते हैं और वहां नेता बन जाते हैं। उनको तो यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर कोई लीडर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर ये सारी ताकतें जो इस राष्ट्र को कमजोर करने वाली हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा और इनके ऊपर कड़ाई से निगरानी रखकर निपटना होगा। मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि हमारी सरकार फिरकापरस्ती को रोकने के लिए पूरे जोर-शोर से काम कर रही है और मैं पूरे सदन से अपील करूंगा कि राजीव जी इस राष्ट्र को एक और अखण्ड बनाने का जो काम कर रहे हैं, उनको हम अपना समर्थन दें और उनको मजबूत करें।

इन्ही शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदय, साम्प्रदायिकता हमारे देश को विभाजित करने वाली सबसे घातक ताकतों में से एक है। इसलिए सभा के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह इसके प्रति गहरी चिंता व्यक्त करें। मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि वह समय आ गया है जब हमें घोषणाओं से ही संतोष नहीं करना चाहिए बल्कि साम्प्रदायिकता को रोकने के लिये सामूहिक कदम उठाने चाहिएं।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया है कि अक्टूबर 1988 में कर्नाटक के बीदर और उत्तर प्रदेश की उन दुखद घटनाओं के कारण साम्प्रदायिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी है, जो मुख्य रूप से राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद से उत्पन्न तनाव के कारण घटी। मैं फिर भी यह कहता हूं कि 'थोड़ी सी बिगड़ने' की बात से जाहिर है कि वह स्थिति को समझ नहीं पाये हैं। हर जगह माहौल विशेषत: कुम्भ मेले के अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद द्वारा ईंट पूजा कार्यक्रम की घोषणा के बाद, गरम है तथा भारत के प्रत्येक गांव में साम्प्रदायिक तनाव पैदा होने की संभावना है। राम जन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद के बारे मे प्रत्येक गांव को साम्प्रदायिक प्रचार का केन्द्र बनाया जा सकता है। अत: जनता मे फैल रहे विद्वेष और इन खतरनाक हो सकने वाली स्थिति की उपेक्षा इस गलत विश्वास के कारण न करें कि साम्प्रदायिक स्थिति के मामले में हम सुरक्षित

हैं। केवल एक राम जन्म भूमि या बाबरी मस्जिद ही नहीं है बल्कि मथुरा मन्दिर भी है। हिन्दू साम्प्रदायिक ताकतों ने अपने साम्प्रदायिक प्रचार के लिए लगभग 300 पूजा स्थानों को निर्धारित किया है मैं विस्तार से नहीं कह रहा हूं क्योंकि समय नहीं है। सरकार को धार्मिक स्थानों के विवाद की समस्या के बारे में सुविचारित राष्ट्रीय नीति तैयार करने की संभावना की जांच करनी चाहिए। हमें आधार वर्ष 15 अगस्त, 1947 को निर्धारित करना चाहिए। उस तिथि की यथापूर्वक स्थिति सभी सम्बन्धित दलों, हिन्दुओं और मुसलमानों को स्वीकार करनी चाहिए ताकि उसके आधार पर कोई नया विवाद न छिड़ सके। लेकिन फिर भी एक विवाद छिड़ गया है। अतः हमें बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि का हल निकालना है। जब कोई परस्पर स्वीकार्य हल नहीं निकल रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि न्यायपालिका की प्रक्रिया अपनाकर शीघ्रता से यह मामला निपटाया जाए। निःसंदेह मैं बताना चाहता हूं कि 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का कार्य साम्प्रदायिक प्रचार का संकेत था। मुझे याद नहीं है कि उस समय आन्तरिक सुरक्षा के इन्चार्ज कौन थे। सरकार को जांच करनी चाहिए कि क्या श्री अरुण नेहरू ने इस मामले में कोई विशेष भूमिका निभाई है। दुर्भाग्य की बात है कि यही बात विस्फोटक हो गई। यह ऐसा मामला है जिसकी सरकार को जांच करनी चाहिए और गृह मंत्री महोदय भी इसकी जांच करें। लेकिन फिर भी यह अच्छी बात है कि कुछ दलों को इस बात को मान्यता दी है कि इस विवाद को हल करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में विषयपरक भावनाओं को प्राथमिकता व वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। सौभाग्य की बात है कि बाबरी मस्जिद की कार्यकारी समिति के एक वर्ग ने जो एक समय कुछ बातों से प्रभावशाली था, यह स्वीकार किया कि समस्या के समाधान के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है कि न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाए। कुछ प्रतिष्ठित हिन्दू नेताओं ने भी इसे स्वीकार किया है। मुझे बताया गया है कि द्वारिका के शंकराचार्य ने माना है कि समस्या के समाधान के लिए न्यायिक प्रक्रिया सही तरीका है। मेरे विचार से सरकार तेजी से न्यायिक प्रक्रिया अपनायेगी और हिन्दू साम्प्रदायिक तत्वों जैसे विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और प्रत्यक्ष और अप्रत्क्ष रूप से डा० पटेल के दल द्वारा समर्थन प्राप्त तत्वों की चाल को ना कामयाब करेगी। पूजा स्थलों का प्रयोग साम्प्रदायिक हिंसा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हमें सभी समुदायों को साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार न बनने के बजाए आध्यात्मिक वाद और मानवतावाद के अन्तर्गत एक करने का प्रयास करना चाहिए।

सरकार ईंट पूजा का कार्यक्रम बड़ी सावधानी से देखें। इससे जनता की बहुत क्षति हो सकती है। मैंने गुजरात और अन्य जगह यह देखा है कि निहित स्वार्थी लोग साम्प्रदायिक नारे फैला रहे हैं। इससे साम्प्रदायिक तनाव पैदा होता है। इसलिये साम्प्रदायिक प्रचार रोका जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम जो कुछ कर रहे हैं उससे माहौल बिगड़ रहा है। हम चिंगारी लगा रहे हैं। और जब आग फैलने लगती है तो हम कुछ करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें साम्प्रदायिकता रोकनी चाहिए। चाहे 'क' समुदाय हो या 'ख' समुदाय, साम्प्रदायिक प्रचार रोकना चाहिए। हमें शुरू में ही उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। अन्यथा इसमें बिलंब हो जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि स्थिति बिगड़ने नहीं दी जाए। सबसे पहले मेरा विश्वास है कि हम राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बारे में निर्णय और कार्यवाही पहले कर सकते थे। दंगा-ग्रस्त शहर का निवासी होने के कारण मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक हिन्दू और प्रत्येक मुसलमान साम्प्रदायिक भावना नहीं रखता। सामान्य हिन्दू और सामान्य मुसलमान एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते। यह साम्प्रदायिक प्रचार है जिसने उन्हें पागल बना दिया है और वे स्वयं अपने भाइयों के विरुद्ध हथियार नहीं उठा रहे हैं। अतः हमें साम्प्रदायिक प्रचार का

[श्री हरूभाई मेहता]

दृढ़ता से मुकाबला करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि साम्प्रदायिक शक्तियां लोगों में और बंटवारा न कर पाएं। हमें अब यह घोषणा करनी चाहिए कि साम्प्रदायिक हिंसा बहुत हो चुकी। भारत को कम से कम अपने आप को साम्प्रदायिक हिंसा से मुक्त घोषित करना चाहिए। परमाणु मुक्त और अहिंसक विश्व का आह्वान करने के लिए विश्व में हमारा आदर है जैसाकि श्री राजीव गांधी और श्री गोर्बाचेव के बीच दिल्ली घोषणा के माध्यम से हस्ताक्षर कर लिया गया है।

महोदय, शिव सेना के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री ने कल बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारुचा द्वाराएक मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया था जिसमें शिव सेना के एक विधायक को धार्मिक अपील का सहारा लेते हुए उस आधार पर उसका चुनाव रद्द कर दिया था कि इनमें उसके चुनाव के आधार बढ़ गए थे। यह एक घटिया साम्प्रदायिक प्रचार नहीं था लेकिन एक बहुत ही सुनियोजित प्रचार है कि भारत एक हिन्दू राष्ट्र होना चाहिए जिससे कि हिन्दुओं को एक धार्मिक राष्ट्र बनाने की मांग के आधार पर संगठित होना चाहिए। उस आधार पर शिव सेना और अन्य लोगों ने वोट एकत्र करने का प्रचार किया था। दुर्भाग्यवश इस देश मे साम्प्रदायिक प्रचार से राजनीतिक लाभ होता है। इसी वजह से ऐसी शक्तियों को आदर और वैधता प्राप्त होती है। हमें इन्हें शुरू में ही दबाना होगा। शिव सेना के द्वारा हिन्दू लड़ाई की तरफदारी करना, इसके गैर-मुस्लिम, गैर-सिख और गैर-दलित शक्तियों के प्रति आक्रमणशील रहना और लड़ाकू संकीर्णता यह हमारे देश में कार्य कर रही बहुत ही घातक शक्तियों में से एक है। हमें ऐसी शक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

महोदय, हम हर रोज प्रचार माध्यमों में तथा हर जगह साम्प्रदायिक प्रचार के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हमने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 क अन्तर्गत मुश्किल से कोई कार्यवाही की होगी। इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। यदि देश ने उनका सशक्त रूप में उपयोग नहीं किया तो ऐसे उपबंध क्षीण हो जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि भारत में ऐसे कितने अपराध हुए हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और अभियोग चलाए गए। सरकार को लोगों और संसद को जवाब देना है कि सरकार द्वारा साम्प्रदायिक प्रचार को रोकने के लिए अथवा ऐसा प्रचार जिसमें एक समुदाय के दूसरे के प्रति बुरी भावना पैदा होती है, उसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। दुर्भाग्यवश देश का प्रचार माध्यम जैसे दूरदर्शन भी इस तरह कार्य करता है कि एक धर्म विशेष की छवि उभारी जाती है। चाहे यह एक डांस हो अथवा ड्रामा कार्यक्रम हो इसमें बहुमत धर्म की छवि दिखाई जाने को प्रधानता दी गई है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। इसप्र वृत्ति को रोका जाना चाहिए। अपने दूरदर्शन कार्यक्रमों में हमें वैज्ञानिक स्वरूप को बढ़ावा देना चाहिए। इस समय हम ऐसे प्रचार माध्यम से धर्मनिरपेक्ष विचार की बजाए अन्धविश्वास, रूढ़िवाद और दकियानूसी धार्मिक विश्वासों को बढ़ावा दे रहे हैं। सार्वजनिक प्रचार माध्यम को धर्म निरपेक्ष विचारों को फैलाने का माध्यम बनाया जाना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यदि हम साम्प्रदायवाद को समाप्त करने और धर्म निरपेक्षता को मजबूत करने में देश की मशीनरी का उपयोग करने के कार्यक्रम में असफल हो जाते हैं तो भावी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।

इन शब्दों के साथ साम्प्रदायवाद को समाप्त करने के लिये कदम उठाने में और अधिक सावधान रहने के लिए इस सदन में जो आवाज उठाई गई है, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं यहां तक कि

उन दलों और संगठनों से अपील करता हूं जोकि साम्प्रदायिक दृष्टिकोण रखने के दोषी हैं कि वे अपने संकीर्ण दृष्टिकोण को छोड़ दें और धर्म निरपेक्ष भारत की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं।

***श्री सी० जंगा रेड्डी** (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, वाद-विवाद में भाग लेते समय बहुत से माननीय सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की भूमिका की कटु आलोचना की है। यह दिखाने के लिए हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं कि वास्तव में कौन धर्म निरपेक्ष है अथवा कौन नहीं है।

श्री वीर सेन (खुर्जा) : हिन्दी में बोलो जो सब की समझ में आये।

श्री सी० जंगा रेड्डी : अगर मैं हिन्दी में बोला तो मुझे अटकाने की कोशिश करेंगे इसलिए आपको जरा सबक सिखाना है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : ये तो कहते हैं, "कुछ न करे, खुदा करे कोई, मैं पहला मिसरा नहीं पढ़ूंगा ये लड़ाई करेंगे, मैं दूसरा मिसरा कहता हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : चाहे इधर के मित्र हों, चाहे उधर के मित्र हों, सभी लोग बी०जे०पी० को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार से फिरकापरस्त कहने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1952 में जिस वक्त दक्षिण में जनसंघ की स्थापना भी नहीं हुई थी, आर०एस०एस० भी नहीं था, उस वक्त पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने मेरे क्षेत्र हनमकोंडा में एक भारी सभा में भाषण दिया था कि भारतीय जनसंघ फिरकापरस्त है, उनको वोट मत दो। अरे, वहां पर भारतीय जनसंघ के बारे में जानते ही नहीं हैं, इससे साफ है कि खुद चोर होकर कोतवाल को डांटते हैं। इसी प्रकार ये पूरे दल वाले, मेरे इधर के मित्र बदनाम और उधर के मित्र हमको डांटना शुरू करते हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि पिछले चुनाव में जो मिजोरम में हुआ मैं उसका इलैक्शन मैनीफैस्टो आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। मिजो प्रदेश कांग्रेस आई कमेटी का इलैक्शन मैनीफैस्टो मैं बताता हूं।

[अनुवाद]

मिजो कांग्रेस कमेटी (इ०) ईसाई सिद्धान्तों के अनुरूप सरकार स्थापित करने के प्रति बचन-बद्ध है।

[हिन्दी]

दूसरा बताता हूं, सैकुलरिज्म का हैडिंग है यहां पर

[अनुवाद]

ईसाई होने के नाते यह हमारा भारी उत्तरदायित्व है कि हम ईसामसिह की शिक्षाओं का प्रचार करें।

[हिन्दी]

मुझे इंग्लिश अच्छी तरह नहीं आता, गोस्पल और उसमें क्या बताया, मैं आपको बताता हूं

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

[अनुवाद]

लेकिन यह युक्तिसंगत है कि ईसाईयों को कांग्रेस (इ०) को समर्थन देना चाहिए। यह मिजोरम प्रदेश कांग्रेस (इ०) समिति का चुनाव घोषणापत्र है।

[हिन्दी]

केवल यही नही है, मैं कांग्रेस सोशलिज्म के बारे में बताता हूं।

[अनुवाद]

जाइवल का भगवान, गरीब का भगवान है। यह कांग्रेस का समाजवाद है।

[हिन्दी]

और बताते हैं।

[अनुवाद]

'निधि के स्रोत' के शीर्षक के अन्तर्गत, यह कहा गया है 'होली लैंड, जेरूसलम में तीर्थयात्रियों को भेजने के लिए साधनों का पता लगाया जाए। यह कांग्रेस (इ०) के चुनाव घोषणा पत्र का सार है।

[हिन्दी]

और बताता हूं कि एजुकेशन में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं, कांग्रेस वाले।

[अनुवाद]

'शिक्षा' के अन्तर्गत यह कहा गया है 'मिजो संस्कृति और ईसाई सिद्धान्तों के आधार पर स्कूल पाठ्यक्रमों में संशोधन किया जाए।' यह कांग्रेस (इ०) का चुनाव घोषणा पत्र है। यह हाल ही में प्रसारित हुआ है। यह कांग्रेस (इ०) की धर्म निरपेक्षता का दस्तावेजी सबूत है। यदि यह धर्मनिरपेक्षता है तो हम इसके विरुद्ध हैं यह साम्प्रदायिकता है।

[हिन्दी]

दूसरों को उल्टा डांटते हैं कि आप फिरकापरस्ती करने वाले हैं, इन पर बैन लगाओ, 1975 में आर०एस०एस० पर बैन लगाकर देख चुके हैं, 1977 में क्या हुआ, आप एक बार बैन लगाकर देखो, हम उसके साथ हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन सैकुलर है। 1947 में जितने हिन्दू मरे, बाद में उसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई मगर 42 वर्ष के आप लोगों के रवैये के कारण यह फिरकापरस्ती हो रही है, उसके लिए हमको खेद है, दुख है, हम उसके विरुद्ध हैं और उसका खण्डन करने में भारतीय जनता पार्टी पहला कदम लेगी मगर आप इस प्रकार के कदम उठाकर दूसरों को फिरकापरस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस वाले कितने सैकुलर हैं।

[अनुवाद]

यह इलाहाबाद चुनाव और उदयपुर चुनाव में कांग्रेस (इ०) की धर्म-निरपेक्षता है।

[हिन्दी]

प्रोपेगण्डा के लिए किसको लाये, जिसने टी०वी० में रामायण में राम का पार्ट किया, उसको लाकर प्रोपेगण्डा किया। इसका मतलब है कि आप मतदान में हिन्दू सैण्टीमैण्ट्स को उकसाना चाहते हैं, मिजोरम में क्रिस्चियन सैण्टीमैण्ट्स को उभारना उकसाना चाहते हैं और आपने केरल में मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके सरकार बनाई, इलैक्शन इस प्रकार लड़ते हैं और बात सैकुलरिज्म की करते हैं। आप चोरी करते हैं और उल्टा बताते हैं कि चोर कहां गया, बताओ कोतवाल को। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह कांग्रेस की नीति है। यह आपकी सरकार की नीति है, मैं बताना चाहता हूं कि 1952 में जवाहर लाल नेहरू ने इसको एडाप्ट किया जब मैं बच्चा था और नवीं या दसवीं क्लास में पढ़ रहा था, उस वक्त उन्होंने जनसंघ के बारे में बताया था, वही परम्परा आज तक चली आ रही है और अभी चलने वाली है, आपकी सूरत आपको इसमें पता चलेगी, आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा···

[अनुवाद]

"कांग्रेस (इ०) ने मतदाताओं से खुले आम मिजो लोगों और ईसाई धर्म की खातिर मिजोरम में वोट देने के लिए कहा है। मिजोरम में शैली उसी प्रकार की है जिन्होंने दूरदर्शन धारा वाहिक रामायण के सितारे अरुण गोविल को देखा था जिसे जून 1988 के उप चुनाव में पार्टी द्वारा वास्तविक राम के रूप में प्रदर्शित किया गया था। यह आपकी धर्म निरपेक्षता है।

[हिन्दी]

क्या आप इसको सैक्युलरिज्म मानते हैं। बताइए ? बातें आप बड़ी-बड़ी करते हैं। 1942 लाहौर की बात तो राजीव गांधी जी ने बता दिया — टू-नेशन-थियोरी मुस्लिम लीग ने पास किया। इस टू नेशन थियोरी को किसने एक्सैप्ट किया ? कांग्रेस ने एक्सैप्ट किया, मुस्लिम लीग के भाइयों के साथ, जिसने इस देश के दो टुकड़े कराये है वे आज भी हमारे सदन में है। उस मुस्लिम लीग के साथ आपका समझौता है। 42 सालों में आपने क्या किया ? इन 42 सालों में आपने कई बार समझौता किया है, चुनाव लड़ा है। मेरे मित्र सीपीएम वालों ने सत्ता में आने के लिए नम्बूदरीपाद गवर्नमेंट ने अपनी कोलिजन गवर्नमेंट में लिया और मोहम्मद खोया एजूकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने किताबों में अरबी पढ़ाना सिखाना शुरू किया। सीलेबस को तबदील किया। और क्या किया है, मालूम है आपको ? किसी भी सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने भी नहीं किया, अपने को सत्ता में रखने के लिये, अपने को मुख्य मंत्री पद पर रखने के लिए यह नम्बूदरीपाद मालापुरम डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लोगों को दिया। उसका नाम कहते हैं, मुफलिस्तान। यह सी०पी०एम०की नीति है। जहां पर हमारी लड़ाई हो रही है। सीपीएम और मुस्लिम भाइयों में दंगे हो रहे हैं। जहां पर आर०एस०एस०, बी०जे०पी० ने मुस्लिम भाइयों की मुसीबत में रक्षा करके उनको संरक्षण दिया यह आपको मालूम होना चाहिये। यह हमारे सीपीएम भाइयों की स्थिति है। ये तीनों मिल कर हमारे ऊपर हमेशा हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हम को फिरकापरस्त बनाने की कोशिश कर रहे है। अरुण गोविल प्रचार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। डाक्यूमेंट्री एविडेंस यह है। एक एमएलए शिव सेना अनसीटेड हो गया, इसके लिए जज साहब को बधाई दी है···(**व्यवधान**)···

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : "बक रहा हूं कि न्होंने क्या-क्या कुछ,
कुछ न समझे, खुदा करे कोई।"

श्री सी०जंगा रेड्डी : आप उर्दू के कवि हैं। इसलिये मैं तेलगू में बोलना चाहता था। मगर आप बेचारे हैं, आपको समझाना है, इसलिये मैं हिन्दी में बात कर रहा हूं। बेचारे हैं, हिन्दी के सिवाय कुछ नहीं जानते। हिन्दी के फैनेटिक हैं···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

श्री अजीज कुरेशी : हालांकि मेरी मातृभाषा उर्दू है, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं हिन्दी जानता हूं···**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सी०जंगा रेड्डी : मैं जानता हूं, उर्दू कोई भाषा नहीं है, खड़ी बोली है।···**(व्यवधान)**··· तीन दिन पहले आन्ध्र प्रदेश के पीसीसी के अध्यक्ष जो हैं, 1967 में फिरकापरस्ती के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने छः वर्ष इलैक्शन लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कौन ?

श्री सी०जंगा रेड्डी : श्री चन्ना रेड्डी। फिरकापरस्ती का निशान पीसीसी प्रैजीडेंट चरना-रेड्डी। फिरकापरस्ती का निशान मीजाराम का मुख्यमंत्री, फिरकापरस्ती का निशान इलाहाबाद का इलैक्शन···**(व्यवधान)** · ये क्या करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गैर कांग्रेसी सरकार जहां पर भी हैं, वहां पर फिरकापरस्ती नहीं चल रही है। कहां चल रही है, बिहार में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है। इस तरह की बातें करके चुनावों में जीत कर सत्ता में आना, 42 सालों से दो साल को छोड़कर उसके सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए कांग्रेस में दंगा कराना शुरू किये हैं। मैं बताना चाहता हूं हजारी बाग में क्या किया। रामनवमी के दिन जलूस दिन रात चलती है, एकदिन लाइट बन्द हो गया, लाइट बन्द होने के बाद बम फटा और बम फटने के बाद 350 लोगों को बम बनाते अरेस्ट किया। लेकिन जो घायल हुए हैं, वे कौन हैं ? उस गांव के नहीं हैं, दूसरे शहरों से आए हुये हैं। किस वर्ग के हैं बताइये फिरकापरस्ती के बारे में, आपने कितने ही कमीशन बनाये हैं उसकी रिपोर्टों में क्या है जनता को बतायें। जिस वक्त अहमदाबाद में ये दंगे हुए, तो बाहर से आए हुए लोगों द्वारा ये किये गए, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं और बिना वीजा के आ रहे हैं। इसी सदन में मैंने इस बारे में एक प्रश्न पूछा था। सऊदी अरब से आ कर और पैसा दे कर, वे लोग फिरकापरस्ती को बढ़ा रहे हैं। यह आप नहीं समझ सकते। मैं तो कहता हूं कि आप शपथ लीजिये कि किसी फिरकापरस्त से हम इलेक्शन में मदद नहीं लेंगे। आज तो आप यह कहते हैं कि सी०पी०एम० वाले, वामपंथी लोग अच्छे लोग हैं। वे जनता दल में क्यों समझौता करते जाते हैं। हम जानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आप तो सिर्फ यही चाहते हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए आप चाहते हैं कि विरोधी दलों में आपसी फूट बनी रहे और फिर आप सत्ता में उस जगह आ जाएं, जहां पर आपकी सरकार नहीं है। इस प्रकार की आप कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि वामपंथी तो बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं और अच्छे लोग हैं, फिर वे जनता दल में क्यों जाते हैं और जनता दल वालों को कहते हैं कि तुम तो अच्छे लोग हो, फिरकापरस्त बी०जे०पी वालों के साथ क्यों जाते हो। क्या कमाल की बात है। यह आपका प्रचार है लेकिन आप के

प्रचार के दीवाने अब लोग होने वाले नहीं हैं। कुछ लोग आपके प्रचार के दीवाने हो गए और जनता सरकार 1979 में गिर गई। इस से लोगों को सबक लेना होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो देश की रक्षा कोई नहीं कर सकेगा।...(व्यवधान)...मैं यही कहना चाहता हूं कि आप विरोधी दलों को डिवाइड करके सत्ता में आने की कोशिश मत कीजिए। आपके कांग्रेस के लोग जहां रहेंगे, वहां सरकार को गिरवाने की कोशिश करते रहे हैं। जनता सरकार 1979 में कर्नाटक में थी, उस में भी पुराने कांग्रेसी लोग थे मगर अब इस के बाद इलेक्शन में कोई आपकी बात सुनने वाला नहीहै। आप को किसी भी सूरत में, किसी भी कारण से सत्ता में आने के लिए जनता वोट नहीं देगी। आप दूसरों में फूट डालने की चेष्टा मत कीजिए।

यहां पर राम जन्म भूमि की बात कही गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट से जो वर्डिक्ट दिया जायेगा उसका पालन आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानू के केस में मैन्टीनेन्स के बारे में जो कहा था उस पर अमल क्यों नहीं किया। (व्यवधान)...आप जानते हैं कि इस सदन में हमारी पार्टी का एक बेचारा आदमी है, दो बेचारे आदमी हैं और इतने लोग हमारी पार्टी के बारे में कहते हैं। इसलिए कम से कम पांच मिनट आप हमें और दीजिए। मैं यह पूछना चाहता हूं शाहबानू के केस में आपने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का पालन क्यों नहीं किया। आप राम जन्म भूमि के बारे में बोल रहे हैं। उस पर 42 साल से ताला लगा हुआ था। उसको किसने खोला। कोर्ट के आर्डर से, उसके आर्डर के माफिक वह खुला और उस पर कब्जा करने कौन गया। हमारे शाहबुद्दीन साहब ने कहा कि साइकिलों से बाबरी मस्जिद चलो। हमारे देश पर दुराक्रमण करके विदेशी आक्रमणकारियों ने राम जन्म भूमि पर बाबरी मस्जिद बना ली। बाबर के वंश का आज कौन है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, वे कभी हिन्दू थे, चार, दस या बीस पूर्वजों पहले वे हिन्दू थे और वे भारत देश के रहने वाले हैं। वे पूरे हिन्दू हैं और हिन्दू परिवार के हैं। बाद में कुछ मुस्लिम बने, कुछ क्रिश्चियन बने, कुछ जैन बने, कुछ वैष्णव बने और कुछ शिवा बने। मुझे पुराण और उपनिषदों के बारे में ज्यादा पता नहीं है मगर मैं इतना कह सकता हूं कि वे अबिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं। लोगों को बहकाने के लिए और उनसे वोट लेने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं। हैदराबाद में दंगे कम हो गये क्योंकि वहां पर इत्तिहादुल मुसलमान के मित्र मेयर बन गये। फिर चुनाव आएगा, तो फिर दंगे होंगे। जहां पर उनकी मेजोरिटी है, वहां पर दंगे शुरू किये जाते हैं। ओल्ड सिटी में मुसी नदी के एक किनारे पर दंगे नहीं होते हैं और दूसरे किनारे पर जहां पर उनकी पापुलेशन ज्यादा है, दंगे होते हैं।

जहां तक दंगों का सवाल है, आप यह देखिए कि हजारी बाग में जो दंगे हुए, उसमें उस शहर के रहने वाले लोग नहीं हैं। दूसरे शहरों से आकर दंगे किये जाते हैं। वहां पर जो 350 आदमी घायल हुए, उनका उस शहर से संबंध नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसकी जांच कराइए और खाम-खाह दूसरों पर कीचड़ फेंकने की कोशिश मत कीजिए।

एक बात और मै कहना चाहता हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्त मेरे बड़े मित्र हैं और पूजनीय हैं। वे बहुत सीनियर आदमी हैं और मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं और न मैं प्रोफेसर हूं और न मैं इतना विद्वान हूं फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि आर्टीकिल 370 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है।

[श्री सी० जगा रेड्डी]

[अनुवाद]

"जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबन्ध ।"

अब, अस्थायी का क्या अर्थ है ?

[हिन्दी]

इन्होंने कहा कि टेम्पोरेरी है। टेम्पोरेरी दो साल हो सकता है, तीन साल हो सकता है। वहां पर क्या हो रहा है ? वहां पर 70 हजार हिन्दू पापुलेशन थी, वह पापुलेशन 20 हजार रह गयी। आप बताइये यह कैसे हुआ ? वहां कश्मीर में कोई एक बिल्डिंग नहीं बना सकता है भारत का राष्ट्रपति भी नहीं। 26 जनवरी को कश्मीर में पाकिस्तान का झण्डा लगता है। वहां कोई दूसरी टीम आ कर के जीतती है, तो हिंसा होती है पाकिस्तान की टीम जीतती है तो मिठाई बांटी जाती है। पाकिस्तान के प्रेजीडेंट जिया मर गए तो वहां पर दंगे होते हैं। इसका क्या कारण है ? वहां पर दंगे क्यों होते हैं ? वहां पाकिस्तान के एजेंट हैं। पाकिस्तानी एलीमेंट्स वहां काम कर रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर पंडित लोग जो हैं वे माएनोरिटी में हैं। वे यहां पर आए और उन्होंने राजीव गांधी को बताया कि वहां पर कितने मन्दिर टूटे। आप जानते हैं कि वहां पर फारूख साहब को नेशनल फ्लेग नहीं फहराने दिया गया। इस प्रकार की वहां पर कार्यवाहियां चल रही हैं। इसीलिए वहां पर से 370 धारा को हटाने की मांग रखता हूं।

मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आपने मायनोरिटी कमीशन बनाया। ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जस्टिस वेग ने रिकमंड किया है। यह हम नहीं बोल रहे हैं, यह जस्टिस वेग ने कहा है।

मैं आपको बताना चाहता हूं काशीराम जी अपनी पार्टी लेकर के आए। हाजी मस्तान भी उनके साथ हैं। वे लोग दलितों और मायनारिटी को अलग बनाना चाहते हैं। वे लोग दलिस्तान की कल्पना कर रहे हैं। इसके नाम पर बंटवारा किया जा रहा है। जो पिछड़े लोग हैं वे अपने रैंक के लिए, अपने हक के लिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आज लोग क्या-क्या करते हैं। रीजनेलिज्म, कम्युनेलिज्म, कास्टिज्म फैलाने की बात करते हैं। हमारे आन्ध्र में कांग्रेस के एम० एल०ए० श्री मोहन रंगा राव मर गये। वे कापू जाति के थे। हमारे शिव शंकर जी के मित्र थे। उनके मरने के बाद वहां तीन सौ करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। तीन घंटे में हो गया। यह किसने कराया ? हमारे एक केबिनेट मिनिस्टर ने कराया। हमारे वेंगलराव जी वीरलम संगम का इनेगुरेशन करते हैं। आप इसके लिए कमीशन बिठाइये। अभी हरियाणा के अन्दर गूजर पिछड़े वर्ग को लेकर जातिवाद को बढ़ावा दिया गया। इसीलिए मैं चाहता हूं।

[अनुवाद]

आप कृपया इसको देखिए। आपकी स्वयं की पार्टी में जातिवाद, साम्प्रदायिकता और हर प्रकार का 'वाद' है, केवल आपकी पार्टी इन सभी 'वादों' को पचा सकती है। हम 'राष्ट्रवाद को छोड़कर' इन सभी 'वादों' को नही पचा सकते।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सर, मैं श्री रामूवालिया जी को बधाई देना चाहती हूं कि कम्युनल सिचुएशन पर डिस्कशन करने के लिए वे एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यहां पर लाए। सर, मैं जंगा रेड्डी जी का भाषण सुन रही थी। उनका भाषण सुनकर मेरे दिल में एक चीज आई। जब वे हाऊस के अन्दर कम्युनल सिचुएशन पर बोल रहे थे तो उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं आई, कोई ऐसा सुझाव नहीं आया कि हमारे देश से कम्युनल प्राब्लम कैसे दूर होगी, यह कैसे कम होगी। यह बड़े दुःख और अफसोस की बात है।

3.00 म०प०

जो ये लोग कम्युनलिज्म की बात करते हैं तो इन लोगों में से किसी के दिल में हिन्दुइज्म की बात होती है, किसी के दिल में मुस्लिमिज्म की बात होती है, किसी के दिल में सिखीज्म की बात होती है, लेकिन किसी के दिल में इंडियनिज्म नहीं है। आज हमें यह समझना चाहिए कि चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिक्ख हो या ईसाई हो, हमारे दिल में सिर्फ हिन्दुस्तान की बात होनी चाहिए। मैं माननीय इन्दिराजी को कोट करना चाहती हूं।

[अनुवाद]

"मैं यह नहीं समझ सकती कि कोई किस प्रकार एक भारतीय हो सकता है और उसे भारतीय होने का गर्व न हो।"

[हिन्दी]

ज्यादा समय नहीं है, मैं इण्डियन हूं, पश्चिम बंगाल स्टेट से आती हूं, लेकिन हमारे स्टेट के लिए यह गौरव की बात है कि चाहे कांग्रेसी हो, सी०पी०एम० हो, सी०पी०आई० हो, फारवर्ड ब्लाक हो, रिलीजन को लेकर कोई हमारे यहां राजनीति नहीं करता है और न ही कोई कम्युनल किलिंग हमारे यहां है। अभी अमर दा ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की बात की, मैं रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की एक पोइम पढ़ना चाहती हूं, मुझे गौरव है कि इसमें टैगोर ने हिन्दुस्तान के आदमी को कितना ऊंचा स्थान दिया है।

[अनुवाद]

"जहां हृदय में निर्भयता है और मस्तक अन्याय के सामने नहीं झुकता;

जहां ज्ञान का मूल्य नहीं लगता;

जहां संसार घरों की संकीर्ण दीवारों में खण्डित और विभक्त नहीं हुआ;

जहां शब्दों का उद्भव केवल सत्य के गहरे स्रोत से होता है;

जहां अनर्थक उद्यम पूर्णता के आलिंगन के लिए ही भुजाएं पसारता है;

जहां विवेक की निर्मल जलधारा पुरातन रूढ़ियों के मरुस्थल में सूखकर लुप्त नहीं हो गई;

[कुमारी ममता बनर्जी]

जहां मन तुम्हारे नेतृत्व में सदा उत्तरोत्तर विस्तीर्ण होने वाले विचारों और कर्मों में रत रहता है;

प्रभु ! उस दिव्य स्वतन्त्रता के प्रकाश में मेरा देश जागृत हो !"

[हिन्दी]

मैं किसी के लिए नहीं कहना चाहती, कल इन्द्रजीत गुप्ता जी ने जो भाषण दिया, उसका मैं स्वागत करती हूं, बड़े कांस्ट्रक्टिव सुझाव उन्होंने दिये कि किस तरह से कम्युनल सिचुएशन को हल किया जाये। लेकिन खाली भाषण देने से काम नहीं होगा, फील्ड में जाकर इसके लिए काम करना होगा। लेकिन आज जंगा रेड्डी जी का भाषण सुनकर बहुत अफसोस हुआ, चुनावी भाषण जो उन्होंने यहां पर दिया, वोट लेने के लिए हाउस में इस तरह की बात करते हैं, लेकिन देश के लिए बात नही करते। हम कांग्रेस पार्टी के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें गौरव है इस बात का कि हमारे अन्दर जाति-पांति की बात नहीं है, इसमें हम लोग विश्वास नहीं करते। चाहे हिन्दू हो, मुस्लिम हो, सिक्ख हो, इसाई हो, सब समान हैं। हिन्दुस्तान एक सेकुलर स्टेट है, अगर यहां पर कोई मन्दिर में जाता है तो मन्दिर में जाकर सूरज की उपासना में बोलता है—नमो जवाकुसुम शंकाय कश्यपम महादितिम, कोई मुस्लिम है तो वह कुरान का पाठ करता है—ला इलाही इलिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ईसाई भाई बाइबल लेकर बोलता है—

[अनुवाद]

"एक ही ईश्वर है !"

[हिन्दी]

और सिक्ख भाई बोलता है—वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। यह सेकुलरिजम है, लेकिन दुख की बात है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां चुनावी लाभ लेने के लिये इसका फायदा उठाना चाहती हैं। आज एक योजनाबद्ध षडयंत्र चल रहा है, धर्म के नाम पर देश को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश चल रही है, ऐसे दलों को शर्म आनी चाहिए, ये लोग आज कांग्रेस पार्टी को गाली देते हैं, जो आदमी काम करता है उससे दो चार भूलें भी हो सकती हैं। हम नहीं कह सकते कि हमसे भूलें नहीं होतीं, लेकिन भूल उसी से होती है जो काम करता है। आप बताइये कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने देश के लिये कुर्बानियां दी हों, कांग्रेस पार्टी ने आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी, एक ही ऐसी पार्टी है जिसके बहुत लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है।

मैं वामपंथी पार्टी को बधाई देना चाहती हूं, कम्युनल सिचुएशन के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, बहुत से आदमी शहीद हुए हैं, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। सरकार को इन लोगों की बातों पर गौर करना चाहिए, जो लोग राम की बात करते हैं या रहीम की बात करते हैं। आज क्यों नहीं ···**··· रेड्डी आंध्र के चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करते।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

बम्बई में हाईकोर्ट ने शिव सेना के एक एम०एल०ए० को डिसक्वालीफाई किया है क्यों किया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूं। (व्यवधान)

हाऊस के अन्दर ऐसा दंगा चलेगा तो बाहर जाकर ये लोग क्या करेंगे। ये लोग कम्युनल सिचुएशन को जिंदा रखेंगे और साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देंगे। मैं ऐसा क्यों बोलना चाहती हूं। शिव सेना के एक एम०एल०ए० को कोर्ट ने डिसक्वालीफाई कर दिया है क्योंकि रिलीजन की ओर से उसने कैम्पेन किया था। मैं बूटा सिंह जी को बोलना चाहती हूं कि वे एक कामप्रीहेन्सीव बिल लाएं और इन कम्युनल आरगेनाइजेशन्स को बैन किया जाए और साथ-साथ पौलिटिकल पार्टीज को भी गाइडलाइन्स इश्यू की जाएं कि वे इलैक्शन कैम्पेन में रिलीजन परफारमेंस को साबित नहीं कर सकते। रामा राव को आप देखिए। कृष्ण की ड्रैस पहनकर इलैक्शन में रथ लेकर घूमे हैं। उनके लिए डिसक्वालीफाई होना चाहिए जो इस तरह का इलैक्शन कैम्पेन करता है। भगवान बनकर इलैक्शन उन्होंने लड़ा है। वे रामा राव से चेंज होकर —**— हो गए हैं इसलिए डिसक्वालीफाई होना चाहिए। जैसा बी०जे०पी० और आर०एस०एस० कर रहे हैं वैसे ही मुस्लिम लीग भी कर रही है।.....(व्यवधान) बी०जे०पी० हिन्दू राष्ट्र के लिए स्लोगन दे रही है। मुस्लिम लीग मुस्लिम राष्ट्र के लिए स्लोगन देगी और इसी तरह हम भी महिला राष्ट्र के लिए स्लोगन देंगे। इससे इस देश का क्या फायदा होगा। हिन्दुस्तान के सैक्यूलरिज्म के लिए सरकार की गाइडलाइन्स होनी चाहिए। इस बारे में सरकार को एक्शन लेना बहुत जरूरी है। काफी पोलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके पास फारेन से पैसा आता है। इस पैसे का इस्तेमाल वे रिलीजियस सैंटीमैंट्स के लिए करते हैं। हमारे देश की आम जनता धार्मिक है इसलिए ये लोग उनकी धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते हैं। सरकार को यह देखना चाहिये कि कौन-कौन सी फारेन कंट्रीज से पैसा आता है। सरकार की बिना जानकारी के वे कैसे पैसा दे सकते हैं। कम्युनलिज्म को कर्ब करने के लिये सुझाव देना चाहती हूं। गांव में हर एक आदमी टी०वी० तो नहीं देखता बल्कि रेडियो सुनता है। इसलिये हमारी सरकार की जो पब्लिसिटी मशीनरी है वह और भी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिये। शिव सेना, मुस्लिम लीग, बी०जे०पी० या जो भी कम्युनल आरगेनाइजेशन्स हैं वे कंट्री को प्रायोरिटी नहीं देते बल्कि अपनी पार्टी को प्रायोरिटी देते हैं। जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी कंट्री के लिये और सैकण्ड प्रायोरिटी पोलिटिकल पार्टी के लिये होना चाहिए। इस मामले में हमारा और अपोजीशन का कोई मतभेद नहीं है। माइनोरिटीज को प्रोटेक्शन देना हमारा धर्म है। उनकी देखभाल करना भी हमारा धर्म है। कोई धर्म, भाषा या जाति के लिए नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की आम जनता के लिए जो भी हो सके, कम्युनल सिचुएशन को रोकने के लिए वह करना चाहिए।

[अनुवाद]

साम्प्रदायिकता किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मजबूत है। यह कैंसर से कम नहीं है।

[हिन्दी]

कम्युनलिज्म बहुत बढ़ रहा है इसलिए हमको इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक बात मैं —**— रेड्डी को कहना चाहती हूं। .....(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री सी० जंगा रेड्डी : यह अन-पार्लियामेंटरी है।

कुमारी ममता बनर्जी : अब मैं जंगा रेड्डी बोल रही हूं।.....(**व्यवधान**)

जंगा रेड्डी जी की मैं आभारी हूं कि उन्होंने अच्छी बात कही है, लेकिन एक बात उनको कहना चाहती हूं.....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : मैं बोलना चाहती हूं कि हाउस में हम लोग देश को बचाने के लिये एक साथ मिलकर बोलें और साम्प्रदायिक स्थिति को खत्म करने के लिये काम करें। जैसा इन्द्रजीत जी ने सुझाव दिया था और प्रधान मंत्री जी ने वह मान लिया। मैं अन्त में यही कहना चाहती हूं कि

क्या फर्क तुझ में मुझ में तेरा दर्द दर्द तनहा है
मेरा दर्द दर्द जमाना है।

हमें जो करना है हिन्दुस्तान के लिये करना है। आजकल रमजान का महीना चल रहा है इसके लिए मैं एक बात करना चाहती हूं।

मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है,
वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।

इसीलिये ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आइये हम सब लोग एक साथ मिल कर इस देश को आगे बढ़ाने के लिये काम करें।

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति जी, मजहब के नाम पर और धर्म के नाम पर जब इंसान के बीच में लड़ाई होती है और खून बहता है, हत्या होती है और नफरत पैदा होती है तो हमें लगता है कि इतिहास का जो आदम काल था जब कोई धर्म नहीं था वह काल अच्छा था। धीरे-धीरे मजहब बने, वह इंसान को अच्छा बनाने के लिये बने। कोई भी धर्म हो, मजहब हो, चलाने वालों ने जो उनको आदर्श दिये वह इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए दिये थे, इंसान को हैवान बनाने के लिये नहीं। धर्म ने, सम्प्रदायों ने जहां मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने का आदर्श दिया, बल्कि मनुष्य को देवता बनाने का आदर्श दिया वहीं धर्मों ने, सम्प्रदायों ने इंसान को हैवान बनाने के लिए भी प्रेरित किया है। तो क्यों नहीं हम लोग धर्म से, मजहब से उन चीजों को हटा दें जो इंसान को हैवान बनाती हैं। जब हम लोग धर्म और मजहब के नाम पर मनुष्य मनुष्य के बीच हिंसा करने की बात देखते हैं तो मन में आता है कि कोई धर्म न पैदा हुआ होता, जैसा आदमकाल में बिना धर्म के मानव रहता था, तो अच्छा होता। धर्म पैदा किये गये मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने के लिये, अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिये। इसलिए ऋषियों ने, सतों ने, के महात्माओं ने, पैगम्बरों ने, फरिस्तों ने धर्म चलाये थे। इसलिए नहीं कि इंसान इंसान के बीच नफरत पैदा हो, घृणा पैदा हो और दूरी पैदा हो। धर्म के जो मूल तत्व हैं वह एक से ही हैं। हर धर्म के ग्रंथ में चाहे कुरान शरीफ हो

चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे गुरू ग्रंथ साहब हो या बाइबिल हो इनमें धर्म का एक लक्ष्य है। व्यास ने जी कहा है कि—

क्षमताय सर्वधर्म सर्व स्वम् श्रुत्वा चैवावधार्यताम्
आत्मन: प्रतिकूलामि परेशम् न समाचरते ।

धर्म का तत्व सुनिये, धर्म का रहस्य सुनिए कि मूल अर्थ क्या है, जो अपने को बुरा लगे तो वह दूसरे के साथ वैसा व्यवहार न करें, यही धर्म का तत्व है, यही धर्म का रहस्य है···

परन्तु आज लोग धर्म को, मजहब को अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने हितों के लिए प्रयोग करने लगे हैं। ऐसा धर्म जो मनुष्य को राक्षस बनाये, यदि दुनिया से मिट जाए तो अच्छा है। ऐसे धर्म से तो बिना धर्म के रहना ही अच्छा है। मनु ने लिखा है—

धृति क्षमा दमोस्तेयं सत्यं शौचं इन्द्रिया निग्रह।
धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणं ॥

बताइये, इनमें में से कौन-सा गुण धर्म-विरोधी है : धैर्य, क्षमा, सहिष्णुता, शम, दम, प्रेम, ये ही तो धर्म के तत्व हैं। जो असली धर्म है, आज उसे कोई ग्रहण करना नहीं चाहता बल्कि धर्म को राजनीति से मिलाकर, धर्म को मजहब का रूप देकर, "ज" से मिलाकर, "प" से मिलाकर, सत्ता से मिलाकर, कुर्सी से मिलाकर, आज आदमी बहुत नीचे चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, मनुष्य का पतन होता जा रहा है। इधर कुछ लोग धर्म की आड़ लेकर सत्ता में आने के लिए, कुर्सियां पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, धर्म का खुले-आम प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, हर आदमी का अपना-अपना मजहब हो सकता है, धर्म हो सकता है, सब अपने अपने घरों में उसे मानें, अपने परिवारों में मानें, परन्तु हमारे देश का संविधान धर्म-निरपेक्षता पर आधारित है, सर्व धर्म समभाव पर आधारित हैं, जिसे पंडित जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी ने चलाया था। हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत उच्चकोटि का भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश में धर्म-निरपेक्षता के सिवाय दूसरा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। यहां बहु-भाषी लोग हो सकते हैं, बहु-धर्मी हो सकते हैं, बहु-सांस्कृतिक हो सकते हैं, बहु-क्षेत्रीय हो सकते हैं, लेकिन बहु-राष्ट्रीय नहीं हो सकते। हमारा राष्ट्र एक है, जिसे भारत कहते हैं। यही हमारा धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। श्रीमन्, हम तो सब धर्मों का आदर करते हैं, हम गुरू नानक के पुजारी हैं, राम के पुजारी हैं, कृष्ण के पुजारी हैं, अल्लाह या खुदा के पुजारी हैं, भगवान बुद्ध के पुजारी हैं, सब के पुजारी हैं किन्तु इंसान के पुजारी बनना सबसे बड़ा धर्म है। मनु ने लिखा है—

न मानुषात श्रेष्ठ तरं हि किंचित् ।

उसी को रविन्द्र नाथ टैगोर ने इस तरह से कहा है—

सबार ऊपर मानुष सत्य ताहर ऊपर नाई ।

मनुष्य से बड़ा कोई सत्य नहीं है। मनुष्य ने ही सब कुछ बनाया है। जब मनुष्य ने ही सारे धर्म बनाये हैं, राज बनाया है, मनुष्य ने ही मर्यादाएं बनायी हैं, मनुष्य ने ही मनुष्य के लिए रास्ता

[श्री उमाकांत मिश्र]

चुना है तो फिर वंश और वंश के बीच लड़ाई झगड़ा क्यों हो। श्रीमन्, मेरा मत है कि इस देश में यदि कट्टर साम्प्रदायवाद पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इस देश में लोकतन्त्र चलना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असम्भव है। यदि इस देश में धार्मिक कट्टरता पर अंकुश नहीं लगा तो इस देश की अखण्डता खतरे में है, एकता खतरे में है, देश एक होकर रह नहीं सकता, टूट जायेगा, खत्म हो जायेगा, देश की एकता भंग हो जायेगी, लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसलिए देश में सब धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए एक राष्ट्रीय धर्म के विकास की आवश्यकता है, वह ऐसा राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए जिस पर हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, ईसाई सभी इस दृष्टि से अमल करें कि हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारा धर्म है, राष्ट्रीयता हमारा धर्म है, भारत का हर इंसान एक है, सब भारतवासी एक हैं।

हिन्दी के एक कवि नीरज ने कहा था :

अब तो ऐसा कोई मजहब भी चलाया जाये,
जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाये।

आग बहती है यहां गंगा में और झेलम में भी,
कोई बतलाये कहां जा के नहाया जाये॥

भारत का सदा से एक महान आदर्श रहा है :

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुख भाग्भवेत॥

चाहे हिन्दू हों, मुसलमान हों, इसाई हों, पारसी हों, सब अपने विश्वासों के आधार पर चलें, सब सुखी हों, सब मिलकर रहें, सब भारत को अपना देश समझें, ऐसे भारतीय धर्म का यहां विकास होना चाहिए। अंत में, मैं यही कहूंगा कि कट्टर साम्प्रदायिकता का मैं घोर विरोध करता हूं। जो वास्तविक धर्म है, जो सब धर्मों का तत्व है, जो मानव धर्म का असली रूप है, उसे पहचानने की कोशिश की जाये। कुरान शरीफ, वेद, शास्त्र, गुरू ग्रंथ साहब, गुरू नानक देव की वाणी आदि सभी ग्रंथों का तत्व, निष्कर्ष निकाल कर एक राष्ट्रीय धर्म चलाने की कोशिश इस देश में सम्राट अकबर ने की थी, जो सब लोगों के लिए एक धर्म का काम करे।

अपना धर्म अलग रहे, लेकिन राष्ट्रीय धर्म एक हो। एक राष्ट्रीय धर्म का विकास हो, तब यह देश बच सकता है, तब इस देश की एकता और अखंडता बच सकती है, तभी इस देश में लोक तंत्र रह सकता है और तभी इस देश की रक्षा हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, इसके पहले कि मैं साम्प्रदायिकता के मुद्दे पर आऊं, मैं श्री जंगा रेड्डी द्वारा उठाए गए दो मुद्दों का उत्तर देना चाहता हूं। वह भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और साम्प्रदायिकता के लिए चिंता प्रकट कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर उनके गुरुओं को श्री जंगा रेड्डी के माध्यम से आश्वासन देना

चाहता हूं कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक साम्प्रदायिकता की निंदा करता हूं चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो। दूसरा उन्होंने अनुच्छेद 370 के बारे में कहा था। मैं इस पवित्र सदन और उनके गुरुओं को याद दिलाना चाहता हूं जिसे उन्होंने सरकारिया आयोग के अध्ययन से तैयार किया था, उनका कहना है कि अनुच्छेद 370 को रद्द किया जाना चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत स्थिति यह है कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है और इसे बिलकुल रद्द नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि समय की कमी है, मैं अपनी बात को संक्षेप में कहूंगा कि इसे क्यों नहीं रद्द किया जा सकता। और इस स्थिति को उच्चतम न्यायालय द्वारा तीन निर्णयों में स्वीकार किया जा चुका है। मैं श्री ए०एम० आनन्द द्वारा लिखित "डेवेलपमेंट आफ द कंस्टीट्यूशन आफ जम्मू एण्ड कश्मीर" शीर्षक नामक पुस्तक से उद्धृत करता हूं, जोकि इस समय जम्मू और कश्मीर राज्य में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश है। मैं पृष्ठ संख्या 130 से उद्धृत करता हूं :

> "अनुच्छेद के अस्थायी स्वरूप का मामला केवल इसलिए उठा क्योंकि राज्य और भारतीय संघ के बीच संवैधानिक सम्बन्धों को अन्तिम रूप देने का अधिकार विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर संविधान सभा में निहित है। भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए संविधान सभा की बैठक आयोजित करने पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया है और उसमें यह व्यवस्था भी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 अथवा किसी अन्य अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर राज्य में उनके प्रयोग में, उनमें जो भी परिवर्तन, संशोधन अथवा अपवर्जन करना आवश्यक हो, उसके लिए विधान सभा का निर्णय जरूरी है। अतः अस्थायी उपबन्ध का यह अर्थ नहीं है कि अनुच्छेद को सर्वसम्मति से रद्द किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है अथवा उसमें प्रतिस्थापन किया जा सकता है···"

इसका अर्थ है कि इसे तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि संविधान सभा के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के लोगों से परामर्श नहीं किया जाता और यही स्थिति है जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।

अब मैं साम्प्रदायिकता के विषय की ओर आता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुच्छेद 370 को रद्द करने की बात हिन्दू समर्थन जुटाने के लिए कह रही है, मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का सदन के बाहर उत्तर देने पर विवश होना पड़ा।

साम्प्रदायिकता एक भारी खतरा है और इसको इस सदन के सभी वर्गों और भारत के सभी लोगों द्वारा अस्वीकार करना होगा क्योंकि यह हमारे देश को कमजोर करेगा। इसके कुछ आंकड़े हैं। मैं इन आंकड़ों के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत से मित्र यहां बोल चुके हैं। लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि 1981 और 1987 के बीच साम्प्रदायिक दंगों में 1822 मुस्लिम लोग मारे गए, और 753 हिन्दू लोग मारे गए और 12 पुलिस कर्मी मारे गए। इससे दिल दहल जाता है। ये आंकड़े ठीक प्रतीत नहीं होते। वास्तव में ये आंकड़े इससे अधिक हैं। मैं एक लेख पढ़ता हूं। मुझे जो कुछ कहना है मैं केवल उसकी रूपरेखा दे रहा हूं। यह लेख श्री विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया था। उन्होंने इसका पूरा अध्ययन किया है, उसके बारे में पूरे आंकड़े दिए हैं और उसमें सरकारी आंकड़ों का उल्लेख किया है, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जान और माल का 75 प्रतिशत नुकसान मुस्लिम समुदाय को हुआ है। यहां प्रश्न यह है कि साम्प्रदायिक दंगे होते क्यों हैं? हम पुस्तकालय में बहुत-सी रिपोर्टें देखते हैं। ऐसा इसलिए है कि तथ्यों को छिपाया जाता है।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

देश में गलत सूचना दी जाती है और राजनीतिज्ञों द्वारा गलतफ़हमी पैदा करने की जानबूझ कर कोशिश की जाती है। मैं श्री हरूभाई मेहता से सहमत हूं। मैं हमेशा उनके विचारों का आदर करता हूं। जब वह यह कहते हैं कि इस देश में प्रत्येक मुस्लिम अथवा प्रत्येक हिन्दू साम्प्रदायिक नहीं है तो वह सही है। मैं इसे अपने व्यक्तिगत अनुभव से देख चुका हूं। ये राजनीतिज्ञ लोग ही हैं, जो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। मैं भारत सरकार को इसका कुछ श्रेय देता हूं। मेरी शिकायत यही है कि भारत सरकार सबसे निचले स्तर की समस्याओं को समझने का पूरा प्रयास ही नहीं कर रही है; अन्य व्यक्ति, सैयद जुबेर अहमद ने बताया है कि छोटा नागपुर में साम्प्रदायिकता कैसे उत्पन्न हुई। यह बहुत ही अच्छा लेख है। इन चारों दशकों में छोटा नागपुर इन सभी साम्प्रदायिक दंगों से अछूता रहा है। परन्तु इस समय छोटा नागपुर में साम्प्रदायिक हिंसा क्यों भड़क उठी है? मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह एक ऐसे "सैल" का गठन करें जो यह अध्ययन करे कि व्यक्ति साम्प्रदायिकता का प्रदर्शन क्यों करते हैं। इस समय यह कार्य नहीं किया जा रहा है।

ग्रामीण भारतीय जो कुछ बोलता है और सबसे निचले स्तर पर वह जो कुछ भी करता है, हमें उन सब बातों का गम्भीरता से अध्ययन करना चाहिए। शहरी भारत में तो विभिन्न रूपों में साम्प्रदायिकता देखी जा रही है। परन्तु हमारा ग्रामीण भारत अभी भी इससे अछूता है। एक सामान्य हिन्दू साम्प्रदायिक भावना से ग्रस्त नहीं है, चाहे वह बाबरी मस्जिद का मामला हो अथवा किसी अन्य मन्दिर का मसला हो। परन्तु राजनीतिज्ञ ऐसा खेल क्यों खेलते हैं?

हजारी बाग में, अचानक ही आपको बोरों में बन्द शव मिलते हैं। और इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह आशा की जाती थी कि हजारी बाग में श्री सिन्हा एवं श्री जगन्नाथ मिश्र दोनों ही स्थिति में काफी सुधार ला सकते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तारिक अनवर एक कांग्रेसी सांसद हैं। वह एक धर्म-निरपेक्ष एवं राष्ट्रभक्त हैं। हम उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकते कि वह कोई निराधार बात कह रहे हैं। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा था कि बिहार में मुस्लिम व्यक्ति सीमा सुरक्षा बल, सेना एवं अर्द्ध-सैनिक बलों की प्रशंसा करता है परन्तु बी०एम०पी० की निंदा करता है। किसी न किसी को तो इस मामले की जांच-पड़ताल करनी ही होगी कि वहां कर्फ्यू कैसे लगा दिया गया और पुलिस ने भी वही सब काम कैसे किया। अब ऐसे खेल जारी नहीं रखे जा सकते। यही वह सब है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती है। आप भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग के 13 करोड़ व्यक्तियों की हत्या नहीं कर सकते। आप किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को समाप्त नहीं कर सकते, चाहे पारसी अथवा ईसाइयों के समान उसकी संख्या बहुत ही कम हो। आप उनकी हत्या करवाके इन अल्पसंख्यक वर्गों को समाप्त नहीं कर सकते।

अब मथुरा में स्थिति पूरी तरह से साम्प्रदायिक है क्योंकि शिव सेना मथुरा में अपनी एक शाखा स्थापित करना चाहती है। प्रधानमंत्री की सहृदयता से इंकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है। वास्तव में, इस सदन में उस न्यायाधीश की प्रशंसा सम्बन्धी एक संकल्प पारित किया जाना चाहिये क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा से उस विधायक के चुनाव को साम्प्रदायिक प्रचार के आधार पर जीतने के लिये अवैध

घोषित कर दिया था। किसी भी मुसलमान अथवा हिन्दू को देश में यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिये कि वह चुनाव जीतने के लिए धर्म को एक चुनावी हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करे।

अब शिव सेना एक खतरा बन गई है। इस समय यह संगठित है। यही बात मैं माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस बार इसने एक दूसरा रास्ता अपनाया है। यही बात भारतीय जनता पार्टी, हिन्दू महासभा, बजरंग दल एवं विश्व-हिन्दू परिषद पर भी लागू होती है। वे सभी राजनैतिक चाल चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से सत्ता हथियाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि वे सत्ता में आ सकते हैं क्योंकि अब भी कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है और यह अपना कर्त्तव्य निभायेगी। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी उनकी चालों पर गौर करे। अटल जी जैसे वरिष्ठ नेता एवं आडवाणी जी ने इतने सारे मुद्दे—जैसे अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण एवं अल्पसंख्यक आयोग को रद्द करने जैसे मुद्दे क्यों उठाये? ऐसा नहीं किया जा सकता है। हम उसे एक सांविधिक निकाय बनाना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? वे ऐसी अनेक बातें करते हैं क्योंकि वे इस सदन में बहुमत प्राप्त करके आना चाहते हैं। उस खेल को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप जनता के अधिकारों के अभिरक्षक हैं। समाजवाद और धर्म-निर्पेक्षता आपके अभिन्न अंग हैं। आप उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल पर गौर क्यों नहीं करते?

मैंने "टाइम्स ऑफ इंडिया" में महासभा के बारे में छोटी सी खबर पढ़ी थी। इसे पूरा पढ़ा जाना चाहिये क्योंकि महासभा द्वारा किये जा रहे कार्य पूरी तरह हानिकारक हो सकते हैं। इसी भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी, बाल ठाकरे और विश्व हिन्दू परिषद कर रही हैं। इस समय वे एक जैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने भारत को अस्थिर करने के लिए हेडगेवार शताब्दी समारोहों का भरपूर इस्तेमाल किया है क्योंकि वे मुस्लिमों को समाप्त नहीं कर सकते; वे पारसियों को समाप्त नहीं कर सकते। उनके पास राजनैतिक शक्ति का अभाव है। अत: वे भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। अब मैं उद्धृत करता हूं—

> "हिन्दू महासभा ने आज घोषणा की कि आगामी आम चुनावों में 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसने कांग्रेस पार्टी को एक 'साम्प्रदायिक संगठन' कहते हुए चुनाव लड़ने पर उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाने की भी मांग की।
>
> अखिल भारत हिन्दू महासभा के अध्यक्ष आचार्य श्री बालाराव सावरकर ने यह दावा किया कि केवल उन्हीं के संगठन ने 'धर्मनिर्पेक्षवाद' का सही निर्वचन किया है।
>
> 'भारतीय' मूल के सभी धर्मों में विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सिन्धू नदी और समुद्रों के बीच वाली 'अखण्ड भारत' की जमीन पर रहने वाला हर व्यक्ति 'हिन्दू' है।
>
> श्री सावरकर ने कहा कि हिन्दुवाद जाति को जन्म से संबद्ध नहीं मानता क्योंकि 'वर्ण (जाति) प्रथा व्यक्ति के व्यवसाय पर आधारित है न कि उसके जन्म पर'।"

इसके पश्चात्, उन्होंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात कही है :

> "परन्तु मुसलमानों के लिए एक भिन्न वैयक्तिक कानून की अनुमति द्वारा एवं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की नीति द्वारा....."

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के खिलाफ हैं और सबसे निचले स्तर पर वे यह प्रचार करते हैं कि कांग्रेस अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए है। अत: वे हिन्दू जाति के शहरी वोट लेना चाहते हैं। अब, श्री सावरकर ने इस सम्बन्ध में यह कहा है :

"परन्तु मुस्लिमों के लिए एक भिन्न वैयक्तिक कानून एवं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण-नीति द्वारा कांग्रेस सरकार वर्ण-विभाजन को स्थायी बना रही है।"

3.32 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

और अन्तत: वे अपनी असलियत पर आते हैं और रिपोर्ट में यह कहा गया है :

"और धर्म निरपेक्षता का समर्थन करते हुए श्री सावरकर ने कहा कि अगर हिन्दू राष्ट्र स्थापित हो जाता है तो मोहम्मद नाम के किसी भी व्यक्ति को अपना नाम दोबारा से रखना होगा और वह नाम महादेव अथवा ऐसा ही कोई अन्य भारतीय मूलक नाम हो सकता है।"

अब सबसे निचले स्तर पर यह स्थिति है। मैं केवल कुछ मिनट का समय और लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि समय का अभाव है। मैं अभी-अभी यह कह रहा था कि पूर्णत: राष्ट्र-विरोधी दलों के बीच सांठ-गांठ है। मुझे उनकी देशभक्ति पर सन्देह नहीं है परन्तु इसका दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि वे साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे हैं और इस साम्प्रदायिकता से सम्पूर्ण देश की तबाही हो जायेगी।

बिहार मिलिटरी पुलिस के बारे में श्री तारिक अनवर ने जो कुछ कहा है, माननीय गृह मंत्री द्वारा उसकी जांच की जानी चाहिए। इन सभी दंगाग्रस्त क्षेत्रों में से मैंने मकराना का दौरा किया था और मैं इस बात को माननीय गृह मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं—यद्यपि मैं इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा— परन्तु इस बारे में हिन्दुओं और मुसलमानों में मतैक्य है कि भंवर लाल पुरोहित जोकि 25 मामलों में लिप्त है, 9 मामलों में अपराधी घोषित किया जा चुका है और जो न केवल राजस्थान के लिए, अपितु सम्पूर्ण देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इन मकराना दंगों के लिए उत्तरदायी है। वहां के प्रशासन के सभी उच्च अधिकारियों ने यह कहा है कि जब तक मुख्य मंत्री और भारत सरकार ऐसा करने का निर्णय न ले, तब तक उसे पकड़ना अत्यन्त कठिन है। उन्होंने यह कहा है कि वह किसी भी अधिकारी के विरुद्ध षड्यन्त्र रच सकता है। वह ऐसा कह सकता है कि अमुक अधिकारी ने बलात्कार किया है और वह दो महिलाओं को गवाह के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। सहायक आयुक्त से लेकर मंडलीय आयुक्त तक प्रत्येक व्यक्ति उससे भयभीत है और उन्होंने हमसे यह मांग की है कि हमें इसमें अपनी भूमिका अवश्य निभानी चाहिए। वह व्यक्ति कांग्रेस का टिकट प्राप्त करना चाहता है। उसे टिकट नहीं मिली और उसने यह स्थिति उत्पन्न कर दी। अत: महोदय, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उसे गिरफ्तार किया जा चुका है परन्तु उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

श्री राजेश पायलट : वह जेल में है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, वह जेल में है और उस समय जल्दबाजी के कारण हम मुख्य मंत्री से मुलाकात नहीं कर सके। अब हम इस बारे में वास्तविक अधिकारी माननीय गृह मंत्री से बातचीत कर रहे हैं। उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दो वर्ष के लिए जेल भेजा जाना चाहिए और वहां से अन्यत्र हटाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब, आप अपने भाषण को समाप्त कीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं अपने भाषण को समाप्त कर रहा हूं। मैं विस्तृत वर्णन नहीं कर रहा हूं। मैं संक्षेप में यह कह रहा हूं कि रेडियो और टेलीविजन को भी अपना दायित्व निबाहना चाहिए। मैं रामायण और महाभारत धारावाहिकों की बात नहीं कर रहा हूं। इन धारावाहिकों में अच्छी बातें भी हैं। परन्तु प्रसारण में सन्तुलन होना चाहिए। हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण को कैसे सन्तुलित किया जाना है। इसके लिए गहन जांच की आवश्यकता है। हमारे कुछ सरकारी विभाग भी साम्प्रदायिकता का खेल खेल रहे हैं। मुझे इस बारे में आपत्ति है। मैं इसका एक उदाहरण दूंगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एक सरकारी संगठन है। मुझे एक कलेन्डर प्राप्त हुआ है और इसमें जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी समारोह को दर्शाते हुए कुछ चित्र दिये गये थे। यह एक प्रशंसनीय बात थी, उसके पेज को पलटने पर मुझे उस कलेन्डर में हिन्दू धर्म से सम्बन्धित कुछ तस्वीरें दिखाई दी। मैंने इसका उल्लेख किया। किसी व्यक्ति ने इसे सुना और यह बात 'इण्डिया टूडे' में प्रकाशित हो गई। जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी समारोह वर्ष के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एक धर्म विशेष को कैसे दर्शा सकता है ? पंडित जवाहर लाल नेहरू एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि भारत महान और संगठित बने। मैंने यह आपत्ति इसलिए उठाई है क्योंकि यह एक सरकारी संगठन है। महोदय, उर्दू भाषा में 'नई दूनिया' नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। इसने इस सूचना के द्वारा हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि छटी और सातवीं कक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद (एन०सी०ई०आर०टी०) की पुस्तकें रामायण और महाभारत की शिक्षा दे रही हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से खान साहिब अब्दुल अजर लखनवी द्वारा गीता के अनुवादित श्लोक पढ़ता हूं और तभी से मेरे मन में भगवान कृष्ण के प्रति बहुत सम्मान है क्योंकि वे कर्म में विश्वास रखते थे। परन्तु एन०सी०ई०आर०टी० की पुस्तकों के माध्यम से पारसी, हिन्दु और मुस्लिम, सभी लोगों को अनिवार्य रूप से ऐसी शिक्षा देना आपत्ति-जनक है। एन०सी०ई०आर०टी० ऐसा कैसे कर सकती है ? ये पुस्तकें संक्षिप्त रामायण और संक्षिप्त महाभारत हैं। पिछले एक टेलीफोन द्वारा एक पत्रकार महोदय ने यह कहते हुए मेरा ध्यान आकर्षित किया था कि ग्यारहवीं कक्षा की पुस्तक में कुछ अपमानजनक टिप्पणियां

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

हैं। अत: किसी व्यक्ति को इसकी जांच करनी चाहिए। भारत में इन बातों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : आपकी आपत्ति क्या है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरी आपत्ति यह है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है।

डा० कृपासिन्धु भोई : रामायण धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाती है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : फिर आप इसे सन्तुलित बनाइये। आप इसे अनिवार्य नहीं बना सकते। आप इसे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के लिए शुरू नहीं कर सकते। यह सम्पूर्ण कक्षा के लिए निर्धारित है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : किसी धर्म के प्रचार के लिए राज्य की धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सकता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। आपको इस बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए। महोदय, वे कश्मीर का उल्लेख कर रहे थे। कश्मीर एक ऐसा स्थान है जहां ऋषियों, मुनियों ने शान्ति का उपदेश दिया और इस्लाम के उपदेशों का भी यही सार है तथा हम जानते हैं कि वहां हिन्दू समुदाय 32 दांतों के बीच हमारी जीभ की भांति सुरक्षित है क्योंकि मैं यह कहता हूं कि कश्मीर में मुसलमान कुरान के इस आदेश में विश्वास रखते हैं कि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन करने के लिए कोई न कोई व्यक्ति होता है। अत: इस प्रकार हिन्दू भी मुसलमानों के लिए सम्मान के पात्र हैं। मेरी कामना है कि शेष भारत भी कश्मीर घाटी में रोशन होने वाली धर्मनिरपेक्षता की मशाल से एक सबक सीखे। किसी व्यक्ति ने दूसरे सदन में यह निराशाजनक चित्रण किया है कि वहां आतंकवाद है और हम उसका समाधान करेंगे। महोदय, कश्मीर में साम्प्रदायिकता का कोई प्रश्न नहीं है और हम वहां उसे पनपने की अनुमति नहीं देंगे। मैं माननीय गृह मंत्री से मंडलीय आयुक्तों और पुलिस आयुक्तों की एक सभा आयोजित करने और उन्हें यह बताने के लिए अनुरोध करता हूं कि किसी स्थान विशेष पर साम्प्रदायिक समस्या होने पर भारत सरकार क्या करना चाहती है। महोदय, मैं यह भी चाहता हूं कि राज्यवार एक सतर्कता दल की स्थापना की जानी चाहिए। फिर इस बारे में इनामों की भी शुरूआत की जानी चाहिए। उदाहरणतया, मकराना में मंडलीय आयुक्त श्री ठाकुर ने बहुत अच्छा कार्य किया है; उन्होंने बेहतर ढंग से स्थिति का समाधान किया और मकराना को खून-खराबे से बचा लिया। उस मंडलीय आयुक्त को इनाम दिया जाना चाहिए और मानदण्डों के विरुद्ध काम कर रहे अधिकारियों को सजा दी जानी चाहिए। इस सन्दर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि न्यायमूर्ति बरुचा की उनके निर्णय के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए।

महोदय, प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई जायेगी। मैं चाहता हूं कि पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। महोदय, 15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में यह बात है कि कांग्रेस दल ने हाल ही में इस 15

सूत्री कार्यक्रम पर काफी ध्यान दिया है और माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात को सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया है कि इस कार्यक्रम को ईमानदारीपूर्वक कार्यान्वित किया जाये। अपने शासनकाल के समय श्रीमती इन्दिरा जी इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अधिक इच्छुक थी परन्तु हमारे कुछ नौकरशाह-मित्रों ने इसके कार्यान्वयन की अनुमति नहीं दी। निश्चित रूप से इसमें कुछ रुकावटें हो सकती हैं। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन उचित प्रकार से कराये। मैं यह भी चाहूंगा कि देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर नजर रखने के लिए एक स्थाई संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए और इस समिति को उन स्थानों का दौरा करना चाहिए जहां दंगे होते हैं और इसे इसका समाधान ढूंढना चाहिए।

अन्ततः, महोदय, हमें इस देश को मजबूत बनाने का संकल्प करना चाहिए और भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना चाहिए।

महोदय, अपने भाषण को समाप्त करते हुए मैं कांग्रेस दल को यह याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ईमानदारीपूर्वक इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, कि सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस को अपना दायित्व निबाहना चाहिए और इस देश से साम्प्रदायिक खतरे का उन्मूलन कर देना चाहिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, साम्प्रदायिक स्थिति जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर इस चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे बुलाने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, हमारे प्रधान मंत्री ने कल हस्तक्षेप करते हुए यह ठीक ही कहा था कि यदि भारत को अपना अस्तित्व बनाये रखना है तो यह केवल एक धर्म निरपेक्ष देश के रूप में ही हो सकता है। इससे यह जाहिर होता है कि वे धर्मनिरपेक्षता को कितना महत्व देते हैं और धर्म निरपेक्षता तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रति कितने चिन्तित हैं। वास्तव में पंडित जवाहर लाल नेहरू के परिवार के धर्म-निरपेक्ष रवैये के बारे में कोई भी व्यक्ति वाद-विवाद नहीं कर सकता। न केवल भारत में, अपितु मैं यह कह सकता हूं कि सम्पूर्ण विश्व में पंडित जवाहर लाल नेहरू के परिवार से अधिक धर्म-निरपेक्ष कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार नहीं है।

यह दुर्भाग्य की बात है इस सदन में विभिन्न अवसरों पर अनेक बार साम्प्रदायिक स्थिति के इस मुद्दे पर चर्चा की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर पाये हैं जिससे हर समय देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहे। निश्चितरूप से आजकल साम्प्रदायिकता न केवल चिन्ता का विषय है अपितु यह हमारी समस्या भी है, वास्तव में यह एक विश्वव्यापी समस्या है। विश्व के विभिन्न भागों में, विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के साम्प्रदायिक तनाव हैं। कहीं पर विभिन्न धर्मों के बीच और कहीं पर धर्म के विभिन्न वर्गों जैसे शिया सुन्नी इत्यादि के बीच साम्प्रदायिक तनाव है। पाकिस्तान में क्या घटित हो रहा है ? क्या वे लोग साम्प्रदायिक तनाव से मुक्त हैं ? क्या वहां साम्प्रदायिक स्थिति के कारण कई लोगों की जानें नहीं गई हैं ? वहां हिंसा के कारण लोग मर रहे हैं। इसके अलावा, अमरीका और ईसाई देशों में भी साम्प्रदायिक तनाव और साम्प्रदायिक दंगे होते हैं और हिन्दु धर्म के विभिन्न वर्गों अथवा समुदायों के बीच संघर्ष होते हैं और कभी-कभी अत्यन्त हिंसक संघर्ष होते हैं। अतः हमें इस बात

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

को बहुत अधिक दोहराने की आवश्यकता नहीं है। महोदय, मैं आपको यह बताता हूं कि मैं पंडित उमाकान्त मिश्र जी द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं की प्रशंसा करता हूं। महोदय, धार्मिक व्यक्ति होना बुरी बात नहीं है परन्तु साम्प्रदायिक व्यक्ति होना बुरी बात है और हमें साम्प्रदायिकता की निन्दा करनी चाहिए। वास्तव में, किसी भी देश के समाज में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गान्धी जी का प्रिय भजन था :

"ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
सबको सन्मति दे भगवान।"

यह धर्म का वास्तविक सार है। प्रत्येक धर्म का एक लक्ष्य और उद्देश्य यह होता है कि मानव एवं मानव-जाति के जीवन स्तर में सुधार किया जाये, व्यक्ति के गुणों का विकास किया जाये, प्रत्येक व्यक्ति के दिल में अच्छाई और मानवता को जगाया जाये। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के दिल और दिमाग में अच्छाई और बुराई की शक्तियों के बीच लगातार एक संघर्ष जारी रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के दिल और दिमाग में यह लड़ाई चलती रहती है। बुराई को अच्छाई द्वारा हराने के लिये हमारे दिमाग और दिलों में चल रही इस लड़ाई में धर्म, शास्त्र, अच्छे महाकाव्यों तथा उपदेशों से सहायता मिलती है। इसी में धर्म की सुन्दरता और महानता है। समय की मांग है कि विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हो। ऐसा कैसे किया जा सकता है ? अपने धर्म पर गर्व करने में कोई नुकसान नहीं है लेकिन पहली आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने देश पर गर्व करना है। हम सर्वप्रथम भारतीय हैं तो और अन्त में भी भारतीय ही हैं। इसके साथ ही यदि हम अपने धर्म पर गर्व करते हैं तो हमें किसी अन्य धर्म को क्षति पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने धर्म की महानता पर गर्व महसूस कर सकते हैं लेकिन हमें अन्य धर्मों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिये और इसलिए हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि घृणा से घृणा बढ़ती है, प्यार से प्यार बढ़ता है और सद्भावना से सद्भावना बढ़ती है। इसलिए हमें मानवता के लिये घृणा का त्याग करना चाहिए। मुझे, टी०वी०पर रोजाना दिखाये जाने वाला एक कार्यक्रम याद आ रहा है जो कि इस वर्ष पंडित नेहरू की जन्म शताब्दी पर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा था, "चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हम सभी समान अधिकारों, विशेषाधिकारों और दायित्वों वाले भारत माता के बच्चे हैं।" यह अमृतवाणी है। ये सुनहरे शब्द हैं और यदि हम इन्हें शब्दशः व्यवहार में लाएं तो कहीं भी साम्प्रदायिक उपद्रवों और साम्प्रदायिक स्थिति की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जरूरत इस बात की है कि अपने प्रति गर्व महसूस करने के साथ-साथ हमें समायोजन, प्रशंसा, अन्य धर्मों तथा अन्य लोगों की संस्कृति के प्रति भाईचारे की भावना रखनी है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, दूसरों के धर्म में हस्तक्षेप करना हमारा कार्य नहीं है। दूसरों के धर्म, समुदाय, संस्कृति को नीचा दिखाना पाप है; और इस प्रकार, हम अपने राष्ट्र की नीतियों तथा सामाजिक जीवन में सुधार ला सकते हैं।

महोदय, मैं इस समस्या को दो दृष्टिकोणों से देखता हूं। एक तो यह है कि जब साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है तो उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए और दूसरा यह है कि ऐसी स्थिति

होने से कैसे रोक सकते हैं, ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न करें कि सांप्रदायिक तनाव कभी भी उत्पन्न न हो। मैं कहता हूं कि हम पिछले वर्ष एक बहुत अच्छा विधेयक लाए थे और मेरे विचार से यहां पर यह विधेयक पारित हुआ था जिसमें राजनीति को धर्म से अलग रखा गया था। मैं माननीय गृह मंत्री से पूछता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या पश्चातवर्ती कार्यवाही हुई है ? हमें सभी उद्देश्यों के लिए इस पर बड़ी ईमानदारी से कार्यवाही करनी है। हम यहां साम्प्रदायिक सद्भाव की भावनाओं को व्यक्त करने वाले या भाषण देते हैं लेकिन हममें से अधिकतर बाहर जाकर क्या करते हैं ? इस सभा में साम्प्रदायिक तत्वों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यहां पर साम्प्रदायिक दल हैं। इस सभा के इसी वाद-विवाद में भी साम्प्रदायिक भावना प्रदर्शित की गई है। हमें पाखण्डी नहीं होना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यदि इस मुद्दे पर देश के सभी नेता, राजनैतिक दल और सभी सांसद एकमत हों तो इस देश में साम्प्रदायिक तनाव कौन उत्पन्न कर सकता है ? ऐसी कोई घटना नहीं होगी। यदि हम सिर्फ राजनैतिक लाभ के लिए इन मुद्दों का सहारा लेते हैं तो इसका कोई अन्त ही नहीं है। वस्तुतः यह स्वयंको टटोलने का मुद्दा है। कुछ लोग सांप्रदायिकता का सहारा लेकर इस सभा में आने में सफल हुए हैं। यहां, वे भी साम्प्रदायिकता के खिलाफ अनेक बातें कहते हैं, नीति बतलाते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि वे चुनाव में भाग न लें और संसदीय लोकतन्त्र में उनके लिए कोई स्थान न हो। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून लाएं।

महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में कहता हूं। इन सभी मामलों में, जहां भी साम्प्रदायिक तनाव होता है, हम जानते हैं कि वहां पर अशांति उत्पन्न करने तथा साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के लिए गुंडे तथा समाज विरोधी तत्व होते हैं। ऐसे तत्वों को समाप्त करना चाहिए। ऐसे तत्वों को कोई भी समुदाय, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक सुरक्षा प्रदान न करे। यदि इन्हें समाप्त कर दिया जाए तो समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी और ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती से निबटा जाए। उनके विरुद्ध आपराधिक मामले इत्यादि तेजी से निबटाए जाएं और जरूरी हो तो यह कार्य पृथक खण्ड पीठ अथवा न्यायालय के माध्यम से किया जाए।

मैंने पहले भी धर्म पर एक विश्व सम्मेलन आयोजित करने के सम्बन्ध में अपने विचार बताए हैं। यह उचित समय है जब ऐसा एक सम्मेलन आयोजित हो जिसमें विभिन्न नेता आएं। मैंने परिवार नियोजन के बारे में आपको बताया है क्योंकि क्षेत्रों में इस पर विरोध है। इससे भी कुछ भागों में साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिला है। ऐसे लोग हैं जो इन मुद्दों का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सम्मेलन आयोजित किया जाए और सभी एक होकर शांति को बढ़ावा देने के लिए कार्य करें।

जहां तक व्यक्तिगत कानून, परिवार संहिता इत्यादि का सम्बन्ध है, यह उचित समय है जब हमें यथासंभव एकरूपता पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, निःसन्देह देश और विभिन्न फर्मों की उपयुक्तता तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसा किया जाए। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी धर्मों पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया जाए।

दूसरा पहलू यह है कि इसे कैसे रोका जाए। हम इसे उस स्थिति में बेहतर तरीके से रोक सकते हैं यदि हम ऐसा वातावरण पैदा करें और उसका विकास करें ; स्कूल स्तर से ही जबकि

[श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही]

बच्चे स्कूल में होते हैं, तभी से यह कार्य किया जाना चाहिए। बच्चे हमारे भावी नागरिक हैं और देश के भविष्य की आशा हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल से ही पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जाएं कि धर्म-निरपेक्षता मजबूती से उनमें समा जाए। इसलिए शिक्षा मिश्रित होनी चाहिये। दोनों पक्षों से कुछ माननीय सदस्यों ने अत्यंत प्रासंगिक सुझाव दिए थे। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त का नाम ले रहा हूं, जिन्होंने नेताओं की एक संयुक्त बैठक के लिए कहा था। वे बैठकें कर सकते हैं। वे विभिन्न सामाजिक और धार्मिक त्यौहारों में संयुक्त रूप से भाग ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय रोजे चल रहे हैं। हमें खबरों में इफ्तार, रात्रि भोजन का पता लगता है। सभी धर्मों के अग्रणी लोग एकत्र होते हैं। इसी प्रकार, विभिन्न धार्मिक कार्यों में, विभिन्न समारोहों में उच्च नेता, विभिन्न धर्मों के अग्रणी लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और एक साथ जलूस इत्यादि में शामिल हो सकते हैं।

विश्व में हमारा लोकतन्त्र सबसे बड़ा है। हमारा देश बहुत बड़ा है और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारे यहां अनेक धर्म हैं। वास्तव में, भारत में मुसलमानों की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व में अनेक मुस्लिम देश हैं। लेकिन हमारी मुसलमानों की जनसंख्या कई मुस्लिम देशों से भी बहुत अधिक है। हम एक क्षण भी यह नहीं सोच सकते कि हम 10 करोड़ मुसलमानों अथवा ईसाईयों अथवा अन्य धर्म को मानने वालों को भारत से बाहर निकाल सकते हैं। सभी धर्मों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में ही भारत का विकास और समृद्धि विद्यमान है। जैसा कि पंडित जी ने कहा है, चाहे हमारा धर्म कोई हो हम सब भारतमाता की सन्तान हैं। हमारी जाति, समुदाय कोई भी हो, हम सभी भारत माता के बच्चे हैं ; हम भारत माता, उसकी सुरक्षा, भारत की अखंडता तथा स्थायित्व की मजबूती के प्रति वचनबद्ध हैं। यदि हम भाई-चारे की भावना को बढ़ावा दें तो ऐसा किया जा सकता है। यह हमारी संस्कृति "वसुधैव कुटुम्बकम' का भी मूल है। यह हमारी संस्कृति का मूल है। अनेकता में एकता भी हमारी संस्कृति का मूल है। हमें इसे ध्यान में रखना है और हम इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। इससे देश मजबूत हो सकता है और सारी कठिनाईयां, ये सभी अप्रिय स्थितियां, साम्प्रदायिक दंगे इत्यादि समाप्त हो सकते हैं।

जब हम इन अप्रिय घटनाओं पर विचार करते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इन्दिरा जी ने देश के लिए अत्यधिक कार्य किया है। वे राष्ट्रीय अखंडता, धर्म निरपेक्षता के प्रतीक थे। लेकिन वे कट्टरपंथियों की गोलियों का निशाना बन गए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : माननीय सभापति जी, सांप्रदायिक स्थिति पर सदन में होने वाली चर्चा में, बातचीत में भाग लेने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमन्, देश के विभिन्न भागों में हाल में हुई हिंसक घटनाएं, उसमें जितने लोगों की जानें गईं या

दूसरे और जुल्म के किस्से अखबारों में छपे हैं, जैसे अभी एक साथी ने बोलते हुए कहा कि हर हिन्दुस्तानी का सिर शर्म से झुक जाता है, लेकिन मुझे जो बात बहुत परेशान करती है वह यह है कि हर बार देश के किसी कोने में दंगे होने के बाद, जिस तरह दंगे होते हैं थोड़े-थोड़े वक्त के बाद, उन दंगों की चिंता प्रकट करके इस सदन में चर्चा करके लगता है हम अपने कर्त्तव्य की पूर्ति कर लेते है। साम्प्रदायिक हिंसा होने के बाद सांप्रदायिक सिचुएशन पर चर्चा होती है, मरने वालों के, उजाड़ने वालों के, आग लगने के आंकड़े यहां पेश किये जाते हैं और इसके बाद हम इसको भूल जाते हैं। मेरा मानना यह है कि इस सदन में चिंतित होना या इस सदन में चर्चा करना जरूरी नहीं है, बाहर दंगे हों, जब भी एक मासूम आदमी की जान जाती है तो वह अपने आप में गंभीरतम घटना है, इसके लिए किसी शहर में 40 आदमियों के मरने पर हम मोटीवेट हों, तभी हम चिंतित हों, तभी हम चर्चा करें, इसकी हरगिज जरूरत नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बदकिस्मती से कहीं न कहीं हम समझ बैठे हैं, मैं अकेले सरकार को नहीं कह रहा हूं, सदन में जो चर्चा चल रही है इस विषय पर और जो भावनाएं दोनों तरफ से व्यक्त की गई हैं और यह सदन पूरे राष्ट्र का एक तरह से प्रतिबिंब है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, अगर सदन के अंदर इतनी सद्भावना व्यक्त की जा रही है, हर तरफ से सांप्रदायिकता की निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है, फिर क्या कारण हैं कि हम बाहर बढ़ती हुई सांप्रदायिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं। मुझे तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो तकरीरें मैंने सुनीं, जो भाषण बाहर होते हैं, जो बहुत दफा दंगों का कारण बनते हैं, यहां पर उसके बाद जो तकरीरें हुई हैं, मुझे एक शेर याद आता है--

दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग,
तुम कत्ल करे हो या करामात करे हो।

मैं सांप्रदायिक दंगों को मुख्य रूप से सांप्रदायिक दंगे नहीं मानता हूं। सांप्रदायिक दंगे होने के लिए निश्चिततौर पर सांप्रदायिक विचारधारा का विकसित किया जाना, बढ़ाया जाना जरूरी है, लेकिन सांप्रदायिक विचारधारा, सांप्रदायिक समझ बगैर सांप्रदायिक दंगों के भी बढ़ सकती है। हमें चिंता होनी चाहिए बढ़ती हुई सांप्रदायिक विचारधारा पर, हमें चिंता होनी चाहिए उस फिरके पर जो फिरकेवारिता को जन्म देता है, हमें फिक्र होनी चाहिए, चिंतित होना चाहिए उस समझ पर जो हिन्दुस्तानियों के बीच में धर्म के आधार पर विभेद पैदा करने की कोशिश करती है या नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश करती है। सांप्रदायिक दंगे निश्चित तौर पर जैसा मैंने पहले कहा अगर एक मासूम की भी जान अकारण जाती है, वह हमारी चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हमारी चिंता का विषय होना चाहिए वे हरकतें, वह काम, वह विचारधारा जो हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तान के बीच में धर्म के आधार पर नफरत या विभेद की दीवार खड़ी करती है।

4.00 म० प०

फिर पहले यह समझना होगा कि सांप्रदायिक विचारधारा क्या है? सांप्रदायिक विचारधारा अकेले आतंकवाद या साम्प्रदायिक दंगे नहीं हैं, साम्प्रदायिक विचारधारा है क्या? साम्प्रदायिक विचारधारा जहां ··

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : साम्प्रदायिक विचारधारा वह है जब पिछली बार इलाहाबाद में चुनाव हुआ या तो जन मोर्चा के महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हुए भी आरिफ को विश्वनाथ

[श्री राम प्यारे पनिका]

प्रताप सिंह जी ने वहां नहीं बुलाया। तो उस भावना को देखना होगा कि जन मोर्चा के नेताओं ने अपने आदमी को नहीं बुलाया और सार्वजनिक माफी उन्होंने मांगी, यह भावना जब तक नहीं जायेगी, तब तक यह साम्प्रदायिक विचारधारा रहेगी। इसलिए हमें अपने दिलों की सफाई करनी होगी···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

4.02 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा—(जारी)

(दो) केन्द्रीय सरकार के पदों पर सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाये जाने की दृष्टि से आदेशों को उदार बनाया जाना

सभापति महोदय : अब सभा नियम 193 के अधीन दूसरे विषय पर चर्चा को लेगी।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया···उपस्थित नहीं हैं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : सभापति महोदय, इस वर्ष हमने गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा वाद-विवाद का अवसर खो दिया। इस वर्ष सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने का अवसर भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। केवल 19 अप्रैल, 1989 को माननीय मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य ही नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए आया है। दुर्भाग्यवश, पदोन्नति नीति के अन्तर्गत प्रतिशतता में वृद्धि करने के सम्बन्ध में आंकड़े तथा इस वक्तव्य को देने अथवा अनारक्षण नीति को स्थगित करने के कारण हमें नहीं बताये गये हैं। परन्तु कुल मिलाकर हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का स्वागत करते हैं। हम इसका पूरी तरह कार्यान्वयन चाहते हैं। यदि सम्भव हो तो हम चाहते हैं कि इस आरक्षण नीति के लाभ उन्हें अवश्य मिलने चाहिये और इन वर्गों में निर्धनतम लोगों को मिलने चाहिये। मैं इस पहलू को बाद में लूंगा परन्तु मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वह यह है : कितने मामलों में आरक्षण को अनारक्षित कर दिया गया था ? कितने पदों तथा श्रेणियों को, जो पहले आरक्षित थे, अनारक्षित कर दिया गया ? वे महत्वपूर्ण आंकड़े हमें नहीं मिले हैं। ऐसे बाध्य करने वाले कारण कौन से हैं जिन्हें इस अनारक्षण को स्थगित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ध्यान में रखा गया ? हमें ये भी नहीं दिए गए हैं। इसलिए, चर्चा अनुमान के आधार पर ही हो सकेगी। माननीय मंत्री ने हमें यह भी नहीं बताया कि इस वक्तव्य को देने के पीछे कौन से कारण थे ? एक प्रकार से यह स्वीकारोक्ति है।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इसका कारण चुनाव हैं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : श्री चौबे जी ने कहा है कि इसका कारण चुनाव हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : यह एक अच्छी बात है और आपको इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री नारायण चौबे : महोदय मैंने आपको कुछ नहीं कहा है। **(व्यवधान)**

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा है। परन्तु आपसे अकेले में उन्होंने कुछ कहा है। कृपया उनसे अकेले में पूछिए कि क्या वह इन दो अधिसूचनाओं का विरोध करते हैं ?

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : उनके बारे में आपको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए, आप अपने आधार को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, जो हर पार्टी करना चाहेगी। शायद आप अपने आधार को सुदृढ़ करना चाहते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई भी अच्छा काम किया जाये, चाहे चुनाव के उद्देश्य हेतु ही किया जाये, उसकी सराहना अवश्य की जानी चाहिए। हमें इसके लिए शर्मिन्दा होने की जरूरत नहीं है। परन्तु स्वीकारोक्ति तथा निहितार्थ द्वारा आप स्वयं ही इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि आप पर्याप्त संख्या में प्रत्याशियों को नहीं ले पायें हैं उन्हें प्रशिक्षण देकर उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को नहीं भर पाये हैं। यह कमजोरी है। इसके द्वारा आप यह स्वीकार करते हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को विशेष शिक्षा देने, विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने की आपकी अब तक की नीति सफल नहीं हुई है। यह आपके इस वक्तव्य का आशय प्रतीत होता है। परन्तु यह सच नहीं है।

मेरे पास संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है। यह 1986-87 की रिपोर्ट है जोकि अब तक की अन्तिम रिपोर्ट है। मुझे इससे उद्धृत करना होगा क्योंकि इससे स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलेगा कि श्री चौबे द्वारा यह बात कहने में कुछ औचित्य है। शायद, इसका कारण अब तक अपनाई गई आरक्षण नीति का पुनः उल्लेख करना है। आयोग के अनुसार, प्रत्याशियों की बिल्कुल कमी नहीं थी। मैं आयोग की रिपोर्ट को पढ़ कर सुनाता हूं। पृष्ठ 10 पर यह कहा गया है :

> "जैसा कि पूर्व रिपोर्टों में कहा गया है, सिविल सेवा परीक्षाओं में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों की संख्या में क्रमिक वृद्धि हुई है। जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है, अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों की संख्या 1980 में 14,952 से बढ़कर 1986 में 34,764 हो गई है जो लगभग 132% वृद्धि है। इसी प्रकार, इसका अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों की संख्या 1980 में 4,138 से बढ़कर 1986 में 10,424 हो गई है जो लगभग 152% वृद्धि है।"

फिर तालिका दी गई है। आप देखेंगे कि 1980 में प्रत्याशियों की संख्या 89,277 थी। इसमें से अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों की संख्या 14,952 और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की संख्या 4,138 थी। इसका अर्थ हुआ कि 89,277 में से लगभग 15,000 प्रत्याशी अनुसूचित जाति से तथा लगभग 4,000 प्रत्याशी अनुसूचित जनजाति से थे। 1986 में कुल संख्या 1,63,530 थी, जिसमें से अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों की संख्या 34,764 थी और अनुसूचित जनजाति के

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

प्रत्याशियों की संख्या 10,424 थी। आयोग ने स्वयं ही यह टिप्पणी की है। इसमें कहा गया है :

"सिविल सेवा परीक्षा, 1985 के संदर्भ में प्रत्येक आरक्षित रिक्ति के लिये प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की संख्या सामान्य श्रेणी में प्रत्येक रिक्ति हेतु प्रतियोगियों की संख्या के लगभग बराबर थी। अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिये प्रत्येक आरक्षित रिक्ति हेतु 120 प्रत्याशियों ने परीक्षा दी थी।"

इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक आरक्षित रिक्ति के लिए 120 प्रत्याशियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जबकि प्रत्येक सामान्य रिक्ति के लिए 122 सामान्य प्रत्याशियों ने भाग लिया। अतः यह संख्या लगभग बराबर है।

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अनुपात 1985-86 की 36वीं रिपोर्ट के अनुपात 63:1 की तुलना में यह 74:1 था। इसलिए अभ्यर्थियों की कोई कमी नहीं रही है। वास्तव में, अध्याय 7 में, जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के कार्य निष्पादन के बारे में है, आयोग का कहना है :

"आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 1985, सहायक ग्रेड परीक्षा, 1985 तथा भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा, 1986 के परिणाम के आधार पर भारतीय आर्थिक सेवा के लिए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को उनके लिए परीक्षा में आरक्षित सभी रिक्तियों, जिनके लिए सामान्य शैक्षणिक योग्यता जैसे कि एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समवक्ष योग्यता आवश्यक थी, के लिए सिफारिश कर दी है। सिविल सेवा परीक्षा, 1986, भारतीय वन सेवा परीक्षा, 1986 तथा सहायक ग्रेड परीक्षा, 1986 के परिणाम अभी घोषित किए जाने हैं। तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता वाली परिक्षाओं के सम्बन्ध में पूर्ण आरक्षित कोटे हेतु अभ्यर्थियों की सिफारिश कर दी गई है....."

आयोग ने आगे फिर कहा है :

"तथापि, आयोग इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 1985, भू-वैज्ञानिक परीक्षा, 1985, आशुलिपिक परीक्षा, 1985 तथा भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 1986 के परिणामों के आधार पर उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या में सिफारिश नहीं कर सका।"

इसलिये, उनके द्वारा उल्लिखित अध्याय-7 के क्षेत्र में—सांख्यिकी, आशुलिपि, इंजीनियरिंग तथा भूविज्ञान के सम्बन्ध में ही अभ्यर्थियों की कमी थी। परन्तु यह वर्ष 1986-87 के लिए थी, वर्ष 1988-89 में नवीनतम स्थिति की हमें जानकारी नहीं है।

प्रतियोगी दर में वृद्धि हुई है। जैसा कि उनके द्वारा कहा गया है, सिविल सेवा परीक्षा में प्रत्येक रिक्ति के लिए अनुसूचित जाति के 120 अभ्यर्थी, प्रतियोगी थे तथा अनुसूचित जनजाति के 73 अभ्यर्थियों में प्रतियोगिता थी। इसलिये, अनारक्षण को स्थगित करने के लिये आपकी प्रथम सिफारिश शैक्षिक महत्व की होनी चाहिये। यह व्यावहारिक अभिरुचि की नहीं हो सकती, इसके व्यावहारिक परिणाम नहीं हो सकते। बेशक, आपने आंकड़े नहीं दिये हैं। यदि आपने आंकड़े दिए होते तो हमने इसकी सराहना की होती।

पदोन्नितियों के सम्बन्ध में आपने कहा है कि नीति 62½% से 70% हो गई है। इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु ये पदोन्नतियां देने में एक महत्वपूर्ण पहलू, जिसे याद रखना होगा यह है कि योग्य व्यक्ति को हानि नहीं होनी चाहिए। भर्ती के समय आप आवश्यक योग्यतायें इत्यादि रखिए। वे एक ही श्रेणी में भर्ती होते हैं। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति देते समय यह दुःखद बात नहीं होनी चाहिए कि योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की जाये। प्रशासकीय सेवाओं की कुशलता को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अध्यधीन तथा उन सीमाओं के भीतर आपको अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदोन्नति देने तथा प्रोत्साहित करने का अधिकार है।

मुझे एक या दो बातें और कहनी हैं और उनके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। जहां तक अनुसूचित जाति का सम्बन्ध है स्वतन्त्रता के बाद अनुसूचित जाति के लोगों की दूसरी पीढ़ी आ चुकी है। मूलतः कुछ शिक्षित परिवारों ने इसका लाभ उठाया है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य प्रशासनिक अधिकारी बन गए। अब, जब मैं गांवों में जाता हूं तो अनुसूचित जाति के लोगों से जो अभ्यावेदन मुझे प्राप्त होते हैं वे सामान्यतः इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें इन आरक्षणों का लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके प्रतिपक्षी, जो पहले ही अपने परिवारों सहित इन लाभों को उठा चुके हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। इसलिए अनुसूचित जातियों के शिक्षित और प्रगतिशील लोगों को शिक्षा के सभी अतिरिक्त लाभ मिल चुके हैं और इसलिए इन लोगों की दूसरी पीढ़ी जो पहले ही लाभ उठा चुकी है, वे अपने ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अपने प्रतिपक्षियों से अधिक अच्छे ढंग से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। मुझे ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। वास्तव में लाभ उनके लिए ही है। किन्तु इस तथ्य के कारण कि उनके ऐसे प्रतिपक्षी जो कस्बों और नगरों में रह रहे है और जिनके माता-पिता पहले ही ये लाभ उठा चुके हैं वे अतिरिक्त लाभों को अपने पुत्रों, सगे-सम्बन्धियों को देने में समर्थ हैं और ग्रामीण अनुसूचित जाति के लोग जो अनपढ़ हैं और जो अन्य लोगों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सके वे लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसलिए आपको ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे ग्रामीण अनुसूचित जाति के परिवारों की इस बाधा को दूर किया जा सके।

सभापति महोदय : क्या आप भी यही सुझाव देते हैं ?

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मैं भी यही सुझाव दे रहा हूं क्योंकि अन्ततः लाभ सब तक पहुंचने चाहिए और इनमे सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। अब क्या हो रहा है ? कुछ परिवार तो पहले ही सामाजिक कलंक का समय पार कर चुके हैं। वे यह समय देख चुके हैं। वे अब यह स्वीकार करते हैं कि वे इसे पार करने में समर्थ थे। उन्होंने इसे मान्यता भी दी है। किन्तु लाभ उन अन्य लोगों को भी मिलना चाहिए जो वास्तव में अस्पृश्यता का कष्ट झेल रहे हैं, जो सामाजिक प्रतिबन्धों और सामाजिक बुराइयों का दुख झेल रहे हैं। उन्हें लाभ मिलना चाहिए। इसलिए, मैं यह सुझाव देता हूं कि आपको ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे इस आरक्षण नीति का लाभ गरीबों, अनपढ़ों और उन लोगों को मिले जो अपने गांवों से बाहर नहीं निकल सकते हैं और जो अभी भी मोची का पुराना व्यवसाय या इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपको कुछ ऐसे प्रावधान करने होंगे जिससे दूसरे लोगों तक लाभ पहुंच सके।

[श्री अय्यपू रेड्डी]

समापति महोदय : आपने कोई उपाय नहीं सुझाया है । यह बहुत ही कठिन समस्या है । यदि आपका सुझाव मान लिया जाता है तो यह आर्थिक आरक्षण हो जाएगा ।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : इस तरह नहीं । मेरा सुझाव यह है कि अनुसूचित जातियों के बीच आर्थिक आरक्षण होना चाहिये । इसका सम्बन्ध केवल अनुसूचित जातियों से है अन्यों से नहीं । आरक्षण केवल अनुसूचित जातियों के लिए ही होगा ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह दोनों का मिला-जुला रूप है ।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : यह दोनों का मिला-जुला रूप है । (**व्यवधान**) एक मिनट के लिए, मैं कोटे में परिवर्तन करने का सुझाव नहीं दे रहा हूं । कोटा होना चाहिए; आरक्षण होना चाहिए । किन्तु लाभ उन अन्य परिवारों को मिलना चाहिए जिन्हें कभी भी लाभ नहीं मिला है । वितरण ऐसा होना चाहिए कि लाभ उन लोगों तक भी पहुंचे ताकि अपेक्षित सामाजिक क्रांति लाई जा सके और जिस सामाजिक कलंक से वे कष्ट भोग रहे है उसे मिटाया जा सके । इस कार्य को करना ही होगा और यही वास्तविक समस्या भी है क्योंकि अनुसूचित जातियों में से एक नया विशिष्ट वर्ग उभर रहा है और यह वर्ग ही इन सब सुविधाओं से लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है ।

एक माननीय सदस्य : आप बिलकुल ठीक कहते हैं । यही वास्तविक समस्या है ।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मेरे राज्य में एक दूसरी समस्या है । वहां हरिजन ईसाई हैं । वे अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं । हम चेरी जाते हैं । हरिजन और हरिजन ईसाई दोनों साथ-साथ रहते हैं । व्यावहारिक रूप से बहुत अधिक अन्तर नहीं है । किन्तु उन्हें इसका पात्र नहीं बनाया गया है । किसी न किसी कारण से उनमें से अधिकांश लोग इस समस्या पर विजय पा रहे हैं क्योंकि वे स्वयं को हरिजन कहते है और अपने आवेदन-पत्र भर रहे हैं तथा हरिजनों के रूप में परीक्षाएं दे रहे हैं । इसलिए, हरिजन ईसाइयों की इस नीति पर सरकार को कोई ठीक निर्णय लेना चाहिये ताकि सामाजिक समानताओं को संतुलित किया जा सके ।

अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अनेक लोगों की उन्हें अनुसूचित जन जाति वर्ग में शामिल किए जाने का शोर और मांग है । ऐसे कुछ वास्तविक मामले भी हैं जिन्हें अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है । मुझे एक ऐसे मामले की जानकारी है जहां कुछ अनुसूचित जन-जाति के लोग कूहों द्वारा की गई बर्बादी के उन्मूलन के प्रयोजन से कुरनूल आये थे । उन्हें इस बर्बादी का उन्मूलन करने के लिए पहाड़ों से कस्बों में लाया गया और बाद में वे लोग वहां बस गए । पिछले 30 वर्षों से वे नगर क्षेत्रों में रह रहे हैं । जब वे तहसीलदार के पास प्रमाण-पत्र लेने जाते हैं तो वह उन्हें प्रमाण-पत्र देने से इनकार करता है क्योंकि वे जनजातीय नहीं हैं । वे अब कस्बे में रह रहे हैं । यह स्थिति है । इसलिए, जनजातीय लोगों को सूचीबद्ध करने की नीति की समीक्षा की जानी चाहिए और यहां भी विभिन्न जनजातियों के प्रति न्याय करने की समस्या पर विचार किया जाना चाहिये तथा इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

इन कुछ टिप्पणियों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का व्यापक रूप से अनुमोदन करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति महोदय, मैं अय्यपू रेड्डी साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य मंत्री श्री चिदम्बरम जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन किया है। मान्यवर, जब वह बोल रहे थे तो उन्होंने और बीच में चौबे जी ने यह कहा कि चुनावी लाभ के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का कभी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का कोई कार्यक्रम नहीं रहा है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, उस समय जो हरिजन उद्धार, हरिजन विकास, छूआछूत और अस्पृश्यता जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम लिए गये थे और उस समय कोई चुनाव नहीं हो रहे थे। हमारी कांग्रेस पार्टी का हमेशा देश को आगे उठाने का लक्ष्य रहा है। मैं अपने राज्य मंत्री जी को बहुत हार्दिक बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं कि उन्होंने हरिजनों और आदिवासियों को ऊपर उठाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। वह सामरिक और जन-आकांक्षाओं के अनुरूप यह दो सुधार रिजर्वेशन में लेकर आये हैं।

अगर हमारे विपक्ष के साथी, 10 अगस्त, 1988 को जब विभिन्न लोगों की बातें प्रधान मंत्रीजी के पास आई तो उन्होंने राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सांसदों की एक बैठक बुलाई थी और उसमें जो विस्तृत चर्चा हुई थी, उन सब को जान लेते तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मैं उन्हें उनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि उस चर्चा के बाद हम सांसदों की तीन समितियां बनी थीं और फिर उन तीनों ने प्रधान मंत्री जी को जो रिपोर्ट दी थीं उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर आज यह प्रस्ताव आया है।

हमारे प्रधान मंत्री इन हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के प्रति कितने चिंतित हैं इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह समय-समय पर हम लोगों से मिलते रहे हैं।

आज जो प्रस्ताव आया है उसमें से कुछ अंश मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

1. "समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के पदों की रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के सभी मामलों में अनारक्षण पर मूर्णतः रोक होगी।"

2. "इस आशय का मौजूदा प्रतिबन्ध कि पदोन्नति में आरक्षण केवल उन्हीं ग्रेडों/पदों के मामलों में लागू होगा जिनमें सीधी भर्ती का अंश 66⅔ प्रतिशत से अधिक नहीं है, उसे उदार बना दिया जायेगा और सीधी भर्ती के अंशों की सीमा संशोधित करके 75 प्रतिशत तक कर दी जायेगी और इस प्रकार अपेक्षतया अधिक ग्रेडों/पदों को आरक्षण के क्षेत्राधिकार में ला दिया गया है।" यह बात सही है कि पिछले 41 वर्षों में सेवाओं में हमने आरक्षण की जो नीति अपनाई उसमें आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई तो यदि हमारे देश के प्रधान मंत्री, हमारी सरकार और राज्य मंत्री श्री चिदम्बरम उसमें सुधार के लिये बिल लाये हैं और तब भी आपको इसमें चुनाव दिखता है तो आपकी भगवान रक्षा करें। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से शैड्यूल्ड कास्ट्स के प्रतिनिधि, जनशक्ति के प्रतिनिधि यह अनुभव कर रहे थे कि योग्यताओं के होते हुए भी उनका समय से चुनाव नहीं हो पाता, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसका पूरे देश में स्वागत हुआ है, हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिनन्दन किया है, अपनी कांग्रेस सरकार का किया है इसलिए कि यह जनआकांक्षा थी। वर्तमान में जो रूल्स थे उनमें होता क्या था कि जिस वर्ष प्रमोशन

[श्री राम प्यारे पनिका]

का समय आता था, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेज के अधिकारियों की चरित्र पंजिका में अधिकारी लोग जान-बूझकर गलत प्रविष्टियां कर देते थे, अगर उसका 3-4 साल अच्छा काम है तो प्रमोशन के साल में उसको अनसैटिसफाइड कर दिया जाता था लेकिन अब ऐसा मौका दिया जिससे मुझे विश्वास है कि ऐसे मनोवृति वाले लोगों के दिल और दिमाग ठीक होंगे।

यही नहीं, मैडीकल में एडमीशन में रिजर्वेशन का प्रश्न था तो उसमें पहले कापियों पर यह लिख दिया करते थे, शैड्यूल्ड कास्ट्स, शड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेज और कापी जांचने वाले वह लोग होते हैं जो उनके हितों को नहीं चाहते, अपने हितों का संरक्षण चाहते हैं इसीलिए वह लोग शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड लोगों की कापियों में कम नम्बर देते थे ताकि उनकी जगह दूसरे जनरल लोग आ जायें लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को कि आपने हमारी समस्या को समझा, सरकार ने समझा और उस पर रोक लगाने के लिए दो विचार रखे हैं, इनका सही ढंग से स्वागत होना ही चाहिए।

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में अगर आप देखें तो 5·38 करोड़ जनजाति के लोग हैं और 10.48 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं जो क्रमश: 7.85 और 15.75 प्रतिशत होते हैं, यह सारे कमजोर वर्गों की आबादी बनती है लेकिन अगर देश की सेवा में इनका सहयोग देखा जाय तो आप हमारी शिक्षा को देखें, जहां जनरल लोगों में शिक्षा का स्तर 41.30 है वहां अनुसूचित जाति के लोग 21.34 परसेण्ट हैं। महिलाएं केवल दो प्रतिशत साक्षर हैं, मैं उनको एजुकेटेड नहीं मानता इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमने संविधान में जो दे रखा है, उन संविधान की व्यवस्थाओं में चाहे 15(4) हो, 16(4) हो, 19(5) हो, 46,164 हो, 244, 244क, 272, 330, 332, 324, 335 या 338 हो या पांचवीं और छठी सूची में कल्याण तथा शोषण के विरुद्ध कार्यक्रम रखे गए हों, मैं आज सरकार को इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि भारत सरकार इन धाराओं के अनुरूप, इन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप देश में उनके उत्थान के लिए काम कर रही है और जो कमियां रह गई हैं समय-समय पर आपने उनमें सुधार किया है, हम लोगों को सुना है, जन आकांक्षाओं को सुना है और उसी का नतीजा है कि आप अपने संशोधनों के साथ यहां आये हैं इसलिए मैं पुन: आपको धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आप खासकर पिछले 4 वर्षों को देखें, प्रधान मंत्री से देश का कोई हिस्सा, कोई ट्राइबल क्षेत्र नहीं बचा जहां जाकर उन्होंने स्वयं झोपड़ियों में, कच्ची गलियों में, कीचड़ में जाकर उनके घरों को न देखा हो। उन्होंने नजदीक से उनकी गरीबी को देखा है उनकी शिक्षा को देखा है, उनकी बेबसी को देखा है। आज के प्रधानमंत्री के बारे भी आप यदि कुछ टीका-टिप्पणी करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता है। आज आप देखें 191 ब्लाक्स में 303 लाख आदिवासी रहते हैं, जिसको कहा जाता है कि 44·93 परसेंट आदिवासी रहते हैं। इस तरह से 55 सालों में राजीव की सरकार को क्रेडिट जाता है। ट्राइबल के लिए जो योजनाएं सीमित थीं, वहीं तक कल्याण के कार्यक्रम सीमित नहीं रहे। जहां आबादी कम थी, वहां तक उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि और करुणा की भावना को पहुंचाया। उनके लिए विकास के कार्यक्रम बनाए गये। मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं, 1977 से 1980 के बीच में

जब जनता सरकार थी, उस वक्त रिजर्वेशन समाप्त हो रहा था, इनमें एका नहीं हो सका कि रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। वह हमारी सरकार थी, जब चुनाव हुए तो इंदिरा जी ने बड़े साहस और दृढ़ता के साथ कहा कि जब तक समाज के अन्य लोगों के साथ हरिजन और आदिवासी नहीं आ जायेंगे, उनको हम विशेष सुविधायें देते रहेंगे। उन्होंने दृढ़ता से उस कानून में संशोधन किया। पुनः अब प्रधान मंत्री जी जब लखनऊ गए, तो वहां उन्होंने इस बात का संकेत दिया, घोषणा की कि कान्स्टीचूशनल सुविधाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार और उनको मालूम है कि हरिजन, गिरिजन और पिछड़ी जातियों का कल्याण होने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अगले दस वर्षों के लिए और रिजवशन करेंगे। यह संयोग की बात है कि अगले साल चुनाव होगा, उस साल भी चुनाव होने वाला था, लेकिन उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि आपने चुनाव लाभ भी नहीं लिया। एक होकर नहीं कह सकते थे, दृढ़ नहीं हो सकते थे कि उनका रिजर्वेशन दस साल बढ़ायेंगे। आपका दिल कैसा है, दिमाग कैसा है।

श्री अय्यपू रेड्डी जी आप तो हमारी संस्कृति के हैं और आप उस संस्कृति में चले गए, जो सस्ती लोकप्रियता में विश्वास करता है। आप को मालूम है, एन०टी० रामाराव दस महीने में चीफ मिनिस्टर हो गया। नाटक करके, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भगवान राम की मूर्ति बन कर, स्वयं आदिवासियों को, हरिजनों को और गरीब जनता को अपनी बातों से प्रभावित करके चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उनका कल्याण करने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा और आपको कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इन लोगों के लिए कार्यक्रम बनाए। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए खास कर छठी पंचवर्षीय योजना के पहले कुछ धनराशि व्यय होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने, इदिरा गांधी जी की सरकार ने सभी महकमों को कहा कि हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए। जहां पहले 0.2 प्रतिशत था, अब टोटल एलोकेशन का छः प्रतिशत छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। यही नहीं, हमने विभिन्न मंत्रालयों में, जो और भी विकास के मंत्रालय हैं, उसमें यह देखना शुरू किया कि कृषि मंत्रालय में हरिजनों को हक मिले हैं या नहीं, उद्योग मंत्रालय में हरिजनों को हक मिले हैं या नहीं। यह राजीव गांधी जी की मांग थी, जो कुछ निहित स्वार्थों के कारण पूरी नहीं हो सकी। इसलिए समय-समय पर परिवर्तन आते रहते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान और फिनेंशियल कारपोरेशन बने, उसी प्रकार ट्राइबल के लिए दूसरी योजनायें बनीं। हम राजीव जी के नेतृत्व में उनका अनुसरण करते हैं। आपको याद होगा इसी सदन में लोगों ने एक मत से कहा था कि हरिजनों, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाए। वह अलग कल्याण मंत्रालय बना, लेकिन मंत्री महोदय हम चाहते हैं कि वह होम मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा रहना चाहिए। उस कल्याण मंत्रालय का संबंध भारतवर्ष के गृह मंत्री के साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि गृह मंत्रालय का जो डर है, आपका जो डर है, वह ऐसा डर है कि आप जो भी कानून बनाते हैं, भय के कारण कल्याण की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि आप इसको देखिए।

दूसरी बात जो मैं रिजर्वेशन के बारे में कहना चाहता हूं, वह यह है कि जहां तक आई०ए० एस० आफिसर्स का प्रश्न है, हमारे लड़के करीब-करीब हर साल आ रहे हैं और दूसरी सर्विसेज में भी आ रहे हैं लेकिन तीसरी और चतुर्थ श्रेणी में ऐसी कौन सी योग्यता की बात है, जो उसमें इनका कोटा पूरा नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको नीयत बदलनी पड़ेगी और आपको ये आदेश देने पड़ेंगे कि जो अधिकारी नियमानुसार रिजर्वेशन में जो उनकी भर्ती होनी चाहिए, उतने स्थान

[श्री राम प्यारे पनिका]

नहीं रखते हैं, तो उनके करेक्टर रोल में आपको एन्ट्री देनी होगी और अगर कोई तीन साल ऐसा करता है, तो उसको सेवा-मुक्त भी करना होगा और इसके लिए नियमों को और कठोर बनाया जा सकता है। जब तक आप ऐसे आदेश नहीं करेंगे, ऐसे लोगों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में समता का अवसर का अधिकार हमको दिया हुआ है। उसके अनुसार हमको इसे दिलाने के लिए व्यवस्था करनी होगी। कांस्टीटयूशन में समता के अवसर की व्यवस्था डा० अम्बेडकर ने की है लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, उनका होना बहुत जरूरी है। जो आज हमारे कान्वेंट स्कूल हैं, जो हमारे पब्लिक स्कूल हैं, उन में किन लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। ये उन्हीं लोगों के बच्चे हैं, जो अधिकारी हैं या धन्ना सेठ हैं। इन बच्चों के साथ जंगलों में, दूरदराज स्थानों पर हिमालय की तराई में, डेजर्ट एरिया में और समुद्र के साइक्लोनिक एरिया में रहने वाले लोगों के बच्चे कैसे मुकाबला कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यह जो समता का अवसर का प्रावधान संविधान में है, उस को प्राप्त करने के लिए साधन भी गरीब लोगों के बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने और सरकार ने इस बात को महसूस किया है और जहां कन्वेन्ट विद्यालय खुले हैं, वहां नवोदय विद्यालय भी जिले-जिले में खोले जा रहे हैं और उस में गरीब लोगों के बच्चे पढ़ सकेंगे। यही नहीं उन बच्चों के लिए खाना और कपड़ा देने की व्यवस्था भी कुछ स्कूलों में की गई है। यही नहीं, आश्रम पद्धति के स्कूल खोले गए हैं लेकिन उनकी संख्या अभी कम है और इस को बढ़ाने की जरूरत है। मैडीकल, आई०ए०एस०, पी०सी०एस० और दूसरी जो इस तरह की सर्विसेज हैं, उनके लिए इन जातियों के लड़कों और लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटर अवश्य खोलने चाहिए ताकि वे कम्पीटीशनमें आ सकें। भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें काफी स्कालरशिप देने का प्रयत्न कर रही हैं लेकिन इसमें हमें यह देखना होगा कि जो जरूरतमन्द छात्र हैं, उनको समय से ये मिलें। अगर साल भर तक स्कालरशिप नहीं मिलती है, तो व्यावहारिक रूप में इस से कोई लाभ होने वाला नहीं है। केन्द्रीय सरकार को डायरेक्शन्स देनी होंगी कि राज्य सरकारें समय से स्कालरशिप्स दें और कोचिंग दें, तभी काम चलने वाला है।

जहां तक हरिजनों और आदिवासियों पर एट्रोसिटीज का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश दिये थे और हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने भी निर्देश दिये हैं। अभी थोड़ी देर पहले साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा हो रही थी। गुजरात में मैडिकल में रिजर्वेशन के प्रश्न पर दंगे हुए, जिसमें हमारे नौजवानों को क्षति पहुंची और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचा था। मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में सर्व-सम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया था कि डा० अम्बेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया जायेगा। यह वह देश है जहां पर कुछ तत्व, कुछ लोग इस बात को पसन्द नहीं करते हैं। आज मैं प्रधान मंत्री जी को पुन: साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दृढ़ता से यह निश्चय किया कि डा० अम्बेडकर के नाम पर देश में विश्वविद्यालय होना चाहिए। उन्होंने लखनऊ में जाकर उनकी वर्ष गांठ के दिन, 14 अप्रैल को उसकी आधारशिला रखी। इसके लिए सारे देश का हरिजन समाज, आदिवासी समाज, कमजोर वर्ग का समाज प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करता है और उन्हें धन्यवाद देता है कि उन्होंने इस बात का साहस दिखाया। मुझे विश्वास है कि इस पूरे देश

में जो हरिजन, आदिवासी और पिछड़ा समाज है, उसके लोगों की सहानुभूति प्रधान मंत्री जी के पास आई है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो जवाहर रोजगार योजना लागू की है जिसकी उन्होंने 21 तारीख को घोषणा की, उसमें उन्होंने कहा है कि हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग के लोगों की आबादी के अनुपात में धनराशि दी जायेगी। जो हरिजन और आदिवासियों की आबादी है, आप उनके आंकड़े उठा कर देख लीजिए, गरीबों में उनकी 60 प्रतिशत आबादी है। जितने भी हरिजन और आदिवासी लोग हैं, उनकी जो दशा है, उसको देखते हुए हमारी सरकार और हमारे मंत्री जी कार्यक्रम उठा रहे हैं। इन कार्यक्रमों को देख कर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ईर्ष्या हो रही है। ऐसे लोगों को हो रही है जो फिरकापरस्ती की बात करते हैं। ऐसे लोग आज हरिजनों को भड़काने और फुसलाने का काम करते हैं।

अभी हमारे आरिफ जी बैठे थे। इलाहाबाद में जो चुनाव हुआ वहां एक तथाकथित हरिजन नेता को हरिजनों को बरगलाने के लिए लाया गया। उसको किसने धन दिया, किसने उनको उठाया था ? कांग्रेस के विरोधियों द्वारा उनको उकसाया जा रहा था, उनको साधन दिये जा रहे थे।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आप इस देश में गन्दी राजनीति चलायेंगे, जातिवाद और साम्प्रदायिकता की राजनीति करेंगे, क्षेत्रीय भाषाओं की राजनीति करेंगे तब तक आपकी राजनीति चलने वाली नहीं है। इसलिए मैं रेड्डी साहब आपसे कहना चाहता हूं कि 40 वर्षों में हरिजनों के लिए क्या किया यह सब आपके सामने है। उस पर हमें गर्व है, देश को गर्व है। समाज का एक तबका ऊपर उठा है। इसलिए आप कह रहे थे कि जो हरिजन आगे बढ़ गए हैं उनकी सुविधाएं समाप्त होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सामाजिक सुविधाएं अपना बड़ा भयंकर रूप सामने लेकर सामने आती हैं। भगवान ने सब को एक-सी बुद्धि दी है। बुद्धि पर किसी एक की बपौती नहीं है। लेकिन अपनी बुद्धि के विकास के लिए सब को समान अवसर नहीं मिले हैं। समाज में सब को समान अवसर होने चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि दो आदमी जा रहे हैं और दोनों एक ही तरह के कपड़े पहने हैं। एक गांव में जा रहे हैं। उनमें से एक आदमी किसी घर पर जा कर कहता है कि मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे भिक्षा दी जाए तो उसे भिक्षा मिल जायेगी। दूसरा आदमी कहता है कि मैं एक गरीब हरिजन हूं, मुझे भिक्षा दी जाये तो उसे डण्डा मारकर भगा दिया जायेगा। इसको फिरकापरस्त लोग नहीं समझते हैं। इसको हमारे चिदम्बरम् साहब समझते हैं, इसको हमारे नेता राजीव गांधी जी समझते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब तक सामाजिक कारण रहेगा तब तक आर्थिक कारण दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए मंत्री जी आपको इस पर विचार करना होगा।

देश में मंडल आयोग बना। उस मंडल आयोग के बारे में सारे राज्यों में तफशीश चल रही है। मैं चाहता हूं कि आप पिछड़ी जातियों को भी रिजर्वेशन दें। अब समय आ गया है कि उनके बारे में भी आप कुछ न कुछ गंभीरतापूर्वक सोचें। पिछड़ी जातियों की भी सही मायनों में दिक्कतें हैं। उनके बारे में भी कुछ न कुछ इधर के लोगों को भी और उधर के लोगों को करना पड़ेगा।

मान्यवर एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बहुत सी जातियां जो छूट गयी हैं उनके बारे में सर्वे कराया गया है। इसके लिए मैं सरकार को और राजीव गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता

[श्री राम प्यारे पनिका]

हूं। वे इसको केबिनेट में भी ले गये। मैं चाहता हूं कि इसको सभी राज्यों के साथ मिल कर के जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। वे हमारे यहां एक जाति है जो कि शेड्युल्ड कास्ट्स में रखी गई है लेकिन मध्य प्रदेश में उसको शैड्युल्ड ट्राइब में रखा गया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसके बारे में आप एक अमेंडमेंट करें और सभी राज्यों के साथ मिल कर के करें जिससे कि आपस में कोई कंट्रोवर्सी न हो। 41 साल बिता दिए, अब शुरूआत करेंगे तो उनका कल्याण करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मैं निश्चिततौर पर डा० अम्बेडकर के विचारों से सहमत हूं, हम बहुत देर तक रिजर्वेशन नहीं चाहते, उतनी देर तक चाहते हैं जब सारा समाज एक जैसा दिखाई दे, शिक्षा, आर्थिक स्थिति एक जैसी दिखाई दे। आज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स 250 हैं, कोल इण्डिया में 76 डायरेक्टर्स हैं, एक भी शेड्यूलकास्ट नहीं है। मैनेजमेंट में अंडर-टेकिंग्स में कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है, आप सर्वे करवा लीजिए। आज आई०ए०एस० हैं, सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं लेकिन गवर्नमेंट अंडर-टेकिंग्स में शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व नहीं है, पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसी तरह से बहुत क्षेत्र हैं, सब लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है, लेकिन हरिजन आदिवासियों को नहीं मिलता।

अन्त में मैं हरिजन आदिवासियों की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि हरिजन-आदिवासियों के नेता एकमात्र हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी हैं, दूसरा कोई नहीं है। हम सारे हरिजन आदिवासी उनके नेतृत्व में उनके साथ हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलना चाहते हैं।

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : सभापति महोदय, मैं गृह राज्य मंत्री के वक्तव्य का हार्दिक स्वागत करते हुए अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह बात सही है कि माननीय राज्य मंत्री का वक्तव्य हमारे हरिजन आदिवासी भाइयों के लिए, उनके मन में फैले हुए अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी की एक किरण की तरह है। यकीनीतौर पर उनका वक्तव्य उस बेचैनी और गैर-यकीनी को खत्म कर पायेगा जो बहुत अरसे से हरिजन भाइयों के दिल में घर किए हुए थी।

सभापति जी, जहां मैं यह कहना चाहता हूं वहां मैं आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्री और सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि खाली आपका यह वक्तव्य संविधान की धारा 14 और 16 में दिए गए उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा। ये जगहें जिनका डी-रिजर्वेशन आप समाप्त करने का इरादा रखते हैं, जो आपने घोषणा की है, यह घोषणा उस समय तक मुकम्मल नहीं है जब तक कि हरिजन आदिवासी भाइयों के लिए आप आधुनिक और मार्डन ट्रेनिंग की शिक्षा का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है सभापति जी, बहुत थोड़े समय के लिए मुझे मध्य प्रदेश में मंत्री रहने का और पब्लिक अंडरटेकिंग में चेयरमैन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने देखा है कि किस प्रकार से नियमों की अवहेलना होती है और कुछ राजनीतिक लोग, कुछ सरकारी कर्मचारी मिलकर दूसरों को फेवर करते हैं और आदिवासी तथा हरिजनों के लिए सुरक्षित स्थानों पर सामान्य उम्मीदवारों को भर्ती करते हैं। लेकिन जब मैं यह कहता हूं तो उस समय मेरे सामने मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे टेक्नीकल कालेजेज का चित्र भी आता है जहां विद्यार्थियों को बहुत कम परसेंटेज पर इनमें दाखिला देते हैं। मैं चाहता हूं कि जो स्थान सुरक्षित हों, हरिजन आदिवासियों के, मेडीकल, इंजीनियरिंग और टेक्नीकल कालेजेज में, उन स्थानों को पूरी तरह से हरिजन आदिवासियों से ही भरना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार वहां की केबीनेट के

सामने यह समस्या आई कि सामान्य विद्यार्थियों को, जिनके मार्क्स 70 प्रतिशत थे, हमने भर्ती किया। और हरिजन-आदिवासी विद्यार्थियों की उचित मात्रा में संख्या नहीं मिल पाई। वहां 33 प्रतिशत और 35 प्रतिशत पर हमें दाखिला देना पड़ा। मैं चाहता हूं कि इस अन्तर को समाप्त करने के लिए हरिजन-आदिवासी छात्रों के लिए विशेष ट्रेनिंग और शिक्षा का प्रबन्ध किया जाये। बहुत बड़ी-बड़ी बातें और बहुत बड़े-बड़े दावे हम करते हैं। यह बात सही है कि भारत की स्वतन्त्रता के बाद महात्मा गांधी की नीति के अनुसार और पण्डित नेहरू के नेतृत्व में और उसके बाद इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस देश ने हरिजन आदिवासी और दूसरे बैकवर्ड क्लासेज के लिये बहुत अच्छे काम किये हैं, इतिहास इस बात का साक्षी है। लेकिन उसके बाद भी कोई यह कहे कि हमारा सारा उद्देश्य पूरा हो गया और सारा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इस बात से सहमत नहीं हो पाऊंगा। यकीनन् बहुत कुछ हुआ है, वर्तमान शासन भी राजीव गांधी के नेतृत्व में बधाई का पात्र है और हमारे प्रधान मंत्री मुबारकबाद के काबिल हैं जो कि विशेषरूप से हरिजन और आदिवासियों के कल्याण के लिए व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं। लेकिन यह काम उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जबकि आप प्राइमरी स्तर से या किंडर गार्डन लेवल से हरिजन आदिवासी छात्रों की शिक्षा का माकूल इन्तजाम नहीं कर पायेंगे। मैं गृह राज्य मंत्री और सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या कोई देश भारत जैसा देश जो समाजवादी देश हो, जहां प्रजातन्त्र हो, समानता हो, इस देश के अन्दर सैकड़ों पब्लिक स्कूल ऐसे हैं जहां समाज के केवल गिने चुने मुट्ठी भर परिवारों के बच्चे को ही दाखिला लेने का अधिकार मिल पाता है। यह पब्लिक स्कूल काले धब्बे हैं देश के ऊपर, क्योंकि जब तक प्रत्येक बच्चे को इस देश में समानता के आधार पर स्कूलों में प्रवेश पाने का और शिक्षा पाने का अधिकार नहीं होगा उस वक्त तक यह सारे दावे समाजवाद के और समानता के बेकार होंगे। मेरा यह मत है कि सारे पब्लिक स्कूलों को समाप्त करके हमारे तमाम स्कूलों की संख्या बढ़ाकर एक ही प्रकार की शिक्षा सारे बच्चों को इस देश में प्राप्त करने का अधिकार हम दें। क्योंकि आज तक संविधान का आर्टिकल 45 एक अधूरा ख्वाब है। जहां आपने प्राइमरी एजुकेशन को इस देश में कम्पलसरी करने की बात कही थी आज तक हम उसको नहीं कर पाये हैं, यह दूसरी बात है। मेरा यह सुझाव है कि जितने पब्लिक स्कूल हैं, कांवेंट स्कूल हैं जिनमें दाखिले का अधिकार समाज के गिने-चुने मुट्ठी भर परिवारों के बच्चों को मिला हुआ है उनमें आप कम से कम 25 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित करें और प्राइमरी लेवल से, किंडर गार्डन के लेवल से उन बच्चों का दाखिला उन स्कूलों में अनिवार्य किया जाए। साथ ही साथ उनके लिए वहां होस्टल का प्रबन्ध किया जाये ताकि वह वहां रह सकें और वह बच्चे बाकी लोगों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह आपका उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा समानता का जब आप यह करेंगे। जो बच्चे गांवों के आश्रमों से या स्कूलों से आते हैं और जो बच्चे कांवेंट से आते हैं तो गांव वाले बच्चों में एक साइक्लोजिकल फीलिंग होती है, एक मुकतलिफ अन्तर होता है वह समानता उनमें नहीं आ सकती है जब तक आप प्राइमरी से उन बच्चों के अन्दर यह ध्यान देने की कोशिश न करेंगे। तमाम सुविधायें और सुरक्षा देने के बाद आज भी इस देश में हमारे हरिजन और आदिवासी भाई अत्याचार के और शोषण के शिकार हैं। मैं गृह राज्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में रायपुर मेडिकल कालेज में हरिजन और आदिवासी विद्यार्थियों ने एक याचिका प्रस्तुत की है प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को वहां के हरिजन और आदिवासी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक पिटीशन दिया है जिसमें सामूहिक रूप से उन्होंने यह शिकायत की है कि रीवा मेडिकल कालेज के एक प्रोफेसर जो ऊंची जाती से संबंध रखते हैं, जान-बूझकर हरिजन, आदिवासी और बैकवर्ड

[श्री अजीज कुरेशी]

विद्यार्थियों को फेल करते हैं, नम्बर कम देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं। मुझे मालूम नहीं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है लेकिन मैं सदन में यह मांग करना चाहता हूं कि सरकार उस पिटीशन के आधार पर मामले की जांच कराये, गृह मंत्री जी इस बात को देखें और यदि इसमें सच्चाई हो तो उस दोषी प्रोफैसर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये तथा उन पीड़ित हरिजन आदिवासी विद्यार्थियों को यहां से पूरा-पूरा न्याय और संरक्षण मिलना चाहिये।

इसी तरह, सभापति जी, मैं अपने सतना पार्लियामैंटरी क्षेत्र की एक घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चित्रकूट विधान सभाई क्षेत्र पड़ता है, इस इलाके की दो आदिवासी शादीशुदा महिलाओं का सामूहिक रूप से रेप किया गया। रेप करने वाले कोई और नहीं बल्कि यहां की लोकल पुलिस के और एस०ए०एस० के लोग थे। रात में पुलिस के लोग उन महिलाओं के घर गये, दरवाजा खटखटाया और घरों में शराब और नशे की हालत में घुस कर उन जवान शादीशुदा महिलाओं की इज्जत लूटी। जब पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट करने के उद्देश्य से पहुंचे तो बजाए रिपोर्ट दर्ज करने के, पूरे के पूरे 30 पुरुषों को वहां की पुलिस ने बन्द कर दिया और रात भर उन्हें मारते-पीटते रहे। सुबह कुछ और लोगों के आ जाने पर उन्हें छोड़ा गया। उसके बाद जब गांव के लोग सतना जिला मुख्यालय गये तो वहां भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मैं उस घटना के दो रोज बाद जब एक मीटिंग में शरीक होने के लिये रीवा गया तो मुझे इसकी इत्तला मिली। मैं स्वयं उस गांव में गया और गांव वालों से घटना का ब्यौरा सुनकर मुझे भी शर्म आ गयी कि किस प्रकार कानून की रक्षा करने वालों ने उन आदिवासी महिलाओं की इज्जत लूटी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस चर्चा का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के समुदायों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने से है। आप कृपया विषय पर बोलें।

श्री अजीज कुरेशी : मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि उनका शोषण कैसे किया जाता है।

[हिन्दी]

मैं, सभापति जी, यही बताना चाहता हूं कि किस तरह हरिजन आदिवासियों के साथ शोषण किया जाता है, मारपीट की जाती है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। यह अकेली घटना नहीं है, इस से पहले भी, जबलपुर जिले में, बोकारो स्टील प्लांट की कुछ माइन्स मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं, वहां भी एक आदिवासी महिला की इज्जत लूटी गयी और स्थानीय लोगों के प्रोटैस्ट करने पर पूरे-पूरे गांव को परेशान किया गया।

सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य मंत्री जी का जो प्रस्ताव है, घोषणा है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, यह शासन बधाई का पात्र है और मुझे यकीन है कि इस बुनियाद पर हमारे देश के आदिवासी हरिजनों को संरक्षण मिलेगा, वे आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे।

شری عزیز قریشي (ستنا) : سبها پتي مهودے مین گرہ راجیہ منتری کے وکتویے کا هاردک سواگت کرتے هوئے اپنے وچار پرکٹ کرنیکے لئے کهڑا هوا هون ۔

یہ بات صحیح هے کہ مانیے راجیہ منتری کا وکتویے همارے هریجن آدی واسي بهائیون کیلئے انکے من مین پهیلے هوئے اندهیرے کو دور کرنیکے لئے روشنی کي ایک کرن کی طرح هے ۔ یقیني طورپر انکا وکتویے اس بے چینی اور غیر یقینی کو ختم کر پائیگا جو بهت عرصے سے هریجن بهائیون کے دل مین گهر کئے هوئے تهی ۔

سبها پتی جی جہان مین کہنا چاهتا هون وهان مین آپکے مادهیم سے مانیے گرہ راجیہ سبها منتری اور سرکار سے یہ بهی کہنا چاهون گا کہ خالی آپکا یہ وکتویے سنودهان کی دهارا ۱۵ اور ۱٦ مین دئے گئے ادیشے کی پورتی نہین کر پائیگا ۔ یہ جگہین جنکا ڈی ۔ ریزرویشن آپ سماپت کرنیکا ارادہ رکهتے هین جو آپ نے گهوشنا کی هے یہ گهوشنا اس سمے تک مکمل نہین هے ۔ جب تک کہ هریجن آدی واسی بهائیون کیلئے آپ آدهو نک اور ماڈرن ٹریننگ کا انتظام نہین کر پائینگے مجهے یاد هے سبها پتي جی بہت تهوڑے سے سمے کیلئے مجهے مدهیہ پردیش مین منتری رهنے کا اور پبلک انڈرٹیکنگ مین چیئر مین رهنے کا سوبهاگیہ پراپت هوا اور مین نے دیکها هے کہ کس پرکار سے نیمون کی اوهیلنا هوتی هے اور کچھ راج نیتک لوگ کچھ سرکاری کرمچاری ملکر دوسرون کو فیور کرتے هین اور آدی واسي تتها هریجن لوگون کیلئے سرکشت استهانون پر سامنے امیدوارون کو بهرتی کرتے هین ۔ لیکن جب مین یہ کہتا هون تو اس سمے میرے سامنے میڈیکل انجنیرنگ اور دوسرے ٹیکنیکل کالیجز کا چتر بهی آتا هے ۔ جہان ودهارتیون

کو بہت کم پرسنٹیج پر ان مین داخلہ دیتے ہین ۔ مین چاہتا ہون کہ جو استھان سرکشت ہون ہریجن آدی واسی کے میڈیکل انجینیرنگ اور ٹیکنیکل کالجز مین ان استھانون کو پوری طرح سے ہریجن آدی واسیون سے ہی بھرنا چاہیئے لیکن مدھیہ پردیش مین ایک بار وہان کی کیبنیٹ کے سامنے یہ سمسیا آئی کہ سامانیے ودھارتیون کو جنکے مارکس ۵۰ پرسینٹ تھے ہم نے بھرتی کیا اور ہریجن آدی واسی ودھارتیون کی اچت ماترا مین سنکھیا نہین مل پائی وہان ۳۲ پرسینٹ اور ۲۵ پرسینٹ پر ہمین داخلہ دینا پڑا ۔ مین چاہتا ہون کہ اس انتر کو سماپت کرنیکے لئے ہریجن آدی واسی چھاترون کیلئے وشیش ٹریننگ اور شکشا کا پربندھ کیا جائے ۔ بہت بڑی بڑی باتین اور بہت بڑے بڑے دعوے ہم کرتے ہین ۔ یہ بات صحیح ہے کہ بھارت کی سوتنترا کے بعد مہاتما گاندھی کی نیتی کے انوسار اور پنڈت نہرو کی نیترتو مین اور اسکے بعد اندرا گاندھی کے نیترتو مین اس دیش نے ہریجن آدی واسی اور دوسرے بیکورڈ کلاسیز کیلئے بہت اچھے کام کئے ہین اتہاس اس بات کا ساکشی ہے لیکن اسکے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ ہمارا سارا کام مکمل ہوگیا تو مین اس بات سے سہمت نہین ہو پاؤنگا ۔ یقینا بہت کچھ ہوا ہے ورتمان شاسن بھی راجیو گاندھی کے نیترتو مین بدھائی کا پاتر ہے اور ہمارے پردھان منتری مبارکباد کے قابل ہین جو کہ وشیش روپ سے ہریجن اور آدی واسیون کے کلیان کیلئے ویکتی گت روپ لے رہے ہین ۔ لیکن یہ کام اسوقت تک پورا نہین ہوگا جب تک کہ آپ پرائمری استر سے یا کنڈرگارڈن لیول سے ہریجن آدیواسی چھاترون کو شکشا کا معقول انتظام نہین کر پائینگے ۔ مین گرہ راجیہ منتری اور سرکار سے یہ پوچھنا چاہونگا کہ کیا کوئی دیش بھارت جیسا

و سماج وادی دیش ہے جہان پرجا تنتر ہو سمانتا ہو اس دیش کے
ندر سینکڑون پبلک اسکول ایسے ہین جہان سماج کے کیون گنے چنے
شھی بھر پریوارون کے بچون کو ھی داخلہ لینے کا ادھیکار مل پاتا
ہے ۔ یہ پبلک اسکول کالے دھبے ہین دیش کے اوپر کیونکہ جب تک
رتھیکے بچے کو اس دیش مین سمانتا کے آدھار پر اسکولون مین پرویش
انے کا اور شکشا پانے کا ادھیکار نہین ہوگا اسوقت تک یہ سارے
ہوے سماج واد کے اور سمانتا کے، بیکار ہون گے ۔ میرا یہ مت ہے
ہ سارے پبلک اسکولون کو سماپت کرکے ہمارے تمام اسکولون کی
سنکھیا بڑھا کر ایک ھی پرکار کی شکشا سارے بچون کو اس دیش مین
راپت کرنیکے ادھیکار ہم دین ۔ کیونکہ آج تک سنودھان کا آرٹیکل
کا ایک ادھورا خواب ہے ۔ جہان آپنے پرائمری ایجوکیشن کو اس دیش
ین کمپلسری کرنیکی بات کہی تھی آج تک ہم اسکو نہین کرپائے ہین۔
ہ دوسری بات ہے میرا یہ سجھاؤ ہے کہ جتنے پبلک اسکول ہین
انوینٹ اسکول ہین جن مین داخلے کا ادھیکار سماج کے گنے چنے مٹھی
ھر پریوارون کے بچون کو ملا ہوا ہے ان مین آپ کم سے کم ۲۵ پرتیشت
ستھان انوسوچت جاتی اور جن جاتی کے لئے سرکشت کرین اور پرائمری
یول سے کنڈر گارڈن لیول سے ان بچون کا داخلہ ان اسکولون
ین انو واریہ کیا جائے ۔ ساتھ ھی ساتھ انکیلئے وہان ہوسٹل کا
ربندھ کیا جائے تاکہ وہ وہان رہ سکین اور وہ بچے باقی لوگون
ے ساتھ شکشا پراپت کرسکین ۔ یہ آپکا ادیشیہ تب ھی پورا ہوپائیگا۔
سمانتا کا جب آپ یہ کرین گے ۔ جو بچے گاؤن کے آشرمون سے یا
اسکولون سے آتے ہین اور جو بچے کانوینٹ سے آتے ہین تو گاؤن
والے بچون مین ایک سائکلوجیکل فیلنگ ہوتی ہے ایک مختلف انتر

ھوتا ھے وہ سمانتا ان مین نہین آسکتی ھے جب تک آپ پرائمری سے ان بچون کے اندر وہ دھیان دینے کی کوشش نہ کرین گے ۔ تمام سودھا ین اور سرکشا دینے کے بعد آج بھی اس دیش مین ھمارے ھریجن اور آدی واسی بھائی اتیا چار اور شوشن کے شکار ھین ۔ مین گرہ راجیہ منتری جی سے کہنا چاھون گا کہ ابھی حال ھی مین رائے پور میڈیکل کالج مین ھریجن اور آدی واسی ودھارتھیون نے ایک یاجیکا پرستوت کی ھے پردھان منتری کو اور گرہ منتری کو وھان کے ھریجن اور آدی واسی ودھیارتھیون نے ایک پٹیشن دیا ھے جس مین سامو ھک روپ سے انھون نے یہ شکایت کی ھے کہ ریوا میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر جو اونچی جاتی سے سمبندھ رکھتے ھین جان بوجھکر ھریجن آدی واسی اور بیکورڈ ودھارتیون کو فیل کرتے ھین ۔ نمبر کم دیتے ھین اور انھین آگے بڑھنے کا موقع نہین دیتے ۔ مجھے معلوم نہین کہ اس بات مین کتنی سچائی ھے ۔ کتنا جھوٹ ھے لیکن مین سدن مین یہ مانگ کرنا چاھتا ھون کہ سرکار اس پٹیشن کے آدھار پر معاملے کی جانچ کرائے ۔ گرہ منتری جی اس بات کو دیکھین اور یدی اس مین سچائی ھو تو اس دوشی پروفیسر کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے ۔ تتھا ان پیڑت ھریجن آدی واسی ودھارتھیون کو پورا نیائے اور سنرکشن ملنا چاھئے ۔

اس طرح سبھا پتی جی مین اپنے ستنا پارلیمنٹری چھیتر کی چترکوٹ ودھان سبھائی چھیتر پڑتا ھے ۔ اس علاقے کی دو آدی واسی شادی شدہ مہلاؤن کا سامو ھک روپ سے ریپ کیا گیا ۔ ریپ کرنیوالے کوئی اور نہین بلکہ وھان کے لوکل پولیس دے اور ایس ایہ ایس کے لوگ تھے ۔

رات مین پولیس کے لوگ ان مہلاؤن کے گھر گئے دروازہ کھٹکھٹایا اور گھرون مین شراب اور نشے کی حالت مین گھس کر ان جوان شادی شدہ مہلاؤن کی عزّت لوٹی ۔ جب پورے گاؤن کے لوگ اکھٹا ہوکر سمبندھت تھانے مین رپورٹ کرانے کے ادیش سے پہنچے تو بجائے رپورٹ درج کرنے کے پورے تیس پورشون کو وھان کی پولیس نے بندھ کردیا ۔ اور رات بھر انہین مارتے پیٹتے رھے۔ صبح کو کچھ لوگون کے آجانے پر انہین چھوڑا گیا ۔ اسکے بعد جب گاؤن کے لوگ ستنا ضلع میگھالیہ گئے تو وھان بھی کسی نے انکی بات نہین سنی مین اس گھٹنا کے دو روز بعد جب ایک میٹنگ مین شریک ھونیکے لئے رہوا گیا تو مجھے اس کی اطلاع ملی ۔ مین سویم اس گاؤن مین گیا ۔ اور گاؤن والون سے گھٹنا کا پورا سن کر مجھے بھی شرم آگئی ۔ کہ کس پرکار قانون کی رکشا کرنیوالون نے ان آدی واسی مہلاؤن کی عزّت لوٹی ۔

MR. CHAIRMAN : This discussion relates to improve the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities in Central Government Posts/Services. You please speak on the subject.

SHRI AZIZ QURESHI : I am mentioning how they are exploited.

مین سبھا پتی جی یہی بتانا چاھتا ھون کہ کس طرح ھریجن آدی واسیون کے ساتھ سوشن کیا جاتا ھے مارپیٹ کی جاتی ھے اور دوش ویکتیون کے

خلاف کوئی کارروائی نہین ہوتی ۔ یہ اکیلی گھٹنا نہین ہے ۔ اس سے پہلے بھی جیلپور ضلع مین بوکارو اسٹیل پلانٹ کی کچھ مانس میرسے نرواچن چھیتر مین ہے ۔ وہان بھی ایک آدی واسی مہلا کی عزت لوٹی گئی ۔ اور ان استھانیے لوگون کے پروٹیسٹ کرنے پر پورے پورے گاؤن کو پریشان کیا گیا ۔

سبھا پتی جی مین کہنا چاہون گا کہ راجیہ منتری جی کا جو پرستاؤ ہے ۔ گھوشنا ہے اسکے لئے وہ بدھائی پاتر ہین ۔ یہ شاسن بدھلی کا پاتر ہے ۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس بنیاد پر ہمارے دیش کے آدی واسیون کو سرکشن ملے گا ۔ وہ آگے بڑھین گے اور ترقی کرین گے ۔ دھنیے واد ۔

[अनुवाद]

***श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** (दुर्गापुर) : महोदय, विगत 19 अप्रैल को श्री चिदम्बरम ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिये सरकार की आरक्षण नीति के सम्बन्ध में इस सभा में वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य का उद्देश्य इन उम्मीदवारों की रक्षा करना और अधिक लाभ देना था। अध्यक्ष महोदय ने नियम 193 के अधीन उस वक्तव्य के बारे में चर्चा की अनुमति दी थी उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 और 335 में सरकारी सेवा में इन कमजोर वर्ग के लोगों की नियुक्ति और पदोन्नति के बारे में प्रावधान किये गये हैं। परन्तु महोदय, इन प्रावधानों के बावजूद भी हमें लगता है कि मंत्री महोदय को आरक्षण के सम्बन्ध में नये निर्णय करने हैं और स्वतन्त्रता के 42 वर्षों के बाद भी सभा में ऐसे वक्तव्य देने हैं। हमने देखा है कि सरकार की आरक्षण नीति के बावजूद भी अनेक मामलों में निर्देशों का उचित ढंग से पालन नहीं किया जाता है। आरक्षण खत्म करने का यह कारण बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षण किया जाता है। इसलिये भविष्य में आगे संरक्षण प्रदान किया जाए और रिक्त स्थान तब तक रिक्त रहें जब तक उनके लिये उपयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे। यह अच्छी बात है।

---

*मूलत: बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, मैं इस सभा के समक्ष आरक्षित कोटे के बदले में नियुक्ति में कमी के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। दिनांक 23 मार्च को मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि सरकारी सेवा के समूह 'क' में कुल कर्मचारियों की संख्या 57,700 है। उनमें से 4752 अर्थात 8.23 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी 1182 थे जिनका प्रतिशत 2.05 आता है।

समूह 'ख' में 75486 कर्मचारी थे उनमें से अनुसूचित जाति के 7,000 अर्थात 10.41 प्रतिशत थे और अनुसूचित जनजाति के 1450 थे जिनका प्रतिशत 1.92 आता है।

सरकारी उपक्रमों के बारे में दूसरा वक्तव्य दिया गया जिसमें बताया गया कि समूह 'क' के कर्मचारियों की संख्या 1,61,825 है उनमें अनुसूचित जाति के 7862 अर्थात 4.83 प्रतिशत कर्मचारी हैं। अनुसूचित जनजाति के 1.17 प्रतिशत कर्मचारी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन तथ्यों से पता लगता है कि समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की संख्या के मुकाबले समूह क और ख के कर्मचारियों के लिए किया गया आरक्षण बहुत कम है। इसका कारण यह बताया गया है कि समूह ग और घ के लिये उम्मीदवार उपलब्ध हैं जबकि समूह क और ख के लिये उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं। यदि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, चिकित्सा, इन्जीनियरिंग और अन्य उच्च पदों के लिये उपयुक्त और योग्य अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार चाहते हैं तो हमें उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण और कोचिंग सुविधायें प्रदान करनी होंगी ताकि वे संघ लोक सेवा आयोग की और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य उम्मीदवार के साथ प्रतियोगिता कर सकें। हमने यह भी देखा है कि सरकारी कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में हमेशा आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक कानून बनाया जाए जिससे कि निजी और गैर-सरकारी नियोजकों को भी सरकार की आरक्षण नीति का पालन करना पड़े।

महोदय, हमने स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों और वस्तुतः समस्त शिक्षा क्षेत्र में देखा कि इस आरक्षण नीति का पालन नहीं किया जाता है। हमने ऐसा केन्द्रीय स्कूलों में भी देखा है। इसमें संशोधन किया जाए।

5.00 म०प०

महोदय हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार उत्थान कर सकते हैं। सरकार का यह उद्देश्य है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 46 और नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत, यह व्यवस्था की गयी है कि कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें सामाजिक न्याय मिलता है। महोदय, नीति निर्देशक सिद्धान्तों में आर्थिक और सामाजिक संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। इसे 'मौलिक अधिकारों' के अधीन रखा जाना चाहिए। अन्यथा उन्हें आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्रों में वांछनीय अवसर और सुविधायें नहीं मिलेंगी। महोदय, हम यह नहीं समझते कि इस चुनाव वर्ष में यह नया सोच-विचार क्यों किया जा रहा है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रति एकाएक सहानुभूति क्यों हो रही है। हमारे मानवीय प्रधान मंत्री ने देश के सभी

[श्री पूर्णे चन्द्र मलिक]

भागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये शोक व्यक्त करना शुरू कर दिया है। महोदय, विगत 14 अप्रैल को लखनऊ में डा० अम्बेडकर विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते समय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि आगामी 10 वर्षों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाय। यह आवश्यक है कि अवधि का नवीकरण कर दिया जाय और आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि कर दी जाए, उन्होंने आगे कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण केवल नौकरी ही में नहीं बल्कि स्थानीय निकायों, पंचायतों, जिला परिषदों और नगरपालिकाओं में भी दिया जाना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय को यहां बताना चाहता हूं कि यदि वह वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का कल्याण और उत्थान करना चाहते हैं तो उन्हें सामाजिक अत्याचारों, जो देश के विभिन्न भागों में उन पर किये जा रहे हैं, के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना चाहिए। हमारे कांग्रेसी साथियों ने अभी अनेक प्रभावी भाषण दिये हैं। परन्तु बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी लोगों पर किस प्रकार के अत्याचार किये जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान बिहार के श्री खिलानन्द झा के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसे नौकरी से बर्खास्त क्यों किया गया और बिहार से बाहर क्यों निकाल दिया गया ? उसका अपराध यह था कि उसने एक हरिजन महिला से शादी कर ली। एक हरिजन महिला के साथ विवाह करने के अपराध में उसे तंग किया गया तथा उसके घर में आग लगा दी गयी। वह 'बोट क्लब' पर एक साल से बैठा हुआ है।

5.03 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी बात समाप्त कीजिए। आपको मालूम है कि हम नियम 193 के अधीन तीन-चार चर्चायें कर रहे हैं। हम साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में पहले से ही चर्चा कर रहे हैं। यदि आप अधिक समय लेंगे तो यह चर्चा भी अधूरी रह जायेगी क्योंकि सत्रावसान के लिये बहुत कम समय बचा है। कृपया मुद्दों का ही उल्लेख कीजिए ताकि यह चर्चा आज पूरी हो सके। बोलने के लिये अनेक सदस्य हैं।

श्री पूर्णचन्द्र मलिक : महोदय, एक मिनट और। इसलिये केवल नौकरी में आरक्षण देकर आप आदिवासी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अधिक भला नहीं कर सकते। वास्तव में जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि आमूल भूमि सुधार किये जाएं। पश्चिम बंगाल और केरल अर्थात वामपंथी सरकार के राज्यों के अलावा, किसी भी राज्य में निर्धन भूमिहीनों में आबंटित करने के लिए कुल भूमि में आमूल भूमि सुधार नहीं किया गया है, पश्चिम बंगाल और केरल में केवल एक चौथाई आमूल भूमि सुधार किया गया है। आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक अत्याचारों से, जो उन पर किये जाते हैं, रक्षा करनी है। इसके विपरीत उनके आर्थिक उत्थान के लिये औपको उन्हें भूमि देनी है और उन्हें जमींदारों, जोतदारों और माफिया के शोषणों से जो उनके घर जला रहे हैं और उन्हें अनेक प्रकार से तंग कर रहे हैं, मुक्त किया जाए। इससे उनको छुटकारा मिलेगा और वे सम्मान के साथ मनुष्यों की तरह रह

सकेंगे। मेरा आप से अनुरोध है कि आप इन बातों की तरफ ध्यान दें। मैं एक बार फिर आपका ध्यान बेचारे खिलानन्द झा की तरफ, जिसे एक हरिजन महिला के साथ विवाह करने के कारण उसके घर से निकाल दिया गया है, आकर्षित करना चाहता हूं। यदि आपमें साहस है तो उसे नौकरी पर बहाल कीजिए। उसने कोई अपराध नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और हरिजनों के प्रति कितनी सहानुभूति और चिंता है। ये ऐसी बातें हैं जिनसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का लाभ होगा। केवल आरक्षण की नीति से खेलकर या हरिजनों के प्रति झूठी सहानुभूति दिखाकर और चुनाव वर्ष में गुमराह करने वाले भाषणों से आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते। यदि आपको उनकी वास्तव में चिंता है, तो उन्हें भूमि दीजिए, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाइये उनकी सामाजिक अत्याचारों और सामन्ती शोषण से रक्षा कीजिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं अपने माननीय दोस्त की बात सुन रहा था। यह पालिटिकल बातें कर रहे थे और खिलानन्द झा की बात कर रहे थे। हमें असली विषय पर आना चाहिये।

19 अप्रैल को चिदम्बरम जी ने जो प्रस्ताव रखा वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह इस बात को बताता है कि सरकार की नीति कितनी प्रोग्रेसिव है। इन्होंने कहा कि साधारण कैटेगिरी में यदि शेड्यूल्ड-कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो वह खाली रखे जायेंगे और तब तक उसे नहीं भरा जायेगा जब तक शेड्यूल्ड-कास्ट और शेड्यूल्ड-ट्राइब्स के कैंडिडेट न मिल जायें। यह बात अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि आप कब तक इसको खाली रखेंगे। ऐसी भी बहुत सी जगहें खाली रह जाती है, मान लीजिए 2-4-5 साल तक लगातार यह जगहें खाली चली गईं तो फिर एक बहुत बड़ा बैकलॉग उत्पन्न हो आयेगा और उनको कैसे भरा जायेगा आपने कहा है कि कैटेगिरी "ए" में आपकी मिनिस्ट्री से परमिशन लेकर उसे डिकैटेगिराइज करेंगे और जनरल पूल से भी लोग लिये जा सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप परिस्थितियां ऐसी बनायें जिस में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट्स को कम्पीट करने में सुविधा न हो।

मैं अय्यपू रेड्डी जी के राजनीतिक विचारों से भिन्न विचार रखता हूं लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत पसन्द आई। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है कि शेड्यूल्ड कास्ट में भी डिवीजन है। आप इस बात को मानें या न मानें एक शेड्यूल्ड कास्ट का अफसर जब कुर्सी पर चला जाता है, तो एक तो अपनी जाति के ही लोगों को बराबर की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे और यदि अपने से एक ग्रेड नीचे का आदमी बैठ गया तो कोहराम मचा देंगे, मैं पर्सनल एक्सपीरिएन्स की बात कर रहा हूं। पिछले मूकम्प में मैं अपने एरिया में घूम रहा था, हमारे एक ब्लाक एक गांव में जब मैं घूम रहा था तो बहुत से हरिजनों भाइयों ने कहा कि बी०डी०ओ० ने हमें राहत का सामान नहीं दिया, वह खा गया तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने कहा कि बी०डी०ओ० हरिजन है, आप भी हरिजन हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है, उसने कहा कि उसका बाप भी डिप्टी कलैक्टर हो गया है, यह हमें आदमी नहीं समझता है तो मैं उसको लेकर ब्लाक पहुंचा, बी०डी०ओ० ने मुझसे कुर्सी पर बैठने को कहा तो मैंने उस हरिजन भाई को कहा कि तुम भी बैठ जाओ तो बी०डी०ओ० आपे से बाहर हो गया। उसने कहा कि इस हरिजन की कैसे हिम्मत हुई, कुर्सी पर बैठने की तो हमने

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

कहा कि आप क्या हैं, कहा आप कैसी बातें करते हैं, मैं अफसर हूं। मैंने कहा अफसर और साधारण आदमी में क्या फर्क है, मैं तो इसे जानकर इसलिए लाया हूं, यह कहता है कि आप राहत का सामान नहीं देते हैं और आप खा गये हैं और इसकी गवाही देने के लिए 200 हरिजन बाहर खड़े हैं और मैं इस बात को छोड़ूंगा नहीं, मैं इस बात को प्रधान मंत्री तक ले जाऊंगा। मैं उस बात को प्रधान मंत्री तक ले गया और मैंने प्रधान मंत्री को लिखा। मेरे यह बात कहते ही वह बी०डी०ओ० नर्वस हो गया, उसने कहा, नहीं-नहीं, मैंने सामान चुराया नहीं है, गोदाम में रखा है, आज नहीं तो कल बंट ही जायेगा और उसके बाद उसने उसको बांट दिया। दरअसल उसकी नीयत उसको देने की नहीं थी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा० गौरी शंकर राजहंस : महोदय मैंने अभी शुरू की है। दूसरों ने आधा घंटा लिया है ? मैंने बहुत कम बातें कही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पांच मिनट दिये हैं। अब आप अपनी बात समाप्त करने का प्रयास कीजिए।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा उपाय सोचना होगा कि हरिजनों में भी जो समृद्ध हो गये हैं, ये उन लोगों को तरजीह दें जो पुअरेस्ट ऑफ दि पुअर हैं, लड़ाई सिर्फ हैव्ज और हैव नॉट्स की है, समृद्ध और गरीब वर्ग की लड़ाई है हरिजनों में बहुत गरीब लोग हैं और हरिजनों में कुछ समृद्ध लोग भी हैं लेकिन साधारण हरिजन बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही दरिद्र हैं, उनकी हालत बहुत खराब है तो रिजर्वेशन की बात अपने आप में सही है, होना चाहिए लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की हालत में सुधार होना चाहिए, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं बहुत चिन्तित हूं और चिन्तित होकर कह रहा हूं कि पिछले 5-7 साल से जो बिहार में हो रहा है, वह बहुत ही चिन्ता की बात है। सैण्ट्रल बिहार में नक्सलाइट फोर्सेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और उसमें 90 प्रतिशत लोग हरिजन हैं, छोटा नागपुर, संथाल परगना में झारखण्ड मूवमैण्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वह वायलैण्ट हो गया है, उसमें शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। यह बहुत चिन्ता की बात है और सोचने की बात है, कोई हंसी मजाक की बात नहीं है और यदि इसके पीछे सोचा जाय कि क्यों यह लोग वायलैण्ट हो गये तो आपको मानना पड़ेगा कि इनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती गई। सैण्ट्रल बिहार के लोगों का फ्यूडल लोर्ड्स ने कसकर शोषण किया, हर तरह से शोषण किया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने आर्म्स उठा लिये। अब आप चाहते हैं कि सी०आर०पी०एफ० और बी०एस०एफ० भेजकर उनको कुचल दें तो कैसे कुचल दीजिएगा, जहां समाज में असंतोष उपजा है, उसको इकोनोमिक रिफायर्स करके ठीक करना होगा। उसी तरह छोटा नागपुर, संथाल परगना में ऑटोनोमस रीजन बना था लेकिन कुछ काम हुआ, कुछ नाम नहीं हुआ। वहां काण्ट्रैक्टर्स और फोरेस्ट आफिसर्स का एक ऐसा नेक्सेस बन गया जिसने ट्राइबल्स की हालत बहुत ही बुरी कर दी। आपने मुझे समय बहुत कम दिया, समय देते तो मैं विस्तार से बताता। आज जरुरत है कि शैड्यूल्ड

कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की हालत में सुधार हो। उन्हें हाउस साइट्स दीजिए, उनको कम्पैसेशन दिया जाय, उनकी शिक्षा की स्थिति में सुधार किया जाए। मैं देखता हूं, जब मैं ट्राइबल क्षेत्र में जाता हूं, तो कांप जाता हूं, लैपरोसी के बहुत लोग हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है। हम यहां पर भाषण देकर समझ लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए चाहे थोड़ा काम हो, लेकिन ठोस काम हो। शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सरकार ने बहुत खर्च किया है। खास तौर से जितना राजीव जी ने किया है, दूसरे लोगों ने तो सोचा भी नहीं था। मेरी आपसे गुजारिश है कि सही अर्थों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों तक वैलफेयर स्कीम पहुंचनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री हेतराम (सिरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार की नौकरियों/सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से आदेशों को उदार बनाने की चर्चा के बारे में बोलना चाहता है। महोदय, स्वतन्त्रता के चालीस वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में कतई सुधार नही हुआ है। इससे स्पष्ट होता है सरकार अपने वायदे में पूर्णत: असफल रही है। प्रत्येक 10 या 20 वर्षों बाद अनेक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदों का आरक्षण बढ़ा दिया जाता है, यह केन्द्र में तथा राज्यों में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस आई के हित में किया जाता है। महोदय, इस संबंध में मैं एक सामान्य उदाहरण देना चाहता हूं। जब एक नीग्रो लड़की से पूछा गया गया कि वह हिटलर के अपराधों के लिए क्या दंड देगी तो उसने जवाब दिया, "उसे नीग्रो बनाकर संयुक्त राज्य अमेरिका में रखा जाए।" यही बात मैं किसी व्यक्ति को न्यूनतम दंड देने के लिए दोहराता हूं कि उसे अनुसूचित जाति का बनाकर भारत में रखा जाये। हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की वास्तविक स्थिति यही है। चाहे आप 10 या 20 वर्षों के लिये आरक्षण बढ़ा दीजिए परन्तु मूल बात शिक्षा की है। इसा सभा में विगत अवसरों पर मैंने अपने भाषणों में शिक्षा के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने का समर्थन किया था। खेर और कोठारी आयोग ने सिफारिश की है कि शिक्षा के लिये देश के कुल बजट का 10 प्रतिशत आबंटित किया जाना चाहिए।

महोदय, केन्द्र सरकार कह रही है कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से कोई उपयुक्त और योग्य प्रत्याशी नहीं मिलते हैं तो वे विभिन्न सरकारी कार्यालयों में खाली पदों को अन-आरक्षित कर देगी। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह 'उपयुक्तता' शब्द की परिभाषा पर नहीं जायें बल्कि यह सुनिश्चिन करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को प्रशिक्षण देने के पश्चात् सरकारी कार्यालयों में उनके लिये निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार पदों को भरा जाये। महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि डा० अम्बेडकर ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण की लेकिन वह न केवल भारत में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महान् बुद्धिजीवी के रूप में उभरे क्योंकि उन्हें उच्च शिक्षा आदि की पूरी सुविधायें उपलब्ध की गयीं। इसी तरह में यहां इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचने में सक्षम है। यदि एक व्यक्ति जोकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है, अपनी परीक्षा

[श्री हेतराम]

स्कूल या विश्वविद्यालय स्तर पर उत्तीर्ण करता है, तो उसे सरकारी कार्यालयों में उपयुक्त पद देने हेतु योग्य समझा जाना चाहिए।

महोदय, एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई भी व्यक्ति प्रधान मंत्री सचिवालय, अनुसंधान और विश्लेषण शाखा (रौ) आदि में सेवारत नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिलते हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें उन पर विश्वास नहीं है या वे अपने कर्तव्य निभाने में सक्षम नहीं हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ? ऐसा नहीं है।

श्री हेत राम : फिर तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सरकार के ऐसे कोई इरादे नहीं हैं। लेकिन जब मैं चारों तरफ देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि, स्थिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में है। लेकिन सरकार का दावा कुछ और ही है। यह इसलिए है क्योंकि भूमि और वनों पर अनुसूचित जनजातियों के कोई काश्तकारी अधिकार नहीं थे। कोई मालिकाना अधिकार नहीं थे। लेकिन अन्य क्षेत्र में, जाने माने आदिवासी क्षेत्र में यह अधिकार हैं लेकिन सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को मालिकाना अधिकार नहीं दिए हैं। ठेकेदारों ने अनुसूचित जनजातियों का और वनों का जोकि अनुसूचित जनजातियों के घर हैं, शोषण किया है। अब, आजादी के 40 वर्षों के बाद वे समझते हैं कि अनारक्षण नहीं होना चाहिए। मैं यह नहीं जानता हूं कि वे ऐसा कैसे समझते हैं कि अनारक्षण नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार 40 वर्ष बाद चुनाव वर्ष से थोड़ा पहले क्यों आया है। अनारक्षण पहले भी था और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को बाद के आने वाले वर्षों तक बरकरार नहीं रखा जाता था। अब वे इन्हें बाद तक बरकरार रखने तथा उन्हें अन्य उम्मीदवारों से नहीं भरने के नियमों को ले आए हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए स्कूल नहीं हैं, वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उन्हें सरकार द्वारा बनाए गए मापदंडों के मुताबिक नौकरियां नहीं मिलती हैं। दूसरे जहां तक शिक्षा का प्रश्न है प्रत्येक जिले में नवोदय स्कूल खुल गए हैं। लेकिन ये पुरानी गुरुकुल पद्धति वाले हैं। गुरुकुल पद्धति पुराने समय में चलती थी। लेकिन यह पूरी तरह से असफल हो गई है—क्योंकि गरीब लोगों को उनके माहौल से निकाल कर गुरुकुल में डाला गया है और इस तरह सामाजिक परवेश से दूर एक नए माहौल में डाला गया है। जैसे कि मेरे साथी बता रहे थे, अनुसूचित जाति के अधिकारी, निर्धन अनुसूचित जाति के व्यक्ति के सम्पर्क में नहीं हैं। यह इस बजह से है कि वे सामाजिक रूप से उनसे संबद्ध नहीं हैं और नई धनी संस्कृति से संबद्ध हैं। आपको सोचना चाहिए कि वर्तमान ढांचे में व्यक्ति नहीं बल्कि परिवारों की ज्यादा महत्ता है।

मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि आजादी के 40 वर्षों के बाद अनारक्षण हटा दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदंड इस बात को देखते हुए बदला जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति में पैदा होता है वह बगैर किसी सुविधा के शिक्षा प्राप्त कर रहा है, इस संसार में जी रहा है, वह भी कुछ भी करने में सक्षम है, चाहे उसे कुछ भी कार्य दिया जाये।

दूसरे, मैं मंत्री महोदय से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लोगों को दी जा रही मानसिक प्रताड़ना के संबंध में जानने का अनुरोध करता हूं। उन्हें श्री गिरिराज किशोर द्वारा लिखित उपन्यास 'परिशिष्ट' पर गौर करना चाहिए जहां इस बात पर चर्चा की गई है कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से आरक्षण का कैसे खिलवाड़ किया जाता है और इस आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कैसी मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है।

मैं अमृत लाल नागर के गौरव ग्रन्थ **'नाचो बहुत गोपाल'** का जिक्र करूंगा, जहां अनुसूचित जाति से संबंधित नायक, डाकुओं का सरदार है और जब उससे उसकी जाति के बारे में पूछा जाता है तो वह बताने में असमर्थ है क्योंकि इससे वह सरदार की हैसियत गवां बैठेगा, भले ही यह डाकुओं की हो। यही बात डा० अम्बेडकर के मामले में हुई और यही बात बाबू जगजीवन राम के साथ भी हुई। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हालात में सुधार लाना चाहिए और उनकी शिक्षा में सुधार लाना चाहिए। उनका चहुंमुखी विकास होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं अनारक्षण के लिए माननीय मंत्री का आभारी हूं जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि वे 19 अप्रैल को शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में एक स्टेटमेंट इस हाऊस के अन्दर लाए। इस के लिए मैं सरकार को और हमारे लीडर राजीव जी को भी बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने बैकवर्ड क्लासेज, पिछड़ी हुई जतियों के लिए खाली रिजर्वेशन पालिसी ही नहीं बनाई बल्कि उन लोगों के सोशियो-इकानामिक डेवलपमेंट की तरफ भी पूरा ध्यान दिया है।

मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि टाइम बहुत ही कम है लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि आज गवर्नमेंट ने जो इतने एडवान्टेज शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दिये हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट को एक सर्वे कराना चाहिए कि इन लोगों का कैसा डेवलपमेंट हुआ है और सोशियो-इकानामिक डेवलपमेंट उनका अभी हुआ है या नहीं हुआ है। उसका जो केडर टू केडर डवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, गवर्नमेंट की पालिसी का प्रापर इम्पलीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ उसका सर्वे होना चाहिये। सर्वे करने से गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट जो शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के बारे में काम करना चाहती है वह इस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह वह हाई टाईम है। इसका सर्वे करना जरूरी है।

एम्पलाएमेंट के बारे में गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है। वह ठीक है। मैं उसका स्वागत करती हूं। लेकिन यह भी सच है कि एम्पलाएमेंट अपोरचुनेटीज बहुत ही पुअर हैं, एम्पलाएमेंट का स्कोप बहुत ही पुअर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट को बेन कर रखा है। अभी जो आदमी मरा जाता है उसमें दो-चार परसेंट लोग ही शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के होते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहती हूं कि इनके बारे में खाली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में रिजर्वेशन से ही काम नहीं चलने वाला है। इनके लिए सोशियो-इकोनोमिक डवलपमेंट करने के लिए ग्रासरूट लेवल पर गांव गांव में हमें जाना होगा, लोकल लेवल पर जाना होगा। उन सब लोगों को ऊपर उठाना

[कुमारी ममता बनर्जी]

होगा। इसके लिए गवर्नमेंट को एक लोंग टर्म पालिसी लागू करनी होगी और उसमें लेंड रिफार्म लाना चाहिए।

यह खाली एक स्टेट का प्राब्लम नहीं है। यह हर स्टेट का प्राब्लम है। बिहार में बहुत सारी प्राब्लम है, नार्थ ईस्टर्न रीजन में है, उड़ीसा में है। यह असम में भी हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। इस सब प्राब्लम का कारण क्या है। क्यों होता है यह ? इसका कारण यह है कि जो ट्राइबल आदमी है उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है। उनका डवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो दिल्ली डवलपमेंट कौंसिल हैं, ट्राइबल डवलपमेंट कौंसिल है वे ठीक से काम नही कर रही हैं इसके लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए।

ये जो इन ट्राइबल लोगों में मूवमेंट्स होते हैं, यह ठीक है कि कहीं पर फोरन हेंड्स भी होता है लेकिन पोलिटिकल पार्टीज भी एडवान्टेज लेती हैं। वे उनको मिसलीड करती हैं। उनका मिसयूज करती हैं। वे लोग गरीब आदमी होते हैं। वे इन सब बातों को नहीं जानते हैं। वे गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी जो भूखा होता है, उसके सामने जिसके पास से खाना आ जाता है, वह उसी की बात को मान लेता है। इस बात को गवर्नमेंट को देखना चाहिए।

इसीलिए हमारे हरिजनों पर भी अत्याचार होता है। बिहार में, उड़ीसा में काफी हरिजनों पर अत्याचार होता है। यह क्यों होता है ? इसके लिए खाली स्टेट गवर्नमेंट ही रिस्पांसिबल नहीं है। हरिजनों की जो प्राब्लम है उस पर हमें ठीक से सोचना हे। हमारे सी०पी०एम० के दोस्त हैं। वे जब बिहार में होता है, उड़ीसा में होता है तो बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अन्याय हो रहा है। लेकिन जब बंगाल में होता है तो नहीं बोलते हैं। हम लोग माडर्न एज में जा रहे हैं, 21वीं सेंचरी में जा रहे हैं। अगर हमारा उसके मुताबिक आऊटलुक चेंज नहीं होता है तो हम समाज को कैसे चेंज करेंगे। अभी यहां सी०पी०एम० के दोस्त नहीं हैं, वे चले गये हैं। लेकिन मैं चौबे जी से कहना चाहती हूं कि जब बिहार के बारे में, उड़ीसा के बारे में आप कहते हैं तो आप प्रोग्रेसिव बन जाते हैं लेकिन जब बंगाल में फुलपुरी में हरिजनों पर अत्याचार होता है तो बोलते नहीं। उसके बारे में पेपर में भी आया है। उसके बारे में आप नहीं बोलते।

यह बात ठीक है कि हरिजनों का जितना डवलपमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट ध्यान दे रही है लेकिन डवलपमेन्ट कोई-कोई आदमी का हुआ है। शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी का जो डवलपमेन्ट होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। कोई आदमी आसन पर आ जाता है तो वह नीचे को नहीं देखता है। वह यह नहीं देखता है कि हमारे नीचे वाले का डवलपमेन्ट ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आप से कहना चाहती हूं कि गवर्नमेन्ट को लेंड रिफार्म्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मैं गवर्नमेन्ट से रिक्वेस्ट करती हूं। साथ-साथ पुरुषों के लिए ही नहीं महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए, हरिजन महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार को ज्यादा शिक्षा देने, अशिक्षा को दूर करने, उनको पूरी सुविधाएं देने का काम करना चाहिए। सिर्फ नौकरी देने से काम नहीं होगा, रिजरवेशन से समस्या का हल नहीं होगा, जब तक शिक्षा नहीं होगी, पूरी ट्रेनिंग नहीं होगी, अशिक्षा दूर नहीं होगी, सारे देशवासी एक साथ आगे नहीं आएंगे तब तक देश की और समाज की उन्नति नहीं हो सकती। हालांकि मैं एस०सी०एस०टी०कम्युनिटी से नहीं हूं,लेकिन मैं समझती हूं

कि बैकवर्ड क्लासेस की उन्नति होनी चाहिए, इसके लिए हमे मारल सपोर्ट देना चाहिए, इसके लिए माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंन्ट दिया, उसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य का स्वागत करता हूं। यह सच है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ पदों को इस दलील पर अन-अधिसूचित किया गया—कभी-कभी वास्तविक कारण से—कि इन पदों के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिले। सरकार ने यह बहुत ठीक किया है कि यदि उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो ये पद तब तक खाली रखे जाने चाहिए जब तक उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं।

मैं यहां एक बात का सुझाव देना चाहता हूं। कृपया यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे उन पदों पर कुशलता से कार्य कर सकें। अन्यथा क्या होता है कि गैर-अनुसूचित जाति के लोगों को इस बात से जलन होती है कि कभी-कभी एक व्यक्ति को 20 वर्ष तक कार्य करने पर भी पदोन्नति नहीं मिलती है लेकिन एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को 5 वर्ष में ही पदोन्नति मिल जाती है। उसे न केवल पदोन्नति मिलती है बल्कि वह यह भी नहीं जानता है कि काम कैसे किया जाता है। शायद वह व्यक्ति जिसे पदोन्नति मिली है का दर्जा सरकारी तौर पर उस गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति की तुलना में कम हो जिसे अधिक कार्य करना पड़ता है। इस पहलू पर गौर किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मित्र जिन्हें पदोन्नति मिलती है—को वास्तव में प्रशासन चलाने के लिए कुशल किया जा सके। जैसे आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देते हैं वैसे ही आप उन्हें यहां भी प्रशिक्षण दे सकते हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : आप इस विचार को कैसे स्वीकार करेंगे कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसे किसी पद पर रखा जाए वह उसके लिए कुशल नहीं है ?

श्री नारायण चौबे : जब आप किसी पद को इसलिए खाली रखते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है तो आपको उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए।

जैसे कुमारी ममता बनर्जी ने कहा है, मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। आप सरकार चला रहे हैं। खर्चे में कमी करने के नाम पर आप कई रिक्तियां नहीं भर रहे हैं। आप मानदंड का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि कम से कम रेलवे में इस मानदंड का अनुसरण नहीं किया जाता है। वहां कई रिक्तियां हैं। एक तरफ तो आप उन पदों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ आप भर्ती पर रोक लगाए हुए हैं। ये दो चीजें साथ-साथ नहीं चल सकती हैं। हमारी आर्थिक नीति में तालमेल होना चाहिए। निस्संदेह आपको यह देखना चाहिए कि इससे नुकसान नहीं हो। साथ ही यदि आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि लोगों को नई नौकरियां नहीं मिलें तो केवल आरक्षण द्वारा आप समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। अत: भर्ती पर रोक को केन्द्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और सरकारी उपक्रमों के स्तर पर हटा लिया जाना चाहिए।

[श्री नारायण चौबे]

जब मैं आ रहा था तो मुझे कुछ मित्रों ने फोन पर बताया कि बंगाल केमिकल फैक्ट्री में वे आज तक किसी भी आरक्षण नीति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। कृपया इसकी जांच करायें। बंगाल केमिकल एक सरकारी प्रतिष्ठान है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोग हमारी जनसंख्या का 22 प्रतिशत है। ज्यादातर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग या तो भूमिहीन हैं या कृषि मजदूर हैं या कुछ छोटे-मोटे कार्य कर रहे हैं। उनक मुख्य पेशा कार्यालयों और डाकघरों में काम करना नहीं है। मुख्य समस्या भूमि की समस्या है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर गौर करेंगे और यह कांग्रेसी सरकार, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था, भूमि सुधार के प्रति वचनबद्ध है। जब दूसरी पांचवी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा चल रही थी तो जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि भूमि सुधार भारत की भावी प्रगति के लिए वरदान हैं। भूमि सुधार का उचित कार्यान्वयन नहीं किया गया है और यदि कार्यान्वयन किया गया है तो यह बहुत ही अजीब तरीके से कार्यान्वित किया गया है। इस बात को सुनिश्चित करें कि भूमि सुधारों का उचित कार्यान्वयन और निष्पादन हो तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनका भाग दिया जाए। वे आपके समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों को नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि उन्हें उनकी अपनी भूमि मिल जाये। आप जानते हैं कि भारत का इतिहास बहुत समय से और हजारों वर्षों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को धोखा देने का इतिहास रहा है।

मैं समझता हूं कि आप ब्राह्मण हैं। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं समझता हूं कि आप गलती कर रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : एकलव्य अनुसूचित जाति का था। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। **(व्यवधान)**

श्री नारायण चौबे : भारत में यह परम्परा रही है। इस बात को मत भूलिए।

श्री पी० चिदम्बरम : इस सम्बन्ध में भी आप गलत कह रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : क्या द्रोणाचार्य गलत है? क्या महाभारत गलत है? जनता भूमि-सुधार नियमों को स्वीकार नहीं करेगी और हमेशा से जो होता आया है उसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। झारखंड आन्दोलन जोर पकड़ रहा है। नक्सलवादी उभर रहे हैं। हम उनसे असहमत हो सकते हैं। लेकिन अब वे सशस्त्र हो रहे हैं। आप यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो वे सशस्त्र विद्रोह कर देंगे।

शिक्षा के क्षेत्र से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे पिछड़े हुए हैं। यदि आप उन्हें रोजगार देना भी चाहें तो भी आप उन्हें रोजगार नहीं दे सकते। शिक्षा का प्रश्न ही कहां है? वे तो साक्षर भी नहीं हैं। अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों में शिक्षा अधूरी छोड़ने वालों की संख्या कितनी है? उच्च वर्गों में शिक्षा अधूरी छोड़ने वालों की संख्या अधिकतम 10% है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति लोगों में 90% है। कृपया भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के विकास पर कुछ विशेष ध्यान दीजिए।

आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति अनेक वर्षों से पश्चिम बंगाल में रहता है। शायद वह एक धोबी है। आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे भारत में धोबी अनुसूचित जाति है। इस जाति को आन्ध्र प्रदेश की सरकार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता नहीं देती है। विगत छः-सात वर्षों से मैं इन बातों को कह रहा हूं। आप मुझे यह आश्वासन देते रहे हैं कि इन बातों पर उचित रूप से ध्यान दिया जायेगा। आंध्र प्रदेश का वह गरीब व्यक्ति 50-60 वर्षों से मेरे क्षेत्र में रह रहा है। अब पश्चिम बंगाल के लोग कहते हैं, "आप आंध्र प्रदेश जाओ और वहां से एक प्रमाण-पत्र लेकर आओ।" आंध्र प्रदेश में उसे कौन जानता है ? आंध्र प्रदेश में जिसका कुछ भी नहीं है। शायद सिर्फ उसका नाम ही रामैया या पापैया या पेन्टैया ही आंध्र प्रदेश का उसका है और उसका वहां कुछ नहीं है। यह वहां कैसे जा सकता है ? इसी प्रकार एक गरीब बंगाली 200 वर्षों से बनारस में रहता है। यदि आप उससे बंगाल जाने और एक प्रमाण-पत्र लाने के लिए कहेंगे तो यह एक कठिन समस्या है ! मैंने स्वयं अनेकों बार ये सब बातें कही हैं। अनेकों बार आप सिर्फ अपना सिर हिलाते रहे हैं जैसा कि अभी आप हिला रहे हैं। कृपया इस समस्या का समाधान कीजिए।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं अपना सिर नहीं हिला रहा हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, आरक्षण के सम्बन्ध में माननीय मंत्री के वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं। हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार द्वारा इस संबंध में जो चिन्ता है यह उसका एक उदाहरण है। हरिजनों, जनजातीय लोगों, आदिवासियों तथा गरीब वर्ग के लोगों की दशाओं में सुधार लाने के प्रति उन्हें वास्तविक चिन्ता है। ऐतिहासिक आवश्यकताओं तथा ऐतिहासिक कारणों से स्वतन्त्रता के बाद हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षण करने का निर्णय हमने लिया और फिर आरक्षण लागू किया गया। हमने सोचा कुछ समय में ये गरीब लोग अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर लेंगे और आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से अपने सहयोगियों अर्थात् समाज के अन्य वर्गों में समान हो जायेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश हरिजन और अनुसूचित जाति के लोग आज भी समाज की निम्न कोटि में आते हैं। सरकार द्वारा अनेक उपाय किए जाने पर भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इस सरकार ने न सिर्फ रोजगार के लिए आरक्षण और शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानों के लिए आरक्षण लागू किया है बल्कि गरीब वर्गों के लोगों जो अधिकांशतः हरिजन, जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों को लागू किया गया है। हमारी स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागांधी के 20 सूत्री कार्यक्रमों द्वारा हरिजनों तथा आदिवासियों की दशा सुधारने पर विशेष बल दिया गया है। हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री ने भी नये 20 सूत्री कार्यक्रम तथा हाल ही में घोषित जवाहर-रोजगार योजना पर भी विशेष बल दिया है। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य हरिजनों, आदिवासियों तथा अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े लोगों की स्थिति में सुधार लाना है। लेकिन इन सबके बावजूद भी इस वर्ग के लोगों तथा समाज के उच्च वर्ग अथवा अन्य विकासशील वर्गों के बीच काफी अन्तर बना हुआ है। इस तथ्य के बावजूद कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में तथा नौकरियों में भी आरक्षण है, यह बात सत्य है—कि एक हरिजन विद्यार्थी या गरीब परिवार का एक विद्यार्थी धनी परिवार के विद्यार्थी की बराबरी नहीं कर सकता है। अतः सिर्फ विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आरक्षण से ही गरीब हरिजन विद्यार्थियों को सहायता नहीं मिलती है। इसका कारण यह है कि धनी परिवार का विद्यार्थी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, वातावरण तथा अपने घर में प्राप्त होने वाली विशेष सुविधाओं के कारण गरीब परिवार के विद्यार्थियों से ज्यादा काबिल होते हैं। अतः शैक्षणिक संस्थाओं में यह होता है कि ये हरिजन विद्यार्थी या तो परीक्षा देना नहीं

[प्रो० पी०जे० कुरियन]

चाहते हैं अथवा अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ देते हैं। यही कारण है कि जब सरकार किसी पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करती है तो पर्याप्त संख्या में शिक्षित हरिजन और अनुसूचित जनजाति आदि के उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। अतः इस समस्या का निदान बिल्कुल शुरू से ही करना होगा। शैक्षणिक संस्थाओं में इन हरिजन विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण और कोचिंग देनी चाहिए ताकि ये उच्च वर्ग के अन्य विद्यार्थियों की बराबरी कर सकें। इस संदर्भ में मेरे पास कहने के लिये बहुत सी बातें हैं लेकिन चूंकि अब समय नहीं है, अतः मैं सिर्फ एक या दो का ही जिक्र करूंगा।

मुझे एक अन्य बात कहनी है। यद्यपि पिछले 40 वर्षों से आरक्षण लागू है, फिर भी जैसा कि मैंने पहले कहा, इन लोगों की स्थिति अभी भी शोचनीय है। मैं एक अन्य बात का भी जिक्र करना चाहूंगा और इस बात पर विचार करने का अनुरोध माननीय मंत्री से करूंगा। पिछड़े वर्ग के बहुत ही गरीब हरिजनों का एक अन्य वर्ग भी है जिन्हें आरक्षण की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। इस सन्दर्भ में सरकार के पास अनेक अर्जियां दी गई हैं। श्री अय्यपू रेड्डी एक समुदाय विशेष की दशा का वर्णन कर रहे थे। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि केरल में चकमर नामक एक अन्य समुदाय भी है। वास्तव में यह एक हरिजन समुदाय है और इसे अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ चूक हो जाने के कारण ऐसा नहीं हुआ। पुनः इसी प्रकार वे हरिजन लोग जिन्होंने इस्लाम, ईसाई या बौद्ध धर्म को अपना लिया था वे सब भी अपने हिंदू सहयोगियों की ही तरह या शायद उनसे भी अधिक बदतर दशा में हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अन्य धर्म तो अपना लिया है उन्हें आरक्षण की सुविधा नहीं मिल रही है। इन बातों पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना है। अन्यथा ये हरिजन महसूस करेंगे ...... (व्यवधान) मंत्री महोदय मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : यह बात गलत है। मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मुझे अपने बगल में बैठे हुए अन्य सांसदों की बातों पर भी ध्यान देना है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बात का पता लगाने के लिये एक आयोग का गठन किया जाये कि क्या वे लोग जिन्होंने अन्य धर्मों को अपना लिया है वैसी ही बदतर स्थिति में हैं। यदि आरक्षण नहीं तो कम से कम हरिजनों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए और यह सुविधा, अन्य हरिजनों को जिन्होंने अन्य धर्मों को अपना लिया है, उन्हें भी प्रदान की जानी चाहिए। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि कुछ समय के बाद अन्य धर्मों को अपनाने वाले लोगों के लिए निश्चितरूप से आप आरक्षण समाप्त करने की बात सोच सकते हैं। लेकिन जहां तक प्रथम कुछ वर्षों का सम्बन्ध है। इन दोनों के बीच अन्तर नहीं रखना चाहिए। इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध मैं माननीय मंत्री से करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : उपाध्याय जी, मैं गृह राज्य मंत्री चिदम्बरम जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण के लिए संकल्प को घोषणा की है। महोदय, यह आरक्षण उन वर्गों के लिए किया गया था जो वर्ग समाज में सबसे उपेक्षित थे जिनके पास न वस्त्र थे, न भूमि थी और न कोई रोजगार था और समाज में उनको जानवर की तरह देखा जाता था। उन्हीं के उत्थान के लिए महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल

नेहरू और डा० अम्बेडकर ने साधना की थी और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। मैं पं० जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का धन्यवाद करता हूं। राजीव जी हरिजन और आदिवासियों के उत्थान के लिए जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, वे सराहनीय हैं। जिस तरीके से रामचन्द्र जी ने शबरी के जूठे बेर खाकर के उनको मान्यता दी और उसकी मर्यादा को बढ़ाया, जिस प्रकार से पाप के ऊपर पुण्य की विजय दिलाने के लिए भगवान कृष्ण सारथी के रूप में बने, आज उसी प्रकार राजीव गांधी जी कोटि-कोटि सर्वहारा वर्ग को न्याय दिलाने के लिए और सामाजिक समता प्रदान करने के लिए आज सारथी बन कर काम कर रहे हैं। इसके लिये हमारी कोटि-कोटि जनता आज उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट कर रही है।

महोदय, आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन आरक्षण लागू करने की नीयत साफ नहीं है। अभी भी कई ऐसे विभाग हैं जहां आरक्षण पूरा नहीं हो पाया है। मैं रामायण के हवाले से कहना चाहता हूं—

"पूजिए बिप्र सिल गुण हीना, तजित शूद्र गुण, ज्ञान प्रवीना"

जब तक यह नीयत खत्म नहीं होगी, तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकता है। हरिजन इण्टरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो पहले तो यह कहते हैं कि अवेलेबल नहीं हैं, जब अवेलेबल हो जाते हैं, तो कहते हैं कि सूटेबल नहीं हैं, जब सूटेबल हो जाते है, तो यह कह देते हैं कैपेबल नहीं हैं। इस तरह से हरिजन और आदवासियों के साथ अन्याय किया जाता है। यदि उनके प्रमोशन का समय आता है, तो उनकी चरित्र पुस्तिका पर एडवर्स रिमार्क्स दे दिये जाते हैं जिससे उसका प्रमोक्षन न हो पाये। आप इसकी जांच कर लीजिए, चिदम्बरम साहब। कई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऐसी हैं जहां कहीं भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है। इसी प्रकार से जूडिशयरी इत्यादि में पूरा नहीं हुआ। आपने जो संकल्प लिया है, आरक्षण पूरा करने का, लेकिन जहां तक पॉवर्टी का सवाल है, गरीबी का सवाल है, गरीब बाप का बेटा कहां से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अनुसूचित जाति/जन जाति के आरक्षण के साथ-साथ आप आर्थिक हालत, माली हालत को भी इसका आधार बनायें। गांवों में जो गरीब भूमिहीन व बेरोजगार लोग हैं, जिनकी आय का कोई साधन नहीं है, उनको भी इस क्षेत्र में लाइये। यहां पर यह बात कई माननीय सदस्यों ने कही है कि आर्थिक आधार को भी इसमें सम्मिलित किया जाये। उनकी आर्थिक हालत को हमें सुधारना होगा। इसके लिए लैंडसीलिंग लाना जरूरी है।

हमारे प्रधान मंत्री जी, ने जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना में ऐसे लोगों को रोजगार देने की गारंटी दी है। यह सब आ रहा है। जो लैंड सीलिंग है, उसको पूरा करना चाहिए। खेती करना तो हरिजन ही जानता है, दूसरा नहीं जानता है। जो खेती करना जानता है, उसके पास भूमि नहीं है और जो खेती करना नहीं जानता ऐसे लोग बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं और 18, 18 हजार एकड़ जमीन अभी भी बिहार में लोगों के पास है। उस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। जो भी बंटवारा हुआ था, वह जनता पार्टी के राज्य में छीन लिया गया। जनता पार्टी के राज्य में हरिजनों पर बहुत शोषण हुआ। हरिजनों को बेलछी, धरमुरा, मधुबन और भरतपुर में जितनी भी जमीनें दी गई थीं, मैं बात नहीं बना रहा हूं, आप जांच कराइए वह जमीन जनता पार्टी के राज्य में छीन ली गई और उन लोगों को लिटीमेशन में फंसा दिया गया और बहुत से लोगों को गोली से शूट कर दिया गया। ढ़ाई साल के शासन में जनता पार्टी की सरकार ने जो हरिजनों पर अत्याचार किया उसको हरिजन कभी भूलेगा नहीं।

[श्री राम भगत पासवान]

कांग्रेस ने वैसा ही किया जिस तरह कृष्ण ने पांडवों को न्याय दिलाने के लिए सारथी का काम किया और शबरी का झूठा बेर खाकर राम ने उनकी मर्यादा को बढ़ाया, उसी प्रकार आज राजीव गांधी हरिजनों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिये सारथी का कार्य कर रहे हैं। हम उनके इस कार्य के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं।

पब्लिक स्कूल सामन्तशाही हैं, यहां बड़े-बड़े अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं और यहीं से विषमता शुरू हो जाती है। एक बच्चा जिसकी शिक्षा इस प्रकार की होगी और एक बच्चा जो वृक्ष के नीचे पढ़ेगा, जो भूखा है, दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है, गरीब का मैंटली डैवलपमैंट कैसे हो सकता है ? इसलिए सारे पब्लिक स्कूलों को तोड़ दिया जाये, उनकी ऐड बन्द कर दी जाए और सभी बच्चों को एक-समान शिक्षा दी जाए ताकि शिक्षा जगत में समानता आ सके और हरिजनों के बच्चे भी उसी तरह बढ़ सकें।

आप पता लगाइए, हरिजनों के बच्चे भी काफी इंटैलिजेन्ट हुए हैं, मैडिकल में फर्स्ट किए हैं, जुडिशियरी में भी अच्छा किये हैं, टैक्नीकल लाइन में भी अच्छा किए हैं, गरीब रहते हुए भी आगे बढ़े हैं लेकिन जब तक हरिजनों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी इनकी प्रगति नहीं हो पाएगी।

मैं श्री चिदम्बरम जी से आग्रह करूंगा कि आप हरिजनों के सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दीजिए ताकि जो महात्मा गांधी जी, डा० अम्बेडकर, नेहरू जी और श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का संकल्प था उसको पूरा किया जा सके।

हमारे राजीव जी घर-घर जाकर हरिजनों की स्थिति को देख रहे हैं और सुधार करने की व्यवस्था कर रहे हैं। उनका भी संकल्प पूरा होगा और उससे गरीबी दूर होगी, एकता आएगी और जुल्म नहीं होगा। इससे हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और जब हम एक समान आएंगे तो गरीबी दूर होगी और समाज में भाईचारा भी आएगा। जुल्म को कम करने के लिए आपको सभी वर्गों को एकता की कसौटी पर लाना होगा। आज गरीबों पर जुल्म कौन कर रहे हैं ? पुलिस उन पर जुल्म कर रही है, सामन्त शाह और बड़े-बड़े अफसर जुल्म करने वाले हैं, उनकी मनोवृत्ति साफ नहीं है। इसलिए अनिवार्य रूप से जो आरक्षण की अवहेलना करते हैं उनके खिलाफ आप कमीशन बैठाइए और उनको किसी भी हालत में बख्शिए नहीं, वे राष्ट्र के द्रोही हैं जो दूसरी जाति के लोगों को हरिजनों के नाम पर बहाल करा देते हैं और कहते हैं कि हरिजनों में कैपेबल नहीं हैं। ऐसे-ऐसे अधिकारियों को कम-से-कम 10 बरस की सजा दी जाए और ऐसा करके आप 2, 4, 10 को सजा देकर दिखला दीजिए ताकि दूसरों को उससे सबक मिल जाए। जिससे आपकी नीति लागू हो सके और आपका संकल्प पूरा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 19.4.1989 को दिए गए श्री पी० चिदम्बरम के वक्तव्य का स्वागत करती हूं। इस बात के लिये भारत सरकार को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। मैं महिलाओं के सम्बन्ध में कहना चाहूंगी क्योंकि पूर्व के वक्ताओं द्वारा अनेक बातें कहीं, गयी हैं लेकिन उन्होंने महिलाओं के सन्दर्भ में कुछ विशेष नहीं कहा। जब तक कि हम हरिजन और जनजाति की महिलाओं का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं किया जा सकता।

उनके लिए हमें कुछ परियोजनायें शुरू करनी होंगी। हरिजनों और जनजाति के लोगों के लड़कों और लड़कियों के लिये हमें अनेक आश्रम विद्यालय खोलने होंगे।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि कम उम्र से ले कर वयस्क उम्र की हरिजन तथा आदिवासी महिलाओं के लिये शिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। उनके लिये आयु की सीमा को भी हटा दिया जाना चाहिए।

मैं रोजगार के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगी। रोजगार में उनके लिये उम्र की सीमा में भी छूट दी जानी चाहिए।

6.00 म०प०

मैं यह कहना चाहूंगी कि जब तक कि हम हरिजन और अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास के लिए कुछ विशेष ध्यान नहीं देते हैं हम इस वर्ग के वास्तविक विकास की आशा नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि हरिजनों के एक विशेष वर्ग को बेहतर स्थिति प्राप्त होती है और वह वर्ग विकास करता जाता है। लेकिन अन्य वर्गों का विकास नहीं होता है।

इस सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री से सच्चे दिल से अनुरोध करती हूं कि वे इसकी छानबीन करें और यह देखें कि हरिजनों और जनजाति के लोगो के सभी वर्गों को समान अवसर मिलें, सिर्फ एक वर्ग या कुछ प्रतिशत लोगों को ही नहीं बल्कि, हरिजनों और जनजाति के लोगों के सभी वर्गों और भिन्न-भिन्न समुदायों को समान अवसर मिलें।

इन शब्दों के साथ मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं महिलाओं के सम्बन्ध में कहना चाहती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म०पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित होती है।

6.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 5 मई, 1989/15 वैशाख, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रैस, 1867 चीराखाना, नई सड़क, दिल्ली-110006